एकादश माला, खंड 6, अंक 6

गुरुवार, 28 नवम्बर, 1996
7 अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

गुरुवार, 28 नवम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
[हिन्दी संस्करण] का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
24	12	श्री शान्तिलाल पुरषोत्त दास पटेल	श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल
168	3	1057	1059
222	18	1120	1128
230	नीचे से 1	छ	घ

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपरसचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 6, गुरूवार, 28 नवम्बर, 1996/7 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	101,103, से 105 और 107	1—32
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	102,106, और 108-120	32—54
अतारांकित प्रश्न संख्या	920 से 1149	54—240
सभा पटल पर रखे गये पत्र		241
राज्य सभा से संदेश		241—242
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1996		
-राज्य सभा द्वारा यथापारित		242
संसदीय समितियां-कार्य सारांश		242
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
पहला और दूसरा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		242—243
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निदेशों के परिणामस्वरूप दिल्ली में उद्योगों को बंद किये जाने संबंधी मुद्दा		243—245
कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत		245
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		268—291
अक्तूबर-नवम्बर, 1996 के दौरान दिल्ली, हरियाणा और देश के अन्य भागों में व्यापक रूप से फैला डेंगू बुखार		
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव		268, 272—276
श्री सलीम इकबाल शेरवानी		268—272, 286—291
श्री हाराधन राय		276—279
श्री सुरेन्द्र राय		279—280
प्रो. अजित कुमार मेहता		281—283
डा. असीम बाला		291—294
नियम 377 के अधीन मामले		291—294
(एक) सूरत, गुजरात में विद्यमान कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर में बदलने की आवश्यकता		
श्री काशीराम राणा		291
(दो) तमकुही रोड और रक्सौल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और 28 क की तत्काल मरम्मत किये जाने की आवश्यकता		
डा. एम.पी. जायसवाल		291—292

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(तीन) चन्दवक, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर पुलों के निर्माण की आवश्यकता	
श्री विद्यासागर सोनकर	292
(चार) इंग्लैंड में बिक्री हेतु नीलामीकर्ताओं को सौंपे गए, गांधी जी से संबंधित दस्तावेजों को वापस लाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
श्री विजय हाण्डिक	292—293
(पांच) सीतामढ़ी, बिहार में विद्यमान कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर में बदलने की आवश्यकता	
श्री नवल किशोर राय	293
(छह) नवाबबाड़ी, जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सरकिट बैंच खोले जाने की आवश्यकता	
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास	294
(सात) आंध्र प्रदेश में मचारला से रायचूर के बीच बरास्ता नगरकरनूल और विकाराबाद से कृष्णा के बीच बरास्ता पारगिन नई रेल लाइनें बिछाये जाने की आवश्यकता	
डा. एम. जगन्नाथ	294
नियम 193 के अधीन चर्चा	294—385
उड़ीसा में सूखे की स्थिति-**जारी**	
श्री भक्त चरण दास	295—299
श्री राजीव प्रताप रूडी	299—303
श्री के.पी. सिंह देव	303—311
श्री अंचल दास	311—313
प्रो. रासा सिंह रावत	313—319
श्री पी.वी. नरसिंह राव	319—330
श्री हन्नान मोल्लाह	330, 332—336
श्री चित्त बसु	336—340
श्री बीजू पटनायक	340—343
श्री गंगा चरण राजपूत	344—347
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	348—354
श्री प्रमथेस मुखर्जी	354—357
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	357—358
श्री शरत पटनायक	358—36
श्री चतुरानन मिश्र	363—369
श्री सुधीर गिरि	372—374
कुमारी फ्रिडा तोपनो	374—376
श्री अनादि चरण साहू	376—378
श्री कार्तिक महापात्र	378—379
कर्नल सोनाराम चौधरी	379—382
श्री पिनाकी मिश्र	382—383
श्री मृत्युन्जय नायक	383—384

लोक सभा

गुरूवार, 28 नवम्बर, 1996/7, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : श्रीमान, आज आप बहुत सुन्दर लग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल आपने मुझसे मुस्कराने का अनुरोध करके मुझे उत्साहित किया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : क्या इनकी पार्टी ने अपने मंत्रियों के प्रति अविश्वास कर दिया है?

अध्यक्ष महोदय : आपको ज्यादा मौका मिलेगा, आपको खुश होना चाहिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपकी पार्टी में क्या हो रहा है। कहां हैं सब?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : आप इधर आ जाइए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : हम तो उधर आयेंगे ही, लेकिन उसके पहले आप इधर आइए। यह क्या हो रहा है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : हम हमेशा सामने देखते हैं, पीछे नहीं देखते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप जरा पीछे वालों पर ध्यान रखिए, वे क्या कर रहे हैं। पीछे वाले क्या कर रहे हैं, इसको तो देखिए। सब गायब हो गए हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेल लाइनों का दोहरीकरण

+

***101. श्री प्रहलाद सिंह :**

प्रो. पी.जे. कुरियन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जोनवार तथा राज्यवार दोहरी बनाई गई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन रेल लाइनों का जोनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें दोहरा बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की समय सारणी क्या है और उन पर अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च किया गया है;

(घ) उन रेल लाइनों का जोनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका दोहरीकरण संबंधी सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ङ) उन रेल लाइनों का जोनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें निकट भविष्य में दोहरा बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार को भी चालू वर्ष के दौरान रेलवे लाइनों को दोहरा बनाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) से (छ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन रेल लाइनों का दोहरीकरण किया गया है, उनका जोर-वार और राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1993-94 पूरा किया गया	कि.मी.	रेलवे	राज्य
1	2	3	4
कीरतगढ़-ताकू	12	म.रे.	म.प्र.
मेट पांजरा-कोहली	16	म.रे.	महा.
नरखेड़-मेटपांजरा	34	म.रे.	महा.
मथुरा-पलवल स्वचल सिगनल व्यवस्था और आई बी एस			
बोनीडांगा केबिन-बोनीडांगा	2	पू.रे.	प.बं.
चामग्राम-खलतीपुर	8.56	पू.रे.	प.बं.
खलतीपुर-जामिरघाटा	6.45	पू.रे.	प.बं.
मुगलसराय-गनखाना	4.02	पू.रे.	बिहार
रोहतक-जाखल	11	उ.रे.	बिहार
रामपुर केबिन-न्यू आजादपुर	8	उ.रे.	दिल्ली

1	2	3	4
तिलक ब्रिज-निजामुद्दीन	5	उ.रे.	दिल्ली
तनना दलखोला	8	पू.सी.	प.बं.
कायनकुलम-करूनागपल्ली	14	द.रे.	केरल
गंगिम-मलखंड रोड	12.4	द.म.रे.	आं.प्र.
थागुंडी-चेगुंटा	43.4	द.म.रे.	आं.प्रा.
अम्बोदला-गुमदा	83	द.पू.रे.	उड़ीसा
जोरांडा रोड-धनकनाल	9	द.पू.रे.	उड़ीसा
माही पुल	1	प.रे.	गुजरात
बोलई-अकोदिया	12	प.रे.	मध्य प्रदेश
जोड़	290		

(ख) और (ग) राज्यवार और जोनवार चल रहे दोहरीकरण के कार्यों का ब्यौरा, लक्ष्य तिथि तथा 31.3.96 तक खर्च की गई रकम नीचे दर्शाई गई है :-

क.सं.	खंड	राज्य	कि.मी.	लागत करोड़ रु. में	लक्ष्य	31.3.96 तक खर्च की गई रकम (करोड़ रुपयों में)	परिव्यय 96-97	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य रेलवे								
1.	चंबल पुल सहित हेतमपुर-घेर इकहरी लाइन।	म.प्र.	1	31.75	ल.ति.3/98	20.9	2	समग्र प्रगति 35%
2.	दिवा-वसई रोड	महाराष्ट्र	41.65	90	ल.ति.12/98	1	5	प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	दिवा-पनवेल	यथोक्त	26.1	52.34	ल.ति12/98	1	23.79	(मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। एक ब्लाक खंड 1996-97 में पूरा हो जाएगा)।
4.	दौंड-बिगवान	यथोक्त	27.68	38.78	ल.ति.12/99	1.5	1	(मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है)।
5.	निशातपुर (ए एण्ड डी केबिन कार्ड लाइन)	म.प्र.	3	2.78	ल.ति.6/97	0.43	2	प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर है।
6.	थाणे-तुर्भे	महाराष्ट्र	28.90	403.39	3.99	3.00	25.00	(सिडको के हिस्से की लागत के 24.99 करोड़ रुपए शमिल) मिट्टी संबंधी कार्य, भूमिगत मार्ग तथा स्टेशन इमारत का निर्माण शुरू कर दिया गया है।
7.	बेलापुर-पनवेल	महाराष्ट्र	10.90	279.83	3.99	8.00	32.07	(32.07 करोड़ रुपए रेलवे के हिस्से के अतिरिक्त सिडको का परिव्यय) मिट्टी संबंधी कार्य, भूमिगत मार्ग तथा स्टेशन इमारत का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्व रेलवे								
8.	साहिबगंज-न्यू फरक्का-मालदा टाउन	प.बंगाल	50	60.68	ल.ति.12/96	57.49	1.19	(लगभग 30 कि.मी. पहले ही खोल दिया गया है और शेष 20 कि.मी. में कार्य प्रगति पर है)।
9.	सोननगर-मुगलसराय तीसरी लाइन	बिहार	124	230	ल.ति.2/97	134.28	12	(21 कि.मी. को मार्च 1995 में चालू कर दिया गया। शेष भाग पर कार्य प्रगति पर है।)
10.	खाना-सैंथिया(चरण-1)	प.बं.	4	12.27	ल.ति.12/97	10.83	1.43	(भूमि अधिग्रहण पर मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है वास्तविक प्रगति 10%)
11.	झापटेरढाल-गुसकारा	प.बं.	15	11.46	ल.ति.12/96	10.41	1.05	(मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर। वास्तविक प्रगति 25%)
12.	चंदनपुर-गुडाप	प.बं.	17	25.29	ल.ति.12/96	12.92	1	(मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर)
13.	गुसकारा-बोलपुर चरण-3	प.बं.	19	24.15	ल.ति.12/96	3	1.72	(टेंडर आदि प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं)
14.	बज बज-अकरा चरण-1	प.बं.	6.09	7.85	ल.ति.12/97	3	1	(प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है)
उत्तर रेलवे								
15.	टुंडला-यमुना ब्रिज	उ.प्र.	21	35	ल.ति.12/97	5.28	1.6	(टेंडर आदि प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं)
16.	मुरादनगर-मेरठ सिटी	उ.प्र.	29.5	37	ल.ति.12/97	0	4.5	यथोक्त
17.	गाजियाबाद-मुरादनगर कहीं कहीं दोहरीकारण चरण-1	उ.प्र.	36.97	34.78	ल.ति.12/97	0	2	यथोक्त
18.	कानपुर-पनकी तीसरी लाइन चरण-1	उ.प्र.	9	34.91	ल.ति.12/97	0	1.25	(प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है)
पूर्वोत्तर रेलवे								
	कोई नहीं							
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे								
19.	धलकोला-किशनगंज	प.बं.	28	26.18	ल.ति.12/98	0	3	यथोक्त
दक्षिण रेलवे								
20.	कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम सेंट्रल	केरल	65	116.15	ल.ति.12/97	21.78	21.5	(भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है)
21.	व्हाइट फील्ड-बंगारपेट	कर्नाटक	81	105	ल.ति.12/97	18.55	1	(मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। समग्र प्रगति 45%)

1	2	3	4	5	6	7	8 9
22.	कुट्टीपुरम-कालिकट	केरल	56	63.45	ल.ति.12/97	0.5	2 (भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है)
23.	कुट्टीपुरम-गुरूवायूर	केरल	36	40	ल.ति.12/97	0	1 (अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण को प्रक्रिया चल रही है)
24.	बेंगलूरू-केंगेरी कहीं कहीं दोहरीकरण	कर्नाटक	12.45	23.59	ल.ति.12/97	0.2	0.01 (समूचे खंड की यातायात संभावना और लागत का अनुमान लगाने के लिए बेंगलूरू से मैसूर तक की संपूर्ण लंबाई के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है)
25.	कालिकट-मंगलोर	केरल	221	240	ल.ति.12/97	2	35 (मिट्टी और पुल संबंधो काम चालू है। कालीकट-वेस्टहिल, वेस्टहिल-एलातूर और कैलंदी-तिकोटी खंडों का कार्य 96-97 में पुरा होने की संभावना है)
दक्षिण मध्य रेलवे							
26.	विकाराबाद-तांदूर	आं.प्र.	40	71.75	ल.ति.31.12.96	57.85	2.11 (काम चालू है। वास्तविक प्रगति 70%)
दक्षिण पूर्व रेलवे							
27.	बिलासपुर-अकलतारा तीसरी लाइन	म.प्र.	27	27.5	ल.ति. 31.3.96	27.09	0.41 (मिट्टी और पुल संबंधी काम पूरा हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। वास्तविक प्रगति 90%)
28.	बोब्बिली-गजपतिनगर	उड़ीसा	32	32.18	ल.ति.6/97	31.88	0.29 (कार्य पूरा हो चुका है)
29.	गजपतिनगरम-विजियानगरम चरण-2 खंड-3	उड़ीसा	22	29.3	ल.ति.12/96	17.66	5.9 (कार्य चल रहा है। वास्तविक प्रगति 60%)
30.	रजतगढ़-नेरगुंडी-तालचेर	उड़ीसा	25	41.22	ल.ति.12/97	12.51	5.16 (कार्य चल रहा है। वास्तविक प्रगति 40%)
31.	अंकलतारा-चम्पा शिरोपरि उपस्कर सहित तीसरी लाइन	म.प्र.	262	39.96	ल.ति.12/97	7.84	2 (मिट्टी बिछाने, पुलों आदि कार्य चल रहा है। समग्र प्रगति लगभग 30%)
32.	रघुनाथपुर-गोरखनाथ-रेहमा	उड़ीसा	28.4	25	ल.ति.12/97	3.65	8 (टेडर, भूमि अधिग्रहण आदि प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं)
33.	उरकुरा-रायपुर-सारोना	म.प्र.	11.6	11.9	ल.ति.12/97	1.25	4.07 (कार्य प्रगति पर। वास्तविक प्रगति 45%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम रेलवे								
34.	बैरागढ़-बकानियां, भनूरी-बकानिया-भनूरी-फांदा	म.प्र.	16	16.2	ल.ति.12/96	16.15	0.5	(कार्य पूरा हो गया है)
35.	पीरम रोड-बेरछा और बोलई-अकोदिया	म.प्र.	23.46	27.47	3/97	27.42	0.5	यथोक्त
36.	कालापीपल-फांदा	म.प्र.	41	53	ल.ति.12/99	0.21	0.01	(प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है)
37.	बोलई-कालीसिंध-किसोनी-बेरछा और मक्सी-पिरुमरोद	म.प्र.	39	54.59	03/02	0	1.05	(टेंडर आदि प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं)
38.	कोटा-गुर्ला चम्बल पुल सं.211	राजस्थान	10.4	ल.ति.12/97	5	2.07 (कार्य प्रगति पर है)		
		कुल कि.मी.	1537.7					

प्रो. पी.जे. कुरियन : श्रीमन मुझे आपका संरक्षण चाहिये।

कृपया प्रश्न के भाग (घ) से (छ) को देखें। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर यहां मंत्रालय में हो उपलब्ध हैं। तथापि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा। जानकारी तभी एकत्रित की जा सकती है यदि वांछित जानकारी सुदूर स्थित कार्यालयों से उपलब्ध की जानी हो। परन्तु यह सारी जानकारी मंत्रालय में ही उपलब्ध है। तथापि मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार नहीं हैं, यह अत्यन्त खेद का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये। यदि मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया होता तो मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं थी। अतः मैं अपना अनपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने केरल के संसद सदस्यों हो सकता है अन्य राज्यों के संसद सदस्यों को भी बुलाया हो-को बातचीत के लिए बुलाया, तथा हमने उनसे चर्चा की। उस बातचीत के दौरान मैंने एक प्रश्न विशेषरूप से उठाया था जिसका संबंध त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम सैक्टर की रेल लाईनों को दोहरा करने से था क्योंकि ये लाईनें सबसे पुरानी तथा बहुत व्यस्त लाईनें हैं। इनका केवल एक भाग ही अभी दोहरा किया जा सका है। त्रिवेन्द्रम से कयामकुलम वाया कोट्टयाम तथा एलेप्पी के महत्वपूर्ण सैक्टर की रेल लाइन का दोहरीकरण अभी नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, मैं एक बात कहना चाहता हूं यदि कोई माननीय सदस्य दो मिनट के भीतर अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता है तो उसका प्रश्न स्वतः अस्वीकृत हो जाता है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय मैं ऐसा सदस्य हूं जो आपकी बात की सराहना करता हूं तथा उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे यह पता नहीं कि आपने यह बात आज क्यों शुरू की। कल के बाद मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन कल से आगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपके लिए एक बार की छूट है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए दो मिनट तथा एक सेकेन्ड का समय है।

प्रो.पी.जे. कुरियन : यह बात कल से आगे लागू हो सकती है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यदि मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर न दे पाये तो उस स्थिति में क्या होगा? आप मंत्री महोदय को कितना समय देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। मंत्रियों को भी अपने उत्तर देते समय संक्षेप में बोलना चाहिये।

प्रो. पी.जे. कुरियन : श्रीमन, मैं यह चाहता हूं कि त्रिवेन्द्रम-कयामकुलम वाया कोट्टयाम तथा एलेप्पी सैक्टर की रेल लाईन का दोहरीकरण तुरन्त किया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय ने इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है तथा इसके लिए मात्र 2 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह अपर्याप्त है। अतः मैं चाहता हूं कि एर्णाकुलम-कोट्टयाम-कयामकुलम

सैक्टर वाया एलेप्पी के सर्वेक्षण के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिये। मंत्री महोदय ने यह बात सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है लेकिन इसके लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिये। सर्वेक्षण का कार्य इसी वर्ष पूरा किया जाना चाहिये तथा अगले वित्तीय वर्ष में इस रेल लाइन के निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से इस विषय पर प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। अतः यही मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि यह प्रश्न नहीं एक सुझाव है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। यह एक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जिस लाइन का कायनकुलम से लेकर इरणाकुलम तक माननीय सदस्य ने कहा है उसके सर्वे का आर्डर हो चुका है। हमने कहा था कि हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे का आर्डर हो चुका है और उसके बाद आप जानते हैं कि यह प्लानिंग कमिशन में जाएगा। प्लानिंग कमिशन के बाद एक्सपेंडेड बोर्ड में आएगा, फिर उसके बाद सीसीए में जाएगा। प्लानिंग कमिशन के बाद एक्सपेंडेड बोर्ड में आएगा, फिर उसके बाद सीसीए जाएगा। तब उसके बाद बजट से जुड़ता है। लिए जो हमारे अधिकार का पहला काम था, मैंने जो आपको ... दिया था उसको हमने पूरा किया है। सर्वे का आर्डर हो चुका है।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, सर्वेक्षण के लिये धनराशि पर्याप्त नहीं है। मंत्री महोदय सर्वेक्षण के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जहां तक फंड का सवाल है माननीय सदस्य को आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से मतलब है। इनको सर्वे से मतलब है या फंड से मतलब है।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, उत्तर गलत है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय ने एक बड़ा आश्वासन दिया है।

श्री गेहलोत।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। सर्वेक्षण करवाया ही नहीं गया है। उन्होंने सर्वेक्षण कराने का केवल आदेश दिया है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने भी यही कहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गेहलोत।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष जी, इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि पेज नंबर 7 में क्रमांक 37 पर बोलई-कालीसिंध-किसोनी-बेरछा और मक्सी-पिरूमरोद के दोहरीकरण का लक्ष्य रखा है। उसमें अभी तक 1.5 करोड़ रुपये का खर्च बताया है। यह खर्च किस-किस में हुआ, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री राम विलास पासवान : हम समझ नहीं पाए कि इनका प्रश्न क्या है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लियर प्रश्न पूछा है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। यह जो दोहरीकरण का लक्ष्य रखा है और जो सूची दी है उसमें 37 नंबर पर बोलई-कालीसिंध-किसोनी-बेरछा और मक्सी-पिरूमरोद रेल लाइन के दोहरीकरण करने का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य की तिथि वगैरह दिखाई है। उसमें अभी तक 1.5 करोड़ रुपये खर्च होना बताया है लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह 1.5 करोड़ रुपए किस-किस में खर्च किए हैं?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यदि आप प्रश्न देखेंगे तो इसमें यह है कि तीन वर्षों के दौरान जोनवार, राज्यवार दोहरी लाइन बनाई गई। लाइनों का ब्यौरा क्या है और उन लाइनों का जोनवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है, जो दोहरीकरण का काम प्रगति पर है, प्रत्येक योजना में कितना खर्च हुआ है और उन लाइनों का जोनवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है जिसका दोहरीकरण संबंधी सर्वे चल रहा है, उन लाइनों का जोनवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है जिसका निकट भविष्ट में दोहरीकरण करने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, आपके पास जवाब नहीं है तो आप साफ-साफ बोलिए कि हमको दूसरा नोटिस चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इन्होंने जो पूछा है उसका पूरा उत्तर लिख कर हम इनको भेज देंगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर आया ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको दोबारा नोटिस देना पड़ेगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष जी हमें आपका संरक्षण चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : महोदय प्रश्न के भाग (ङ) में मंत्री महोदय से ऐसी रेल लाईनों का ब्यौरा देने को कहा गया था जिनका निकट भविष्य में दोहरीकरण किये जाने का प्रस्ताव है। कुछ मास पूर्व बंडेल-कटवा रेल लाईन के विद्युतीकरण कार्य का उद्घाटन करते समय माननीय रेल मंत्री ने जनसमूह के सामने यह घोषणा की थी कि बंडेल-कटवा रेल लाईन शीघ्र दोहरी की जायेगी।

दूसरे, सौरापुल्ली-ताराकेश सैक्टर जो कि पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन के अन्तर्गत आता है के दोहरीकरण की लगातार मांग होती रही है जिसके संबंध में मंत्री महोदय ने सकारात्मक उत्तर देते हुये एक आश्वासन भी दिया था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने इस आश्वासन को पूरा करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जो हमने आश्वासन दिया है उसे हम पूरा करेंगे।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : उज्जैन से लेकर भोपाल तक की जो रेलवे लाइन है पश्चिमी रेलवे के रेल-खंड पर उसमें इतना घना यातायात है कि दोहरीकरण से ही समस्या हल हो सकती है किन्तु दोहरीकरण के काम में विलम्ब हो रहा है। उसके कारण यातायात तो प्रभावित होता ही है रेलें भी प्रभावित होती हैं। इन सारे कार्यों में आपने कहीं पर प्रगति बताई है कहीं पर टैंडर देने की बात बताई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस वित्तीय वर्ष तक ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। दोहरीकरण के काम के लिए क्या आप कोई समय-सीमा निश्चित कर सकते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं एक बात बतला दूं कि एक लाइन बन जाती है पैसेंजरों के लिए तो दोहरीकरण के लिए रेलवे का अपना इंट्रेस्ट होता है और रेलवे स्वयं तत्पर रहती है कि जहां दोहरीकरण की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप रोकेंगे तो भी हम नहीं मानेंगे। हम अपने इंट्रेस्ट में उसको करेंगे। हम अग्रता उसको तय करते हैं और उसी अग्रता के आधार पर उसको सिलेक्ट करते हैं और जिस लाइन की जहां आवश्यकता होती है उसको टॉप प्रिओरिटी पर करने का काम हम करते हैं।

श्री येल्लैया नंदी : मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के मैडक डिस्ट्रिक्ट से सात साल पहले तेहरापुर, पट्टनचैरूक, संगारेड्डी का सर्वे हुआ था। हमारा संगारेड्डी पिछड़ा हुआ इलाका है, बैकवर्ड एरिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों का सर्वे हुआ उनके बारे में वे क्या कर रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : आप सिंगल लाइन के बारे में पूछ रहे हैं या दोहरीकरण के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री येल्लैया नंदी : जिनका सर्वे हुआ उनके बारे में आप बताएं।

श्री राम विलास पासवान : आपको हम इसके बारे मे लिखित रूप में भिजवा देंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : श्रीमन, केरल में दोहरीकरण का कुछ कार्य हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश, यद्यपि कुछ कार्यों का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात उन पर काम शुरू हुआ है, तथापि इन कार्यों की गति बहुत धीमी है। ये कार्य धीमी चलने वाली रेलगाड़ियों की ही भांति धीमी गति से चल रहे हैं। इसका कारण यह बताया गया है कि निर्माण कार्य से जुड़े कुछ कार्यालयों ने केरल में काम करना शुरू नहीं किया है। मुख्य अभियंता (निर्माण) का कार्यालय एर्णाकुलम (केरल) में खोले जाने का आदेश पिछली सरकार ने दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां रह रहे लोगों के हितों की रक्षा करने तथा केरल में शुरू किये गये दोहरीकरण के कार्य की गति को तेज करने के लिये इस कार्यालय की स्थापना तुरन्त हो सकती है या नहीं ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जो अनावश्यक देरी हो रही है उसको हम एक्सपीडाइट कराने की जरूर कोशिश करेंगे।

श्री पवन दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर से धनतर रेलवे लाइन जो आदिवासी जिले बस्तर को जोड़ती है जिसका शिलान्यास पूर्व रेल मंत्री माननीय सुरेश कल्माड़ी जी ने किया था उसका कुछ भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। वह कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री राम विलास पासवान : यह प्रश्न तो दोहरीकरण के बारे में है लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य नयी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह बिहार में गया-क्यूल रेलवे खंड को दोहरी लाइन में परिवर्तित करने का विचार रखते हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में गया-पटना लाइन का दोहरीकरण करने का आश्वासन दिया था लेकिन वहां अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या गया-क्यूल का दोहरीकरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, गया से क्यूल तक की लाइन का दोहरीकरण करने का जहां तक सवाल है, इसके बारे मे मैं पूरी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को भेज दूंगा। जहां तक पटना से गया का सवाल है, उसको दोहरी लाइन में परिवर्तित करने का हमने विधिवत उद्घाटन भी कर दिया है। माननीय सदस्य राम कृपाल यादव जी और रामाश्रय प्रसाद सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, उन्हें भी मालूम है कि हमने उस लाइन का विधिवत उद्घाटन करके वहां काम शुरू करवा दिया।

रेलवे की चालू परियोजनाएं

+

***103. श्री नवल किशोर राय :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित रेलवे की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उन विदेशी संस्थाओं को प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान कर दिया है; और

(ङ). यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कुल कितनी राशि का भुगतान किया है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से ङ) उन चालू परियोजनाओं का ब्यौरा, जिनके लिए धन की व्यवस्था विदेशी संस्थाओं द्वारा की जा रही है, इस प्रकार है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	धन की व्यवस्था करने वाली एजेंसी	ऋण/सहायता की मात्रा	इस्तेमाल की गई राशि	अदा किया गया वचनबद्धता प्रभार
1.	पहली रेल परियोजना-ऋण सं. 857 आईएनडी प्रौद्योगिक के हस्तांतरण सहित उच्च शक्ति वाले मालगाडी रेल इंजन प्राप्त करना, रेल सुविधा और उपस्कर का ग्रेडोन्नयन।	442.00 मिलियन अमरीकी डालर	एशियाई विकास बैंक	190 मिलियन अमरीकी डालर	136.12 मिलियन अमरीकी डालर	8.957 मिलियन अमरीकी डालर
2.	उच्च अश्व शक्ति वाले सवारी गाड़ी रेल इंजनों और सब-स्टेशन सुविधाओं की खरीद।	यह उपर्युक्त परियोजना में शामिल है	एक्जिम बैंक, जापान	110.0 मिलियन अमरीकी डालर	102.30 मिलियन अमरीकी डालर	2.08 करोड़ रु.
3.	[illegible]री रेल परियोजना ऋण सं. 1140 आईएनडी पतरातू-सोननगर का विद्युतीकरण और सोननगर-मुगलसराय के बीच तीसरी लाइन, आदि।	500.00 मिलियन अमरीकी डालर	एशियाई विकास बैंक	107.70 मिलियन अमरीकी डालर	42.39 मिलियन अमरीकी डालर	1.89 मिलियन अमरीकी डालर
4.	कोरापुट-रायगडा के बीच बड़ लाइन का निर्माण।	442.32 करोड़ रु.	सऊदी निधि	88.0 मिलियन सऊदी रियाल	62 मिलियन सऊदी रियाल	कुछ नहीं
5.	पटरियों आदि की खरीद	33.00 मिलियन यू.के. पाउंड	यू.के. ग्रांट	33.00 मिलियन यू.के. पाउंड	30.67 मिलियन यू.के. पाउंड	कुछ नहीं
6.	निरन्तर स्वचल गाडी नियंत्रण प्रणाली का अभिकल्प, निर्माण आदि तथा उसे चालू करना।	56.295 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक + 2.30 करोड़ रु.	फ्रांसीसी ऋण	56.295 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक	50.872 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक	कुछ नहीं

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अपना पहला पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि पहली रेल परियोजना, दूसरी रल परियोजना एवं अन्य चार परियोजनाओं के सम्बन्ध में अधिकतम धन की व्यवस्था की गई है। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि अधिकतम धन खर्च कर दिया गया है तो जमीन पर इन योजनाओं की कितनी कार्यवाही हुई है, इससे रेलवे को क्या लाभ होने वाला है और यात्रियों की सुविधा में कितनी बढ़ोत्तरी होने वाली है? समय समय पर इन परियोजनाओं के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन के लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है या नहीं?

श्री सतपाल महाराज : अध्यक्ष महोदय, जिन परियोजनाओं के लिए विदेशों से लोन लिया गया है, उनमें नए ईंजन आने का, ट्रांसफर टैक्नॉलोजी का, रेलवे अपग्रेडेशन का और इक्विपमैंट्स लेने का प्रावधान किया गया है। इससे हमारी रेलें तेजी से चलेंगी और इससे हमारे पैसंजर्स को फायदा होगा। भारतीय रेलवे ने पैसेंजर्स और फ्रेट की सुविधा के लिए इन चीजों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है।

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर आया है, उनके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विदेशो वित्तीय संस्थाओं से दूसरी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित कराने के बारे में बात की है। सरकार विदेशी वित्त पोषण संस्थाओं से नई परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित करा कर योजनाओं को शामिल करना चाहती है? यदि हां, तो [illegible], बंगाल सहित नॉर्थ-ईस्ट राज्यों की कुछ विशेष योजना[illegible] वह शामिल करना चाहती है?

श्री सतपाल महाराज : अभी हमारे पास इसके लिए कोई नई योजना आई नहीं है। ऐसी जो भी योजना आएगी, हमारा मंत्रालय उस पर विचार करेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अनके परियोजनाएं हैं जो कि विदेशी सहायता से आरम्भ की गई हैं। अब व्यवस्था यह है कि जब किसी परियाजना को स्वीकृति प्रदान की जाती है तो आन्तरिक लाभ दर .14 प्रतशत होना चाहिए। क्या उन परियोजनाओं के संबंध में इस पहलू को ध्यान में रखा गया है, जिनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और विदेशी सहायता से आरंभ किया गया है? क्या वह सब परियोजनाएं आर्थिक रूप से लाभप्रद हैं या नहीं?

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज : अध्यक्ष महोदय, जो प्रोजैक्ट्स हमने लिए हैं, उनके फाइनलइजेशन में कभी-कभी विलम्ब हो जाता है। जिन प्रोजैक्ट्स के बारे में माननीय सदस्य ने सूचना मांगी है, वह इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैं इसकी सूचना माननीय सदस्य को दे दूंगा।

[अनुवाद]

संयुक्त अरब अमीरात से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का पुनर्वास

\+

***104. श्री बी.एम. सुधीरन :**

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों तथा अन्य देशों से भारत वापस भेजे गये व्यक्तियों की देश-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये कोई योजना बनाई है अथवा केन्द्रीय कोष स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उन्हें उसी पासपोर्ट पर खाड़ी के देशों में फिर से जाने की अनुमति दी गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

संयुक्त अरब अमीरात में वैध परमिटों के बिन गैर-कानूनी रूप से रूकने वाले विदेशियों को वापस भेजने के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार की सर्वक्षमा योजना (एमनेस्टी स्कीम) के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात से हाल ही में लगभग 60,000 व्यक्ति वापस लौटे हैं। विगत में, अन्य देशों से भारतीय नागरिकों का कोई प्रमुख निष्क्रमण नहीं हुआ है। तथापि, समय-समय पर खाड़ी और अन्य देशों से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों और वीजाओं के विदेश में रहने वाले कुछ भारतीयों को निष्कासित किया गया है। फिलहाल राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

इन प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा कोई योजना/केन्द्रीय निधि तैयार/ गठित नहीं की गई हैं।

सर्वक्षमा की घोषणा के साथ, संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा यह घोषणा भी की गयी थी कि सर्वक्षमा का लाभ उठाने वाले प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को कानूनी तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में पुनः प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। तथापि, संयुक्त अरब अमीरात के उत्प्रवास विनियमन के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने नियोजकों को गैरकानूनी रूप से छोड़ा है नियोजक/प्रयोजक के आग्रह करने के बावजूद उनके निष्कासन के बाद छःमाह के लिए संयुक्त अरब अमीरात नहीं लौट सकते हैं। इस अवधि के भीतर आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में, संयुक्त अरब अमीरात सरकार के इस नियम के पैरामीटरों के भीतर निर्णय लिए जाने की अपेक्षा की जा सकती है। अन्य देशों के संबंध में, जिसमें बकाया खाड़ी देश शामिल हैं, नियम की स्थिति फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

श्री वी.एम. सुधीरन : महोदय ऐसें समाचार हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में हजारों कामगारों और तकनीकी लोगों को तुरन्त आवश्यकता है। मैं उद्धृत करता हूं "संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री का कहना है कि नौकरी चाहने वालों का स्वागत है।" यह समाचार दिनांक 17 नवम्बर, 1996 के नेशनल हेरल्ड नामक समाचार-पत्र में छपा है। इन समाचारों के दृष्टिगत क्या भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात से बाहर निकाले गए व्यक्तियों की वापसी का प्रबन्ध करेगी?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : जी हां, महोदय, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन व्यक्तियों को संयुक्त अरब अमीरात ने भारत वापिस भेज दिया था और यदि उस देश में उनके नियोक्ताओं को उनकी आवश्यकता है तो जो लोग वहां जाना चाहते हैं उन्हें भारत सरकार अर्थात श्रम मंत्रालय उन्हें वहां भेजने का प्रबन्ध करेगा। पहले यह शर्त थी कि भारत से किसी के वापिस जाने से पूर्व अथवा भारत से बाहर विशेषकर खाड़ी के देशों में नौकरी के चक्कर में जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सारे दस्तावेजों और उनको नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं के साथ सम्बन्धों का सत्यापन भारतीय दूतावास करेगा।

समस्त भारतीय मजदूरों और कामगारों को जो भारत छोड़ आए थे सुविधापूर्वक वापस भेजने के लिए इस शर्त को तीन महीने की अवधि के लिए स्थगित कर दिया है।

श्री वी.एम. सुधीरन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार को इन स्वदेश वापिस आए लोगों के पुनर्वास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से कोई नई योजनाएं शुरू करेगी?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि प्रस्ताव कहां से प्राप्त हुआ?

श्री वी.एम. सुधीरन : मेरा अभिप्राय केवल सरकार से प्राप्त हुए प्रस्ताव के बारे में था।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : यदि हमें राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो हम उस पर विचार करेंगे। हमने पहले ही इन लोगों के आवास मुहैया कराने और उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाए हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं इस माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि संयुक्त अरब अमीरात से स्वदेश वापिसी और बहुसंख्यक लोगों के निर्गमन से दो तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऐसा संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा अवैध आगन्तुकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के कारण हुआ है। पहला यह कि विशेषकर भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के कुशल कारीगरों को संयुक्त अरब अमीरात से निर्गमन के फलस्वरूप वहां पर कारीगरों की भारी कमी हो गई है। दूसरे उस निर्गमन के कारण और देश में इनकी वापिसी के कारण श्रमिक वर्ग में और समाज में एक तरह का तनाव पैदा हो गया है। अतः हमने लोगों को वापिस जाने के लिए प्रोत्साहन देकर इस तनाव को कम करने का प्रयास किया है। यदि हमें किसी तरह की सहायता देनी पड़ी तो हम सहायता करते हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : संयुक्त अरब अमीरात से वापिस आए 60,000 लोगों में से 44,000 केरल के रहने वाले हैं। छः लाख से अधिक मलयाली लोग खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं और वे 8,506 करोड़ प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा के जरिए काम रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। चूंकि हम वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यातकों और निर्यातोन्मुखी उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन लोगों को भी कुछ प्रोत्साहन और बढ़ावा देगी? क्या सरकार नेशनल गल्फ रिपेटरीएटस वेलफेयर फंड का गठन करेगी या नहीं?

समाचार-पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि सऊदी अरब से एक लाख से अधिक लोग निकाले जाने वाले हैं। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है और क्या सरकार इसको दृष्टिगत रखते हुए खाड़ी के देशों से लौटे लोगों के हितों की रक्षार्थ कोई कल्याण कोष बना रही है? समाचार पत्रों में यह खबरें भी छपी हैं कि खाड़ी के देशों में वापिस आए कुछ लोगों के गुजरात के समुद्री तट/तटीय क्षेत्रों पर पहुंचते ही उन्हें पुलिस और सीमा शुल्क के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे बहुमूल्य वस्तुएं छीन कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य को जानती है और यदि हां, तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, संयुक्त अरब अमीरात से वापिस आए 45,844 लोगों को हमने मानवाधिकार प्रमाणपत्र दिए हैं और इनमें से 3051 लोग सामान्य श्रेणी के थी जहां तक इन लोगों के पुनर्वास के संबंध में किसी प्रस्ताव के बारे में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का संबंध है, हमें केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या केन्द्र उनके पुनर्वास के लिए और उनके हितों को संरक्षित करने के लिए कोई योजना शुरू करेगी?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अभी तो हमारे पास कोई योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय उनके पास कोई योजना नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : एक तरफ संयुक्त अरब अमीरात के लिए लोग निकाले जा रहे हैं और दूसरी ओर दिल्ली में कम्पनियों का एक समूह लोगों को संयुक्त अरब अमीरात भेजने के लिए उनसे आवेदन पत्र और धन इकठ्ठा कर रहा है। ऐसी घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दस लोगों के साथ भी हुई है। उन्होंने भर्ती करने वाली कम्पनी को धन दिया था।।अब उन्हें भर्ती करने वाली कम्पनी ने बताया है कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। यही सब कुछ हो रहा है।

मैंने इस सम्बन्ध में पूर्व मंत्री जी से बात की थी कि भारत सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि इस प्रवृत्ति पर अस्थायी रूप से तो रोक लगाई जा सके। वर्ना इन गरीब लोगों की स्थिति क्या होगी, जो बाहर जाने की लालसा में अपनी जमीनें बेच कर भर्ती करने वाली इन कम्पनियों को दे रहे हैं, उनका तो सब कुछ ही समाप्त हो जाएगा।

क्या माननीय मंत्री जो इन सब तथ्यों से अवगत हैं? यदि हां तो उनका इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है? यदि कोई वास्तव में बाहर जाने का इच्छुक है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है? परन्तु जाली आवेदन पत्र होते हैं और जाली निधियां बनती हैं। सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस सब पर निगरानी रखे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहन देवजी, प्रश्न वापिस आने वाले लोगों के बारे में है, न कि प्रस्थान करने वाले लोगों के बारे में।

श्री संतोष मोहन देव : यह प्रश्न की सीमा-रेखा के भीतर है। अतः इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी कुछ निवेदन करूं। इस तरह की शिकायतें पूरे देश से मिल रही हैं। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, श्रम मंत्रालय ही इन सब पर निगरानी रखता है। हम इस सम्बन्ध में सब पर निगरानी रख रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : क्या आपने इस सम्बन्ध में किसी को सजा दी है? आप कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, यदि वे कोई विशेष शिकायत लाते हैं तो हम उसका निरीक्षण करेंगे और दोषी लोगों को दण्ड देंगे।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार कुछ कल्याण उपायों पर विचार कर रही है और लोगों को दी गई सर्वक्षमा वापिस ले ली जाएगी।

परन्तु हमारी सरकार अपने लोगों को वहां पर ठीक से बसाने के लिए और उनकी देखभाल के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। ऐसी अफवाह है और इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि करीब एक लाख लोगों को सऊदी अरब से बाहर भेजा जा रहा है। जब लोगों को किसी देश से निकाल दिया जाता है तो केवल सरकार को ही उनकी देखभाल करनी होती है।

मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार सम्बद्ध सऊदी अरब सरकार से क्या यह निवेदन कर रही है कि वह इस तरह लोगों को देश से न निकाले और उनकी मुश्किलों को समझे। वहां की सरकार ऐसे लाखों की संख्या में लोगों को बाहर न निकालने हेतु क्या कदम उठा रही है? क्या माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय जैसा कि आपने स्वयं ही बता दिया है, मामला संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। परन्तु माननीय मंत्री ने लोगों को सऊदी अरब से निकाले जाने के विषय में आशंका व्यक्त की है। परन्तु श्रम मंत्रालय ने ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी।

श्री ए.सी. जोस : प्रश्न तो यही कि घटना घट जाने के बाद मंत्रालय को इसकी जानकारी होती है। खाड़ी के प्रत्येक देश में कोई निगरानी तंत्र होना चाहिए पहले ही से कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। जब लोगों को बाहर निकाला गया है तभी कोई कार्यवाही करनी होती है।

स्थिति यह है कि कोई भी इन लोगों की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दूतावास भी बिलकुल चुप्पी साधे हैं वह यह नहीं देखने के लिए कुछ नहीं करती कि लोगों को क्यों निकाला जाता है, उनकी क्या सम्भावनाएं है?

मेरी विद्वान सहयोगी ने उल्लेख किया है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपया इस देश में आता है परन्तु सरकार उस पर उचित निगरानी नहीं रख पाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने अपनी बात कह दी है।

श्री सनत मेहता : प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई विशिष्ट जानकारी है तो कृपया बताएं। हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी विशिष्ट जानकारी से संबंधित नहीं है। वह सिर्फ यह जानना चाहत हैं कि अचानक इन लोगों को वापस भारत भेजने के पूर्व क्या हम अपने दूतावासों को सचेत नहीं कर सकते थे कि वहां की स्थिति पर निगरानी रखी जाए और पता लगाया जाए कि क्या इतनी बड़ी संख्या में भारत वापस भेजने का कोई प्रयास चल रहा है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात उपयुक्त अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा सकता था।

श्री जी.एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सरकार ने सूचित किया है कि वह इन लोगों को वापस जाने के लिये हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायेगी। वर्तमान में कुछ कठिनाइयां हैं। वापस आए अधिकांश लोगों को नए पासपोर्ट लेना होगा जिसमें काफी विलम्ब होगा। इसलिये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके यह सुनिश्चित करेगा कि वापस आए लोगों में से जिनको नए पासपोर्ट की आवश्यकता है उनको जल्दी-से-जल्दी पासपोर्ट जारी हो जाए।

इसी प्रकार कालीकट विमानपत्तन पर वापस आने और जाने वाले लोगों से आयकर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। इस अनावश्यक और तत्काल आरम्भ की गई शर्त से काफी परेशानी हो रही है और लोग समय पर वीसा के लिये अर्जी नहीं दे पाते हैं। इस परेशानी को दूर किया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी संबंधित विभागों जैसे पासपोर्ट जारी करने वाले और अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने वाले विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके इन लोगों के वापस जाने के कार्य को सुगम बनायेंगे?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने की अनुमति देने के पूर्व सभी पत्रों का निरीक्षण करके सरकार स्वयं की संतष्टि करती है। जहां तक माननीय सदस्य की शिकायत का प्रश्न है मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरा मंत्रालय सभी पहलुओं को विदेश मंत्रालय के साथ उठायेगा और कुछ भी अनुचित नहीं होने दिया जायेगा।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, प्रश्न पूछा गया था कि क्या अन्य देशों से भी प्रत्यावर्तन हुआ है। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है। क्या हम यह मामले कि सिर्फ यू.ए.ई. से प्रत्यावर्तन हुआ है और किसी अन्य राष्ट्र से नहीं हुआ है? हम स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

दूसरे उन अप्रवासियों की संरक्षा का मुद्दा है जिनका पंजीकरण किया जा रहा है। खाड़ी अथवा अन्य देशों के नियोक्ताओं और किसी भी भारतीय जो रोजगार हेतु जाना चाहता है के बीच समझौता किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अप्रवासियों के संरक्षक का कार्य उनके हितों को रक्षा करना है? यदि हां, तो किस प्रकार से वह दायित्व निभा रहा है अगर श्रमिकों के समझौतों को कार्य करने जाने वाले देशों में गैरकानूनी करार कर दिया जाता है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अप्रवासियों के संरक्षक और विदेश मंत्रालय जो पासपोर्ट जारी करता है तथा दूतावासों के बीच किस प्रकार का समन्वय है? उत्तर में राष्ट्रवार ब्यौरा भी दिया गया है। ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अगर और अधिक बोलेंगे तो इसकी अनुमति नहीं होगी। आपने दो मिनट से अधिक समय ले लिया है। आप अगर उत्तर चाहते हैं तो कृपया बैठ जाइये।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : श्रम मंत्रालय और हमारे विदेशों में स्थित दूतावासों में पूर्ण समन्वय है। जैसा कि मैंने पहले कहा है मेरा मंत्रालय पुरानी परम्परा के अनुसार हमारे दूतावासों द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच करवाता है। परन्तु हमने तीन महीने के लिये इस प्रथा को स्थगित कर दिया है ताकि श्रमिक वापस विदेशों में जा सकें। इसलिये मैं माननीय सदस्य का आश्वासन देना चाहता हूं कि हर सम्भव सावधानी बरती जायेगी।

नई रेल लाइनें

***105. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :**

श्री दिनशा पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू योजनावधि के दौरान नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए संसाधनों के आवंटन में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। चालू योजना अवधि में पहले की योजनाओं में किए गए खर्च से अधिक खर्च हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बजटीय सहायता में वृद्धि करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नई लाइन परियोजनाओं के लिए अधिक आवंटन किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरषोत्त दास पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इनका जो डिपार्टमेंट है वह हिंदुस्तान में पिछड़े एरिया की नई लाइनों के लिए प्लानिंग कमीशन के पास जो रिपोर्ट लेकर जाता है वह प्लानिंग कमीशन के सामने सही ढंग से अपना पक्ष पेश नहीं करता है, इसलिए पैसा कम मिलता है। क्योंकि हमारे पास इसकी रिपोर्ट है। पहले भी इन्होंने काम कम किया है। जो पैसा रेलवे के विस्तार के लिए मिलता है, उसे पिछड़े इलाकों में रेलवे लाइनें बिछाने पर खर्च नहीं किया जाता बल्कि बड़ी लाईनों पर अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च किया जाता है। पिछड़े इलाकों की लाईनें अनेकों वर्षों से बजट में आ रही हैं, उन्हें जल्दी पूरा करने पर खर्च नहीं किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन्दौर से गोधरा रेलवे लाईन कब बजट में आई?

अध्यक्ष महोदय : आपको दो मिनट में सवाल पूछना है।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक : पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : जब भी पिछड़े एरियाज की बात आती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस लाईन पर 13-14 करोड़ रुपया खर्च कर दिया लेकिन आज उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इन्दौर-गोधरा लाईन पर 14 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, आगे काम क्यों स्थगित कर दिया गया और उसे कब तक चालू करेंगे।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय सदस्य को यह बात मालूम है और रेल बजट को प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा था कि अब तक रेलवे की जो परिपाटी रही है, रेलवे विस्तार को सिर्फ इस आधार पर मापा जाता था कि कौन सी रेलवे लाईन ज्यादा मुनाफा कमा सकती है, उसी लाईन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था लेकिन इस बार रेलवे बजट में हमने कोशिश की है कि सिर्फ मुनाफा कमाने को

माध्यम न बनाकर, देश में जितने पिछड़े इलाके हैं, उनमें भी रेलवे लाईन पहुंचाई जाए, इस दिशा में काम किया था। इस कार्य में यदि रेलवे को कुछ घाटा भी सहना पड़े तो सरकार उस घाटे को पूरा करे। लोगों के विकास की दृष्टि से हम रेलवे का विस्तार करना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से अनेक पिछड़े इलाकों को हमने जोड़ने का काम किया है।

यह बात सही है कि गोधरा-इंदौर रेलवे लाईन का काफी काम शेष है, उसके देवास मकसी खंड पर कार्य हो रहा है और इसकी कुल लागत 48 करोड़ रुपए है। जैसा माननीय सदस्य ने बतलाया, उन्होंने खुद जवाब देने का काम भी किया है नई रेल लाईनों के लिए जो पैसा हमारे पास आता है, उसे प्लानिंग कमीशन एलोकेट करता है। इसमें जितना खर्चा होता है, वह बजटरी सपोर्ट के द्वारा आता है, रेलवे अपना पैसा खर्च नहीं करती है, अपने इनर रिसोर्सेज से रेलवे कोई खर्च नहीं करती है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बजटरी सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। पहले बजटरी सपोर्ट 75 परसेंट था, जो अब घटकर 60 परसेंट पर आ गया है। हम इस संबंध में सरकार से आग्रह कर रहे हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल एलोकेशन 884 करोड़ रुपए रखा गया था जबकि खर्च 916 करोड़ रुपए हुआ। इसी तरह आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1013 करोड़ रुपए के एलोकेशन के अगेन्स्ट 1216 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। मैं सहमत हूं कि यह भी सफिशियेंट नहीं है और हमारे जितने प्रोजैक्ट हैं, जितनी योजनाएं हमने हाथ में ली हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी हम पूरा करना चाहते हैं लेकिन आज की तारीख में उन्हें पूरा करने के लिए हमें साढ़े चार हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसमें बारामूला से ऊधमपुर, श्रीनगर होकर, जाने वाली रेलवे लाईन शामिल नहीं है, जिस पर ढ़ाई हजार करोड़ रुपया खर्च होना है। इसलिए पैसे का अभाव हमारे पास जरूर है लेकिन जैसा मैंने कहा, बजटरी सपोर्ट के लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। यदि हमारा बजटरी सपोर्ट बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से जो काम लटके हुए हैं, उन्हें हम तेजी से पूरा कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वास्तव में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप दूसरा पूरक प्रश्न नहीं पूछने वाले हैं?

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि -जी हां, चालू योजना अवधि में पहले से अधिक खर्च किया गया है और रेल के बजट से भी खर्च किया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नई रेलवे लाइन कितनी डाली और मंत्री महोदय ने जो बजट के बारे में बताया है, तो बजट के बारे में जो बात शांति भाई ने कही है वह 14वीं रेलवे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कही है कि 1994-95 और 1995-96 में कम काम हुआ है। इसलिए मैं बजट के बारे में भी जानना चाहता हूं कि आपके रेलवे विभाग का टारगैट क्या था? रेलवे लाइन बनाने का काम भी बहुत जरूरी काम है और आपको नई लाइन डालने के लिए अपने बजट में भी पैसा रखना चाहिए। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय ने, रेल मंत्री ने वित्त मंत्री और प्लानिंग कमीशन के साथ बैठकर के नई रेलवे लाइन डालने और इनके लिए नए रिसोर्स जुटाने के बारे में क्या कोई विचार किया है या क्या वे ऐसा सोच रहे हैं और दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नई रेलवे लाइन डालने के काम का प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में भी क्या आप विचार कर रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, वर्ष 1995-96 में 211 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 1996-97 में हम 220 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। जहां तक नई रेलवे लाइन का संबंध है, हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 881 किलोमीटर नई रेल लाइन डाली और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 760 कि.मी. कोंकण लाइन जो 669 करोड़ रुपए की योजना है, उसको छोड़कर हमने काम किया है।

जहां तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, हम चाहते हैं कि जो इंटीरियर एरियाज हैं और जो ऐसे ऐरियाज हैं, जहां लाभ होता है, वहां तो सब लोग दौड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जहां घाटा होता है, वहां प्राइवेट वाले भी नहीं आते हैं, इसलिए हमने प्राइवेट वालों को नहीं रोका है। जहां-जहां लोगों के लिए उपयोगी है, दूरदराज के क्षेत्र में प्राइवेट वाले लोग भी जो आना चाहते हैं, वे "बोल्ट" योजना के अन्तर्गत आ सकते हैं। हम उनको प्रोत्साहन देते हैं।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक : महोदय, माननीय मंत्री जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं और उनके हितों के लिये संघर्षरत हैं। परन्तु, मेरे पूरे जिले और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल का कोई निशान तक नहीं है। सामान्य जानकारी में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कि जिले में कोई भी रेलमार्ग नहीं है। श्री श्रीकान्त जेना ने भी माननीय मंत्री जी के साथ मेरे पक्ष का समर्थन किया था। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि कब तक खुर्दा-बोलंगीर रेलमार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी क्योंकि वर्तमान बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अभी पालिसी स्तर पर है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन माननीय सदस्य से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वे जिस लाइन की बात कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ उन्होंने ही एडवोकेसी नहीं की, हमने भी एडवोकेसी की थी। इस मामले में प्लानिंग कमीशन से और अन्य जगह से जो सारी बाधकताएं थीं वे हमने क्लीयर कर दी हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में वे जितने चिन्तित हैं, हम भी उतने ही चिन्तित हैं।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक बार यह बात कही थी कि रेल योजनाएं दो प्रकार की होगी-एक हितकारी रेल योजना और दूसरी लाभकारी रेल योजना होगी। ललितपुर-सिंगरौली रेलवे योजना एक ऐसी रेलवे योजना है जो जनहित की रेल योजना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अभी तक जो सूचना मेरे पास मंत्री जी के द्वारा दी गई है वह यह है कि ललितपुर-सिंगरौली रेल योजना, जो कि मेरे पूरे खजुराहो क्षेत्र से गुजरती है उसका सर्वे हो चुका है और अब उसको योजना आयोग को भेजे जाने की तैयारी है, अब उसकी स्थिति क्या है और कितनी जल्दी वह योजना, योजना आयोग और रेल मंत्रालय से पूरी तरह से स्वीकृत होकर इस पार्लियामेंट के फ्लोर पर आने वाली है?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अपने क्षेत्र के लिए बहुत चिन्तित हैं और उन्होंने इस संबंध में धरना भी दिया था। उसका एक लाभ यह हुआ कि उसको हम लोगों ने मान लिया और हमने कहा कि हम सर्वे के लिए भेज देंगे। सर्वे हो चुका है और अब हम उसको प्लानिंग कमीशन के पास भेज रहे हैं, लेकिन प्लानिंग कमीशन में जितना अधिकार मेरा है उतना ही माननीय सदस्या का भी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपने व्यक्तित्व का प्रभाव वहां भी डालें। जितनी जल्दी प्लानिंग कमीशन से वह निकल जाएगी, उतनी जल्दी हम उस पर आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे।

कुमारी उमा भारती : इसी बजट में आप लाइये।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैं नयी रेल लाइन नारखेड़ से अमरावती के बारे मे पूछ रहा हूं। वहां पर आपने लास्ट टाइम 10 करोड़ रुपये दिये थे। अभी वहां के किसान लोग खेती देने के लिए तैयार हैं लेकिन उसके लिए भी पैसा नहीं है। इस नयी रेल लाइन के लिए अपने बजट में 4-5 करोड़ रुपये रखे हैं। लास्ट टाइम भी 5 करोड़ रुपये रखा था। मंत्री महोदय कलमाड़ी जी ने जाकर कहा था कि हम इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने वाले हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप नारखेड़ से अमरावती नयी रेल लाइन को जल्दी से जल्दी शुरू करने जा रहे हैं तथा वहां के किसानों को वह पैसा देने वाले हैं या नहीं?

श्री राम विलास पासवान : इस संबंध में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है लेकिन हम माननीय सदस्य को विश्वास दिलाते हैं कि उस लाइन को देख लेंगे। पैसे की हमारे पास जरूर कमी है।

श्री दत्ता मेघे : पिछली बार भी आपने यही कहा था।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि हम उस रेल लाइन को देख लेंगे कि उसमें कितने पैसे की जरूरत है। जितना हमसे किया जा सकता है, वह हम करेंगे।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने अभी कहा कि हम पिछड़े क्षेत्रों का विशेष ध्यान रख रहे हैं। 1989 में आगरा से फतेहबाद, बाह इटावा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों सीमाओं को जोड़ने के लिए सर्वे कराया गया था जिसकी रिपोर्ट 1989 में ही आ गयी थी। पार्लियामेंट हाउस में जिस समय मैं रेल बजट पर बोल रहा था उस वक्त मंत्री जी ने उसे इस बजट में एक्सैप्ट करने के लिए कहा था लेकिन वह नहीं किया गया। प्लानिंग कमीशन में सर्वे की सब रिपोर्टस पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रेल लाइन आगरा से फतेहबाद, बाह इटावा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ती है, उसे आप कब तक पूरा करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जो सर्वे का काम होता है, वह हम करवा देते हैं। प्लानिंग कमीशन के बाद एक्सपैंडेड बोर्ड में आता है। एक्सपैंडेड बोर्ड रेलवे का नहीं होता है। वहां सारे लोग बैठकर देखते हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारी हालत जैसे क्रिकेट के खेल में रन भी बनाने पड़ते हैं और विकेट भी बचानी पड़ती है उसी प्रकार हमे फंड को भी देखना होता है और रेलवे लाइन को भी जोड़ना पड़ता है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं स्वयं रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से यह चाहता हूं कि अधिक से अधिक रेलवे लाइन का जितना विस्तार हो सके, उसे हम करने का काम करेंगे। लेकिन उसमें जो अति महत्व या महत्वपूर्ण होता है, प्लानिंग कमीशन में सारा प्रोसिजर हैं, उसमें तय किया जाता है। हम आज की तारीख में यह नहीं कह सकते कि इसे कब लिया जायेगा और कब यह पूरा होगा लेकिन हम चाहेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह तथ्य है कि हमारी अधिकांश रेल लाइनें ब्रिटिश शासन में स्थापित की गई। स्वतन्त्रता के पश्चात्, हमने अपने रेलवे नेटवर्क द्वारा केवल आठ हजार किलोमीटर की वृद्धि की है। अतः समस्या बहुत गम्भीर है। इसी वजह से इतने अधिक माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं; यद्यपि इन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा किया गया आबंटन वास्तविक अर्थों में कम हुआ है, यहीं एकमात्र समस्या नहीं है। योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना लिए किया गया आबंटन सातवीं पंचवर्षीय योजना से वास्तविक अर्थों में कम है, मौद्रिक अर्थों में नहीं।

समस्या रेल नीति के साथ भी है। वे सभी आमान परिवर्तन पर ध्यान दे रहे हैं, नई रेल लाइनें बनाने तथा सुरक्षा पहलुओं पर नहीं। इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि क्या रेल मंत्री मंत्रालय में नई रेल लाइनें बनाने तथा सुरक्षा पहलुओं पर बल देने के लिए अपनी वरीयताओं में परिवर्तन कर रहा है जो रेल मंत्रालय का भाग नहीं है? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम रेल मंत्रालय के पूरक बजट पर चर्चा करेंगे, तब इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। यह एक नीतिगत मामला है और इसलिए, आप और प्रश्न नहीं पूछ सकते।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत ही बेसिक पाइंट उठाने का काम किया है क्योंकि प्रश्न भी इसी पर आधारित है। मैं यह नहीं कहता कि जिसको प्रायरिटी दी गई वह प्रायरिटी के लायक नहीं था। लेकिन प्रायरिटी के सैक्टर में जो छूट गए थे जैसे नई रेलवे लाइन, मैंने ठीक यही बात रेलवे बजट में कही थी। टोटल 62 हजार किलोमीटर ट्रैक में से 54 हजार किलोमीटर का ट्रैक अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ था जिसमें हमने 8 हजार किलोमीटर जोड़ने का काम किया है। अधिक से अधिक नई रेलवे लाइन का विकास होना चाहिए। इसलिए यूनीगेज के अलावा जो रेलवे लाइन बच गई थी, जिसे कहा जा रहा था कि खत्म कर दिया जाएगा, हमने कहा कि उसे खत्म नहीं करेंगे बल्कि डैवलप करने का काम करेंगे। इसके अलावा जहां तक सेफ्टी का सवाल है, सेफ्टी मेजर्स के बारे में 19 देशों के रिप्रैजैनटेटिव्ज का सैमिनार कल से विज्ञान भवन में चल रहा है। हम स्वयं इस मामले में चिंतित हैं। हमारे लिए वैगन भी उतने ही इम्पौर्टेंट है जिनपर हमने 2800 करोड़ से बढ़ाकर 3900 करोड़ करने का काम किया है। हमने गेज कन्वर्जन में पैसा नहीं घटाया। जहां वैगन और रोलिंग स्टॉक में पैसा बढ़ाने का काम किया है वही नई रेलवे लाइन में कुछ रेलवे के प्रोजैक्ट पर कर रहे हैं और कुछ नैशनल प्रोजैक्ट में डालने का काम कर रहे हैं। जैसे बारामूला से जो लाइन है, वह नैशनल प्रोजैक्ट में है और हमारे साथी कह रहे हैं कि उसमें अभी तक पैसा नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम हर क्षेत्र में प्रायरिटी रखकर उस पर समान रूप से पॉलिसी बना रहे हैं।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

+

***107. श्री अजमीरा चन्दूलाल :**

श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कुछ और विमानपत्तन विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी/विदेशी विमान कम्पनियों ने इन विमानपत्तनों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए अहमदाबाद और गोवा के अतिरिक्त 12 आदर्श हवाई अड्डे विकसित कर रहा है।

(ग) से (ङ). विद्यमान नीति के अनुसार गैर-सरकारी विमान कंपनियों को भारत से/के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति नहीं है। इस देश के लिए प्रचालन करने वाली अधिकांश विदेशी विमानकंपनियों को उनके देशों के साथ हुए द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत अनुसूचित सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी गई है।

श्री अजमीरा चन्दूलाल : महोदय, हैदराबाद के कई लोग, जो विदेश में कार्य कर रहे हैं, वे नियमित रूप से विदेश जाते हैं। हैदराबाद हवाई अड्डा को उनकी सुविधा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए लोगों की काफी मांग है। सर्वेक्षण से यह सिद्ध होगा कि यदि हैदराबाद हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाये तो यह काफी लाभदायक होगा जिससे मुम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर भी भीड़-भाड कम होगी।

इसलिए, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या लोगों की मांग को देखते हुए हैदराबाद हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय संचालन के लिए दर्जा बढ़ाया जायेगा। यदि हां, तो कल तक, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न रख दिया है। आप चाहते हैं कि हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाये। ठीक है, माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : जहां तक नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का सवाल है, यह उसकी सुविधा पर डिपेंड करता है। वहां पर रनवे के एक्सपेंसन के लिए टैक्निकल कमेटी अगर उसको क्लियरेंस देती है तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में मेरे विभाग को कोई दिक्कत नहीं है।

[अनुवाद]

एक बार तकनीकी समिति इसको स्वीकृति दे देगी, तो हम इसे प्रारम्भ कर देंगे।

श्री अजमीरा चन्दूलाल : कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर जिन पर एयर इंडिया तथा इण्डियन एयर लाईस अपनी सेवाओं का संचालन नहीं कर रही है क्योंकि ये मार्ग लाभप्रद नहीं है। ऐसे मार्गों पर सरकार निजी एयर लाईस को अनुमति क्यों नहीं देती?

श्री सी.एम. इब्राहीम : जहां कहीं लाभप्रद मार्ग है, वहां हम निश्चित अवश्य सेवाएं चला रहे हैं। हम यहां तक कि अलाभप्रद मार्गों पर भी सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। जहां तक निजी एयर लाईस का संबंध है, वे अलाभप्रद मार्गों पर संचालन नहीं करना चाहते। वे केवल लाभप्रद मार्गों पर ही संचालन करना चाहते हैं।

इन्डियन एयर लाईंस का अलाभप्रद मार्गों पर संचालन 17 प्रतिशत है। लेकिन चाहे वे लाभप्रद मार्ग हो अथवा अलाभप्रद। हमारा संबंध केवल लोगों तथा यात्रियों की सेवा करना है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने 12 मॉडल एयरपोर्ट की बात कही है। नागपुर का एयरपोर्ट भी 12 मॉडल एयरपोर्ट में बना है। पुराना जो एयरपोर्ट था, उसके बाजू में यह मॉडल एयरपोर्ट इतना रद्दी बना है कि नागपुर वालों को उस एयरपोर्ट को देखकर शर्म आती है, वह बहुत रद्दी है। उसमें न जाने कितने पैसे खाये होंगे, वह इतना रद्दी है, उसमें टायलेट वगैरग सब कुछ गंदा है। वहां कोई आवाज नहीं आती, कोई एनाउंसमेंट नहीं होती, इतना रद्दी एयरपोर्ट है कि उसकी पूरी ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मेघे आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, वह बहुत रद्दी एयरपोर्ट बना है, नॉन मॉडल एयरपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार एक ही चीज़ क्यों कह रहे हैं?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं आपसे पूछता हूं, मंत्री जी उसकी जांच कराकर उस एयरपोर्ट को ठीक-ठाक कराएंगे क्या? रियल में, सही मायनों में वह बनेगा, क्या आप बना सकते हैं, नहीं तो देश का पैसा बर्बाद हो रहा है?

श्री सी.एम. इब्राहीम : माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपने कहा है कि सुविधा नहीं है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब सुन लीजिए।

श्री सी.एम. इब्राहीम : इस बात पर हम सहमत हैं, इसलिए कि माडल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, यह हमने नहीं कहा कि बना हुआ है। डिक्लेयर किया है तो,

[अनुवाद]

हम इस कार्य को ले रहे हैं। मैं जो शिकायत है, उसकी अवश्य ही जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या गुजिश्ता 10-15 सालों से यह डिमांड है कि श्रीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाय और रूट मास्को-ताशकंद-श्रीनगर-दिल्ली मुकर्रर किया जाय? दूसरे जो आपने कहा कि प्रोफिटेबल रूट पर प्राइवेट एयरलाइंस चलती हैं और घाटे वाले पर नहीं चलती, यह जो आप पब्लिक सैक्टर में प्राइवेट कम्पनीज को लाये, उसके कारण है। गवर्नमेंट की पॉलिसी यह थी कि पब्लिक सैक्टर को ज्यादा मजबूत किया जाय, इसमें आपने कैसे प्राइवेट सैक्टर को डाला और प्रोफिटेबल रूट उनको दे दिया और घाटे का सौदा गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सैक्टर के लिए रखा?

श्री सी.एम. इब्राहीम : शायद कार साहब इस सप्लीमेंटरी के लिए निश्चित होकर आये थे लगता है।

श्री गुलाम रसूल कार : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : जहां तक श्रीनगर का सवाल है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का सरकार सोच रही है। हम चाहते हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाये। कश्मीर के बारे में जो दुनिया में चर्चा चल रही है उसमें भारत सरकार यह दिखाना चाहती है कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और कश्मीर की भूमि से, श्रीनगर की जमीन से सारी दुनिया को आप उड़ सकते हैं, यह प्रयास मेरा विभाग कर रहा है। दूसरे जो मास्को जाना है या कहीं जाना है तो यह सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, यात्रियों के आधार पर तय करेगा। जहां लोग ज्यादा मिलेंगे, वहां उड़ाएंगे। जहाज पर जाने में जहां से ट्रैफिक ज्यादा आएगा, वहां से ले जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है कि नॉन-प्रॉफिटेबल रूट्स पर प्राइवेट आपरेटर्स कम जा रहे हैं, मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं कि मैं हर महीने मानेटरिंग कर रहा हूं। जो नॉन-कमर्शियल सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर लिमिट है कि 12 प्रतिशत वहां जाना होगा। अगर नहीं जा रहे हैं तो फौरन उन पर एक्शन लेने के लिए मैंने विभाग को कहा है। जिस रूट पर जाना है, अगर प्राइवेट एयरलाइंस वाले नहीं जाते हैं, ऐसा कोई मामला आपके समक्ष हो तो मेरे ध्यान में लाएं, मैं अवश्य कार्रवाई करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उड़ीसा के पर्यटन स्थलों का विकास

***102. कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य के कुछ जिलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए पुरी नगर के दक्षिण से चिलका झील को, विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में, पहचान की है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग ने उड़ीसा में गहन विकास के लिए दो परिपथों की पहचान की है। वे हैं :—

1. भुवनेश्वर-ललितगिरि-रत्नागिरि-उदयगिरी-केन्द्रपाड़ा-चन्दबली-भद्रक।
2. हरिशंकर-नरसिंहनाथ-हीराकुड-सम्बलपुर-बेदव्यास (गंधमरधन परिपथ)

पर्यटन विभाग ने, राज्य सरकार के अधिकारियों के परामर्श से, 1996-97 के दौरान 250 लाख रुपयों की धनराशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए, 8 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(क) घाटगांव में मार्गस्थ सुविधाएं

(ख) सतपाडा में मार्गस्थ सुविधाएं

(ग) रत्नागिरि में स्मारकों/विश्वदाय स्थलों का सौन्दर्यीकरण

(घ) रत्नागिरि में पेय जल; शौचालय सुविधाओं, स्नैक-बार और उपहार शॉप के प्रावधान के साथ पर्यटक स्वागत केन्द्र और सूचना केन्द्र

(ङ) ललितगिरी में विश्वदाय स्थल का सौन्दर्यीकरण

(च) ललितगिरी में पेय जल, शौचालय सुविधाओं, स्नैक बार, और उपहार शॉप के प्रावधान के साथ पर्यटक स्वागत केन्द्र और सूचना केन्द्र

(छ) उदयगिरि में स्मारकों/विश्वदाय स्थलों का सौन्दर्यीकरण, और

(ज) केन्द्रपाड़ा में पर्यटक स्वागत एवं सांस्कृतिक सूचना केन्द्र

घाटगांव में मार्गस्थ सुविधाओं के लिए, राज्य सरकार से एक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

पर्यटन विभाग ने उड़ीसा में धौली, नंदनकानन, रत्नागिरि, उदयगिरि, ललितगिरि, पथराजपुर, केन्द्रपाड़ा, गुप्ती, भद्रक और जयपुर को कवर करते हुए, संरचनात्मक विकास के लिए 348 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर, जिसे बाह्य सहायता हेतु प्रस्ताव किया गया है, एक परियोजना प्रस्ताव भी तैयार किया है।

[हिन्दी]

खदान क्षेत्र में विदेशी निवेश

***106. श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के खदान क्षेत्र में निवेश करने के लिए बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्रस्ताव भेजने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन समझौतों की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) इनके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में अन्य बातों के साथ-साथ खनिज क्षेत्र में घरेलू तथा विदेशी दोनों निजी निवेश का प्रावधान है। विदेशी प्रौद्योगिकी तथा निवेश विशेषकर उच्च मूल्य तथा दुर्लभ खनिजों के गवेषण के लिए अपेक्षित है।

(ग) से (ङ). विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने खनन/धातुकर्मिय क्षेत्र में निवेश के लिए खान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 27 प्रस्तावों की निवेश पद्धति को मंजूरी दे दी है। तथापि, पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी.एल.) तथा खनन पट्टे (एम.एल.) की मंजूरी खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, के 1957 के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती है। खनिज रियायतों की अनुमति के लिए आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों को ही देने होते हैं। इसके अलावा, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों के बारे में ही केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है।

[अनुवाद]

दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन

***108. श्री कृष्ण लाल शर्मा :**

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम सम्मेलन की एक बैठक हाल ही में दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस बैठक में कृषि/निर्माण/मछली/ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा हुई थी और उनके प्रतिनिधियों को इसमें आमंत्रित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कामगारों के हित सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन के 33वें सत्र की बैठक दिल्ली में 24 और 25 अक्तूबर, 1996 को आयोजित की गई थी।

(ख) सम्मेलन में विचार-विमर्शों के दौरान अन्यों के साथ-साथ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थीं :—

(1) कर्मकार दल ने सुझाव दिया कि बोनस/उत्पादकता से जुड़े बोनस की अदायगी के लिए नियत मजदूरी की अधिकतम सीमा को हटा दिया जाना चाहिए। तथापि, नियोक्ता दल ने आग्रह किया कि बोनस अधिनियम की पूरी समीक्षा की जाए।

(2) श्रम मंत्रालय को राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रूग्ण मिलों को पुनर्जीवित करने के संबंध में टर्न एराउंड योजना के कार्यान्वयन के संबंध में शीघ्र निर्णय करने के लिए केन्द्रीय श्रम, वित्त और कपड़ा मंत्रालयों और व्यवसाय संघों और संबंधित राज्य सरकारों की एक बैठक आयोजित करनी चाहिए।

(3) श्रम मंत्रालय को राज्य सरकारों को पुनः लिखना चाहिए कि वे वास्तविक और उचित रूप से प्रतिनिधित्व वाले त्रिपक्षीय निकायों का गठन करके और उनकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित करके राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय परामर्शों की प्रथा को पुनर्जीवित करें।

(4) एक व्यापक औद्योगिक विधि की संरचना करने की दृष्टि से एक द्विपक्षीय समिति का गठन किया जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट 31 जनवरी, 1997 तक प्रस्तुत कर दी जाए। द्विपक्षीय समिति को व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने और गुप्त मतदान के द्वारा व्यवसाय संघों को मान्यता दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करना चाहिए और अपनी सिफारिशें एक माह के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए।

(5) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मकारों को उपदान की अदायगी के लिए नियत की गई अधिकतम सीमा के भेदभाव को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(6) अद्यतन गरीबी रेखा के आधार को ध्यान में रखते हुए असंगठित प्रतिष्ठानों के लिए एक राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए। कर्मकारों के कुछ प्रतिनिधि यह भी चाहते थे कि सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर एक संघटक को शामिल किया जाए और न्यूनतम मजदूरी का निर्वाह व्यय के साथ स्वतः सूचकांकन होना चाहिए और उसकी बार-बार पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

(7) रो. एवं. प्र.म. निदेशालय का व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और कौशल उन्नयन के प्रति केन्द्रित होना चाहिए। इसी प्रकार रोजगार कार्यालयों को कारगर रोजगार केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए आधुनिकीकृत तथा पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

श्रम मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर विचार किए जाते समय भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णय/सिफारिशों को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाता है। कुछ सिफारिशों पर कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ग) और (घ). सम्मेलन में विचार-विमर्शों के दौरान, अनेक प्रतिभागियों ने कृषि और ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों आदि जैसे असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की समस्याओं को उठाया। सम्मेलन को उस व्यापक विधान के बारे में भी जानकारी दी गयी जिसमें कृषि कर्मकारों के लिए श्रम संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी आदि का प्रावधान है।

सम्मेलन में व्यवसाय संघों की सत्यापित नफरी पर आधारित संस्थापित पद्धति के आधार पर व्यवसाय संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सम्मेलन में प्रतिनिधित्व हेतु विचार किए जाने के लिए केवल क्षेत्रीय नफरी ही मानदण्ड नहीं है।

यात्रियों के लिए अन्तर्देशीय विमान सेवाएं और सुविधाएं

***109. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्तर्देशीय विमान सेवाओं के पुनर्गठन और इन उड़ानों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए तथा यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या निजी विमान सेवाएं इंडियन एयरलाइंस की तुलना में अधिक यात्रियों को आकर्षित कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइंस को और अधिक आकर्षक और लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) घरेलू विमान सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता, यात्रियों की बढ़ती संख्या तथा अधिक विमान सेवाएं चलाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार की भावी कार्य योजना क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) अतिरिक्त क्षमता तथा स्पर्धात्मक बाजार का माहौल मुहैया कराने की दृष्टि से वायु निगम अधिनियम, 1953 पहली मार्च, 1994 को निरस्त कर दिया गया था। इससे अन्तर्देशीय सेक्टर में गैर-सरकारी विमानकंपनियों को प्रवेश करने में सहायता मिली जिसमें न केवल अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था वरन् यात्रियों के लाभ के लिए सेवाओं में भी सुधार हुआ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने और राजस्व में वृद्धि करने के लिए अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की दिशा में कदम उठा रही है।

(ङ) अन्तर्देशीय सेक्टर में नियमित तथा विश्वसनीय विमान परिवहन सेवा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, नीतिगत ढांचे की संवीक्षा विचाराधीन है।

जानकारी के अधिकार संबंधी विधेयक का प्रारूप

***110. श्री राम नाईक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने जानकारी के अधिकार संबंधी विधेयक का प्रारूप सरकार को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक के प्रारूप की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा सूचना के अधिकार के बारे में तैयार किये गये विधेयक के प्रारूप की गृह मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

सूचना के अधिकार संबंधी प्रारूप विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

इस विधेयक में देश के नागारिकों को "सार्वजनिक निकाय" जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, के मामलों से संबंधित सूचना का अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है :—

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में यथा उल्लिखित "राज्य"

(ख) सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और गैर सांविधिक प्राधिकरण;

(ग) सरकार अथवा निजी क्षेत्र के व्यक्तियों और संस्थानों जिनके कार्यकलाप जनहित को प्रभावित करते हैं, के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कोई कम्पनी, निगम, समिति, न्यास, फर्म या सहकारी समिति।

2. उक्त सार्वजनिक निकाय को सभी अभिलेखों को उपयुक्त रूप से सूचीबद्ध करके रखने और सूचना हेतु अनुरोध करने वाले व्यक्ति को इसे उपलब्ध करवाने का दायित्व सौंपा गया है।

3. जहां तक सूचना, नागरिकों अथवा गैर-नागरिकों के जीवन और उनकी स्वतंत्रता, को प्रभावित करती है, यह अधिकार उन सभी को प्रदान किया गया है।

4. सार्वजनिक निकाय द्वारा किसी सूचना को लिखित रूप में कारण देते हुए निम्नलिखित परिस्थितियों में रोका जा सकता है :—

(क) यदि सूचना देने से देश की संप्रभुता एवं एकता अथवा देश की सुरक्षा तथा विदेशों के साथ मैत्री संबंधों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था, किसी अपराध की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा उससे किसी अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो।

(ख) यदि वह व्यक्तिगत और चिकित्सा संबंधी सूचना और इस प्रकार की अन्य सूचना से संबंधित हो जिसके बताने से सार्वजनिक कार्यों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और जिससे वैयक्तिक गोपनीयता का स्पष्ट एवं अनापेक्षित रूप से अतिक्रमण होता हो।

(ग) यदि यह कानून द्वारा संरक्षित व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी गुप्त सूचना के बारे में हो।

परन्तु जिस सूचना के लिए संसद अथवा राज्य विधान सभाओं को मना नहीं किया जा सकता, उसके लिए नागरिकों के मामले में भी मना नहीं किया जाएगा।

5. सार्वजनिक निकाय को आम लोगों के जीवन, स्वास्थ्य तथा जीविका के लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार के मामलों को सार्वजनिक सूचना हेतु अधिसूचित करने का दायित्व सौपा गया है जो इसकी जानकारी एवं नियंत्रण में हो लेकिन आम आदमी की जानकारी में न हो।

6. अभिरक्षा संस्थापन द्वारा एक निरीक्षक समिति नियुक्त की जानी अपेक्षित होगी जिसकी संस्थापन तथा इसके अभिलेखों एवं कर्मचारियों तक हर समय पूरी पहुंच होगी।

7. सूचना, आवेदन करने के तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन संबंधित व्यक्ति के जीवन तथा उसकी स्वतंत्रता से संबंधित सूचना आवेदन करने के 48 घंटे के अन्दर उपलब्ध करवाई जाएगी।

8. सूचना लिखित रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा उस राज्य की भाषा में नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें सूचना प्रदान करने वाला प्राधिकारी अवस्थित है।

9. सूचना उपलब्ध न करवाने के मामले में नामजद व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा गए और उसे प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए 50/-रुपए दंडस्वरूप अदा करने होंगे।

10. किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर गलत, असत्य, भ्रामक अथवा अपूर्ण सूचना देने पर कम से कम 1000/- रुपए और अधिक से अधिक 5000/- रुपए दंडस्वरूप अदा करने होंगे।

11. सूचना उपलब्ध न करवाने के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।

12. मांगी गई सूचना से इन्कार करने अथवा उसे उपलब्ध न करवाने अथवा अपर्याप्त या भ्रामक सूचना के विरूद्ध उस तहसील अथवा जिले अथवा शहर के मुख्य सिविल जज के पास अपील की जा सकेगी जहां सूचना न उपलब्ध करवाने वाला प्राधिकारी अवस्थित हो। संबंधित अपील प्राधिकारी अपने निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित आदेश द्वारा अपील को इसके दायर करने के तीस दिनों के अन्दर निपटायेगा।

13. विधेयक में, नेकनीयत से की गई किसी कार्रवाई के संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य मौजूदा कानूनों पर अभिभावी प्रभाव होगा।

दिल्ली में बन्द उद्योगों के बेरोजगार श्रमिक

***111. श्री विजय गोयल :**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों को नवम्बर, 1996 से कार्य बन्द करने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष द्वारा 168 उद्योगों को सरकारी नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने-अपने नियोक्ताओं से समुचित सेवा लाभ प्राप्त हो सके;

(घ) क्या इन उद्योगों के प्रबन्धकों को ऐसे कोई निदेश जारी किए गए हैं कि इन प्रभावित श्रमिकों को उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार सेवा लाभ प्राप्त हों;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन प्रभावित अभिकों को सेवा लाभ इत्यादि देने से इंकार करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं: और

(छ) यदि हां, तो विभिन्न श्रमिक संगठनों से प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है और अब तक इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (डा. एम. अरुणाचलम) : (क) से (छ). 1985 की रिट याचिका (ग) स 4677 में अंतर्वर्ती आंवटन सं.-22 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खतरनाक/हानिकर/दीर्घ/बड़े उद्योगों के रूप में सूचीबद्ध 168 उद्योगों को 30 नवम्बर, 1996 की मध्य रात्रि से बन्द किया जाना है। 8.7.1996 के आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन उद्योगों के दिल्ली के बाहर पुनः अवस्थापन की प्रक्रिया में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित कर्मकारों को अदा किए जाने वाले मुआवजे की राशि के संबंध में भी कतिपय दिशा-निर्देश दिए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी दिशा-निर्देश दिए हैं कि ऐसे उद्योगों में नियोजित कर्मकारों, जो पुनःअवस्थापित नहीं किए जा सकते हैं और ऐसे कर्मकारों के संबंध में जो पुनः अवस्थापित उद्योगों के साथ जाने के इच्छुक नहीं हैं, यह मान लिया जाएगा कि उनकी छंटनी 30 नवम्बर, 1996 से प्रभावी हुई है बशर्ते कि उन्होंने उक्त तिथि से पहले संबंधित उद्योग में कम से कम एक वर्ष लगातार सेवा की हो। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-च(ख) के अधीन देय मुआवजे के अतिरिक्त ऐसे कर्मकारों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में एक वर्ष की मजदूरी भी अदा की जायेगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निदेशों को संसूचित करते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसे दिल्ली से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी 168 औद्योगिक इकाइयों की सूची दी गई है जिन्हें 30.11.1996 तक दिल्ली स्थित अपने वर्तमान स्थान पर कार्य करना बन्द करना होगा।

इन उद्योगों के कर्मकारों को पुनः अवस्थापित किए जाने में विफल होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त तिथि से अपने कर्मचारियों को सेवा के लाभों को अदा करने के लिए एक माह का समय दिया है जब से अर्थात् 30.11.96 से वे दिल्ली में अपना कार्य करना बन्द कर देंगे। चूंकि सेवा लाभों के दिए जाने की निर्धारित अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है अतः सेवा लाभों से इंकार करने का प्रश्न अभी नहीं उठता है।

इन इकाइयों में से अधिकांश के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकार समुचित सरकार है जिसे यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित कर्मकारों को औ.वि. अधिनियम, 1947 के अधीन समुचित लाभ प्रदान किए जाएं। तथापि, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को लिखेगी और अनुरोध करेगी कि

वे प्रभावित कर्मकारों को सेवा लाभ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संगत उपबंधों के अनुसार प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

जमालपुर रेल इंजन कारखाना

***112. श्री आर.एल.पी. वर्मा :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार स्थित जमालपुर रेल इंजन कारखाने में बनाई जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त कारखाने में कोचों और वैगनों का निर्माण प्रारंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त कारखाने के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या भविष्य में उक्त कारखाने को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जमालपुर कारखाने में चौपहिया टावर कारों, व्हाइटिंग जैकों, बाक्स वैगनों की बोगियों, विभिन्न क्षमता वाली क्रेनों, सवारी और माल डिब्बों के फालूत पुर्जों, डीजल रेल इंजनों के फालतू पुर्जों, ब्रेक ब्लाकों आदि का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख कार्यकलापों में डीजल रेल इंजन तथा क्रेन और माल डिब्बों के पुनर्निर्माण तथा आशोधन का कार्य शामिल है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निम्नलिखित दो कार्यों के लिए 3.42 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है :—

1. कर्षण जनित्र और मोटर रिवाईडिंग सुविधाओं का विकास (3.34 करोड़ रुपए की परियोजना लागत की तुलना में 0.57 करोड़ रुपए)
2. गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आधुनिकीकरण संबंधी कार्य (9.63 करोड़ रु. की परियोजना लागत की तुलना में 2.85 करोड़ रु. का आबंटन)

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स की छवि

***113. श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्र: अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आई.ए.टी.ए.) ने सुरक्षा के सन्दर्भ में इंडियन एयरलाइन्स को सर्वाधिक जोखिम वाली विमान कम्पनियों की सूची में छठे स्थान पर रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स की साख और छवि प्रभावित हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आयटा) ने अपनी सुरक्षा रिपोर्ट में इंडियन एयरलाइन्स सहित किसी भी विमानकंपनी विशेष के सुरक्षा निष्पादन से संबंधित आंकड़े शामिल करने की बात से इंकार किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विजय नगर (कर्नाटक) में इस्पात संयंत्र की स्थापना

***114. श्री के.एच. मुनियप्पा :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के विजय नगर में इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु लगभग बीस वर्ष पहले भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां इस संयंत्र की स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विजय नगर में इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु निजी कम्पनियों ने इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किए जा सके।

(ग) और (घ). कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र की दो कम्पनियों ने कर्नाटक में विजयनगर स्टील प्लान्ट के लिए अभिज्ञात स्थान पर थोरांगलू क्षेत्र में

दो इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	इकाई का नाम	क्षमता (दस लाख टन वार्षिक)	कार्यान्वयन-स्थिति
1.	जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड	1.65	कार्यान्वयनाधीन
2.	मुकन्द विजयनगर स्टील लिमिटेड	1.6	निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

इस्पात निर्यात संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

***115. श्री मनोरंजन भक्त :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लोहा और इस्पात के निर्यात की स्थिति का अध्ययन करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने लोहा और इस्पात के निर्यात में संवृद्धि हेतु किन्हीं नीतिगत परिवर्तनों और उपायों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशियाई और चीन के तेजी से विकसित हो रहे बाजारों में लोहा और इस्पात के निर्यात का विस्तार किये जाने की संभावना का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) लोहा और इस्पात के निर्यात के संबंध में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). मौजूदा नीति के अनुसार इस समय लोहे और इस्पात का निर्यात निर्बाध रूप से किया जा सकता है। लोहे और इस्पात का निर्यात और इसका गंतव्य स्थान अनेक घटकों जैसे घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मांग, घरेलू मूल्य, आयात कर्ता देशों में इस्पात के मूल्य इत्यादि पर निर्भर करता है। ये घटक सामान्यतः लगातार बदलते रहते हैं।

भुज में विमानपत्तन का निर्माण

***116. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा भुज में विमानपत्तन के निर्माण/उन्नयन हेतु अधिगृहीत की गई भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) इस समय इस कार्य की स्थिति क्या है;

(ङ) इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) भुज में विमानपत्तन के निर्माण/उन्नयन का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). टर्मिनल भवन कम्प्लेक्स, पार्किंग एप्रन तथा लिंक टैक्सीवे के निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई 47.25 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जुलाई, 1996 में सौंप दी गई है।

(ग) से (च). 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के लिए 18 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है तथा इसके लिए संकल्पनात्मक नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। इस समय परियोजना के पूरा होने के संबंध में किसी निश्चित समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का चालू होना

***117. श्री राम टहल चौधरी :**

श्री पी.आर. दासमुंशी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार तथा स्थानवार कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटरों द्वारा कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इन ट्रांसमीटरों को स्थापित करने तथा इनके रखरखाव के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करा दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति का मामला किस स्तर पर लंबित है;

(च) इन ट्रांसमीटरों पर जोकि चालू किए जाने की स्थिति में हैं राज्यवार कितना खर्च हुआ है; और

(छ) इन ट्रांसमीटरों के रखरखाव तथा संचालन पर वार्षिक रूप से कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (छ). राज्यवार स्थानों जहां टी.वी. ट्रांसमीटर चालू करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं और उनमें

से प्रत्येक में उपलब्ध स्टाफ की स्थिति को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। हालांकि वर्तमान में पूर्णपूरक स्टाफ को उपलब्धता लम्बित रहते जिन ट्रांसमीटरों पर अपूर्ण स्टाफ उपलब्ध है, वे केवल आंशिक प्रसारण कर रहे हैं तथापि, शेष ट्रांसमीटरों को इस उद्देश्यार्थ अपेक्षित स्टाफ स्वीकृत होने पर सेवा के लिए चालू किया जाएगा।

2. पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने अपेक्षित हैं। ये प्रस्ताव कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

3. उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (वी.एच.एफ.) अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (वी.एच.एफ.) और अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (वी.एच.एफ.) की अनुमानित पूंजीगत लागत क्रमशः लगभग 8 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तथा 80 लाख रुपए है। इन 74 टी.वी. ट्रांसमीटरों पर कुल पूंजीगत व्यय लगभग 175 करोड़ रुपए है। उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर, अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर और अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर के प्रचालन और अनुरक्षण पर वार्षिक आवर्ती व्यय क्रमशः लगभग 35 लाख रुपए 10 लाख रुपए एवं 1 लाख रुपए प्रति प्रतिवर्ष है।

विवरण

चालू करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार टी.वी. ट्रांसमीटरों तथा वहां के स्टॉफ की राज्यवार एवं स्थितिवार सूची।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		परियोजनाएं	स्टाफ स्वीकृति स्थिति
1		2	3
आन्ध्र प्रदेश	उ.श.ट्रा.	कुरनूल	स्वीकृत नहीं
	अ.श.ट्रा.	बेलमपल्ली	5 पद स्वीकृत
		पेडार्नदिपड्डु	स्वीकृत नहीं
		कादरी	-तथैव-
		मर्कापुर	5 पद स्वीकृत
अरुणाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्रा.	कलकटंग	स्टाफ सहित संस्थापना
		चांगटांगगो	-तथैव-
		योमचा	-तथैव-
बिहार	अ.श.ट्रा.	फूलपारस	5 पद स्वीकृत
		नौमुण्डो	-तथैव-
गुजरात	अ.श.ट्रा.	अमोद	-तथैव-
		दोसा	-तथैव-
		मंगरोल (सूरत)	-तथैव-
		मोर्वी	12 पद स्वीकृत
गोवा	अ.श.ट्रा.	पणजी (डीडी-II)	स्वीकृत नहीं।
हरियाणा	अ.श.ट्रा.	रोहतक	-तथैव-
हिमाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्रा.	जामला	स्टाफ रहित स्थापना।
जम्मू और कश्मीर	अ.श.ट्रा.	राजौरी	स्वीकृत नहीं।
कर्नाटक	अ.श.ट्रा.	हरपनहल्ली	5 पद स्वीकृत
		सागर	-तथैव-
		गोकाक	स्वीकृत नहीं।
		बासवा कल्याण	5 पद स्वीकृत।
केरल	अ.श.ट्रा.	थोडुपुझा	स्वीकृत नहीं।
मध्य प्रदेश	अ.श.ट्रा.	गाडरवारा	-तथैव-
		सक्ती	-तथैव-

1		2	3
		कैलारस	5 पद स्वीकृत।
		नारायणपुर	स्वीकृत नहीं।
	अ.अ.श.ट्रा.	डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट	स्टाफ रहित स्थापना।
महाराष्ट्र	अ.श.ट्रा.	शिवपुर	5 पद स्वीकृत।
		चांदुर	स्वीकृत नहीं।
		सिरोंचा	-तथैव-
		अहेरी	-तथैव-
		नवापुर	-तथैव-
	अ.अ.श.ट्रा.	बदलापुर	स्टाफ रहित स्थापना।
		बाकेर	-तथैव-.
मणिपुर	अ.अ.श.ट्रा.	मोरे	-तथैव-
नागालैण्ड	उ.श.ट्रा.	मोकोकचुंग	22 पद स्वीकृत
राजस्थान	उ.श.ट्रां.	जैसलमेर	9 पद स्वीकृत
		बाड़मेर	स्वीकृत नहीं
	अ.श.ट्रां.	नोहर	5 पद स्वीकृत
		माउंट आबू	-तथैव-
		प्रतापगढ़	-तथैव-
		करौली	-तथैव-
		निमज	-तथैव-
		राजगढ़	-तथैव-
		बारी-सदरी	स्वीकृत नहीं
		शाहपुरा	5 पद स्वीकृत
	अ.अ.श.ट्रां.	नीम का थाना	स्टाफ रहित संस्थापना
		गंगापुर	-तथैव-
उड़ीसा	अ.श.ट्रां.	सोहेला	स्वीकृत नहीं
		कबिसूर्यनगर	-तथैव-
	अ.अ.श.ट्रां.	टी. रामपुर	स्टाफ रहित संस्थापना
		बाडाबारबिल	-तथैव-
तमिलनाडु	अ.श.ट्रां.	पट्टूकोट्टई	स्वीकृत नहीं
		अट्टूर	5 पद स्वीकृत
		शंकरनकोविल	-तथैव-
त्रिपुरा	अ.अ.श.ट्रां.	धर्मानगर	स्टाफ रहित संस्थापना
उत्तर प्रदेश	अ.श.ट्रां.	गंज डुंडवाड़ा	स्वीकृत नहीं
		कासगंज	5 पद स्वीकृत

1		2	3
		नौगढ़	स्वीकृत नहीं
		औरिया	-तथैव-
		न्यू टेहरी	-तथैव-
		महोबा	-तथैव-
		अथदमा	-तथैव-
		नानपाड़ा	5 पद स्वीकृत
		नैनीदण्डा	स्वीकृत नहीं
	अ.अ.श.ट्रां.	चौखटिया	स्टाफ रहित संस्थापना
		प्रताप नगर	-तथैव-
पश्चिम बंगाल	अ.श.ट्रां.	फरक्का	स्वीकृत नहीं
		मुर्शिदाबाद (डीडी-2)	-तथैव-
अंडमान और निकोबार	अ.श.ट्रां.	पोर्ट ब्लेअर (डीडी-2)	-तथैव-
द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)	अ.अ.श.ट्रां.	ग्रेट निकोबार	स्टाफ रहित सत्थापना
दादर और नगर हेवली (संघ शासित क्षेत्र)	अ.श.ट्रां.	सिलवासा	5 पद स्वीकृत
दमन और द्वीव	अ.श.ट्रां.	द्वीव-74	स्वीकृत नहीं

टिप्पणी : । परियोजनाओं की कुल संख्या 74 उ.श.ट्रां.-4, अ.श.ट्रां.-54, अ.अ.श.ट्रां.-16

[अनुवाद]

पर्यटन हेतु राष्ट्रीय कार्यवाही योजना

***118. श्री जी.ए. चरण रेड्डी :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन लक्ष्य में खामियों का पता लगाने तथा इस उपमहाद्वीप में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मई, 1992 में घोषित राष्ट्रीय पर्यटन कार्यवाही योजना की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधारभूत वास्तविकताओं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश को आमंत्रित करने हेतु कोई व्यावहारिक योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस शताब्दी के अंत तक पचास पर्यटकों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ङ). पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में, वर्ष 1992 से लेकर 5 वर्षों के अन्दर 5 मिलियन पर्यटक आगमन का लक्ष्य रखा गया है।

इसकी बाद में समीक्षा की गई और पाया गया कि इस सदी के अन्त से पहले लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था क्योंकि इसमें सरकार तथा निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना में निवेश किया जाना शामिल है। पर्यटन पर कार्यदल द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना हेतु लक्ष्यों की पुनः समीक्षा भी की गई और 2000 ई तक 3.12 मिलियन पर्यटकों के आने की संभावना की गई अन्यथा 5 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आधारभूत संरचना के विकास हेतु संसाधनों को गतिशील करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाते । पर्यटन विभाग ने भारत सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेशों तथा कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है। नीति पत्र में दिए गए राष्ट्रीय अनुमानों में, निजी क्षेत्र सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा 48,061 करोड़ रु. के कुल निवेश निर्दिष्ट किया गया है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित निवेश 25,011 करोड़ रु. है जिसमें नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा 4861 करोड़ रु., राज्य सरकारों द्वारा 4,100 करोड़ रु. तथा वित्तीय संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र द्वारा 18,950 करोड़ रु. के निवेश शामिल हैं।

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

***119. श्री हरिन पाठक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले लगभग एक वर्ष से रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्री सुविधाओं में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए कोई आकस्मिक जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को सुगठित बनाने के लिए सरकार ने क्या ठोस उपाय किए हैं या करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेल अधिकारियों तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं कि अपेक्षित यात्री सुविधाएं उपलब्ध रहें और इनका रख-रखाव भली-भांति किया जाए ।इन निरीक्षणों के बाद अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में जहां-कहीं आवश्यक होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, उपलब्ध कराई गई। सेवाओं को बनाए रखने और उनमें सुधार लाने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सेवा सुधार दल गठित किए गए हैं। इन दलों में विभिन्न विभागों के अधिकारी/पर्यवेक्षी कर्मचारी शामिल होते हैं और ये स्टेशन, मंडल तथा मुख्यालय स्तरों पर कार्य करते हैं।

(च) न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था सभी स्टेशनों पर की गई है। स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं, यथा प्रतीक्षालय, बैठने का स्थान, पेयजल, शौचालय और मूत्रालय, बुकिंग की व्यवस्था, जल शीतक, प्रतीक्षा कक्ष, सायबान आदि की व्यवस्था करने के लिए यातायात की मात्रा के आधार पर मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सुविधाओं के लिए धनराशि के आवंटन में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि की जा रही हैं।

इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए 31.3.96 तक 271 स्थलों पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के माध्यम से गाड़ियों में स्थान आरक्षित कराने की सुविधा मुहैया कर दी गई है, जो कुल आरक्षित स्थान का लगभग 92 प्रतिशत है। टेलीफोन पर पूछताछ के लिए इंटर-एक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आई वी आर एस) की व्यवस्था, बेहतर उद्घोषणा और प्रदर्श प्रणालियों की व्यवस्था करके पूछताछ कार्यालयों का भी उन्नयन किया जा रहा है।

यात्री सुविधाओं के बारे में यात्रियों की शिकायतों पर नजर रखने के लिए मंत्रालय, क्षेत्रीय तथा मंडल रेल मुख्यालय स्तरों पर मानीटरिंग कक्ष भी स्थापित किए गए हैं।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

***120. श्री राधा मोहन सिंह :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और इनमें हताहत हुए लोगों की संख्या क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक दुर्घटना की जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सरकार द्वारा रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सूचना नीचे दिए अनुसार है :—

	1993-94	1994-95	1995-96
परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	520	501	398
यात्रियों की संख्या			
मारे गए	179	84	406
घायल हुए	446	434	681
रेल कर्मचारी			
मारे गए	20	19	37
घायल हुए	89	91	77
अन्य			
मारे गए	180	202	151
घायल हुए	370	162	177

(ख) जी हां। अधिकारियों की एक समिति द्वारा प्रत्येक दुर्घटना की जांच की जाती है। गंभीर दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा आयोग द्वारा की जाती है, जो नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

(ग) तीन वर्षों के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण नीचे दिए गए हैं :-

मुख्य कारण	1993-94	1994-95	1995-96
1. रेल कर्मचारियों की गलती	358	351	237
2. रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती	72	76	71
3. उपस्करों की खराबी	55	38	50
4. तोड़-फोड़	16	9	16
5. आकस्मिक	8	15	11
6. मिश्रित कारण	2	2	3
7. कारण अंतिम रूप से सिद्ध नहीं	9	10	10
	520	501	398

(घ) संरक्षा में सुधार लाने तथा दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए किए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के काम में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटनाओं में मानवीय भूल की संभावनाओं को कम करने के लिए, सिगनलिंग सर्किटरी में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए, सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू कर दी गई है।

(iv) रेलपथ के अनुरक्षण के लिए, टाईटेम्पिंग और गिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(v) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए, परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यान, दोलनलेखी यान और सुवाहा त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(vi) कई डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।

(vii) धुरों की कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में दोषों का पता लगाने के लिए नेमी ओवरहाल डिपुओं में अल्ट्रासॉनिक टेस्टिंग उपस्कर लगाए गए हैं।

(viii) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्डो/गति रोधकों और सड़क चिन्हों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(ix) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि रेलपथ को सुरक्षित ढंग से कैसे पार करना है, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(x) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(xi) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।

(xii) विनिर्दिष्ट समयान्तरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है।

(xiii) गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है, उन्हें क्रैश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xiv) कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, समय-समय पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

पटना जाने वाली शताब्दी एक्सप्रैस के मार्ग में परिवर्तन

920. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रैस का मार्ग बदल कर उसे बाया मुरादाबाद और बरेली चलाने के लिए अनुरोध/सुझाव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) नई दिल्ली और पटना के बीच कोई शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है। बहरहाल, नई दिल्ली-पटना राजधानी एक्सप्रेस का मुरादाबाद-बरेली के रास्ते चलाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) राजधानी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन बरास्ता मुरादाबाद-बरेली लंबे चालन समय और अन्य मार्गवर्ती परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उपदान

921. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को देय उपदान को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने

अर्थात् केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के उपदान के बराबर करने के प्रस्ताव को खत्म कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को पूर्व सरकार ने पहले ही स्वीकृत कर दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राशि में उपरोक्त अनुसार वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ). उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में पिछली बार मई, 1994 में संशोधन किया गया था और उपदान की अधिकतम राशि की उच्चतम सीमा 50,000/- रु. बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये कर दी गई थी। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान 1.00/- लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये किए जाने के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में इसी प्रकार की वृद्धि करने की मांग की गई है। चूंकि उपदान संदाय अधिनियम केन्द्रीय और राज्य सरकारों के उपक्रमों सहित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और इसके उपबंधों का संचालन मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए प्रस्ताव को राज्य सरकारों, नियोजकों और कर्मचारियों के संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए संदर्भित कर दिया गया है। चूंकि प्रस्ताव में अधिनियम में संशोधन किया जाना भी समाविष्ट है इसलिए उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत उपदान की राशि बढ़ाए जाने की समय सीमा को बता पाना कठिन है।

खनिज भण्डार

922. श्री हाराधन राय :
श्री के.पी. सिंह देव :
श्री नारायण अठावले :

क्या **खान मंत्री** खनिज भंडार के बारे में 18 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3191 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). कार्यान्वयन रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्रालय/लोक सभा सचिवालय को इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/62/95-खान-5 दिनांक 11.10.1996 द्वारा भेज दी गई है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार

923. श्री रामसागर : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "जोब थ्रू एमप्लायमेंट एक्सचेंजः एस.सी. होल्डस गवर्नमेंट मोड अनकौन्स्टीट्यूशनल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जांच, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श द्वारा की जा रही है, जो कि इस मामले में प्रमुख विभाग है।

रोजगार का अधिकार

924. श्री समीक लहिरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार "रोजगार के अधिकार" को संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत शामिल करने का है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : केन्द्र सरकार ने मुख्यतः संसाधन बाधाओं के कारण "रोजगार के अधिकार" को मौलिक अधिकारों में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

हवाई सुरक्षा हेतु समितियां

925. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हवाई सुरक्षा के अध्ययन के लिए दो समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति को किन-किन मुख्य मुद्दों की जांच के लिए कहा गया है; और

(ग) ये दोनों समितियां अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देंगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय का विद्यमान ढांचा जो विमान कार्यकलापों से संबंधित विमान सुरक्षा तथा दक्ष विनियामकात्मक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए वायुयान अधिनियम, 1934, वायुयान नियम, 1937 तथा विभिन्न सुरक्षा विनियमों के अन्तर्गत है, की पुनरीक्षा के लिए एयर मार्शल (सेवानिवृत) जे.के. सेठ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सुरक्षा जागरूकता पैदा करने तथा सुरक्षा सूचना के प्रचार प्रसार के संबंध में एक दूसरी समिति का गठन किया गया है।

(ग) एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जे.के. सेठ समिति का कार्यकाल 3.9.96 से 6 महीने का है जबकि दूसरी समिति का एक वर्ष का है।

मेमोटल स्पीड रिकॉर्डर

926. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने 1989 में मेमोटल स्पीड रिकॉर्डर हेतु आदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ठेकेदार ने समय पर मेमोटल स्पीड रिकॉर्डर दिये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा विदेशी मुद्रा की दर में वृद्धि होने के कारण सरकार को घाटा हुआ हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितना घाटा हुआ;

(ङ) इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या इन अनियमितताओं के लिए कोई दायित्व निर्धारित किया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित गति सूचक एंव अभिलेखी प्रणाली टेलोक 2000डी के 20 सेटों का नवम्बर 1989 में आदेश दिया गया था।

(ख) ठेकेदार ने आदेशित सामग्री की आपूर्ति संविदागत सपुर्दगी अवधि के भीतर कर दी थी। यद्यपि इनको मेमोटेल टाइपस्पीड रिकार्डरों से बिना कोई अतिरिक्त प्रभार दिए बदल लिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) से (ज). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आयातित टिन चादरों की गुणवत्ता

927. श्री सुशील चन्द्र : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयात की जा रही टिन की चादरें वांछित गुणवत्ता की नहीं हैं और कुछ चादरें तो रंग की गई होती हैं;

(ख) क्या घटिया और रंग की गई चादरों के कारण लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दिया है;

(ग) क्या मैसूर स्थिति केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने घटिया टिन चादरों को प्रयोग करने के विरुद्ध चेतावनी दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्कृष्ट क्वालिटी के टिन प्लेट के अतिरिक्त टिन प्लेट अपशिष्ट और टिन प्लेट अपशिष्ट-अपशिष्ट का भी देश में आयात किया जा रहा है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के नियम-49 के अनुसार द्वितीय श्रेणी के टिन और वह टिन जोकि सही ढंग से नहीं बनाया गया है, खाद्य तेलों और वसा को पैकिंग के लिए उपयोग करना निषिद्ध किया गया है। जब कभी विनियमन प्राधिकारी आयातक अथवा वास्तविक प्रयोक्ता टिन प्लेट अथवा कन्टेनर की क्वालिटी के संबंध में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर से परामर्श मांगते हैं, यह संस्थान महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित खाद्य अवमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुसार विशेष रूप से खाद्य पदार्थों में संदूषण के सन्दर्भ में विश्लेषण और मूल्यांकन करता है और अपनी सलाह देता है।

[अनुवाद]

पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. के लम्बित आवेदन

928. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथों के आबंटन के लिये निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य-वार उपरोक्त बूथ आबंटियों के नाम क्या हैं तथा ये आबंटन किन आधारों पर किये गये हैं;

(ग) इस प्रकार के बूथों के आबंटन हेतु लम्बित ओवदनों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(घ) लम्बित आवेदनों को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) एस टी डी/पी सी ओ का आबंटन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं पास और शहरी क्षेत्रों के

लिए मैट्रिक/हाई स्कूल पास है। निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गयी है:-

(1) विकलांग जिसमें अन्धे व्यक्ति भी शामिल हैं।

(2) अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदक

(3) भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाएं

(4) दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा उनके आश्रित।

(5) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित

(6) धर्मार्थ संस्थान/अस्पताल।

(ख) एस टी डी/पी सी ओ, सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए पात्र आवेदकों को एस टी डी/पी सी ओ आबंटन समिति द्वारा आबंटित किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक आबंटित किये गये पी सी ओ की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/सर्किल/जिलों के नाम	1.4.93 से 30.9.96 तक आबंटित एस टी डी पी सी ओ की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार	9
2.	आन्ध्र प्रदेश	4933
3.	असम	1483
4.	बिहार	3497
5.	गुजरात	6728
6.	जम्मू और कश्मीर	330
7.	केरल	5756
8.	कर्नाटक	5326
9.	मध्य प्रदेश	6706
10.	महाराष्ट्र	9186
11.	उड़ीसा	1999
12.	हरियाणा	2060
13.	हिमाचल प्रदेश	371
14.	पंजाब	7246
15.	राजस्थान	5052
16.	नार्थ ईस्ट	454
17.	तमिलनाडु	3924
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	9571
20.	पश्चिम बंगाल	1499
21.	मुम्बई	4414
22.	दिल्ली	3948
23.	कलकत्ता	4269
24.	चेन्नई	2417

[हिन्दी]

आगरा में रेलगाड़ी सेवाएं शुरू करना

929. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय तथा अन्य संसदीय समितियों ने वाहन प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण से ताजमहल को बचाने के लिए आगरा में तथा ताजमहल संरक्षित के अन्य मार्गों पर स्थानीय रेलगाड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आगरा में नगरीय रेलगाड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). आगरा में स्थानीय गाड़ियों के चालू किए जाने के बारे में इस समय रेल मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कार्य का संशोधित आबंटन 1986 के तहत ऐसे रेलों पर आधारित शहरी ट्रांसपोर्ट परियोजना प्रस्तावों पर कार्रवाई रोजगार एंव शहरी मामलों के मंत्रालय तथा संबद्ध राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

डाक प्रणाली का विस्तार

930. श्री ललित उरांव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान विशेषकर देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के डाक प्रणाली के विस्तार का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1994-95 में वास्तविक लक्ष्य बहुत ही कम था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुजरात में किस सीमा तक योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा था जिसके कारण सरकार द्वारा लक्ष्य को अत्यधिक कम कर दिया गया; और

(घ) सरकार द्वारा डाक प्रणाली के विस्तार हेतु आठवीं योजना के आरंभ में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक नेटवर्क के विस्तार का ब्यौरा और वह भी, विशेष रूप से देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). गुजरात सहित समूचे देश के लिए डाकघर खोलने के लक्ष्य को बजटीय सहायता की सीमा कम करने के लिए घटा दिया गया था। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में मूल डाक सुविधाएं सुलभ कराने के लिए पंचायत संचार सेवा योजना नामक एक नई योजना आरंभ की गई थी। गुजरात सर्किल में वर्ष 1995-96 में 50 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए।

(घ) उक्त संदर्भित कमी के कारण मूल लक्ष्यों को पुनः बहाल नहीं किया जा सका।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के दौरान अब तक मंजूर किए गए डाकघरों की संख्या (डाक सर्किलवार)।

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या			
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	24	16	9	49
2.	असम	8	26	42	76
3.	बिहार	10	103	83	196
4.	दिल्ली	23	-	-	23
5.	गुजरात	23	29	35	87
6.	हरियाणा	14	36	-	50
7.	हिमाचल प्रदेश	6	125	5	136
8.	जम्मू व कश्मीर	3	26	4	33
9.	कर्नाटक	22	26	17	65
10.	केरल	24	51	7	82
11.	महाराष्ट्र	43	90	73	206
12.	मध्य प्रदेश	16	35	67	118
13.	उत्तर पूर्व	-	11	72	83
14.	उड़ीसा	9	26	67	102
15.	पंजाब	15	23	-	38
16.	राजस्थान	21	62	44	127
17.	तमिलनाडु	17	20	2	39
18.	उत्तर प्रदेश	40	214	19	273
19.	पश्चिम बंगाल	6	84	9	99
	योग :	324	1003	555	1882

[अनुवाद]

पर्यटन हेतु उत्तर प्रदेश को और ज्यादा धनराशि

931. **श्री अशोक प्रधान :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने तथा उनके विकास के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने का आग्रह प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग). पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के अधिकारियों के परामर्श से, चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए 191 लाख रुपयों की अनुमानित लागत को 8 परियोजनाएं निर्धारित की है। निर्धारित योजनाएं हैं:-

1. आगरा में स्वागत केन्द्र
2. रेसीडेन्सी, लखनऊ में ध्वनि एंव प्रकाश-प्रदर्शन
3. बनारस, चुनार में प्रयोग होने वाली क्रुज नावें
4. ऋषिकेश में स्वागत केन्द्र
5. जौली ग्रांट में ऐरो स्पोर्ट्स
6. औली स्की केन्द्र के लिए स्की उपकरण
7. नानक सागर में जल-क्रीड़ा उपकरण
8. रिवर-राफ्टिंग उपकरण।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्तावों की प्राप्ति और जांच के पश्चात धनराशि प्रदान करता है। हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार [illegible] परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

बर्द्धमान से हावड़ा तक रेल लाइन

932. **श्री बलाई चन्द्र राय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्द्धमान से हावड़ा तक की रेल लाइन अपने अधिकतम उपयोग की स्थिति तक पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गाड़ियों के सुचारू और गतिपूर्वक चलाने की सुनिश्चित करने के लिए इस सैक्शन में सुधार पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बर्द्धमान से हावड़ा तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च). यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाइन क्षमता में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में बर्द्धमान-हावड़ा खंड पर निम्नलिखित कार्य चल रहे हैं :—

(1) गुड़ाप-शक्तिगढ़ के बीच तीसरी लाइन;

(2) हवड़ा-शेवड़ाफुल्ली और भद्रेश्वर-बंडेल-खंडीय क्षमता में वृद्धि और शेवड़ाफुल्ली-बंडेल स्वचालित सिगनल।

(3) हवड़ा में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं में वृद्धि।

(4) हवड़ा में उपनगरीय प्लेटफार्म सं. 1 से 6 के ढांचे में परिवर्तन।

(5) बर्धमान में यार्ड के ढांचे में परिवर्तन (चरण-1)।

[हिन्दी]

विदेशों में रोजगार के लिए संगठन की स्थापना

933. **श्री जय प्रकाश** (हरदोई) :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में रोजगार के लिए संगठन प्रक्रिया को सुगठित बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय श्रमशक्ति संवर्द्धन जैसे एक संगठन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय पर राज्यों के श्रम सचिवों के दिल्ली में हाल ही में हुए सम्मेलन में चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). सरकार ने अभी तक इस प्रकार के परिषद को स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया है। हालांकि 26-10-1996 को आयोजित राज्य सरकारों के श्रम सचिवों को बैठक में एक केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संबर्द्धन परिषद स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

फार्मासिस्ट की सेवाओं को नियमित करना

934. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के मंडल हस्पतालों में लम्बे समय से कार्य कर रहे अस्थाई फार्मासिस्टों की सेवाओं को अब तक नियमित नहीं किया गया है;

(ख) क्या फार्मासिस्टों को उनकी सराहनीय सेवाओं हेतु सामूहिक नकद पुरस्कार दिया गया है और क्या उन्होनें विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पास किया है;

(ग) यदि हां, तो कब तक उन्हें नियमित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). पश्चिम रेलवे के सभी फार्मासिस्ट नियमित आधार पर कार्यरत हैं।

[अनुवाद]

स्थानीय कॉल के मानदंड

935. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस मानदंड के आधार पर दिल्ली के आसपास के शहर यथा गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गाजियाबाद इत्यादि दिल्ली से स्थानीय कॉल के आधार पर जुड़े हैं;

(ख) क्या ये मानदंड हरियाणा के सोनीपत जिले के शहरों पर लागू नहीं होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सुविधा का सोनीपत जिले के शहरों तक विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गाजियाबाद के शहरों को 180 सैकंड पल्स दर पर दिल्ली के साथ इंटर-डायलिंग की सुविधा दी गई है, क्योंकि इनकी स्थानीय टेलीफोन प्रणालियों की और दिल्ली की प्रणाली की सीमा एक ही है।

(ख) जी, हां। हरियाणा के सोनीपत जिले के तीन कस्बों अर्थात् कोंडली, अकबरपुर बरोटा और नाहरा कस्बों पर भी यही मानदंड लागू है।

(ग) और (घ). कोण्डली और दिल्ली के बीच यह सुविधा पहले ही उपलब्ध है। दो कस्बों अर्थात् अकबरपुर बरोटा तथा नाहरा में यह सुविधा निकट भविष्य में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सोनीपत जिले के अन्य कस्बें इस मानदंड को पूरा नहीं करते और इसलिए वे सुविधा के पात्र नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

रेलगाड़ियों में विकलांग व्यक्तियों हेतु सीटों का आरक्षण

936. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस नीति की समीक्षा करने और सीटों के कोटे में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं :-

(1) विकलांग यात्रियों और उनके साथ जाने वाले व्यक्तियों के लिए शयनयान श्रेणी में दो शायिकाएं निर्धारित की गई है।

(2) उप नगरीय गाड़ियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया गया है।

(3) विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रत्येक द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में दरवाजे के नजदीक एक सीट निर्धारित की जा रही है।

(ख) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गाड़ी में उपलब्ध आरक्षित स्थान की आवधिक समीक्षा की जाती है और यातायात के औचित्य तथा गाड़ियों में स्थान की उपलब्धता के आधार पर जहां भी आवश्यक होता है, उपयुक्त सामंजस्य किया जाता है।

आसनसोल से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सीधी रेल सेवा

937. श्री महबूब जाहेदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसनसोल से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीधी रेल सेवा आरम्भ करने हेतु निरंतर मांग की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की रेल सेवा आरम्भ किए जाने संबंधी पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिचालनिक/संसाधन तंगियों के कारण।

[हिन्दी]

जौनपुर में एस.टी.डी./आई.एस.डी.

938. डा. राम विलास वेदान्ती : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौनपुर जिले के सिंगरामऊ और बादलपुर में एस. टी.डी. और आई.एस.डी. खराब पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत-पत्र मिला है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या लाइनें खराब रहने की अवधि के लिए उपभोक्ताओं को शुल्क/बिलों पर कोई छूट देने की योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है। शिकायत आने पर खराबी को तत्काल ठीक कर दिया जाता है।

(घ) एसटीडी/आईएसडी को, विश्वसनीय माध्यम पर शिफ्ट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) जी हां।

(च) यदि टेलीफोन लाइन, विभागीय कारणों से सात अथवा उससे अधिक दिनों तक लगातार खराब रहती है, तो उपभोक्ता को किराए में छूट दी जाती है।

यदि टेलीफोन लाइन, विभागीय कारणों की वजह से 14 दिनों से भी ज्यादा समय तक लगातार खराब रहती है तो पूरे महीने के किराए में छूट दी जाती है।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर के देखते हुए लागू नही होता।

[अनुवाद]

कूच बिहार में रेलवे नेटवर्क

939. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल को जिला कूच बिहार में रेलवे नेटवर्क के विस्तार हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे सेवा बेहतर बनाने और कूच बिहार से कलकत्ता के लिए नई गाड़ी चलाने के संदर्भ में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). **मांग सं. 1**

कूचबिहार के दो महत्वपूर्ण उप-मंडलों मठाभांगा तथा मेखलीगंज, जहां कोई रेल संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, में रेल संचार के विकास के लिए बरास्ता चंगाराबांदा-मटाभांगा, मोइनागुड़ी रेलवे स्टेशन तथा न्यू कूचबिहार रेलवे स्टेशन के बीच नेटवर्क का विस्तार।

स्थिति :

प्रस्तावित लाइन 110 कि.मी. लंबी होगी तथा इस पर कम से कम 150 करोड़ रु. की लागत आएगी। रेलें संसाधनों की कड़ी तंगी का सामना कर रही हैं और उनके पास अनेक नई लाइन परियोजनाएं मौजूद हैं जिनको पूरा करने के लिए 6000 करोड़ रु. से अधिक धनराशि की आवश्यकता है जबकि योजना आयोग द्वारा 1996-97 में 220 करोड़ रु. की धनराशि मुहैया की गई थी जो मुद्रास्फीति से निबटने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। इसको देखते हुए प्रस्तावित लाइन के निर्माण पर तब तक विचार करना कठिन होगा जब तक कि संसाधनों की स्थिति में सुधार नहीं होता और चल रही कुछ परियोजनाएं पूरी नहीं हो जाती।

मांग सं. 2

न्यू कूचबिहार से गोलोकगंज तक रेल नेटवर्क का विस्तार।

स्थिति :

गोलोकगंज पहले ही से बरास्ता फकीराग्राम तथा अलीपुरद्वार कूचबिहार से जुड़ा हुआ है। यातायात की आवश्यकताएं मौजूदा लाइन असानी से पूरी हो सकती हैं। प्रस्तावित लाइन 80 कि.मी. लंबी होगी तथा इस पर 120 करोड़ रु. की लागत आएगी। रेलें संसाधनों की कड़ी तंगी का सामना कर रही हैं और उनके पास अनेक नई लाइन परियोजनाएं मौजूद हैं जिनको पूरा करने के लिए 6000 करोड़ रु. से अधिक धनराशि की आवश्यकता है जबकि योजना द्वारा 1996-97 में 220 करोड़ रु. की धनराशि मुहैया की गई थी जो मुद्रा स्फीति से निबटने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। इसको देखते हुए प्रस्तावित लाइन के निर्माण पर तब तक विचार करना कठिन होगा जब तक कि संसाधनों की स्थिति में सुधार नहीं होता और चल रहीं कुछ परियोजनाएं पूरी नहीं हो जाती।

मांग सं. 3

माल्दा-न्यू जलपाइगुड़ी-न्यू कूचबिहार-न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी ब.ला. का दोहरीकरण।

स्थिति :

माल्दा-न्यू जलपाईगुड़ी का दोहरीकरण का कार्य, दलकोला और किशनगंज के बीच छोटे टुकड़ों को छोड़कर, जहां कार्य प्रगति पर है और जिसे दिसंबर, 97 तक पूरा कर दिया जाएगा, पूरा कर दिया गया है। न्यू जलपाइगुड़ी तथा न्यू बोंगाईगांव के बीच मी.ला. का आमान परिवर्तन करके दोहरीकरण करने की योजना है और इसव कार्य को 9वीं योजनावधि में शुरू किया जाएगा। बोंगाईगांव तथा गुवाहाटी के बीच दोहरीकरण बरास्ता जोगीघोपा तथा गोलपाड़ा दूसरी लाइन की व्यवस्था करके किया जाएगा, जिसे 1997-98 तक पूरा करने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

मांग सं. 4

अलीपुरद्वार-न्यू कूचबिहार-गिताल्दा मी.ला.का ब.ला. में आमान परिवर्तन।

स्थिति :

रेलों ने एक आमान प्रणाली लाने हेतु चुनिंदा मी.ला./छो. लाइनों के ब.ला. में आमान परिवर्तन के लिए एक-आमान परियोजना शुरू की है। संसाधनों की सीमित उपलंब्धता के कारण यह कार्य केवल चरणबद्ध आधार पर किया जा सकता है। पहले चरण में तात्कालिक परिचालनिक/सामरिक महत्व की लाइनों पर कार्य शुरू किया गया है। परियोजना के अगले चरण में शेष लाइनों के साथ उक्त खंड के संबंध में विचार किया जाएगा।

मांग सं. 5

न्यू कूचबिहार रेलवे स्टेशन में छुटपुट मरम्मत कार्यों के लिए गर्त लाइन तथा कार्य शेड की संस्थापना ताकि गुवाहाटी से/तक चलने वाली गाड़ियां असम में बंद तथा अन्य गड़बड़ियों के दौरान न्यू कूचबिहार में समाप्त हो सकें।

स्थिति :

मौजूदा अनुरक्षण सुविधाएं इस स्टेशन पर सम्हाले जा रहे सामान्य यातायात के लिए पर्याप्त हैं। असम में केवल किन्हीं बंदों के दौरान यातायात सम्हालने के लिए दोहरी सुविधाएं सृजित करना व्यावहारिक नहीं होगा।

मांग सं. 6

न्यू कूचबिहार से कलकत्ता तक एक नई गाड़ी चलाना :

कलकत्ता तथा न्यू कूचबिहार के बीच एक नई गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में संशोधन

940. श्री नारायण अठावले : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में जैसा कि 7 नवम्बर, 1996 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है, कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संशोधन तथा योजना को चलाने के लिए वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित सेवानिवृत्ति योजना को आरम्भ करने के लिए संभावित समय सीमा क्या है तथा राज्य-वार अनुमानतः कितने कर्मचारी इसके अन्तर्गत आएंगे?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) सरकार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (बी आर एस) में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ताकि यह और अधिक आकर्षक हो सके।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस प्रस्ताव की सरकार द्वारा पूरी तरह से जांच नहीं करायी गयी है।

समितियों का गठन

941. श्री संदीपान थोरात : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से सम्बद्ध कार्यक्रम सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) मंत्रालय के अंतर्गत अन्य सलाहकार समितियों जिनमें गैर-सरकारी/विशिष्ट व्यावसयिक/प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता मीडियामेन नामित किए जाते हैं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दूरदर्शन के लिए फिल्मों के चयन हेतु ऐसी समितियों के गठन को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, नहीं। मौजूदा समितियों का कार्यकाल, अप्रैल, 1997 तक है।

(ग) इस मंत्रालय की कोई अन्य सलाहकार समिति नहीं है।

(घ) और (ङ). जी, हां। दूरदर्शन के लिए फिल्मों का चयन करने के लिए चयन समिति में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्ति करने हेतु अनुमोदित व्यक्तियों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

फीचर फिल्मों के लिए चयन समिति में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों की सूची।

1.	श्री शैलेन्द्र शंकर	पूर्व महानिदेशक, दूरदर्शन, फिल्म और सोसायटी से संबद्ध।
2.	श्री के.सी. शर्मा	पूर्व महानिदेशक, आकाशवाणी, एक प्रसिद्ध लेखक-मीडिया समीक्षक।
3.	सुश्री सुन्दरी श्रीधरणी	निदेशक, त्रिवेणी कला [illegible]
4.	श्रीमती इन्दु जैन	कवियित्री
5.	सुश्री रंजना गौहर	नृत्यांगना
6.	श्री कमल भसीन	3ए (18 फ्लैट), फ्रेंड्स [illegible], नई दिल्ली-110065
7.	सुश्री उषा जोशी	कला एंव संस्कृति
8.	सुश्री कुमकुम चड्ढा	लेखक एवं पत्रकार।
9.	श्री इदरिस देहलवी	फिल्म पत्रकार, संपादक "सुषमा"।
10.	श्री एम.एन. राय चौधरी	पूर्व उप महा निदेशक, आकाशवाणी।
11.	सुश्री गायत्री राय	सामाजिक कार्यकर्त्ता
12.	श्री जग मोहन	पत्रकार, लेखक, कला समीक्षक, फिल्मविद।
13.	श्री रघुनाथ रैना	पूर्व निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी
14.	श्री मुहम्मद शमीम	विशेष संवाददाता, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिल्म समीक्षक।
15.	श्रीमती विजया मुले	प्रसिद्ध शिक्षाविद्, फिल्म निर्माता और मीडिया व्यक्ति।
16.	श्री गौताम कौल	प्रमुख फिल्म समीक्षक और फिल्म सोसायटी आंदोलन से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध।
17.	श्री पंकज भाटिया	पत्रकार, लेखक और प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक।
18.	श्री जी.एस. खोसला	नाटककार और थिएटर निर्देशक।
19.	श्रीमती मीनाक्षी	संगीत एवं ललित कला विभाग,
20.	श्री मणि मधुकर	लेखक, निदेशक।
21.	श्री ब्रिजेन्द्र राही	लेखक, निदेशक।
22.	श्री डी.पी. रे	लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता।
23.	श्री राजेन्द्र बागरदिया	लेखक।
24.	श्री अजय कोशिश	फिल्म समीक्षक, लेखक।
25.	सुश्री पटमा सचदेव	फिल्म समीक्षक, लेखक।
26.	श्री जी.के. [illegible]वन	फिलम समीक्षक, लेखक।
27.	श्री विनोद दुआ	प्रसिद्ध मीडिया व्यक्ति।
28.	सुश्री जयश्री साठे	साहित्य।
29.	सुश्री जोय माइकल	इंग्लिश थिएटर
30.	श्री बैरी जॉन	इंग्लिश थिएटर
31.	सुश्री विजय दक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता, 220, प्रकाश नगर, रेलवे रोड खुर्जा, उ.प्र.
32.	श्री वेद प्रताप वैदिक	चीफ ऑफ पी.टी.आई. भाषा, दिल्ली।
33.	श्री केशव कोठारी	सचिव, संगीत नाटक अकादमी।
34.	डा. सतीश चन्द्र	विख्यात शिक्षाविद।
35.	सुश्री तारा अली बेग	सामाजिक कार्यकर्ता।
36.	प्रो. इन्द्र नाथ चौधरी	सचिव, साहित्य अकादमी।
37.	सुश्री दीपा कौल	समाजिक कार्यकर्ता।

[हिन्दी]

दूरसंचार सर्किल

942. श्री श्रीराम चौहान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्ती में नए दूरसंचार सर्किल कार्यालय खोलने की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थितिवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बस्ती शहर में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार विभाग की नीति के अनुसार, दूरसंचार सर्किल कार्यालय पर्याप्त कार्य-भार होने पर सामान्यतः राज्य की राजधानियों

में खोले जाते हैं। कोई नया सर्किल कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं बनता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान, बस्ती कस्बे के लिए, 1000 लाइनों की क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास हेतु समेकित योजना

943. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु समेकित योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की योजना देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के क्रियान्वयन से पर्यटन उद्योग को लाभ पहुंचेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (च). घरेलू तथा विदेशी पर्यटन सहित, देश में पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई है तथा योजना के विशिष्ट घटक इस प्रकार हैं:-

1. आधारिक संरचनात्मक विकास।
2. वृहत पर्यटन रिजार्टो के विकास सहित उत्पाद विकास तथा वैविध्यीकरण।
3. उद्यम विकास तथा स्वः रोजगार के अवसरों का संवर्धन।
4. बढ़ी हुई पर्यटक सुविधाएं।
5. मानव संसाधन विकास।
6. शोध तथा कम्प्यूटरीकरण।
7. संवर्धन तथा विपणन
8. पर्यावरणीय संरक्षण तथा सांस्कृतिक परिरक्षण।
9. प्रोत्साहनों का प्रावधान।
10. मानीटरिंग तथा मूल्यांकन।
11. संगठनों का सुदृढ़ीकरण।

योजना के कार्यान्वयन का लक्ष्य, शताब्दी के अन्त तक 5 मिलियन विदेशी पर्यटक हैं तथा इसमें कुल 14.17 मिलियन लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों की परिकल्पना की गई है।

मुम्बई में वायु यातायात नियंत्रण का अधुनिकीकरण

944. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर वायु यातायात नियंत्रण के आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस तरह की परियोजना कलकत्ता हवाई अड्डे पर भी शुरू किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). मुंबई तथा दिल्ली हवाई अड्डों की विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 423.89 करोड़ रुपए की है। उपस्कर की संस्थापना तथा उसका परीक्षण किया जा रहा है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं यातायात नियंत्रण का स्वचलीकरण तथा गौण निगहरानी राडार की संस्थापना है जिससे एयरलाइनों के लिए ईंधन में बचत तथा विमान यातायात नियंत्रकों पर कार्यभार कम करके इन दोनों हवाई अड्डों की विकास यातायात हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि होगी।

(ग) और (घ). जी, हां। कलकत्ता हवाई अड्डे पर विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली में भी सवंर्धन किया जा रहा है। विद्यमान प्राइमरी राडार के स्थान पर एक नए किस्म का उपस्कर लगाया जा रहा है। एक गौण निगरानी राडार की भी कलकत्ता हवाई अड्डे पर संस्थापना की जा रही है। महासागरीय नियंत्रण में संवर्धन के लिए एक स्वचालित विश्वसनीय निगरानी प्रणाली (आटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलायंस सिस्टम) भी संस्थापनाधीन है। यह कार्य मई, 1997 तक पूरा किए जाने की योजना है।

फिल्म और टेलीविजन संस्थान

945. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) सरकार ने हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे के अलावा एक और संस्थान नामशः सत्यजीत रे फिल्म एंव टेलीविजन संस्थान, कलकत्ता आरंभ किया है। वर्तमान में सरकार के पास और संस्थान स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार को समय-समय पर फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थापित करने हेतु अनुरोध प्राप्त होते हैं। उत्तर-पूर्व एवं केरल में ऐसे संस्थान स्थापित करने हेतु अनुरोध हाल ही में प्राप्त हुए हैं। संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में मौजूदा दो संस्थाओं के अतिरिक्त कोई और फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पार्सल कर्मचारियों पर छापा

946. श्री हरिवंश सहाय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जनवरी, 1996 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कार्यरत कुछ पार्सल कर्मचारियों पर छापा मारा था और उनसे बड़ी मात्रा में बेहिसाब धनराशि बरामद की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज किया गया था;

(ग) यदि हां, तो आगे की गयी जांच के क्या परिणाम हैं;

(घ) क्या प्रशासन का विचार अपराधी कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जनवरी 1996 में पार्सल कार्यालय पर छापा मारा था, यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाहरी व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं परन्तु न तो पार्सल कार्यालय के किसी कर्मचारी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और न ही भ्रष्टाचार में किसी भी रेल कर्मचारी के लिप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। छापे के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पार्सल स्टाफ से बिना हिसाब-किताब को कोई राशि भी उपलब्ध नहीं हुई।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिमालय क्षेत्र में धातुओं का उत्खनन

947. श्री सत महाजन : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले किए गए सर्वेक्षण में हिमालय क्षेत्र में कई बहुमूल्य धातुओं का भंडार मिला है;

(ख) यदि हां, तो धातुवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन धातुओं के उत्खनन के संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हिमालय क्षेत्र में कोई बहुमूल्य खनिज भंडार नहीं मिला है। तथापि, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़ जम्मू एवं कश्मीर और अरूणाचल प्रदेश में हिमालय के पास की शिवालिक की पहाड़ियों में सोना मिलने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ). ऐसे अलाभकर तथा निम्न ग्रेड के बिखरे हुए सोने के निक्षेपों में गवेषण करना तर्कसंगत नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों का पर्याप्त ब्रेक पावर के साथ चलना

948. श्री मुरलीधर जेना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों के चलने में पर्याप्त ब्रेक पावर प्रदान नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दुर्घटना को रोकने के लिए रेलगाड़ियों को पर्याप्त ब्रेक पावर के साथ चलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों को एस.टी.डी. सुविधाएं

949. श्री सौम्य रंजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के दूरसंचार सलाहकार समितियों के सदस्यों को एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राज्य स्तर पर दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित दूरसंचार सलाहकार समिति के कार्य की जरूरतों के अनुसार एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को भारतीय इस्तपात प्राधिकरण द्वारा इस्पात की आपूर्ति

950. डा. राम लखन सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश को आपूर्ति किए गए इस्पात की क्या मात्रा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में भिंड, दातिया और मुरैना के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मात्रा में इस्पात की आपूर्ति की गयी है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आपूर्ति किये गए इस्पात की चादरों को शहरी क्षेत्रों में उपयोग के लिए काले बाजार में बेचा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक) के दौरान मध्य प्रदेश में बेचे गए विक्रेय इस्पात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (हजार टन)
1994-95	593.1
1995-96	711.2
1996-97 (अक्तूबर, 96 तक)	309.6

सेल अपना इस्पात ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के आधार पर नहीं बेचता है। तथापि, सेल के इस्पात की बिक्री, इसके ग्वालियर स्थित शाखा विक्रेय कार्यालय जो मध्य प्रदेश के 6 जिलों जिनमें भिंड, दातिया और मुरैना जिले शामिल हैं, हेतु प्रबंध करता है के माध्यम से उपर्युक्त अवधि के दौरान निम्नानुसार रही:-

वर्ष	मात्रा (हजार टन)
1994-95	37,250 एम/टी
1995-96	42,292 एम/टी
1996-97 (अक्तूबर, 96 तक)	15,625 एम/टी

[अनुवाद]

माल गोदाम की मरम्मत

951. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96, तथा 1996-97 (31.10.96 तक) के दौरान मालगोदाम की मरम्मत तथा शेड की व्यवस्था करने के लिए जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, कूच बिहार, पश्चिम बिहार से सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

साहिबगंज एक्सचेंज, बिहार का विस्तार

952. श्री थामस हंसदा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में साहिबगंज के आसपास के दस टेलीफोन एक्सचेंज पुरानी टेलीग्राफ प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य के उक्त आदिवासी बहुल क्षेत्र में यू.एच.एफ. प्रणाली शुरू करने अथवा ऑप्टिकल फाईबर प्रणाली से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दस एक्सचेंज साहिबगंज मुख्य एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं तथा इसमें लगभग 1700 कनेक्शन हैं और केवल 8+8 एस.टी.डी. चेनल की सुविधा है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का 8+8 से 30+30 तक एस.टी.डी. चैनल संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यह सुविधा कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) आठ एक्सचेंज, ओवरहेड कैरियर सिस्टम तथा दो एक्सेचेंज ओवरहेड लाइनों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) बनकुडीह, बरहारवा, भगैया, गांगटी, तलझारी, तिनपुहाड़, उध्वा बराहैट में यूएचएफ सिस्टम तथा राजमहल और मुर्जा चौकी में आप्टिकल फाइबर सिस्टम को क्रमिक रूप से वर्ष 1997-98 तथा वर्ष .1998-99 में चालू किया जाना है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) जी, हां।

(छ) और (ज). मार्च 1997 तक 15+15 सर्किट।

मार्च 1999 तक 30+30 सर्किट।

नई रेलवे जोन

953. श्री पी.सी. थामस :

श्री सुरेश कोडीकुनील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में प्रस्तावित नई दक्षिण-पश्चिम रेलवे जोन स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा केरल में रेलवे के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या 1991 में केरल के लिए मुख्य अभियन्ता (निर्माण) का कार्यालय मंजूर किया था;

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां, केरल में द.प. जोन के क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना हेतु एक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) केरल में रेलवे के विकास के लिए निम्न कार्यों को शुरू किया गया है:-

1. कायनकुलम कोल्लन के दोहरीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है।
2. कोल्लन-त्रिवेन्द्रम के दोहरीकरण कार्य के पर प्रगति की जा रही है।
3. शोरूवण्णूर-मंगलौर के दोहरीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति

954. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) मंत्रालय में विभिन्न स्तर पर कितनी राजभाषा कार्यान्वियन समितियां हैं तथा क्या इनकी बैठक नियमित रूप से हो रही हैं;

(घ) क्या इन समितियों के सदस्य तथा अध्यक्ष जो हिंदी के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे अपना कार्य राजभाषा में करते हैं;

(ङ) कितने आधुनिक उपकरणों में दोनों भाषाओं की सुविधा उपलब्ध है तथा कितने व्यक्ति तथा किन-किन स्थानों पर देवनागरी लिपि वाले इन उपकरणों का अपयोग किया जायेगा क्योंकि सभी दस्तावेज अंग्रेजी में रखे जाते हैं;

(च) एक वर्ष में पूरा किए जाने वाले कार्यक्रम को 23-24 वर्षों तक पूरा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) क्या यह इस वर्ष तक पूरा कर लिया जायेगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। 9 मार्च, 1995 को समिति का पुनः गठन हो जाने के बाद इसकी बैठक 15.11.1995 को हुई थी।

(ग) मंत्रालय तथा इसके अधीनवर्ती अधिकांश कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं और उनकी बै ठकें हर तिमाही में करने के प्रयास किए जाते हैं।

(घ) जी, हां। अपनी सुविधानुसार अपना काम हिन्दी में करते हैं।

(ङ) मंत्रालय तथा इसके अधीनवर्ती विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों आदि में प्रयोग में लाए जा रहे अधिकांश आधुनिक उपस्करों में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है और इन पर अधिकाधिक काम हिन्दी में करने के निर्देश दिए गए हैं।

(च) और (छ). वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों में से कुछ मदों के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त कर लिए गए हैं तथा शेष मदों से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन आधारित राजभाषा नीति के अनुसार निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

जाली रेल पास

955. **श्री नामदेव दिवाथे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले अनेक वर्षों से महाराष्ट्र में जाली रेल पास जारी किये जाने का एक गिरोह चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). जी नहीं। बहरहाल, विगत के वर्षों में जाली रेल पासों के प्रयोग के केवल तीन मामले रेलवे की नोटिस में आए हैं और चूंकि इसमें बाहरी व्यक्ति शामिल थे इसलिए मामले पुलिस को सौंप दिए गए थे। एक मामले में जांच पूर्ण हो गई है और आरोप पत्र न्यायालय में दर्ज करा दिया गया है। अन्य मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए नियमित निवारक जांच की जाती है।

[अनुवाद]

विभागेत्तर कर्मचारी

956. **श्री सुख लाल कुशवाहा :**
हरिवंश सहाय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सर्किल के डाकघरों में विभागेत्तर कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों की भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने विभागेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति रोजगार कार्यालय द्वारा उनका नाम भेजे बगैर ही कर दी गयी है;

(ङ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कुछ सहायक अधीक्षकों ने इन नियुक्तियों में धोखाधड़ी/अनयिमितताएं बरती हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(छ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिल्ली सर्किल में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या 549 है।

(ख) और (ग). जी हां। तथापि, यदि रोजगार कार्यालय अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख के भीतर अभ्यर्थियों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या को स्पांसर करने में असफल रहता है, तो खुले विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

(घ) दिल्ली सर्किल में रोजगार कार्यालय की स्पांसरशिप के बिना नियुक्त किए गए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की संख्या 3 है। दो अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमानुसार स्थानीय मार्केट से की गई थी और एक की नियुक्ति रोजगार कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी को स्पांसर किए जाने की शर्त के लागू होने से पूर्व की गई थी।

(ङ) जी नहीं।

(च) से (ज). प्रश्न नहीं उठते।

पर्यावरणनुकूल पर्यटन द्वारा पर्यावरण को नुकसान

957. **श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ता हुआ पर्यावरणनुकूल पर्यटन देश में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव अनेक राज्य सरकारों द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे और तेजी से बढ़ रहे पर्यावरणनुकूल पर्यटन पर निगरानी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). यद्यपि, विगत में पर्यावरणीय अपकर्ष के कुछ ही दृष्टांत हैं, फिर भी पारिस्थितिकी-पर्यटन की अवधारणा, पारिस्थितिकी अनुकूल कार्यों तथा जागरूकता उत्पन्न करने पर आधारित है।

(ग) और (घ). केन्द्र सरकार ने हिमालयन पर्यटन सलाहकार बोर्ड (एच.आई.एम.टी.ए.बी.) का गठन किया जिसने पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं।

दिल्ली में अपनी गतिविधियां चला रहे गिरोह द्वारा रेल भाड़े और प्रभारों का अपवंचन

958. **श्री जी.एम. कुंदूरकर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली और उसके आस-पास एक गिरोह अपनी गतिविधियां चला रहा है और बिक्री कर के अतिरिक्त रेल भाड़े का भी भुगतान नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे और बिक्री कर प्राधिकारियों ने हाल में उक्त कर अपवंचकों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो उनसे कितनी राशि वसूल की गई है और अब तक इस कार्य प्रणाली में शामिल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्र में सक्रिय किसी गिरोह द्वारा बिक्री कर के अतिरिक्त भाड़े का भुगतान न करने की कोई सूचना रेलवे को नोटिस में नहीं आयी है।

(ग) और (घ). जुलाई से अक्तूबर, 1996 को अवधि के दौरान बिना बुक किए गए समान के संबंध में दिल्ली, उ.प्र. और हरियाणा राज्यों के बिक्रीकर प्राधिकारियों के सहयोग से आयोजित अचानक जांच के दौरान रेलवे को देय 55.56 लाख रुपये की राशि वसूल की गई थी और क्षेत्रीय रेलवे द्वारा लगभग 370 क्विंटल वजन के 660 पैकेट जब्त किए गए थे। बिक्री कर प्राधिकारियों ने पारेषणों के कतिपय पैकेट रोक दिए और व्यापारियों से देय राशि की वसूली के लिए 15 मालडिब्बों की सुपुर्दगी रोक दी थी।

(ङ) रेलों ने गाड़ियों में बुक न किए गए सामान को ले जाने के विरुद्ध जांच तेज कर दी है।

गुजरात में उच्च-शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान में परिवर्तन

959. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :
श्री काशीराम राणा :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** गुजरात में टी.वी. ट्रान्समीटरों का विस्तार के बारे में 1 अगस्त, 1996 में अतारांकित प्रश्न संख्या 2473 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान में परिवर्तन हेतु गुजरात सरकार का अनुरोध लम्बे समय से केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). गुजरात के द्वारका में उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु एक नए स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद लगभग 3 वर्ष में उक्त परियोजना के पूरा हो जाने की आशा है जो धनराशि और आधारभूत सुविधा की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

जबलपुर में व्यापक रेल सुविधाएं

960. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक मंच जबलपुर ने रेल सुविधाओं के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/ उठाने का विचार हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख)(1) जबलपुर और दिल्ली के बीच की दूरी 12 घंटे में तय करने के लिए जबलपुर और दिल्ली के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाया जाना।

(2) जबलपुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच निजामुद्दीन-जबलपुर/नागपुर/बिलासपुर गोंडवाना एक्सप्रेस में वातानुकूल पहले दर्जे का सवारी डिब्बा लगाना।

(ग) से (ङ). दोनों मांगों की जांच की गई है किंतु परिचालनिक और व्यावहारिक तंगियों के कारण इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों के साथ रेल सम्पर्क

961. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों के कितने शहर रेल लाइनों से जुड़े हैं;

(ख) भविष्य में कितने शहरों को रेल से जोड़ा जाएगा;

(ग) क्या जयपुर को पूर्वोत्तर राज्यों से सीधे जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों के 12 महत्वपूर्ण शहर जो रेल से जुड़े हुए हैं। गुवाहाटी, नौगांव, जोरहट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, तेजपुर, लमडिंग, रंगिया, सिलचर, शिवसागर टाउन और मोराहाट।

(ख) अगरतला तक रेल संपर्क का कार्य हाथ में ले लिया गया है। जब जोगीगोपा-गुवाहाटी लाइन 1998-99 में पूरी हो जाएगी तो ग्वालपारा और देपा को भी रेल से जोड़ दिया जाएगा।

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के एककों में पुनर्नियोजन

962. डा. असीम बाला :
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :
श्री बलाई चन्द्र राय :
श्री महबूब जहेदी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न सरकारी क्षेत्र की इकाईयों में अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले विभिन्न कर्मचारियों की सेवाओं में विस्तार नहीं करने तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनः रोजगार नहीं देने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत सभी सरकारी क्षेत्र की इकाईयां उपर्युक्त निर्देश का पालन कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो उन इकाईयों का क्या ब्यौरा है जिन्होंने उपर्युक्त निर्देश का उल्लंघन किया है; और

(ङ) इन इकाईयों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। मंत्रालय ने अपने अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सेवाओं को न बढ़ाने तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनर्निमुक्ति न करने के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) से (ङ). इन अनुदेशों के जारी होने के बाद सार्वजनकि क्षेत्र के किसी उपक्रम ने सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों की सेवाओं को नहीं बढ़ाया हैं। पुनर्नियुक्ति के मामलों पर सामान्यतः इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मंत्रालय तथा सार्वजनिक उद्यमों के विभाग दोनों द्वारा जारी वर्तमान अनुदेशों का पालन कर रहे हैं। बहरहाल, सार्वजनकि क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को नीचे दिए गए चुनिन्दा आधार पर तथा किसी विशेष मामले के अंतर्गत एवं नीचे दी गई मजबूर परिस्थितियों के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की आवश्यकता होती है:-

1. रेल अधिकारी आसानी से उपलब्ध/प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं।
2. दूर-दराज एवं कठिन क्षेत्रों में स्थिति परियोजनाएं आवश्यक सुविज्ञता वाले उपयुक्त व्यक्तियों को आकर्षित नहीं करती हैं।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों तात्कालिक एवं अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में।
4. चल रही परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पदधारी को बनाए रखना आवश्यक होता है।

इलाहाबाद में डाकघर

963. डॉ. मुरली मनोहर जोशी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश विशेषतया इलाहाबाद, में खोले गए डाकघरों अथवा खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या कितनी है; ये डाकघर कहां-कहां खोले गए हैं; और

(ख) 1994-95, 1995-96 के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में इनके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में चालू योजना के दौरान 113 डाकघर खोले जा चुके हैं तथा 35 और डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है। अकेले इलाहाबाद जिले में 20 डाकघर खोले गए तथा 2 और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इलाहाबाद जिले में खोले गए डाकघरों की संख्या तथा वे स्थान जहां ये डाकघर खोले गए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश में डाकघर खोलने के लिए वर्षवार निर्धारित की गई राशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि
1994-95	59.00 लाख रु.
1995-96	99.00 लाख रु.
1996-97	65.00 लाख रु.

विवरण

चालू योजना के दौरान इलाहाबाद जिले में खोले गए तथा खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या तथा वे स्थान जहां ये डाकघर खोले गए/खोले जाने हैं।

अब तक खोले जा चुके डाकघरों की संख्या तथा स्थान	खोले जाने वाले डाकघरों को संख्या तथा स्थान
1. रानीपुर	1. बूंद
2. बोमापुर	2. शुकुलपुर
3. बिंगहिया	
4. औरा	
5. ओसा	
6. बरहा कलां	
7. इकौता	

अब तक खोले जा चुके डाकघरों की संख्या तथा स्थान	
8.	जावनिआ
9.	भागेसर
10.	लीलापुर
11.	बुरे कांता
12.	नेबी बाड़ी
13.	अलाददादपूर
14.	सिकंदरपुर
15.	पूरे धासी
16.	बुएर
17.	मेदुआ
18.	छतनाग आश्रम
19.	महजाना
20.	बजहा माजरा-लोहरानगर

महाराष्ट्र में रिले केन्द्र

964. श्री दत्ता मेघे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में स्थान-वार इस समय कितने टी.वी. रिले केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त रिले केन्द्रों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उनमें से कितने रिले केन्द्र सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम रहे?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) महाराष्ट्र राज्य में मौजूदा टी.वी. ट्रान्समीटरों के स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विभिन्न प्रकार के टी.वी. ट्रान्समीटरों के अनुरक्षण तथा परिचालन पर होने वाला वार्षिक आवर्ती व्यय निम्नलिखित है :-

ट्रांसमीटर का प्रकार	वार्षिक आवर्ती व्यय (रुपये लाखों में)
उ.श.ट्रा.	35.00 (अनुमानित)
अ.श.ट्रा.	10.00 (अनुमानित)
अ.अ.श.ट्रा/ट्रान्समीटर	1.00 (अनुमोदित)

(ग) से (ङ). हालांकि महाराष्ट्र राज्य में मौजूद टी.वी. ट्रान्समीटरों का समग्र कार्य निष्पादन संतोषजनक होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथापि किसी टी.वी. ट्रान्समीटर के ठीक तरह से कार्य न करने का जब कभी भी शिकायत प्राप्त होती है तो उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है तथा खराबियों को ठीक किया जाता है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में मौजूदा टी.वी. ट्रान्समीटरों का स्थानवार ब्यौरा

उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	ट्रान्सपोजर
1	2	3	4
अम्बाजोगई	अचलपुर	चिकलधारा	औरगांबाद
औरगांबाद	अकोट	जुन्नार	
मुम्बई	अहमद नगर	करजट	
मुम्बई	अकलुज	खेड	
(डी.डी. 2)	अकोला		
मुम्बई	अमलनेर		
(डी.डी. 3)	अमरावती		
नागपुर	आरवी		
पुणे	बरशी		
	भुशावल		
	बिड		
	ब्रहमपुरी		
	बुलडाना		
	चन्द्रपुर		
	चिकली		
	चिपलुन		
	देवरूख		
	धूले		
	डिगलूर		
	गढ़ चिरौली		
	गोडिया		
	हिंगनघाट		
	हिंगोली		
	इचलकार्रजी		
	जलगांव		
	जाजना		
	कंकौली		

1	2	3	4
	कराड		
	करंझा (अकोला)		
	खानगांव		
	किनवाट		
	कोलहापुर		
	मालेगांव		
	मनमड		
	मेहेखर		
	म्हासेल		
	मोरशी		
	नांदेड़		
	नन्दुरवार		
	नासिक		
	औसमानाबाद		
	पन्धापुर		
	परभणी		
	पुसड		
	राजापुर		
	रत्नगिरि		
	रिसांद		
	संगमनेर		
	सांगली		
	सतारा		
	शाहहड		
	शोलापुर		
	उमेरगां		
	वाणी		
	वर्धा		
	वासिम		
	यावतमाल		
	नागपुर (डी.डी. 2)		

टिप्पणी

उ.श.ट्रा.-उच्चशक्ति टी.वी. ट्रान्समीटर

अ.श.ट्रा.-अल्पशक्ति टी.वी. ट्रान्समीटर

अ.अ.श.ट्रा.-अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रान्समीटर

निजी एयर लाइन्स

965. **श्री गुलाम रसूल कार :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी एयर लाइन्सों को किन आधार पर विभिन्न हवाई अड्डा सुविधाएं प्रयोग करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) निजी एयर लाइन्सों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने की नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) (1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गैर-सरकारी विमानकंपनियों को "भुगतान आधार" पर सुविधाएं मुहैया कराता है।

(2) हवाई अड्डा टर्मिनल में प्रचालन कर रही विभिन्न विमानकंपनियों द्वारा लाइसेंस शुल्क/किराये के भुगतान करने पर टर्मिनल भवन के काउंटर स्थल, कार्यालय स्थान, टेलीफोन सेवाएं इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(3) सभी विमानकंपनियों को सी सी टी वी, प्रदर्शन पट्ट इत्यादि जैसी सामान्य प्रयोग की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

(ख) वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन के साथ अंतर्देशीय हवाई-मार्केट के द्वार सार्वजनिक तथा निजी दोनों सैक्टर के लिए खोल दिए गये हैं जिससे प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण पैदा किया जा सके।

यात्रियों द्वारा प्राथमिकियां दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया

966. **श्री के.एस. रायुडू :**
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल यात्रा के दौरान यात्रियों का सामान चोरी हो जाने पर यात्रियों द्वारा प्राथमिकियां दर्ज कराने हेतु क्या निर्धारित प्रक्रिया है; और

(ख) आरक्षित डिब्बों में सामान चोरी करने वालों का प्रवेश रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) प्रथम सूचना रपट दायर करने के इच्छुक यात्री गाड़ी संचालकों, चल टिकट परीक्षकों, गार्ड, सवारी डिब्बा परिचारकों, पुलिस मार्ग-रक्षकों आदि के पास उपलब्ध निर्धारित फार्म को भरकर ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए संबंधित रेल अधिकारी द्वारा रसीद दी जाती है। संबंधित रेल अधिकारी इस प्राथमिकी को गाड़ी रुकने वाले अगले स्टेशन पर आने वाले राजकीय रेल पुलिस थाने अथवा स्टेशन अधीक्षक को सौंप

देता है। यात्रियों को इस उद्देश्य के लिए अपनी यात्रा स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

(ख) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) गाड़ी के डिब्बों में ड्यूटी पर तैनात सवारी डिब्बा संचालकों/चल टिकट परीक्षकों को केवल सदाशय यात्रियों का आरक्षित सवारी डिब्बों में प्रवेश सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(2) उन्हें रात में दरवाजों/खिड़कियों/गलियारों को भली-भांति बंद करना सुनिश्चित करने के भी निदेश दिए गए हैं।

(3) अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों में रात में चलने वाली लंबी दूरी की गाड़ियों में राजकीय रेल पुलिस द्वारा मार्ग-रक्षण की शुरूआत भी की गई है।

(4) चुनिंदा गाड़ियों में यात्रियों की शिकायतों का स्थान पर ही तत्काल निवारण करने के लिए त्वरित कार्रवाई दलों की शुरूआत भी की गई है।

(5) आरक्षित सवारी डिब्बों में किसी अजनबी/अप्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश के बारे में ड्यूटी पर तैनात रेल/पुलिस प्राधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए यात्रियों को सावधान करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख/जंकशन स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से निरंतर उद्घोषणाएं की जाती हैं।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल

967. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार में बौद्ध गया अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल है; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को केन्द्र सरकार ने क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). देश में आगरा, अहमदाबाद, अजंता-एलोरा, बोधगया, मुम्बई, कलकत्ता, दार्जिलिंग, दिल्ली, गोवा, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कन्याकुमारी, खजुराहो, कुल्लु-मनाली, चैनई, मुदैर, मामल्लापुरम, मैसूर, पुरी-कोणार्क, पुष्कर, रामेश्वरम, शिमला, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर, वाराणसी आदि कई अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल हैं।

(ग) पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। बोधगया में निम्नलिखित परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी गई है :-

1. शौचालय और पीने के पानी की सुविधाएं।
2. कैफेटेरिया
3. जन-सुविधाएं (सुलभ शौचालय)
4. पर्यटक स्वागत केन्द्र

उत्तर प्रदेश और बिहार के बौध परिपथों के विकास के लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहायता कोष द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अलावा बोधगया में निम्नलिखित घटकों पर कार्य हो रहा है :-

1. भू-दृश्यांकन
2. जल-आपूर्ति योजना
3. विद्युत आपूर्ति योजना।

[अनुवाद]

लद्दाख क्षेत्र के लिए 4-वी सैट्स

968. श्री पी. नामग्याल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख क्षेत्र के चार दूरस्थ उप मंडल मुख्यालयों अर्थात् पाडुम, डिसकिट, न्यौमा और सांक्रस में चालू वित्त वर्ष में 4-वी-सैट्स स्थापित करने के लिए मंजूर किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उपकरण देश के किसी अन्य राज्य को भेज दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लद्दाख क्षेत्र में इन उपकरणों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) "पाडुम" और "न्यौमा" में दो "वी-सेट" की स्थापना की मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) "पाडुम" में वी-सेट की संस्थापना की जा चुकी है। "डिसकिट" के लिए एक उपग्रह यू-केन्द्र "थियोस" में पहले से ही काम कर रहा है। 1997-98 के दौरान, "न्यौमा" और "सौकू" में वी-सेट की संस्थापना की संभावना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. द्वारा "सेल" को अच्छी गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति

969. जस्टिस गुमान मल लोढा :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17अक्तूबर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सेल नॉट टू पे फॉर सी.आई.एल्स इन्एफिसियेन्सी" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक इस्पात संयंत्रों को सी.आई.एल. द्वारा दिए जा रहे कोयले के मूल्य और गुणवत्ता के कारण उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन संयंत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा

970. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को चालू वर्ष के दौरान योजना-वार कितनी राशि उपलब्ध कराई है;

(ख) क्या पर्वतीय राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). पर्यटन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहाड़ी राज्यों को शामिल करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु 3389.43 लाख रुपए की राशि की परियोजनाओं की पहचान की है। राज्य सरकारों से विस्तृत परियोजना/प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही धन राशियां अवमुक्त की जाती हैं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन पर किया गया खर्च

971. श्री आर. देवदास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष आमान परिवर्तन, नई लाइनें बिछाने तथा अतिरिक्त रेलगाड़ियां शुरू करने पर राज्य-वार कुल कितनी राशि खर्च की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

नई लाइनें		आमान परिवर्तन
93-94 -	213.41 करोड़	815.13 करोड़
94-95 -	193.61 करोड़	1180.29 करोड़
95-96 -	209.00 करोड़	1174.97 करोड़
जोड़	616.02 करोड़	3170.39 करोड़

गाड़ियों के चालू करने पर हुए व्यय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

रेलें, हुए व्यय की राज्यवार सूचना नहीं रखती है।

इंडियन एयरलाइन्स में कर्मियों की अत्यधिक कमी

972. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स में पायलटों, कमांडरों और इंस्ट्रक्टरों की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स ने कमांडरों की कमी से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

- अनुबंध पर विमान चालकों की नियुक्ति।
- उन विमान चालकों की पुनर्नियुक्ति करना जिन्होंने पहले इंडियन एयरलाइन्स छोड़ दी थी।
- स्विफ्टर कमांड/कन्वरशन प्रशिक्षण की व्यवस्था करके कैरियर पैटर्न में संशोधन के लिए नया करार।
- खुले बाजार से बी-737 कमांडरों की नियुक्ति।
- उड़ान घंटों में वृद्धि, रोस्टर/उपयोग में शिथिलता तथा अप्रत्याशित आकस्मिकताओं में विमान चालकों की उपलब्धता होने पर एक्जिक्यूटिव काडर में विमान चालकों की पदोन्नति।

कर्मचारी राज्य बीमा

973. **श्री संतोष मोहन देव :**

श्री चित्त बसु :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री एन.जे. राठवा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा का विचार अपनी अर्हता मापदंडों में संशोधन करके इसके अंतर्गत 10 लाख और औद्योगिक श्रमिकों को लाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह मामला हाल में राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में उठाया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकार ने मजदूरी सीमा बढ़ाने तथा योगदान की दर में वृद्धि को समर्थन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियोजक तथा नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 66.13 लाख

(ख) से (ङ). प्रमुख राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन 4.10.96 को आयोजित किया गया था। सम्मेलन में व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा को 3000/-रु. से बढ़ाकर 6500/-रु. करने और कर्मचारियों के अंशदान को भी मासिक मजदूरी के 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.75 प्रतिशत करने और नियोक्ताओं के अंशदान को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.75 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई।

सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 में आवश्यक संशोधन करने के लिए मसौदा अधिसूचना सभी संबंधितों की आपत्तियों/सुझावों के लिए 31.10.1996 को जारी कर दी गई है। लगभग 9.60 लाख औद्योगिक कर्मकारों को संशोधित अधिसूचना को जारी किए जाने पर क.रा.बी. योजना के अधीन वापस लाए जाने की संभावना है।

(च) नियोक्ता और कर्मचारियों के संबंधों में सुधार किया जाना और उत्पादकता में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है। इन उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन मुआवजे की दर में संशोधन किया है। औद्योगिक कर्मकारों के लिए एक नई व्यापक पेंशन योजना भी 16.11.1995 से शुरू की गई है।

विमानन क्षेत्र

974. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानन क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). भारत और यू.एस.ए. के मध्य विमान परिवहन करार पर 1956 में हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों सरकारों द्वारा समय-समय पर बदल रही यातायात आवश्यकताओं की देख-भाल के लिए इस करार के उपबंधों की पुनरीक्षा की जाती है। दोनों पक्षों के मध्य नवम्बर/दिसम्बर 1995 में आयोजित द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के अंतिम दौर के समय करार की मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत हैं :-

(1) भारतीय वाहकों को अमेरिका में 10 अतिरिक्त अवतरण-स्थलों तक पहुंच बनानी होगी।

(2) भारतीय वाहकों के लिए शिकागो और वाशिंगटन तक प्रचालन करने के अधिकारों में लंदन तथा उन दो स्थलों के बीच प्रति सप्ताह अधिकतम सात आवृत्तियों तक पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों को भी शामिल करना होगा। लंदन और शिकागों के मध्य यातायात अधिकार प्रति सप्ताह अधिकतम 3 आवृत्तियों तक प्रतिबंधित हैं। सभी 10 नए स्थलों के लिए यातायात अधिकार, उन सभी दूसरे स्थलों जिनमें यूरोप में वे स्थल भी शामिल हैं के माध्यम से प्रतिबंधित नहीं हैं।

(3) अमेरिका एयरलाइनों को भारत में दो अतिरिक्त अवतरण स्थल मंजूर किए गए हैं।

(4) एअर इंडिया और यूनाइटेड एयरलाइन्स के मध्य बाद के दौर के लिए कोड शेयर करार पर सहमति हुई है-15 दिसम्बर, 1995 से विश्व प्रचालन शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, कोड शेयर उड़ानें भी किसी तीसरे देश की एयरलाइनों के साथ प्रचालित की जा सकती है।

(5) अमेरिका की नार्थ-वेस्ट एयरलाइन्स को जनवरी, 1997 तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिका की कोई दूसरी एयरलाइन भारत के लिए पहली नवम्बर, 1998 तक सीधे प्रचालन शुरू नहीं करेंगी।

[हिन्दी]

माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों का विनिर्माण

975. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों का विनिर्माण करने वाली सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों की संस्थाओं के क्या नाम हैं तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या ये संस्थाएं अपनी अधिष्ठापित क्षमताओं का पूरा उपयोग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन संस्थाओं ने संस्था-वार अपनी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कितने प्रतिशत विनिर्माण किया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) विभिन्न उत्पादन इकाइयों की स्थापना क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, सभी मामलों में नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सामान्य सार्वजनिक तथा निजी में फर्मे समय पर आपूर्ति नहीं कर पाती है हालांकि आदेश का स्तर उनकी स्थापन क्षमता से कम होता है। उनकी विफलता के विस्तृत कारणों से यह मंत्रालय को भिज्ञ नहीं है।

(ङ) जिससे उत्पादन का स्तर मांग को मात्रा की अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए फर्मों तथा नियंत्रक मंत्रालयों से संपर्क रखा जाता है।

विवरण

स्थापन क्षमता का विवरण

सवारी डिब्बे क्र.सं.	फर्म	फर्मों द्वारा बताई गई स्थापन क्षमता	क्षेत्र
1.	सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास	1,000 व.ला. डिब्बे (लगभग)	सरकारी (रेलवे)
2.	रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला	1,000 व.ला. डिब्बे (लगभग)	" "
3.	मै. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बैंगलोर	7,00 व.ला. डिब्बे	सार्वजनिक
4.	मैं. जेसप ऐंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	180 छो. ला. डिब्बे	"
		72 बिजली चालित गाड़ियों के डिब्बे	

स्थापन क्षमता को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	फर्म माल डिब्बे	चौपहिया इकाइयों के संबंध में 1992 में वित्त मंत्रालय के सी ए/कास्ट मंत्रालय द्वारा सत्यापित स्थापन क्षमता
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र :		
1.	मै. भारत वैगन एंड इंजी क. लि. मुजफ्फरपुर	997
2.	मै. भारत वैगन एंड इंजी क. लि. मोकामा	1107
3.	मै. ब्रेथवेट एंड कं.लि. कलकत्ता	3494
4.	मै. बर्न स्टैंडर्ड कं. लि. वर्नपुर	3783
5.	मै. बर्न स्टैडर्ड क.लि. हवड़ा	4270
6.	मै. जैसप एंड के.लि. कलकत्ता	653
7.	मै. सदर्न स्ट्रक्चरलस के.लि. मद्रास (तमिलनाडु-राज्य उपक्रम)	
	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए योग	14304

1	2	3
निजी क्षेत्र		
8.	मै. सिमको बिड़ला लि. भरतपुर	2920
9.	मै. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज नांगलोई दिल्ली	1269
10.	मै. मार्डन इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद, गाजियाबाद	1227
11.	मै. टैक्समको लि. कलकत्ता	5738
12.	मै. हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कार्पो. कलकत्ता	2042
13.	मै. विन्नी इंजो. मद्रास	-
	निजी क्षेत्र का योग	13196
	निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का योग	27500

* ये इकाईयां नई हैं और अभी इनकी क्षमता स्थापित नहीं हुई हैं।

उपर्युक्त के अलावा अमृतसर, समस्तीपुर तथा गोल्डनराक तीन रेल कारखानों में छोटी मात्रा में 2,000 चौंपहिया इकाइयों का विनिर्माण किया जा रहा है।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादन में वृद्धि

976. प्रो. रीता वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के समय उत्पादन क्षमता 10 मिलियन टन निर्धारित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए भूमि अर्जित कर ली गई है और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी क्षमता को दो मिलियन टन कम कर दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व इसकी क्षमता चार मिलियन टन बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया था; और

(च) यदि हां, तो उक्त निर्णय लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के समय इसकी उत्पादन क्षमता 17 लाख टन निर्धारित की गई थी।

(ख) से (घ). उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) बोकारो इस्पात संयंत्र का 40 लाख टन क्षमता तक विस्तार करने का निर्णय पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है और [illegible] 1990 में पूरी हो गई थी।

दीक्षाभूमि एस्सप्रेस रेल गाड़ी चलाना

977. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के "निर्वाण दिवस" और "दीक्षा दिवस" के अवसर पर "दीक्षाभूमि एक्सप्रेस" रेल गाड़ी चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). नागपुर और गया के बीच दीक्षाभूमि एक्सप्रेस शुरू करने के लिए श्री बनवारी लाल, सांसद और श्री एस.एस. हुसैन, आयुक्त नागपुर मंडल सहित इस संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

मिनी टेलीफोन एक्सचेंज

978. श्री सिदद्या कोटा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए कितनी टेलीफोन लाइनों की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार मिनी टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) विभाग की नीति के अनुसार पंजीकृत दत्त मांग 10 या उससे अधिक होने पर लघु टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने की योजना बनाई जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्व का एकत्रीकरण

979. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न जोनों में एकत्र किए जा रहे राजस्व में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां,तो क्या ढुलाई में भुगतान, मालडिब्बों की क्षमता का अकुशल उपयोग, बिना टिकट यात्रा/बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में चोरी इस अंतर के कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या तथ्य है; और

(घ) सरकार द्वारा कुछ जोनों में राजस्व की हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जो नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत 4 वर्षों की कुल आय के आंकड़े निम्नानुसार है :-

(आंकड़े करोड़ में)

रेलवे	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
मध्य	2700.04	3117.61	3280.58	3568.02
पूर्व	1862.33	2123.93	2364.14	2544.47
उत्तर	2702.92	3085.05	3289.89	3807.62
पूर्वोत्तर	428.29	453.47	479.48	589.12
पूर्वोत्तर सीमा	347.15	356.73	387.96	422.23
दक्षिण	1024.18	1184.81	1322.38	1541.02
दक्षिण मध्य	1528.44	1760.70	1893.15	2158.36
दक्षिण पूर्व	2930.36	3364.45	3851.82	4286.19
पश्चिम	2485.08	2807.84	3202.35	3565.76
मेट्रो/कलकत्ता	4.38	4.03	5.02	11.70
जोड़	16013.17	18258.62	20076.77	22494.49

(घ) I. इस तथ्य के बावजूद कि राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है रेलें स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से विशेष और अचानक जांच करने की सामान्य प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं ताकि टिकट रहित/नियम विरूद्ध की जाने वाली यात्रा की बुराई पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा, घेरा बंद करके जांच करने, घात लगाकर जांच करने, 96 घंटे अभियान चलाने जैसे व्यापक केन्द्रीकृत जांचे नियमित रूप से किए जाते हैं।

II. आगे, चोरी/उठाईगिरी पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जाते हैं :-

1. मूल्यावान और महत्वपूर्ण पारेषणों की ढुलाई करने वाली गाड़ियों का यथा संभव मार्गरक्षण करना।
2. यार्डों तथा अन्य भेद्य क्षेत्रों/खंडों में कड़ी पुलिस गश्त लगाना।
3. चोरी आदि को संभावना वाले पारेषणों की ढुलाई करने वाले मालडिब्बों/सीलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए अंतर्बदल स्थानों पर संयुक्त जांच करना।
4. भेद्य खंडों पर रेल सुरक्षा बल की टुकडियों को यथा संभव तैनाती की जाती है।
5. अपराधियों की धर पकड़ करने के दृष्टि से अपराध संबंधी आसूचना इकट्टी करने के लिए सादे कपड़ों में रे.सु.ब. कार्मिक भी तैनात किए जाते हैं।

6. भेद्य यार्डों और क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए श्वान दस्ते, उनकी उपलब्धता के अनुसार तैनात किए जाते हैं।

7. अपराध संबंधी आसूचना के आधार पर अपराधियों/चुराई गई संपत्ति को खरीदने वालों के अड्डों पर उनकी धर पकड़ करने के लिए छापे मारे जाते हैं और तलाशियां ली जाती हैं।

8. अपराधियों और चुराई गई संपत्तियों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर रे.सु.ब., रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के साथ निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

निजी एयरलाइन्स

980. श्री अमर पाल सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी एयरलाइन्सों को अन्तर्देशीय हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी गंतव्य के लिए निर्यात माल, को ढोने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स की तरह अधिकांश निजी एयरलाइन्स अनुसूचित उड़ानों के लिए प्रयुक्त विमानों में कारगो का भी वहन करती हैं। विभिन्न गंतव्य स्थलों से निजी एयरलाइनों द्वारा वाहित कारगो के विस्तृत ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स को प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। तथापि ऐसी आशा है कि देश से निर्यात कारगो की मात्रा में वृद्धि के साथ इंडियन एयरलाइन्स के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव में कमी आ जाएगी।

डाक लेखन सामग्री की कमी

981. श्री एन. डेनिस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक लेखन सामग्री की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में डाक लेखन-सामग्री की कोई कमी नहीं है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल यात्रियों की शिकायतों का निवारण

982. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल यात्रियों की शिकायतों के निवारण हेतु मंडल स्तर, जोनल कार्यालयों तथा रेलवे बोर्ड द्वारा आमतौर पर लिये जाने वाले समय को जानने हेतु कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने रेल यात्रियों की शिकायतों के निवारण संबंधी व्यवस्था में सुधार लाने हेतु ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का उत्तर सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा उचित समय में दिया जा सके, क्या कदम उठायें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। बहरहाल, शिकायतों के निपटान में लिया जाने वाला समय 30 और 45 दिन के बीच होता है। कुछ मामलों में लिया गया समय इससे अधिक हो सकता है विशेषकर ऐसे मामलों में जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के तथ्यों को जानने के लिए उपलब्ध नहीं होता अथवा जिनमें एक से अधिक क्षेत्रीय रेलें शामिल होती हैं।

(ग) क्षेत्रीय तथा मंडल स्तर पर पूर्ण शक्ति प्राप्त जन शिकायत निवारण तंत्र पहले ही मौजूद है जिसके प्रमुख क्रमशः अपर महाप्रबन्धक और अपर मण्डल रेल प्रबन्धक होते हैं। जनता अपनी शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने के लिए इन अधिकारियों से संपर्क कर सकती है।

महानगरों के सभी प्रमुख स्टेशनों पर जन शिकायतों को सुनने और उसी समय उनका निवारण करने के लिए जन शिकायत बूथ स्थापित किए गए हैं। स्टेशन अधीक्षक भी इस पर निगरानी रखते हैं और इन बूथों का कार्यकरण सुनिश्चित करते हैं। यात्री सुविधाओं में सुधार करने संबंधी सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं। यात्री एसोसियेशनों को मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति/क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों में यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

रेलों पर जन शिकायत निवारण तंत्र के निष्पादन की, रेलों से मासिक रिपोर्ट मंगवाकर रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसमें आगे और सुधार लाने की दृष्टि से रेलमंत्री के अधीन एक कक्ष स्थापित किया गया है। जिसके प्रमुख समय-पालन, निगरानी तथा रेलों पर स्वच्छता और खानपान सेवाओं सहित यात्री सुविधाओं,के प्रयोजन हेतु विशेष कार्याधिकारी होते हैं।

खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश

983. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान समय में कुल खानों की स्थिति-वार क्या संख्या है;

(ख) क्या सरकार ने खान क्षेत्र में विदेशी निवेश ठुकराने के लिए किसी कदम पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में बताई गई प्रमुख खनिज खानों (ईधन खनिजों को छोड़कर) की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	खानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	334
अरूणाचल प्रदेश	1
असम	3
बिहार	186
गोआ	71
गुजरात	493
हरियाणा	26
हिमाचल प्रदेश	34
जम्मू एवं कश्मीर	2
कर्नाटक	229
केरल	48
मध्य प्रदेश	381
महाराष्ट्र	101
मणिपुर	1
मेघालय	2
उड़ीसा	235
राजस्थान	582
सिक्किम	1
तमिलनाडु	130
उत्तर प्रदेश	44
पश्चिम बंगाल	18
कुल :	2922

निजी एयर लाइनों का संचालन

984. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एअर लाइनों द्वारा कम से कम उन अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों वाले स्थानों, जिन्हें एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स से नहीं जोडा जा रहा है, पर विमान चलाने की अनुमति दिये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उपरोक्त स्थानों तक इण्डियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के विमानों को चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स और एअर इण्डिया द्वारा द्विपक्षीय अधिकारों के अंतर्गत अलाभप्रद मार्गों के रूप में पता लगाये गये अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग कौन से हैं; और

(ङ) कम से कम उन अलाभप्रद अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर निजी एअर लाइनों को अनुमति न देने का क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) कुछ निजी विमानकम्पनियों ने उन देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित की अनुमति मांगी है जो पहले ही राष्ट्रीय विमानकंपनियों की विमान सेवाओं से जुडे हुए हैं।

(ख) वर्तमान नीति के अधीन निजी एयरलाइनों को अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए नामित नहीं किया जाता है।

(ग) एअर इंडिया जल्दी ही भारत तथा शिकागो के बीच एक सेवा आरंभ करने की योजना बना रहा है।

(घ) और (ङ). किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग को लम्बी अवधि आधार पर अलाभकारी घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि विमान सेवाओं के प्रचालनों की वित्तीय साध्यता, कुछ समयावधि में व्यापार वाणिज्य, पर्यटन इत्यादि की संवृद्धि पर निर्भर करता है। अभी तक कोई भी निजी विमानकम्पनी उन सैक्टरों पर प्रचालन के लिए आगे नहीं आयी हैं जहां से तात्कालिक वित्तीय लाभ प्राप्त होने की आशा नहीं हो।

बाल श्रमिकों पर दक्षेस का सम्मेलन

985. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री चित्त बसु :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुए दक्षेस देशों के सम्मेलन ने इस क्षेत्र से 2000 ईस्वी तक बाल श्रम को समाप्त करने

तथा दक्षिण एशिया में व्यापक पोषाहार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण एशिया के बच्चों पर हाल के मंत्रियों के सम्मेलन में दक्षेस देशों ने यह भी सिफारिश की है कि 2001 से 2010 बच्चों के अधिकार का दक्षेस दशक के रूप में घोषित किया जाये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत द्वारा दक्षेस का एक सदस्य होने के नाते क्या सहायता दी जा रही है; और

(च) बाल श्रम को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). 20-22 अगस्त, 1996 तक रावलपिन्डी, पाकिस्तान में आयोजित द. एशिया के बालकों पर तृतीय सार्क मंत्रालयीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बाल श्रम का सन् 2000 तक उन्मूलन किया जाना चाहिए और पांच वर्ष से कम आयु वाले बालकों के बीच गंभीर तथा संयत कुपोषण को 1990 के स्तर का कम से कम आधा कर दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ). द. एशिया के बालकों पर सार्क मंत्रालयीय सम्मेलन ने सिफारिश की है कि वर्ष 2001-2010 तक को "सार्क बाल अधिकार दशक" के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

(ङ) सार्क सचिवालय बजट, को कलेण्डर वर्ष पर आधारित है और जिसे अमेरिकी डालरों में अदा किया जाता है, के लिए भारत का अंशदान निम्नानुसार है :-

1995	-	2,49,523.19 अमेरिकी डालर
1996	-	2,95,798.20 अमेरिकी डालर

(च) बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 1987 में घोषित की गयी राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के एक भाग के रूप में, मजदूरी/ अर्थ-मजदूरी वाले नियोजन में लगे बाल श्रमिकों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य-योजना प्रारम्भ की गयी है। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए अगस्त, 1994 में एक प्रमुख कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी। कार्यक्रम की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, फिलहाल सरकार जोखिमकारी व्यवसायों में लगे लगभग 2 मिलियन बालकों को सन् 2002 तक पुनर्वासित किए जाने के कार्य में लगी हुई है। 1995-96 के दौरान, 11 बाल श्रम प्रवण राज्यों में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले लगभग 1.5 लाख बालकों को पुनर्वासित करने के लिए 70 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी थी जिनमें उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख और बजीफे जैसी बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया करवायी जाती है।

[हिन्दी]

चतरा-हजारीबाग-रांची रेल लाइन

986. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतर, हजारीबाग और रांची रेल लाइन के संबंध में सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ख) इस सर्वेक्षण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी; और

(ग) इस रेल लाइन को बिछाने का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) छपरा-हजारीबाग लाइन पर अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हजारी बाग-रांची के लिये सर्वेक्षण को अद्यतन करने का कार्य शुरू किया गया है और रिपोर्ट के जनवरी, 97 के अंत तक आने की आशा है।

(ख) 7.25 लाख रुपये

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर योजना आयोग के परामर्श से परियोजना को शुरू करने पर आगे विचार किया जाएगा।

गाड़ियों का विलम्ब से चलना

987. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन माह के दौरान सरकार का ध्यान बहुत सी गाड़ियों के विलम्ब से चलने की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). गाड़ियों के समयपालन में 1995 में अगस्त में 85.9 प्रतिशत, सितम्बर में 85.9 प्रतिशत और अक्टूबर में 85.3 प्रतिशत की तुलना में 1996 में अगस्त में 92.2, सितम्बर में 90.6, और अक्टूबर में 91.0 प्रतिशत सुधार हुआ हैं।

(ग) विभिन्न स्तरों पर गहन चेंजिंग और प्रतिदिन निगरानी सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके अलावा निरीक्षकों और अधिकारियों के स्तर पर भी समयपालन अभियान चलाए गए हैं।

रेल लाइन

988. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के धार्मिक स्थानों को रेल संपर्क से जोड़े जाने के संबंध में किया गया सर्वेक्षण निम्नलिखित है :-

(1) ऋषिकेश-देहरादून (30 कि.मी.)

(2) हरिद्वार-रामनगर बरास्ता कोटद्वार (125 कि.मी.)

(3) मुजफ्फनगर-हरिद्वार बरास्ता रूड़की (95 कि.मी.)

(4) ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग (185 कि.मी.)

(5) चण्डीगढ़-देहरादून बरास्ता पोंटा साहिब (220 कि.मी.)

(6) किच्छा-सितारगंज-नानकमाता-खटेमा (55 कि.मी.)

(7) टनकपुर-पूर्णागिरि (15 कि.मी.)

(ङ) सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही परियोजनाओं पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

बोंगाईगांव-पेतरापोल रेल लाइन

989. श्री चित्त बसु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे के सियालदह-बोंगाईगांव खण्ड में बोंगाईगांव-पेतरापोल रेल लाइन का निर्माण करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच सीधी रेल लाइन बिछाने के लिए पेतरापोल को बेनापोल से जोड़ने के मुद्दे को बंगला देश सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो बंगला देश की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). बोंगाईगांव/पेतरापोल की पुनः बहाली हेतु रेलवे ने प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया है।

बंगला देश सरकार से भी इस मामले पर वार्ता की गई है, परन्तु कोई स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

दृश्य और श्रव्य कार्यक्रम को आयोजित करने संबंधी मानदंड

990. श्री डी.पी. यादव : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक स्थलों में "दृश्य और श्रव्य कार्यक्रम" आयोजित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयोजित किए गए इन कार्यक्रमों पर कितना खर्च किया जाता है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में चयनित ऐसे स्मारकों की संख्या कितनी है तथा इन कार्यक्रमों को आयोजित करने से प्राप्त आय तथा खर्च का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, फिलहाल लालकिला दिल्ली; साबरमती आश्रम, अहमदाबाद; शालीमार बाग श्रीनगर में तीन ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन कर रहा है। ये सभी प्रदर्शन, पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए थे। लाल किले के ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन को पर्यटन विभाग से बाद में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा खरीद लिया गया था। अहमदाबाद तथा श्रीनगर में होने वाले अन्य दो प्रदर्शन भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन विभाग की ओर से चलाए जा रहे हैं। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों पर ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन आयोजित किए जाने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाए गए हैं। तथापि, पर्यटन विभाग इस योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उसके द्वारा चलाए जा रहे उपर्युक्त प्रदर्शनों पर किए गए खर्च के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन का नाम स्थान	(लाख रुपयों में खर्च) 1993-94	1994-95	1995-96
1.	लालकिला, दिल्ली	13.34	19.02	17.37
2.	साबरमती आश्रम, अहमदाबाद	4.26	5.64	5.31
3.	शालीमार बाग, श्रीनगर	2.59*	3.01*	4.01*

* प्रचालन में नहीं है। खर्च केवल रखरखाव से ही संबंधित है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश में कोई ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन आयोजित प्रचालित नहीं कर रहा है। इसलिए आय व व्यय का सवाल ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

एअरवेज नेटवर्क

991. **कुमारी ममता बनर्जी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एअरवेज नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). सरकार ने एक समिति गठित की है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक 7 राज्यों तथा सिक्किम से एक-एक संसद सदस्य, गैर-सरकारी विमान कंपनियों, इंडियन एयरलाइन्स, एलायंस एयर के प्रतिनिधि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष शामिल हैं तथा महानिदेशक नागर विमानन इसके संयोजक हैं। इस समिति का कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान परिवहन सेवा के प्रचालन की पुनरीक्षा करना तथा इस क्षेत्र में हवाई अड्डों में सुधार संबंधी सुझाव देना है। समिति की पहली बैठक पहले ही 4.10.1996 को सम्पन्न हो चुकी है।

लांजीगढ़-जूनागढ़ रेल लाइन

992. **श्री भक्त चरण दास :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लांजीगढ़-जूनागढ़ रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(ख) क्या बजट सत्र के दौरान सरकार से आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1 करोड़ रुपये।

(ख) और (ग). बहस के दौरान इस संबंध में कई सांसदों द्वारा मांग की गई थी।

(घ) भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और उड़ीसा सरकार द्वारा भवानीपटना में अब तक उपलब्ध कराए गए छोटे से टुकड़े पर कार्य प्रारंभ हो गया है। हालांकि इस क्षेत्र में प्रस्तावित अल्यूमिना प्लांट को सेवित करने के लिए योजना आयोग द्वारा इस लाइन को अनुमोदित किया गया है। अब अल्यूमिनीप्लांट की स्थापना की जा रही है। इसलिए योजना आयोग से यह अनुरोध किया गया है कि विकासात्मक परियोजना के रूप में इस लाइन के निर्माण की मंजूरी प्रदान करे। उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के प्रश्चात् अतिरिक्त निधि के आबंटन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ङ) 1 करोड़ रुपये।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुल्क मुक्त दुकानों के संबंध में विवाद

993. **श्री मोहन रावले :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुल्क मुक्त दुकानों पर विवाद को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विरूद्ध न्यायालय में जाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). जी हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने भारत के पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानें चलाने के लिए अतिरिक्त जगह का आवंटन करने की प्रक्रिया पर विवाद को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विरूद्ध न्यायालय में जाने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादग्रस्त मुद्दों पर न्यायालय से निर्णय अपेक्षित है, इसलिए सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को कानूनी सहायता हेतु न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग

994. **श्री के.पी. सिंह देव :**

श्री नारायण अठावले :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में देश में बड़े खनिज पदार्थों के भण्डारों का पता लगाया है जिसमें कुछ कीमती पत्थर शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके दोहन के लिए तैयार की गई कार्यवाही का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में खनिज निक्षेपों का पता लगाया है जिसमें देश में बहुमूल्य पत्थर(हीरा) शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जो महत्वपूर्ण अतिरिक्त खनिज संसाधन स्थापित किये गये उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

	राज्य		खनिज
1.	आंध्र प्रदेश	-	कोयला, स्वर्ण अयस्क, 170 टन किम्बरलाइट सामग्री से 13.65 कैरेट वजन के हीरे के 120 टुकडे मिले हैं और 225 टन कोलूवियल सामग्री से 2.65 कैरेज वजन के 13 हीरे मिले हैं।
2.	बिहार	-	कोयला, स्वर्ण अयस्क वाले 9.93 प्रतिशत कुल धातु सहित 0.43 मिलियन टन तांबा-सीमा-जस्ता।
3.	मध्य प्रदेश	-	कोयला 1.66 प्रतिशत तांबा वाला 7.38 मीटन सघन अयस्क क्षेत्र और 8.6 प्रतिशत जस्ता, स्वर्ण अयस्क, 2.17 मिलियन टन मध्यम स्तर का मैगनीज अयस्क, किम्बरलाइट पाइप।
4.	महाराष्ट्र	-	कोयला 1.2 प्रतिशत तांबे, स्वर्ण अयस्क सहित 0.7 मिलियन टन अयस्क।
5.	उड़ीसा	-	कोयला, स्वर्ण अयस्क।
6.	पश्चिम बंगाल	-	कोयला।
7.	तमिलनाडु	-	लिग्नाइट, 3.38 मिलियन टन (0.05 प्रतिशत से 0.116 प्रतिशत एम.ओ.) मोलिब्डेनम अयस्क।
8.	उत्तर प्रदेश	-	सीमा और जस्ता अयस्क।
9.	राजस्थान	-	सीसा और जस्ता अयस्क, स्वर्ण अयस्क।
10.	केरल	-	स्वर्ण अयस्क।
11.	कर्नाटक	-	स्वर्ण अयस्क।
12.	मेघालय	-	2265 मिलियन टन अच्छे प्रकार का चूना पत्थर, आधार धातु।

(ग) आगामी वर्ष में 170 खनिज अन्वेषण किये जाने का प्रस्ताव है जिनमें लगभग 40 कोयले और लिग्नाइट के, 50 स्वर्ण के, 27 आधार धातु के, 1 विशिष्ट और दुलर्भ खनिजों के, 9 हीरे के, 14 बहुआयामी पत्थरों के और शेष लगभग 20 लौह खनिजों चूनापत्थर और अन्य औद्योगिक खनिजों के अन्वेषण शामिल हैं। उपर्युक्त ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित योजना की प्राथमिकता के अनुसार खनिजों का गवेषण एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

	क्षेत्रवार	खनिजों का नाम और अन्वेषणों की संख्या			
	1	2			
1.	**मध्य**				
	महाराष्ट्र	स्वर्ण	मैंगनीज	आयामी पत्थर	
		5	2	2	
	मध्य प्रदेश	आधारधातुएं	स्वर्ण	हीरा	आयामी पत्थर
		2	4	1	3
2.	**पूर्वी**				
	पश्चिम बंगाल एवं	आधारधातुएं	स्वर्ण	आयामी पत्थर	
	अंडमान निकोबार	1	2	1	
	सिक्किम	स्वर्ण			
		1			

	1	2				
	बिहार	आधारधातुएं	स्वर्ण	मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान पत्थर	दुलर्भ धातु/ दुलर्भ भूतत्व	
		2	5	1	1	
	उड़ीसा	स्वर्ण	मूल्यवान धातु	मैंगनीज	मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान पत्थर	आयामी पत्थर
		3	1	4	3	1
3.	**उत्तर पूर्वी**					
	अरुणाचल प्रदेश	औद्योगिक खनिज				
		2				
	असम	स्वर्ण				
		2				
	मेघालय	स्वर्ण	आयामी पत्थर	औद्योगिक खनिज		
		1	1	2		
	मणिपुर	शून्य				
	त्रिपुरा	शून्य				
4.	**उत्तर**					
	उत्तर प्रदेश	आधारधातुएं	स्वर्ण/सामरिक महत्व के खनिज	आयामी पत्थर		
		2	5	1		
	पंजाब		शून्य			
	हरियाणा	आधार धातु	दुलर्भ धातुएं			
		2	1			
	हिमाचल प्रदेश	आधारधातु	सामरिक महत्व के खनिज			
		2	2			
	जम्मू व कश्मीर	आधारधातु	सामरिक महत्व के खनिज			
		1	1			
5.	**दक्षिण**					
	आंध्र प्रदेश	स्वर्ण	हीरा	आयामी पत्थर	औद्योगिक खनिज	
		4	4	2	2	
	कर्नाटक	स्वर्ण	आयामी पत्थर			
		10	1			
	तमिलनाडु और पांडिचेरी	मोलिब्डेनम	आयामी पत्थर	रिफ्रेक्ट्री धातुएं	औद्योगिक खनिज	
		5	1	1	2	
			दुलर्भ भूतत्व और दुलर्भ धातुएं			
			1			
	केरल	क्ले	स्वर्ण	लिग्नाइट	आयामी पत्थर	
		1	2	2	1	

1	2			
6. **पश्चिम**				
राजस्थान	आधारधातुएं	स्वर्ण	लिग्नाइट	आयामी पत्थर
	8	2	2	1
गुजरात	आधारधातु			
	2			

7. **हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कन्ध**

खनिज सर्वेक्षण -8 अन्वेषण

हवाई भू-भौतिकी सर्वेक्षण -5 अन्वेषण

हवाई भू-भौतिकी विसंगतियों का भू-मूल्याकंन-7 अन्वेषण।

कोयला विंग

पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में कोयला और लिग्नाइट-40 अन्वेषण।

[हिन्दी]

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों की कम संख्या

995. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों की कम संख्या के कारण पूर्णिया, बिहार से दिल्ली, पंजाब तथा देश के विभिन्न भागों में यात्रा करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). इस समय अधिकतर लम्बी दूरी की गाड़ियों के अलावा दूसरे दर्जे के 2-7 अनारक्षित सवारी डिब्बे उपलब्ध है जो कुल मिलाकर अनारक्षित यात्रा की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तथापि अवकाश, विवाह, त्यौहार, बुआई, कटाई के मौसम की अवधि के दौरान जब अधिक भीड़ होती है, रेलें विशेष गाड़ियां चलायी हैं और गाड़ियां बढ़ाती हैं इसके अलावा 5209/5210 जनसेवा एक्सप्रेस, जो अमृतसर और बरौनी के बीच पूर्व तथा अनारक्षित गाड़ी है, के फेरे अक्टूबर, 1996 से सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन किए गए हैं।

[अनुवाद]

यात्रियों को आश्वासन

996. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट विमानपत्तन से खाड़ी देशों को यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को ऐसा आश्वासन दिया है कि कालीकट विमानपत्तन पर उन पर लगाये गये प्रयोगकर्त्ता प्रभार छोड़ दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेश संचार निगम लि. के यूरो इश्यू

997. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी हाल की रिपोर्ट में मई, 1994 में विदेश संचार निगम लिमिटेड के यूरो-इश्यू प्रस्ताव को अचानक निरस्त किये जाने के संबंध में चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव को निरस्त किये जाने हेतु उत्तरदायी परिस्थितियों की जांच की गयी है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानतः कितना घाटा हुआ है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महानिदेशक लेखा परीक्षा, डाक और दूरसंचार ने "यूरो इश्यू" के आस्थगन संबंधी मसौदा पैराग्राफ को एक प्रतिलिपि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, संघ सरकार (वाणिज्यक) 1997 की सं. 3 में शामिल करने के लिए भेजी है और इस मामले का लेखा परीक्षा विश्लेषण दिया है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

लुमडिंग से सिल्चर के बीच बड़ी रेल लाइन

998. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996-97 हेतु रेल बजट में यथाप्रस्तावित लुमडिंग से सिल्चर के लिए बड़ी रेल लाइन बिहार के करीमगंज जिले के बदरपुर रेलवे जंक्शन से गुजरने की सम्भावना है;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन को बदरपुर रेलवे जंक्शन से त्रिपुरा में कुमारघाट तक बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। परन्तु बदरपुर जं. बिहार में नहीं, बल्कि असम में स्थित है।

(ग) लमडिंग-सिलचर का आमान परिवर्तन स्वीकृत किया गया है तथा कार्य शुरू किया जा रहा है। 9वीं योजना के अंत तक इसे पूरा कर लिए जाने की संभावना है। बदरपुर/सिलचर के आगे लिंक लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य इसके बाद संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार दिया जाएगा।

उड़ीसा में आकाशवाणी/दूरदर्शन संबंधी परियोजनाएं

999. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं योजना के दौरान राज्य-वार आकाशवाणी/दूरदर्शन की शुरू की जाने वाली परियोजनओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : आकाशवाणी और दूरदर्शन की नौवीं योजना के प्रस्तावों को अभी सूत्रबद्ध किया जा रहा है। इसलिए, इनका ब्यौरा देना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

धारावाहिकों में अंधविश्वास

1000. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जादू टोना, पाखण्ड और अंधविश्वास पर आधारित अधिकांश धारावाहिकों को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं: और

(ग) ऐसे धारावाहिकों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

एच.सी.एल. के अन्तर्गत तांबे की खानें

1001. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कापर लि. (एच.सी.एल.) के अन्तर्गत तांबे की खानों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उन खानों में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इस निगम के अन्तर्गत प्रद्रावकों तथा शोधनशालाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तांबे का उत्पादन देश में इसकी मांग की तुलना में पर्याप्त है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) तांबे के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान कापर लि. (एचसीएल) जो खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, की इस समय नौ चालू खानें हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी की विभिन्न खानों का

इकाईवार उत्पादन निम्नवत है:- .

(टन में)

		1993-94	1994-95	1995-96
1.	इंडियन कापर काम्पलेक्स (मोसाबानी, पाथरगौरा, सुरदा, कैंडाडीह और राखा खानें) बिहार	12,38,221	11,28,928	10,58,957
2.	राजस्थान में खेतड़ी खानें (खेतड़ी कोलिहन तथा चांदगारी खानें)	16,87,279	16,56,643	16,03,931
3.	मध्य प्रदेश में मंलजखंड खान परियोजना (मलंजखंड खानें)	19,90,799	19,20,385	20,27,386

(ग) और (घ). प्रगालकों और शोधनशालाओं सहित कंपनी के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान कापर लि. के दो प्रगालकों और शोधनशालाओं का कार्य निष्पादन निम्नवत् है :-

(टन में)

प्रगालक/रिफाइनरी	1993-94	1994-95	1995-96
ब्लिस्टर तांबा	37160	90454	40259
रिफाइंड तांबा (कैथोड़)	39002	46134	41153

(ङ) और (च). देश में इस समय तांबे का उत्पादन जो लगभग 3 लाख टन प्रतिवर्ष है, देश की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। हिन्दुस्तान कापर लि. की स्थापित क्षमता, जो देश में प्राथमिक तांबे का एक मात्र उत्पादक है, सिर्फ 47500 टन प्रतिवर्ष है। चूंकि देश में उपलब्ध तांबा अयस्क निम्न स्तर का है इसलिए स्वदेशी स्रोतों से परिष्कृत तांबे के उत्पादन की लागत अधिक है और घरेलू आवश्यकता का केवल एक भाग स्वदेशी स्रोतों से पूरा होता है और शेष आवश्यकता आयात से पूरी की जाती है।

(छ) अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और तांबे सांद्रक पर सीमाशुल्क में कमी से, निजी क्षेत्र में बहुत सी नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं जो आयातित सांद्रक पर आधारित होंगी। हिन्दुस्तान कापर लि. ने भी अपने खेतड़ी प्रगालक और शोधनशाला का 528.65 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 31,000 टन वार्षिक की वर्तमान क्षमता का विस्तार 1,00,000 टन प्रतिवर्ष तक करने को एक योजना बनाई है। इस विस्तार योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और पूरा हो जाने से हिन्दुस्तान कापर लि. (एचसीएल) के तांबा उत्पादन में काफी वृद्धि होगी जो प्रतिवर्ष 70,000 टन तक की हो जाएगी।

रेल दावों का निपटारा

1002. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल दावों के निपटारे के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) रेल दावों को निपटाने में कितना समय लगता है;

(ग) क्या सरकार को रेल दावों के निपटारे में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायतें मिली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान ऐसे मामलों में किया जाता है जहां रेल अधिनियम 1989 के उपबन्धों के अनुसार इसके लिए रेलवे की दायिता बनती है।

(ख) 1995-96 के दौरान माल क्षतिपूर्ति के दावों के निपटान में लिया गया औसत समय 32 दिन है जबकि दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों के मामले में यह 10 महीने के आस-पास था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सतर्कता विभाग को, रेल दावों के निपटान में भ्रष्टाचार की 24 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(घ) 26 कर्मचारियों के विरुद्ध पैनल कार्रवाई के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी और दो मामलों में, मामले की जांच पड़ताल चल रही है।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि पर अतिक्रमण

1003. श्री प्रमोद महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के 17 अगस्त, 1996 के अंक में प्रकाशित रपट के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में करोड़ों रुपये मूल्य की 2400 हेक्टेयर से अधिक रेलवे भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्टूबर 1996 तक जोन-वार रेलवे की अतिक्रमणित भूमि और अप्रयुक्त भूमि क्षेत्र का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिक्रमण के अंतर्गत भूमि की कीमत क्या है और उसे कैसे और किस तिथि तक सरकार द्वारा खाली करवाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक जोन में रेलवे की इतनी अधिक भूमि पर अतिक्रमण के लिए किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार का प्रत्येक जोन में प्रयोग में न लाई गई भूमि को किस प्रकार उपयोग करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 2457 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और 24845 हेक्टेयर भूमि को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

जोन	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
	अतिक्रमणाधीन	अप्रयुक्त
मध्य	64	146
पूर्व	85	2600
उत्तर	900	1828
पूर्वोत्तर	115	4560
पूर्वोत्तर सीमा	304	2610
दक्षिण	83	2040
दक्षिण मध्य	84	8670
दक्षिण पूर्व	715	501
पश्चिम	107	1890
जोड़	2457	24845

(ग) भूमि का मूल्य राज्य सरकार के भू-राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है जो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। रेलवे भूमि के अतिक्रमणकर्त्ताओं के विरुद्ध सरकारी भूमि (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1917 के अंतर्गत निरन्तर कार्रवाई की जाती है;

(घ) रेलवे भूमि पर अतिक्रमण अधिकांशतः शहरों में किया जाता है। ये गरीब लोग हैं जो आजीविका की तलाश में शहरों में आते हैं और जब वे जाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में मकानों की अत्यधिक लागत के कारण वे शहरों में मकान लेने में समर्थ नहीं हैं तो वे रेलवे स्टेशनों की निकटवर्ती रेल भूमि पर झुग्गियां बना लेते हैं। जो अधिकांशतः रेलपथों के साथ-साथ लम्बी पट्टी पर होती है, इन अतिक्रमणकर्त्ताओं के विरुद्ध संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है, परन्तु उन्हें सरकारी भूमि (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार कार्य करना होता है। अतिक्रमणकर्त्ताओं को हटाना कानून और व्यवस्था की समस्या भी है। चूंकि इनमें से अधिकांश के समाज के कमजोर वर्गों से होने के कारण इन्हें आम सहानुभूति प्राप्त होती है जिससे रेलों के हर संभव प्रयासों के बावजूद ये रेल भूमि पर कब्जा बनाए रखने में समर्थ होते हैं। रेल भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने और अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेल कर्मचारियों को सख्त अनुदेश दोहराए गए हैं।

(ङ) रेलों द्वारा अपने परिचालन और सेवा अवसंरचना तथा भावी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में न लाई जा रही भूमि को आरक्षित रखा जाता है।

कुलियों की मांग

1004. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर मध्य रेलवे के प्राधिकृत कुलियों ने सितम्बर, 1996 में रेल मंत्री की कानपुर यात्रा के दौरान अपनी मांगों के संबंध में उन्हें एक अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को कानपुर रेलवे स्टेशन पर काफी अधिक संख्या में अप्राधिकृत कुलियों और उनकी कार्यविधि की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे कुली यूनियनों के अभ्यावेदन में की गई मांगें इस प्रकार हैं :-

(1) आश्रित/मृतक कुलियों के उत्तराधिकारियों को बिल्लों का तत्काल हस्तांतरण।

(2) बिल्लों के हस्तांतरण की शक्तियां स्टेशन प्रबंधक, कानपुर को प्रत्यायोजित की जानी चाहिए।

(3) कुलियों के मामलों के निपटान के लिए विशिष्ट रूप से एक रेलवे अधिकारी तैनात करना।

(4) कुलियों को वर्ग-IV कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए, जिन्हें एक रेल कर्मचारी की सभी सुविधाएं दी जाए।

(5) पार्सल/माल यातायात की सम्हलाई का कार्य कुलियों को दिया जाना चाहिए।

(6) कुलियों को चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना तथा समुचित पोशाक तथा रेलवे पास जारी करना।

(7) कुलियों को उपलब्ध सभी सुविधाएं स्टेशन के नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए और यूनियनों को सूचित की जानी चाहिए।

(ग) लाइसेंसधारी भारिक इस प्रयोजन के लिए गठित एक चयन बोर्ड की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। चूंकि कुली रेल कर्मचारी नहीं है अतः पात्र नहीं है। तथापि लाइसेंसधारी भारिक, उनकी पत्नियां और आश्रित बच्चे रेल अस्पतालों तथा स्वास्थ्य यूनिटों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें पोशाक के तौर पर प्रतिवर्ष दो लाल कमीजें मुहैया की जाती हैं, इसके अलावा उन्हें शीत ऋतु का एक सेट सप्लाई करने का विनिश्चय भी किया गया है। उन्हें रेल द्वारा यात्रा के लिए 25 प्रतिशत रियायत दी जाती है। कुलियों के बिल्ले सक्षम प्राधिकारी द्वारा कतिपय शर्तें पूरी करने पर आश्रितों/उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किए जाते हैं और स्टेशन प्रबन्धक, कानपुर को इन शक्तियों का प्रत्यायोजन संभव नहीं है। चूंकि लाइसेंसधारी भारिक यात्रियों का सामान उठाते हैं उनका स्टेशन पर पार्सलों/माल की सम्हलाई के लिए सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है। कानपुर स्टेशन में लाइसेंसधारी भारिकों से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

1005. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत आती है;

(ख) क्या सभी राज्यों में शत-प्रतिशत प्रसारण क्षेत्र तैयार किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). हालांकि दूरदर्शन की उपग्रह प्रदत्त सेवा उपयुक्त डिश एण्टीना प्रणाली की सहायता से देश की 100 प्रतिशत जनसंख्या तथा क्षेत्र दोनों को उपलब्ध है। तथापि, स्थलीय ट्रांसमिशन भी देश की लगभग 85.8 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है जैसाकि संलग्न विविरण में दिए गए राज्यवार ब्यौरों में दर्शाया गया है। अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को स्थलीय टी.वी. सेवा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित संसाधनों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए देश में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 476 टी.वी. ट्रांसमीटर वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित हैं। इन परियोजनाओं के चालू होने पर, देश की लगभग 92.8 प्रतिशत जनसंख्या को स्थलीय टी.वी. सेवा उपलब्ध होने की संभावना है।

विवरण

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनसंख्यावार टी.वी. कवरेज (21.11.1996 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्तमान कवरेज जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	81.9
2.	अरूणाचल प्रदेश	44.4
3.	असम	82.0
4.	बिहार	93.0
5.	दिल्ली	99.9
6.	गोवा	99.9
7.	गुजरात	80.5
8.	हरियाणा	98.5
9.	हिमाचल प्रदेश	64.5
10.	जम्मू एवं कश्मीर	91.7
11.	कर्नाटक	69.9
12.	केरल	87.0
13.	मध्य प्रदेश	70.9
14.	महाराष्ट्र	85.2
15.	मणिपुर	66.4
16.	मेघालय	97.2
17.	मिजोरम	72.3
18.	नागालैण्ड	47.2
19.	उड़ीसा	82.0
20.	पंजाब	99.9
21.	राजस्थान	64.4
22.	सिक्किम	95.0
23.	तमिलनाडु	91.3
24.	त्रिपुरा	93.3
25.	उत्तर प्रदेश	92.4
26.	पश्चिम बंगाल	96.0
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	99.0
28.	चण्डीगढ़	99.9

1	2	3
29.	दादर व नगर हवेली	43.6
30.	दमन तथा द्वीव	99.9
31.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	99.0
32.	पांडिचेरी	99.9
	राष्ट्रीय औसत :	85.8

फैक्टरियों को बंद करना

1006. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सीमेनस् का औरंगाबाद तथा कलकत्ता में अपनी उन दो फैक्टरियों को बंद करने का प्रस्ताव है जो दूरसंचार विभाग के आदेश न होने के कारण प्रारंभ से ही व्यावहारिक रूप से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फैक्टरियों के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है; और

(ग) उनके पुनर्वास/कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सांस्कृतिक पर्यटन का संवर्धन

1007. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में पर्यटक स्थलों के आस-पास सांस्कृतिक परिवेश के सुधार हेतु कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ विचार किया जा रहा है;

(ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने कितने पर्यटक स्थलों का पता लगाया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ योजना तथा कार्यक्रम बनाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम को कहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा तैयार की गई योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने के भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग के पास, स्मारकों के नवीनीकरण हेतु एक योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को, स्मारकों/विश्वदाय स्थलों के इर्द-गिर्द सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करवाई जाती है।

(ग) केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं :-

1. रत्नागिरि में स्मारकों/विश्वदाय स्थलों का नवीनीकरण।
2. ललितगिरी में स्मारकों/विश्वदाय स्थलों का नवीनीकरण।
3. उदयगिरि में स्मारकों/विश्वदाय स्थलों का नवीनीकरण।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सामग्री का वितरण

1008. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-सामग्री के वितरण के तैनात कर्मचारियों की श्रेणी के ब्यौरे के साथ-साथ उनको दी जाने वाली सुविधाओं और वेतनमान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये कर्मचारी अपने कर्त्तव्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (च). 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण का कार्य 79,958 अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों को सौंपा गया है।

अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट 240/- रु. से 420/-रु. तक की सीमा के बीच समेकित मासिक भत्तों के हकदार हैं, जो उनके कार्यभार पर निर्भर करता है। इसके अलावा, उन्हें निम्नलिखित भत्तों का भी भुगतान किया जाता है :—

(1) 159 प्रतिशत की दर से मूल वेतन पर महंगाई भत्ता।

(2) 16.5.93 से 50 रु. तथा 1.4.95 व 1.4.96 से 10-10 प्रतिशत की अंतरिम राहत जिसकी न्यूनतम राशि 50/-रु. है।

(3) 2/-रु. प्रतिमाह की दर से नियत स्टेशनरी प्रभार।

(4) जहां लागू हो, 30/-रु. प्रतिमाह की दर से साइकिल मेंटनेंस एलाउंस।

(5) इन कर्मचारियों को उनकी वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर उतने ही दिनों के एक्स-ग्रेशिया बोनस का भुगतान किया जाता है, जितने दिनों का विभागीय कर्मचारियों को किया जाता है।

(6) **उत्तराखण्ड डिवीजन भत्ता :**
उत्तराखण्ड के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का प्रतिवर्ष सितंबर माह में 40/-रु. प्रतिवर्ष के अतिरिक्त भत्ते का भुगतान किया जा रहा है बशर्ते कि उन्होंने उस वर्ष मार्च माह से अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बतौर लगातार कार्य किया हो।

(7) **सामूहिक बीमा योजना :**
अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 1.4.92 से सामूहिक बीमा योजना में भी शामिल किया गया है। 1.4.94 से पहले नियुक्त हुए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की इस योजना में भागीदारी ऐच्छिक है तथा 1.4.92 को अथवा इसके बाद नियुक्त हुए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए यह अनिवार्य है। इस योजना में 10/- रु. प्रतिमाह भुगतान करने पर 10,000/- रु. के रिस्क कवर की सुविधा दी जाती है। इनमें से 3.50/- रु. इंश्योरेंस कवर के तौर पर लिए जाते हैं और 6.50/- रु. सेविंग्स कम्पोनेंट के रूप में होते हैं। यदि कोई अतिरिक्त विभागीय एजेंट सेवानिवृत्त हो जाता है अथवा नौकरी छोड़ देता है तो उसे जमा हुए सेविंग्स कम्पोनेन्ट का ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है। मृत्यु के मामले में नामित व्यक्ति को 10,000/- रु. तथा जमा सेविंग्स कम्पोनेंट का भुगतान किया जाता है।

(8) 6000/- रु. की एक्स-ग्रेशिया ग्रेच्युटी। एक्स-ग्रेशिया ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम अनिवार्य सेवा होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण के कार्य में लगे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में वितरण कार्य को लेकर कोई असंतोष नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से डाक वितरण को लेकर कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण तथा मनीऑर्डरों के भुगतान में विलंब से संबंधित थीं। यह विलंब विभिन्न कारणों से होता है जैसे, डाक ले जाने वाली बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों का रद्द हो जाना/विलंब से चलन और बाढ़, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए किए गए प्रयासों से राज्य परिवहन प्राधिकरण, रेलवे, इंडियन एयरलाइन्स तथा अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और मनीऑर्डरों के प्रेषण और वितरण की भी विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जाती है और जहां कहीं कमियां ध्यान में आती हैं उन्हें दूर करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

बेगूसराय में दूरभाष केन्द्र का विस्तार

1009. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बेगूसराय जिले में दूरभाष केन्द्रों के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका विस्तार कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ख). बेगूसराय जिले में टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार की योजना बनाई जा चुकी है। चालू किए जाने वाले संभावित एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कार्य शुरू हो चुका है तथा सामग्री उपलब्ध होने पर मार्च, 1997 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है।

विवरण

जिला बेगूसराय (बिहार) में वर्ष 1996-97 के दौरान विस्तार हेतु नियोजित टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की किस्म
1	2
भाभानगामा	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
बछावरा	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
बाखरी बाजार	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
बरौनी	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स और एनईएएक्स विस्तार
भगवानपुर	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
बिहाट	सी-डॉट लाइन माड्यूल
मझौल	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
मंसूरचाक	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स

1	2
रानी	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
बेगूसराय	सी-डॉट एमबीएम 2000 लाइनें
बिसनपुर	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
लखमिनिया	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
राजौरा	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
रामदीरी	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स
साहेबपुर कमल	सी-डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे

1010. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सतर्कता विभाग ने निगम में व्यापक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कितने छापे मारे और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनके नाम क्या हैं; और

(ख) उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गए हैं और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नागपुर में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. का वितरण केन्द्र स्थापित करना

1011. **श्री अनंत गुढ़े :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ इस्पात रोलर्स एसोसिएशन ने नागपुर की केन्द्रीय स्थिति और नागपुर को प्रतिमाह भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा नीलाम निविदा के माध्यम से आबंटित किए जा रहे 50 प्रतिशत खराब और वाणिज्यिक "सेमीज" के आबंटन को ध्यान में रखते हुए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा नागपुर का दर्जा बदल कर वितरण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसिएशन द्वारा कोई अन्य मांग की गई है; और

(ग) सरकार ने, संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा एकत्रित की गई इस्पात विकास निधियों में से इस्पात उत्पादकों को धनराशि प्रदान करने तथा राष्ट्रीय गौण इस्पात प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था को पूर्ण तकनीकी संस्था में बदलने के लिए क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विकलांगों हेतु कोटा

1012. **डा. बलिराम :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय परीक्षाओं में विकलांगों के लिए वर्ग "ग" और वर्ग "घ" के पदों पर भर्ती में आरक्षण दिये जाने पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक श्रेणीवार और सर्किलवार चयन किये गये पुराने उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या विकलांग उम्मीदवारों के किसी पद हेतु आरक्षण की व्यवस्था न करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1.4.1996 के का.ज्ञा.सं. 36035/17/85-संस्थापना (एस सी टी) में यथा विनिर्धारित व्यवस्था के अनुसार भर्ती के समय परीक्षा के परिणाम के आधार पर, समूह "ग" और "घ" में विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण पर विचार किया जाता है।

(ख) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नई दिल्ली और हांगकांग के बीच विमान सेवा

1013. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विचार नई दिल्ली और हांगकांग के बीच नई विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) क्या भारत और चीन के बीच इस संबंध में समझौता हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच पूर्व में भी ऐसे समझौते हुए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एअर इंडिया पहले से ही दिल्ली तथा हांगकांग के मध्य सप्ताह में पांच सेवाएं प्रचालित कर रही हैं।

(ख) से (ङ). भारत और हांगकांग के मध्य विमान सेवा प्रचालन पहले से ही भारत-यू.के. विमान सेवा करार द्वारा विनियमित थे। अब 10 अक्तूबर, 1996 को भारत और हांगकांग के मध्य एक पृथक विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ट्रांसपोंडर्स और इन्टेरोगेटर्स लगाया जाना

1014. डा. देवी प्रसाद पाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन प्रमुख हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहां ट्रांसपांडर्स और इन्टेरोगेटर्स लगाए जा चुके हैं;

(ख) उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं और जहां ये कार्य नहीं कर रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ के अध्यक्ष ने काफी समय पूर्व ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भू-नियंत्रण संबंधी आधारभूत ढांचे की कमी से अवगत करवा दिया था;

(घ) यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का, हाल ही की विमान दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए भारतीय हवाई अड्डों पर स्थापित भू-नौवहन यन्त्रों की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा संचार और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). ट्रांसपोंडर्स सभी विमानों में उपलब्ध है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और तिरूवनंतपुरम हवाई अड्डों पर भू आधारित गौण निगरानी राडार "इंटेरोगेटर्स" का संस्थापन किया है तथा हैदराबाद और तिरूवनंतपुरम हवाई अड्डों पर गौण निगरानी राडार ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ग) और (घ). जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आवश्यक गौण निगरानी राडार तथा अन्य दिक्चालन सुविधाएं संस्थापित कर दी हैं।

(ङ) और (च). अंतर्राष्ट्रीय कार्यनिष्पादन मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण द्वारा सभी दिक्चालनात्मक प्रणालियों की नियमित जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा

1015. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार को जम्मू और कश्मीर सरकार से राज्य में पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में मंजूर/अस्वीकृत किये गये और विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवत करने और इसके आकर्षण की बहाली के लिये क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों से विशिष्ट प्रस्तावों की प्राप्ति पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग ने 32 परियोजनाओं के लिए 514.58 लाख रुपयों की धनराशि प्रदान की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). पर्यटन विभाग ने जम्मू-कश्मीर को सम्मिलित करते हुए हिमालय क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए एक कार्य बल गठित किया है।

विवरण

1993-94 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)	प्रदान की गई राशि
1	2	3	4
जम्मू-कश्मीर			
1.	बटोट में चार कुटीरें	18.00	9.00
2.	डेरा की गली में चार कुटीरें	14.00	7.00

1	2	3	4
3.	बानी में पर्यटक बंगला	28.08	14.00
4.	अचिमायांग में पर्यटक परिसर	17.86	2.00
5.	दुर्बाग (प्रोंगांग लेक) में पर्यटक बंगला	22.06	5.00
6.	कारशा में पर्यटक परिसर	17.11	8.50
7.	सोमोरिरी झील में पर्यटक बंगला	20.65	5.00
8.	अयोली (पद्दार) में पर्यटक बंगला	19.29	9.50
9.	सोटी गोंडी भालिसा में पर्यटक कुटीर	6.45	3.00
10.	लेह में पर्यटक बंगला	19.73	15.00
11.	चरारे-शरीफ में पर्यटक बंगला	26.57	13.00
12.	उझ, बाईराज में जलीय-क्रीड़ा उपकरण	0.90	0.88
13.	मानसर झील में जलीय-क्रीडाओं की प्राप्ति	2.00	2.00
14.	बागे-बाहू में जलीय-क्रीडाओं की प्राप्ति	2.45	2.00
15.	सलाल झील के लिए जलीय क्रीडाएं	10.45	5.00
	जोड़	225.60	100.88

1994-95 वर्ष के लिए स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

जम्मू और कश्मीर

1.	सानासर में पर्यटक परिसर	28.08	25.00
2.	पतनो टाप में पर्यटक परिसर	27.75	11.00
3.	पंगोंग झील में टैंटों वाली कालोनी	15.50	7.00
4.	राजौरी में पर्यटक परिसर	24.02	12.00
5.	लोमा युरू में पर्यटक परिसर	17.12	9.00
6.	मेले और उत्सव	1.40	1.40
7.	सारचू में टैंटों वाली कालोनी	15.00	2.34
8.	नुसरा घाटी के लिए टैंट	15.00	7.25
9.	सोमरारि झील के लिए टैंट	15:00	7.00
10.	प्रचार-सामग्री का मुद्रण	2.70	1.40
11.	जम्मू व कश्मीर पर्यटन विकास निगम द्वारा जलीय-क्रीड़ाओं के साथ टैंटों वाली कालोनियां	15.50	2.00
12.	नुबरा घाटी में टैंटों वाली कालोनियां/आवास	15.50	7.25
13.	सोमोरिरि झीलें में जम्मू व कश्मीर पर्यटन विकास निगम द्वारा जलीयक्रीड़ाए	13.57	13.57
14.	लेह-मनाली सड़क पर सिरचू में टैंटों वाले आवास की खरीद	9.84	2.34
	जोड़ :	215.98	108.55

1995-96 के दौरान जम्मू-कश्मीर के लिए स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

1	2	3	4
1.	कटरा वैष्णो देवी में पर्यटक आवास का निर्माण	28.00	10.00
2.	हेमिस में मोम्पास का नवीनीकरण	20.00	09.20
3.	बुबरा में पर्यटक परिसर	25.00	12.00
	जोड़ :	73.00	31.20

कोपरगांव स्टेशन पर हजरत निजामुद्दीन-लौंडा गोवा एक्सप्रेस का ठहराव

1016. श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत निजामुद्दीन-लौंडा गोवा एक्सप्रेस 2479 अप तथा 2480 डाउन कोपड़गांव (महाराष्ट्र) स्टेशन पर नहीं रुकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या साई बाबा के अनुयायियों को शिरडी जाने की सुविधा हेतु उक्त गाड़ियों को कोपड़गांव स्टेशन पर रोके जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन गाड़ियों का कोपड़गांव स्टेशन पर ठहराव का प्रबंध कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल आरक्षण प्रणाली

1017. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 सितम्बर 1996 के "नवभारत टाईम्स" में "रेलवे के आरक्षण.केन्द्रों की हालत भयावह" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन रेल आरक्षण केन्द्रों की स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). 9.9.96 को दिल्ली यात्री आरक्षण प्रणाली (पी. आर.एस) में पुराने साफ्टवेयर के स्थान पर "कन्सर्ट" नाम के नए साफ्टवेयर को आरम्भ किया गया है। आकंड़ों को नए सॉफ्टवेयर के अनुकूल परिवर्तित करके अग्रिम आरक्षण कार्य को 8.9.96 को बन्द कर दिया था जो काउन्टरों पर चल रहे समकालन कार्यों के दौरान यह कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती थी। चालू दिन की गाड़ियों के लिए आरक्षण तथा 9.9.96 को 12.00 बजे तक आरम्भिक स्टेशनों से छूटने वाली गाड़ियों को मैनुअली संचालन किया गया था और इसके लिए गाड़ियों के विभिन्न आरम्भिक स्टेशनों पर आवश्यक प्रबंध किये गए थे।

8 सितम्बर, 96 को दिल्ली पी.आर.एस. के आरक्षण कार्यालय के बंद किए जाने के बारे में काफी समय पहले प्रमुख समाचार पत्रों साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से लोगों में विस्तृत प्रचार किया गया था। नए साफ्टवेयर ने प्रातः 9.9.96 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है 9 और 10 सितम्बर, को कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी जब कुछ टर्मिनल आंतरिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो गए थे। इससे विभिन्न स्थानों पर आरक्षण कार्य प्रभावित हुआ और यात्रियों को असुविधा हुई और जिसके कारण 12 सितंबर 1996 के नवभारत टाइम्स में प्रतिकूल प्रचार हुआ।

यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए कि प्रणाली निर्विघ्न और यात्री बुकिंग को प्रभावित किए बिना कार्य करती रहे इस उद्देश्य के लिए चौबीसों घंटे साफ्टवेयर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और 19 सितम्बर, 1996 के बाद किसी भी बड़ी समस्या की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

रेल गाड़ियों में सेवा क्षेत्रों का निजीकरण

1018. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल गाड़ियों में कुछ सेवा क्षेत्रों का निजीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक रेल गाड़ियों को इस तरह की जो सुविधाएं दी गई हैं वे संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेल गाड़ियों में सेवाओं के निजीकरण के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). कुछ गाड़ियों में विभिन्न सेवाएं यथा, खान-पान, बेडरोल, कतिपय पैसेंजर गाड़ियों के लगेज कर्म्पाटमेंट में पार्सलों आदि को ढोने के लिए स्थान आदि को पट्टे पर प्राइवेट पार्टी को सौंपा गया है। प्राप्त अनुभव के आधार पर बेड-रोलों की आपूर्ति विभागीय तौर पर करने का विनिश्चय किया गया है।

पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान के उपकेन्द्र हेतु मंजूरी

1019. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान का उपकेन्द्र मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या 5 अगस्त, 1995 को हुई पर्यटन मंत्रियों की बैठक में देश भर में पर्यटन के विकास पर बल दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के प्रस्ताव पर गौर किया है;

(च) यदि हां, तो किन-किन स्थलों और पर्यटन केन्द्रों को पर्यटकों के लिए आकर्षण केन्द्र के रूप में विचार किया गया;

(छ) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में इन स्थलों के भ्रमण के लिए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इन स्थलों के विकास के लिए धनराशि, देने पर सहमत हो गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान की एक नई शाखा खोलने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। संसाधनों की कमी को देखते हुए, आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया।

(ग) और (घ). जी, हां। सामने आए प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार हैं :

1. पर्यटन को संवर्धनात्मक नीति में पर्यटन उत्पाद का विकास, आवास और संरचनात्मक सुविधाओं में बढ़ोत्तरी और पर्यटक केन्द्रों का परिरक्षण और सौन्दर्यीकरण करना शामिल होना चाहिए।
2. क्षेत्रीय यात्रा परिपथों का अभिनिर्धारण करना।
3. राज्य सरकारों द्वारा विकास और नवीनीकरण तथा उन्नयन करने के लिए स्मारकों की पहचान करना।
4. रेल पर्यटन का विकास करना।
5. पारिस्थितिकी पर्यटन और पर्यटक स्थलों को बिगड़ने से बचाने पर बल देना।

(ङ) से (ज). पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 1996-97 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है :-

1. तिरूपति में अतिरिक्त यात्री निवासों के निर्माण के लिए 75 लाख रुपए।
2. भवानी द्वीप, विजयवाड़ा के लिए नौकाओं और लांच की खरीद के लिए 20 लाख रुपए।

केन्द्र सरकार ने गहन विकास के लिए हैदराबाद-नागार्जुनसागर-तिरूपति परिपथ को भी पहचान की है।

आन्ध्र प्रदेश का एक पर्यटक गन्तव्य स्थल के रूप में प्रचार करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश पर प्रचार साहित्य प्रकाशित किया है और डक्कन उत्सव, स्याला-सीमा फूड उत्सव और विसाखोत्सव जैसे विभिन्न मेलों और त्यौहारों का संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

दूरदर्शन द्वारा लगाई गई पाबंदियां

1020. श्री राम नाईक : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा शुल्क में वृद्धि, कार्यक्रम अवधि जैसी पाबंदिया लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). दूरदर्शन पर कार्यक्रम/विज्ञापन देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि, उभरती बाजार प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसके दर कार्ड को तर्क-संगत बनाने के लिए सतत प्रक्रिया के भाग के रूप में दूरदर्शन ने कतिपय श्रेणियों की दरों में वृद्धि करके 15.11.96 से वाणिज्यिक विज्ञापन के दर ढांचे को संशोधित किया है।

बीड़ी उद्योग में कार्यरत व्यक्ति

1021. श्री सुशील चन्द्र : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के हैं:

(ग) क्या सरकार द्वारा बीड़ी की प्रतियोगिता में छोटे सिगरेट बनाने तथा छोटी सिगरेट उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य के लिये अनुमति दे दी गई है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ङ) यदि हां, तो छोटे सिगरेट के कारण बीड़ी श्रमिक तथा बीड़ी उत्पादकों को हो रही हानि का ब्यौरा क्या है: और

(च) इस परिस्थिति से बचने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) देश में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या 42.73 लाख है।

(ख) जी, हां। अनेक बीड़ी कर्मकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं।

(ग) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक न्यायाधिकरण में लम्बित मामले

1022. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **श्रम मंत्री** 11 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्संबंधी सूचना एकत्र कर ली गई है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, पांडिचेरी और दमन एंव दीव संघ शासित क्षेत्र की राज्य सरकारों से अभी आवश्यक सूचना प्राप्त होनी है। मामले पर जोरदार कार्रवाई चल रही है। सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कमीशन्ड कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यक्रम

1023. श्री ललित उरांव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** दूरदर्शन में प्रोड्यूसर के बारे में 25 जुलाई 1996 के अतारांकित प्रश्न 1724 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (ग) के संबंध में अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्र कर लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शीघ्रातिशीघ्र सूचना एकत्र करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

रुग्ण लौह अयस्क खानें

1024. श्री अशोक प्रधान : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार रुग्ण लौह अयस्क खानों की संख्या कितनी है:

(ख) इसके रुग्ण होने के क्या कारण हैं:

(ग) ये खानें कब से रुग्ण हैं:

(घ) क्या सरकार का विचार इन खानों को पुनः चालू करने का है: और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) खनिज संरक्षण और विकास नियमों में खान मालिकों द्वारा रुग्ण खानों के संबंध में सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ). सरकार की उन खानों को पुनः चालू करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है जिनको बन्द कर दिया गया है या जिनका काम-काज अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तथापि, जिन खानों को मांग की कमी के कारण बन्द कर दिया गया है उनके संबंध में महसूस किया गया है कि अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से खनिजों की मांग बढ़ेगी और इस प्रकार की खानों का प्रचालन मितव्ययी होगा।

[अनुवाद]

"एयर फ्रेन्ट सिटीज" की स्थापना

1025. श्री विजय गोयल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हवाई माल सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली में पालम के निकट "एयर फ्रेन्ट सिटीज" की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) प्रस्तावित "एयर फ्रेन्ट सिटोज" कब तक बनाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हरियाणा मालगोदाम निगम तथा केन्द्रीय मालगोदाम निगम के साथ एक कम्पनी की स्थापना की परिकल्पना की गई है जो हरियाणा में नौमा गांव में अथवा इसके आस-पास एक विशाल माल भंडारण/क्लीयरैंस सुविधा जुटाने के लिए प्रोत्साहक की भूमिका अदा करेगी।

(ग) इस प्रस्ताव के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु वेतन मंहगाई भत्ता फार्मूले में संशोधन

1026. श्री हाराधन राय : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन वृद्धि तथा नये महंगाई भत्ता फार्मूले का कार्यान्वयन न होने से कर्मचारियों में औद्योगिक असंतोष तथा कठिनाइयां हैं; और

(ख) यदि हां, तो वेतन संशोधन तथा नये मंहगाई भत्ता फार्मूले को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). सरकार ने 12.4.93 और 17.1.94 के लोक उद्यम के कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अपने कर्मकारों के साथ विहित परामीटर के अनुसार दीर्घकालिक में दूरी करार करने के लिए पूरी स्वायत्तता प्रत्यायोजित की है। 29.9.95 के लोक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में संघ वाले स्टाफ और कर्मकारों के लिए एक नया डी.ए. फार्मूला लागू किया गया है। अतएव मजदूरी का संशोधन अलग-अलग उपक्रमों के प्रबंधनों द्वारा अपने समझौतों के अनुसार और सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित परामीटरों के भीतर किया जाता है।

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

1027. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यह कब से काम करना आरंभ कर देगा; और

(घ) निजी एजेंसियों के लिए खोले जाने वाले प्रस्तावित दूरसंचार क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विधेयक, 1996 पर संसद में विचार करने तथा संशोधन सहित (यदि कोई हो) पास होने के बाद किया जाएगा।

(घ) विभिन्न दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। और साथ ही ऐसी मूल्य वर्धित सेवाओं अर्थात, सूल्सेलयूलर मोबाइल टेलीफोन, रेडियो पेजिंग, इलेक्ट्रानिक मेल वॉयस-मेल/ऑडियोटेक्स, वीडियोटेक्स, वीडियोकॉन्फ्रेन्सिंग और पाल्क मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवाओं आदि के गैर विशिष्ट आधार पर निजी भारतीय पंजीकृत कंपनियों को फ्रेंचाइज किया गया है।

2. बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित सेवाएं भी प्राइवेट एजेंसियों के लिए खोली गई हैं।

(1) क्लास्ड प्रयोक्ता समूह के लिए कैपटिव वीएसएटा नेटवर्क;

(2) दूरसंचार विभाग से पट्टे पर प्राप्त सर्किटों के जरिए निजी दूरसंचार नेटवर्क;

(3) टेलीफोन पर फैक्स का वाणिज्यिक प्रयोग।

(4) समूह ईपीए बीएक्स।

(5) फ्रेंचाइज आधार पर स्थानीय एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ।

विवरण

प्रस्तावित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की मुख्य विशेषताएं

टीआरएआई के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(क) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना;

(ख) सेवा प्रदाताओं के बीच के विवादों का निपटान;

(ग) सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अंतःसंबंध सुनिश्चित करना;

(ङ) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने पर उनसे प्राप्त राजस्व के बंटवारे के संबंध में सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था नियमित करना;

(च) सेवाओं के, विनियमों द्वारा निर्धारित दरों से शुल्क लेना।

(छ) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और दक्षता में वृद्धि करना, ताकि ऐसी सेवाओं में सहज रूप से वृद्धि हो सके; और

(ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्वों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

2. प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सुरक्षित होगा, को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :—

(क) सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों के सभी पहलुओं पर सूचना मांगना;

(ख) आवश्यक समझे जाने पर किसी भी स्रोत से सूचना, सलाह और निविष्टियां (इनपुट) प्राप्त करना;

(ग) किसी भी मामले की स्व-प्रेरणा से जांच करना जो उसके विचार में जन-हित से संबंधित हो।

(घ) सुविधाओं, पुस्तकों और प्रचालकों/सेवा प्रदाताओं के रिकार्ड की जांच करना।

3. प्राधिकरण के पास विवादों के निपटान के लिए अपना ही अतिरिक तंत्र होगा और इसे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले तकनीकी संगतता और प्रभावी अंतःसंबंध, राजस्व हिस्सेदारी की व्यवस्था, सेवा की गुणवत्ता आदि जैसे मामलों पर निर्णय देने का अधिकार होगा।

[हिन्दी]

राजस्थान की पर्यटन परियोजनाएं

1028. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन विकास संबंधी परियोजनाएं केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई/लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) लम्बित परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य में भारत पर्यटन विकास निगम और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के हैरिटेज होटलों की संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में, राज्य सरकार के परामर्श से, प्राथमिकता प्राप्त और पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में 27 हैरिटेज होटल हैं जिनमें 697 कमरे हैं।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजना/स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत की गई राशि (रुपये लाखों में)	अवमुक्त की गई राशि
1	2	3	4
	राजस्थान		
1.	जैसलमेर किले का निर्माण (जिसमें से पर्यटन विभाग का हिस्सा कुल लागत का 50 प्रतिशत जो 40 लाख रु. तक है)	39.88	39.88
2.	जैसलमेर में पर्यटक बंगला खण्ड-2	11.24	5.75
3.	जोधपुर में फास्ट फूड केन्द्र	7.11	3.50
4.	पोखरन में पर्यटन बंगला खण्ड-2	7.83	4.00
5.	डेचू में मार्गस्थ सुविधाएं	4.74	2.50
6.	बीकानेर में पर्यटक बंगला खण्ड 2	12.00	6.00
7.	बर्र में पर्यटक परिसर	10.35	5.00
8.	रतनगढ़ में पर्यटक लाज	10.06	5.00

1	2	3	4
9.	गंगानगर में पर्यटक परिसर	16.54	8.00
10.	उदयपुर में पर्यटक बंगला खण्ड-2	18.60	9.30
11.	सरिस्का में पर्यटक बंगला खण्ड-2	12.54	6.00
12.	सलासर में मार्गस्थ सुविधाएं	4.74	2.50
13.	बेवर में पर्यटक लाज	9.09	5.50
14.	माता मगरी, उदयपुर में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन	24.25	10.00
15.	रामबाग गोल्फ क्लब, जयपुर का उन्नयन	38.22	10.00
16.	जैसलमेर किले का प्रकाश प्रदर्शन	33.24	10.00
	जोड़	260.43	132.93

वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

	राजस्थान		
1.	हनुमानगढ़ में पर्यटक बंगला	18.76	9.00
2.	भीलवाड़ा में पर्यटक बंगला	18.76	9.00
3.	संचोर में मार्गस्थ सुविधाएं	10.80	5.00
4.	बाप्प में मार्गस्थ सुविधाएं	10.92	5.00
5.	शिल्पग्राम उत्सव के लिए सहायता	4.05	4.05
6.	शिल्पग्राम उत्सव 1992	2.00	2.00
7.	अजमेर में यात्रिका	26.99	7.69
8.	तीर्थ शेड विश्रामस्थलों (पक्का ढांचा)	24.38	11.38
9.	महंदीपुर-का-बाबजी में यात्रिका	15.38	5.00
10.	कैलादेवी में यात्रिका	20.24	5.00
11.	राजस्थान में झालावाड कैंपिंग स्थल के लिए वित्तीय सहायता	10.50	4.25
12.	पैलेस-आन-व्हील्स	500.00	500.00
	जोड़	662.78	567.37

वर्ष 1995-96 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

	राजस्थान		
1.	बलेसर में मार्गस्थ सुविधाएं	5.50	2.70
2.	फतेहगढ़ में मार्गस्थ सुविधाएं	4.58	2.25
3.	छांटन में पर्यटक कुटीरें	18.27	0.10
4.	चंदन में मार्गस्थ सुविधाएं	4.58	2.25
5.	झुंझुनु, शाकम्बरी माता और लोहारगढ़ में पर्यटक सुविधाएं	5.70	0.02
6.	मेड़ता में मध्य-मार्ग	11.94	5.00
7.	चार स्थानों में शौचालय सुविधाएं	5.20	0.04

1	2	3	4
8.	किराडु में पर्यटक रिजार्ट	18.27	0.10
9.	किचान में पर्यटक परिसर	29.15	0.50
10.	महावीर तोबा में पर्यटक रिजार्ट	18.26	0.50
11.	फालोदी में पर्यटक सुविधाएं	10.80	4.90
12.	ओशियन मंदिरों में संरक्षण	13.00	4.30
13.	रानी का महल, जैसलमेर का सरंक्षण	9.20	4.60
14.	इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर के आस-पास का विकास	9.90	6.00
15.	दिल्ली हाट में सांस्कृतिक उत्सव	0.30	0.30
	जोड़	164.65	33.56

[अनुवाद]

वैगनों के डिजाइन

1029. श्री नारायण अठावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैगनों के डिजाइन में सुधार करने और वैगनों, इंजनों तथा सवारी डिब्बों के निर्माण की प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप दियें गये विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये इंजनों/सवारी डिब्बों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के लिये कितने प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) क्या सरकार पर्यटन को आकर्षक बनाने/संवर्द्धन करने के लिए विशिष्ट गाड़ियों हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए सवारी डिब्बों के आयात पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। चल स्टाक यथा रेल इंजनों, सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों के अभिकल्प में सुधार तथा प्रौद्योगिकी ग्रेडोन्नयन एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) अन्य के अलावा प्रौद्योगिकी ग्रेडोन्नयन के हाल में अंतिम रूप दिए गए कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

1. बिजली रेल इंजन-मैसर्स ए.बी.बी., स्विटजरलैंड से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करके चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने, चित्तरंजन में 3 फेज ए.सी. ड्राइव, जी.टी.ओ. पर आधारित थ्राइस्टर, माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण सहित ऊर्जा बचत उपकरण के रूप में पुनर्जनित्र ब्रेकिंग विशेषता वाले अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले ऊर्जा कुशल बिजली रेल इंजनों का देश में निर्माण।

2. डीजल रेल इंजन-डीजल रेल इंजन कारखाने, वाराणसी में आधुनिक ऊर्जा कुशल 4000 अश्व शक्ति वाले डीजल रेल इंजनों के निर्माण के लिए मैसर्स जनरल मोटर्स, यू.एस.ए. के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी करार।

3. सवारी डिब्बे-रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला में आधुनिक हल्के सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए मैसर्स लिंक हॉफमैन बॉश्च जर्मनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी करार।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीजल रेल इंजनों अथवा सवारी डिब्बों का कोई आयात नहीं किया गया है और चालू वर्ष में भी ऐसा होने की संभावना नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अधीन आयातित ऊर्जा कुशल 3 फेज ए.सी. ड्राइव वाले जी.टी.ओ. पर आधारित माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल बिजली रेल इंजनों का ब्यौरा तथा चालू वर्ष में इससे संबंधित प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

1. 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अब तक अतिरिक्त पुर्जे के बैंक के रूप में एक रेल इंजन सहित दस पैसेंजर रेल इंजन तथा छह पूरे एसेंबल किए गए मालगाड़ी रेल इंजन प्राप्त किए गए हैं, इसके अलावा मैसर्स ए.बी.बी., स्विटजरलैंड से 1996-97 के दौरान दस माल यातायात रेल इंजन अर्ध खुली/पूर्णतः खुली हालत में प्राप्त किए गए हैं तथा 1996-97 के दौरान अतिरिक्त पुर्जों के बैंक के रूप में दो रेल इंजनों सहित चार मालगाड़ी रेल इंजन अर्ध खुली/पूर्णतः खुली हालत में प्राप्त किए जाने की संभावना है जिन्हें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन में एसेंबल किया जाएगा।

2. चालू वर्ष में बिजली रेल इंजन आयात करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) सरकार ने पर्यटक यातायात के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सवारी डिब्बों के आयात पर विचार नहीं किया है परन्तु इस प्रयोजन के लिए पर्यटक गाड़ी परिचालकों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए सवारी डिब्बे आयात करने अथवा भारत से प्राप्त करने की अनुमति दे दी है।

(ङ) चूंकि पर्यटक गाड़ी परिचालकों ने अभी सवारी डिब्बों के ड़िजाइन तथा उनके स्रोत को अंतिम रूप देना है, अतः इस संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

घाघरा नदी पर रेल पुल

1030. श्री श्रीराम चौहान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या में घाघरा नदी पर रेल पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और उसे कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा 18.8.96 को आधारशिला रखी गई है। पुल के लिये निविदाएं पूर्ण-अर्हता प्राप्त फर्मों से मंगाई गई है। कार्य नौवीं योजना के भीतर पूरा करने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बर्द्धमान और आसनसोल के बीच और अधिक ई.एम.यू. गाड़ियां चलाना

1031. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बर्द्धमान और आसनसोल खंड के बीच और अधिक ई.एम.यू. गाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई नई सेवाएं चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाएंगी;

(ग) क्या बर्द्धमान और चितरंजन तथा आसनसोल और चितरंजन के बीच ई.एम.यू. सेवाएं शुरू करने की लोगों की मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आसनसोल-बर्द्धमान खंड में भीड़ को कम करने के लिए और अधिक ई.एम.यू. गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) ई. एम.यू./एम.ई.एम.यू. गाड़ियों सहित गाड़ी सेवाएं चलाना भारतीय रेलों पर एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य और परिचालनिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). परंपरागत रेकों वाली दो गाड़ियों सहित एमईएमयू/ईएमयू लोकल गाड़ियों की आठ(8) जोड़ियां वर्धमान-आसनसोल खंड को सेवित करती हैं। आसनसोल-मधुपुर झाझा खंड के विद्युतीकरण के बाद ही बर्धमान-चितरंजन या आसनसोल-चितरंजन खंड पर एमईएमयू/ई.एम.यू. गाड़ियां चलाने पर विचार किया जा सकता है।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) परिचालनिक कठिनाइयां और संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में सड़कों की खुदाई

1032. श्री सत महाजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग ने टेलीफोन केबल बिछाने के लिए हिमाचल-प्रदेश में सड़कों की खुदाई की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य के लोक निर्माण विभाग को पूरा भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक पूरा भुगतान किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). केबल बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले ही रोड खोदने तथा उसे ठीक करने के लिए सदैव ही अनुमनित आकलनों के आधार पर अग्रिम भुगतान किया जाता है। बिलों का अंतिम रूप से निपटान वास्तविक पैमायश के बाद किया जाता है तथा विवादित मामले में संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। 1.4.93 से 30.9.96 तक की अवधि के लिए प्राप्त 22.8 करोड़ रु. के बिलों में से केवल 4.8 करोड़ रु. के बिल निम्नलिखित विभिन्न कारणों से लंबित हैं :—

(1) पी डब्ल्यू डी फील्ड यूनिटों द्वारा प्रभारित दर राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई दर से भिन्न है।

(2) पैमायश को लेकर विवाद।

(3) सड़क की किस्म को लेकर विवाद।

(4) उन मामलों में जहां रोड़ की खुदाई पूरी नहीं हुई है।

तथापि, माननीय मंत्री, पी डब्ल्यू डी, हिमाचल प्रदेश सरकार का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें 10.21 करोड़ रुपये की शेष राशि निर्दिष्ट की गई है। मुख्य अभियंता, पी डब्ल्यू डी से ब्यौरा देने का अनुरोध किया गया है ताकि आंकड़ों की जांच की जा सके।

(ङ) जहां कार्य पूरा हो चुका है और कोई विवाद नहीं है। वहां लंबित बिलों की अदायगी दो माह के भीतर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

स्वतन्त्रता सेनानियों की टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करना

1033. श्री सौम्य रंजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को टेलीफोन सुविधा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसी सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) स्वतंत्रता सेनानी, गैर ओवाईटी/स्वतंत्रता सेनानी (गैर-ओवाईटी-एसडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत, उस स्थान पर एक टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के पात्र हैं जहां वे आमतौर पर उपलब्ध रहते हैं, बशर्ते इसके लिए तकनीकी व्यवहार्यता हो। इस श्रेणी के अंतर्गत कोई संस्थापना प्रभार नहीं लिए जाते और सामान्य किराए का आधा भाग ही वसूल किया जाता है। यह सुविधा स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को भी उपलब्ध है जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करती हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में स्थानीय टेलीफोन बूथ

1034. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल, कलकत्ता द्वारा वर्ष 1996 के दौरान व्यक्तियों/संघों/क्लबों द्वारा जिला कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) के मतभंगा में पीसीओ तथा फैक्स सुविधा प्रदान करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ये सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) प्राप्त अनुरोधों की संख्या 39 है।

(ख) 18 मामलों पर कार्रवाई की गई और उन्हें अनुमोदित कर दिया गया है। शेष मामलों पर एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि के बाद विचार किया जाएगा। 18 अनुमोदित मामलों में से, 11 डिमाण्ड नोट जारी किए जा चुके हैं। अन्य अनुमोदित आवेदकों ने औपचारिकताएं पूरी करने के बारे में जवाब नहीं दिया।

(ग) आवेदकों द्वारा डिमाण्ड नोट का भुगतान करने के बाद ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

साहिबगंज में प्रधान डाकघर खोलना

1035. श्री थामस हंसदा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहिबगंज में प्रधान डाकघर खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास 1993 से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ). जन प्रतिनिधियों से साहिबगंज डाकघर का दर्जा प्रधान डाकघर के रूप में बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होने पर बिहार सर्किल से 1993 में एक रिपोर्ट मंगाई गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि विभागीय मानदंडों के अनुसार साहिबगंज डाकघर का दर्जा प्रधान डाकघर के रूप में बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बकाया राशि का भुगतान

1036. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सांविधिक बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान में विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). कर्मकारों को समय से सांविधिक राशियों का भुगतान करना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन की अनिवार्य बाध्यता है। तथापि, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय रूग्ण उपक्रम निधियों की कमी के कारण कर्मकारों को समय से सांविधिक राशियां का भुगतान करने में सफल नहीं रहे हैं। जब भी श्रम मंत्रालय के कर्मकारों को सांविधिक राशियों के भुगतान नहीं किए जाने की कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तब मामला संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाता है ताकि सांविधिक बकाया राशियों के समय पर भुगतान के लिए निधियां उपलब्ध करवाई जा सकें। राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्थिति समय के साथ बदलती रहती है।

(ग) और (घ). श्रम मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में स्थिति एन टी सी की एक इकाई के कर्मचारियों को बकाया राशियों के भुगतान न किए जाने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त किया। मामले को समुचित कार्रवाई के लिए उद्योग मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

आकाशवाणी कार्यालय को स्थानांतरित करना

1037. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आकाशवाणी के अधिशासी अभियंता विद्युत के सिविल निर्माण कार्यालय को नागपुर से कलकत्ता ले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों को उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). इस संबंध में आकाशवाणी महानिदेशालय ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। तथापि, इस प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस मामले में अंतिम निर्णय करते समय सभी प्रकार के पक्ष-विपक्ष को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

एयर इंडिया की उड़ानें

1038. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एयर इंडिया की उड़ानों को जोखिमपूर्ण माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं। एयर इंडिया द्वारा उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन बिछाना

1039. श्री आर.एल. वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरीडीह-रांची के बीच बरास्ता हजारीबाग-कोडरमा एक रेल लाइन सरकार द्वारा 1991 में स्वीकृत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कुल परिव्यय क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक शुरू कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एयरबस संबंधी तकनीकी समिति

1040. श्री पी.सी. थामस : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए समग्र अध्ययन हेतु कोई समिति गठित की है कि क्या कोचीन विमानपत्तन के लिए सुरक्षित रूप से (एयरबस) चलाई जा सकती है;

(ख) इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। एक समिति का गठन किया गया है जिसमें नागर विमानन महानिदेशालय, इंडियन एयरलाइन्स, सी.टी.ई., हैदराबाद तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) और (घ). समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

बेरोजगार युवक

1041. श्री समीक लहिरी :

श्री भक्त चरण दास :

श्री बाजूबन रियान :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार तथा श्रेणी-वार बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी थी;

(ख) उनमें से वर्ष-वार, राज्य-वार तथा श्रेणी-वार कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाया गया;

(ग) आठवीं योजना के अंत तक बेराजगारों की संख्या कितनी हो जाने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कितने राज्यों ने इस योजना को कार्यान्वित किया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा पांच वर्षों में एक बार किए जाने वाले विस्तृत श्रम बल सर्वेक्ष्णों के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण 1993-94 में किया गया तथा अब तक केवल महत्वपूर्ण परिणामों को ही प्रकाशित किया गया है। रोजगार एवं बेरोजगारी का वार्षिक अनुमानों संबंधी कार्य नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, नौ राज्य उन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं जिनके अधीन बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

1042. श्री प्रहलाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक विद्युतीकृत मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में उन रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है जिसका विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राज्य में उन रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है जिनका निकट भविष्ट में विद्युतीकरण करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत की गई रेल लाइनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	खंड	मार्ग कि.मी.
1.	जामगा-बोरतालाब	382
2.	किरण्डुल-कोटपार रोड	180
3.	हेतमपुर-दतिया	125
4.	नाहरगढ़-विक्रमगढ़-अलाटा-थुरिया	171
5.	चम्पा-कोरबा-गेवरा रोड	45
6.	बसई-मातकटीला	6
7.	धौरा-इटारसी-दरीमेता	478
8.	धौनखेड़ी-भवानी मंडी	13
9.	कुरलासी-चौमहला	53
10.	नागदा-भोपाल	238
11.	इटारसी-बुरहानपुर	257
12.	बीना-कटनी-बिलासपुर और अनूपपुर-बिश्रामपुर/चिरमिरि	777
13.	दुर्ग-मुरांडा	16
	जोड़	2741

(ख) और (ग). इस समय मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण का कोई कार्य नहीं चल रहा है। निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पायलटों को नौकरियां

1043. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने व्यक्तियों के पास "कमर्शियल पायलट लाइसेंस", "सीनयर कमर्शियल पायलट" तथा "एयरलाइन्स ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस" हैं;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों के पास "फारेन कनवर्टेड लाइसेंस" हैं;

(ग) उपर्युक्त लाइसेंस धारकों में से कितने व्यक्ति अभी भी बेरोजगार हैं; और

(घ) उनको नौकरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) लाइसेंस-वार व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

(1) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस (सीपीएल)-3643

(2) वरिष्ठ वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस एस (सीपीएल) 1153

(3) एयरलाइन्स परिवहन विमानचालक लाइसेंस (एलटीपी)-2119

(ख) संख्यावार भिन्न-भिन्न विदेशी परिवर्तित लाइसेंस निम्नलिखित हैं :—

(1) सीपीएल-450

(2) एससीपीएल-1

(3) एएलटीपी-16

(ग) और (घ). नियोजित/अनियोजित विमानचालकों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। फिर भी, विमानचालकों के नियोजनार्थ लाइसेंसों के जारी करने को मांग के साथ नहीं जोड़ा जाता है।

जल भराव क्षेत्र

1044. **श्री वी.एम. सुधीरन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर केरल में जल भराव क्षेत्र के दूरभाष उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित समस्याएं अनुभव की जा रही हैं :—

1. जल भराव क्षेत्रों में, आने जाने में रूकावटों के कारण दोष ठीक करने में विलम्ब हो जाता है।
2. नमी के कारण अधिक संख्या में टेलीफोन उपकरण खराब हो जाते हैं।

(ग) सुधार हेतु उठाए गए कदम :—

1. स्थानीय तथा जंक्शन दोनों के कामकाज के लिए विश्वसनीय माध्यम से नेटवर्क का उन्नयन।
2. टेलीफोन उपकरण की गुणवत्ता में सुधार लाना।
3. इलैक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से बदलना।
4. दोष प्रवण पेपर कोर केबलों को नमीप्रूफ जैलीयुक्त केबल से बदलना।

भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को जबलपुर तक बढ़ाना

1045. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को जबलपुर तक बढ़ाये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलों में ठेका प्रणाली

1046. **श्री सत्यदेव सिंह :**

कुमारी उमा भारती :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रेल की ठेका प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की कोई योजना प्रस्तावित है ताकि घपले को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रेलों द्वारा अपनाई जाने वाली मौजूदा निविदा प्रणाली भारतीय रेल भंडार संहिता में निर्धारित व्यापक प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह निविदा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली बहुत पुरानी है और समय की कसौटी पर खरी उतरीं है और खरीदों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण मौजूद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हीरे के भंडारों का पता लगाने के लिए आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक

1047. **श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :**

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में स्थित हीरे के बड़े भंडारों का दोहन करने के लिए आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खनिजों का ठेका दिए जाने के लिए क्या मानदंड किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ठेका दिए जाने से पूर्व बोली लगाने के मामले की जांच में विभिन्न राज्यों के खनिज विकास निगम के साथ सहयोग करेगी?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (घ). राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में, अन्य बातों के अलावा, निजी सहभागिता के जरिए अधिक कीमती और दुर्लभ खनिजों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रावधान है। पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे की मंजूरी खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती है। पूर्वेक्षण लाइसेंस/खान पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकार को ही देना होता है। चूंकि हीरे के खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है इसलिए इसके लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा प्रदान करने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

अमरीकी श्रम विभाग के दल का दौरा

1048. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी श्रम विभाग के एक दल ने इस देश को परिधानों और चमड़े के सामान का निर्यात करने में लगे विनिर्माण एककों का हाल ही में दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या था; और

(ग) उक्त दल की क्या प्रतिक्रिया रही और इसका देश के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पर्यटक विकास निगम गठित करने का प्रस्ताव

1049. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी तथा विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए केन्द्र सरकार का विचार राज्यों के पर्यटक विकास निगमों को बुकिंग एजेण्टों के रूप में नियत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान पर्यटक विकास निगम (आई टी डी सी) को बुकिंग एजेंट बनाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन निगमों को तदनुसार बुकिंग कोटा दिया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, नहीं। पर्यटन विभाग कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बंगलौर और हुबली के बीच अन्तर्राज्यीय सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी

1050. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अक्टूबर, 1996 से बंगलौर और हुबली के बीच नई अन्तर्राज्यीय सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1996 के अन्त तक बंगलौर और हुबली के बीच एक और शताब्दी एक्सप्रेस चलायी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). बेंगलूरू से हुबली के बीच पूर्ववर्ती 2025/2026 शताब्दी एक्सप्रेस के बदले एक इन्टरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी अर्थात् 2725/2726 एक्सप्रेस 1.10.96 से चलायी गयी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोइंग-737 की कमांड ट्रेनिंग

1051. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने बोइंग-737 की कमांड ट्रेनिंग रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों में रेल सेवा उपलब्ध कराना

1052. श्री पंकज चौधरी :

कुमारी उमा भारती :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेल सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में रेल सेवा उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। पिछड़े क्षेत्रों सहित रेल नेटवर्क में आने वाले सभी क्षेत्र पैसेंजर गाड़ियों द्वारा सेवित किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर में नई रेल लाइनों के विकास की योजनाएं हैं।

इसी प्रकार देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर आमान परिवर्तन की योजना है। रेल नेटवर्क के विकास के परिणामस्वरूप भविष्य में रेल सेवाओं के और विस्तार की योजना बनाई जाएगी।

[अनुवाद]

रेल लाईन का कांडला पोर्ट तक विस्तार

1053. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीधाम रेल लाईन का कांडला पोर्ट तक विस्तार करने तथा इसे बड़ी लाईन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलवे लाईन का विस्तार तथा इसे बड़ी लाईन में बदलने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मीटर लाइन के अलावा एक बड़ी लाईन पहले से गांधीधाम तथा काण्डला पोर्ट के बीच मौजूद है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हावड़ा-बोकारो ट्रेन का बोकारो स्टेशन पर रुकना

1054. श्री राम टहल चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-बोकारो ट्रेन बोकारो आने के बाद पांच घंटे रूकती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त ट्रेन को रांची तक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). 2019/2020 हावड़ा-बोकारो शताब्दी एक्सप्रेस का बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर 4 घंटे 45 मिनट का ठहराव है।

(ग) परिचालनिक कठिनाईयों के कारण इसको रांची तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

इलाहाबाद के लिए दूरभाष केन्द्र

1055. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान इलाहाबाद में दूरभाष केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य कितना रखा गया है तथा इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) इलाहाबाद में उन स्थानों के नाम क्या है जहां दूरभाष केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा जहां कार्य प्रगति पर है; और

(ग) ऐसे दूरभाष केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जाएंगे जिन पर कार्य चल रहा है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) चालू योजना अवधि के दौरान इलाहाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-I दिया गया है। निर्धारित राशि 164.2 लाख रु. है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) मार्च, 1997 तक।

विवरण-I

चालू योजना अवधि 1996-97 के दौरान इलाहाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लक्ष्य

एक्सचेंज का नाम	योजित क्षमता
1. इलाहाबाद	1000 लाइनें (13 के - 14 के)
2. अल्लापुर	1000 लाइनें (4 के - 5 के)
3. नैनी	1000 लाइनें (2 के - 3 के)
4. फाफामाऊ	1000 लाइनें
5. टी.पी. नगर	1000 लाइनें
6. सिरसा	एक्सचेंज चालू
7. माजा	एक्सचेंज चालू
8. फूलपुर	576 लाइनें
9. सिराथु	296 लाइनें

इनके अतिरिक्त, 256 पी प्रकार के 9 तथा 128 पी सी-डॉट प्रकार के 5 एक्सचेंज चालू करने की योजना है।

विवरण-II

चालू योजना अवधि (1996-97) के दौरान इलाहाबाद के जिन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए तथा जिन स्थानों पर कार्य चल रहा है

स्थान	स्थिति
1. सिरसा	एक्सचेंज चालू
2. माजा	-वही-
3. इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर
4. अल्लापुर	-वही-
5. नैनी	-वही-
6. फाफामाऊ	-वही-
7. टी.पी. नगर	-वही-

[हिन्दी]

टेलीफोन अदालत

1056. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार विभिन्न टेलीकाम सर्किलों में सर्किलवार कितनी टेलीफोन अदालतों का आयोजन किया गया;

(ख) इन अदालतों द्वारा कितने मामलों को निपटाया गया तथा कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) लंबित मामलों को कब तक निपटाया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फिरोजाबाद रेल दुर्घटना

1057. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिरोजाबाद रेल दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा इनमें से कितने व्यक्तियों को रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की गई;

(ख) कितने व्यक्तियों को अब तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है तथा ऐसी क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के क्या मापदंड है;

(ग) इस मार्ग पर तथा दिल्ली-आगरा सहित अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्गों पर ऐसी रेल दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रेलवे द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक ये कदम कार्यान्वित किए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). 20.8.95 को फिरोजाबाद स्टेशन पर 4023 अप कालिंदी एक्सप्रेस और 2801 अप पुरूषोत्तम एक्सप्रेस के बीच पिछले हिस्से से टक्कर में 310 व्यक्ति मारे गए थे और 252 व्यक्ति घायल हुए थे।

रेल दावा अभिकरण में दर्ज 468 मामलों में से 345 मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, 31 मामलों को रद्द कर दिया गया है और अधिकरण द्वारा डिगरी देने के तुरंत बाद शेष 92 मामलों में प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा।

प्रतिपूर्ति का भुगतान रेल दुर्घटना (प्रतिपूर्ति) नियम 1990 के द्वारा शासित है। इस नियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की राशि, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले 2 लाख रुपए देय है। चोटों की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए अन्य चोटों के लिए भिन्न-भिन्न राशियां हैं जो 16000 रुपए से 1,80000 रुपए के बीच है।

(ग) और (घ). इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय :—

1. सरकार ने मुख्य मार्गों और मुख्य रेल लाइनों पर रेलपथ परिपथन कार्यों की गति बढ़ा दी है।
2. रोड-साइड स्टेशनों पर स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर के बीच की दूरी घटाकर 180 मीटर की जा रही है।
3. गाड़ी के गुजरने के पश्चात् स्टार्टर सिगनल को लाल बनाने के लिए रेलपथ सर्किट के स्टार्टर सिगनल के आगे लाने की व्यवस्था की जा रही है।
4. स्टेशन खंड पर दिए गए किसी समय में एक चालू लाइन पर केवल एक गाड़ी के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए सिगनल सर्किटों में सुधार किया जा रहा है।

5. चलती गाड़ी के गार्ड, ड्राइवर एवं स्टेशन कर्मचारियों के बीच रेडियो आधारित आपातकालीन दूरसंचार प्रणाली शुरू की जा रही है जो इस प्रकार की अप्रिय संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे उपायों में से एक है।

6. इसके अलावा, परामर्श देना, निरीक्षणों/जांचों, और निगरानी जैसे चलाए जा रहे संरक्षा उपायों में तेजी लाई गई है।

उपरोक्त उपाय उत्तरोत्तर कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण/जनजातीय संस्कृति पर कार्यक्रम/धारावाहिक

1058. श्री हरिन पाठक :

श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण/जनजातीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर कितना प्रतिशत समय आवंटित किया गया है;

(ख) क्या ऐसी संस्कृतियों पर आधारित धारावाहिकों/कार्यक्रमों का निर्माण धीरे-धीरे कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) ग्रामीण/जनजातीय संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समय की कोई विशेष प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में किसी न किसी तरह ग्रामीण/जनजातीय जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा, सायं 6.00 बजे से 7.00 बजे तक का समय स्लॉट ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है जिनमें अधिकांशत: कृषि, स्वास्थ्य, कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों, ग्रामीण विकास, लोक कला एवं ग्रामीण स्वच्छता आदि से संबंधित विषय शामिल किए जाते हैं। ये कार्यक्रम सौलह केन्द्रों से सप्ताह में पांच दिन नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरदर्शन का सतत रूप से यह प्रयास रहता है कि इसके विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण/जनजातीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया जाए।

[हिन्दी]

माल ढुलाई

1057. श्री गुमान मल लोढ़ा :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या रेल **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में माल की ढुलाई में रेलवे के योगदान में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में रेलवे द्वारा कुल कितने प्रतिशत माल की ढुलाई की गई;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे की संचालन लागत में सड़क के माध्यम से की जाने वाली ढुलाई पर आने वाली लागत की तुलना में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा संचालन लागत में कमी लाने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). रेलवे और सड़क मार्ग द्वारा ढोए जाने वाले कुल माल भाड़े के संचलन का नियमित संकलन नहीं किया जाता है। पिछली बार परिवहन विकास की संदर्श योजना संबंधी योजना आयोग द्वारा गठित संचालन समिति, द्वारा इसका संकलन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार, 1950-51 के दौरान रेलवे का हिस्सा 89 प्रतिशत था और 1995-96 में 51.5 प्रतिशत था। बहरहाल, आर्थिक सर्वेक्षण 1995-96 के एक मूल्यांकन के अनुसार इस समय 60 प्रतिशत माल यातायात सड़क मार्ग द्वारा हो रहा है।

(ग) से (ङ). परिचालनिक लागत, विविध प्राचलों तथा-तय की गई दूरी, ढोये जाने वाले पण्य, किस प्रकार के भूभाग से यातायात होता है, आदि पर निर्भर करती है। वह दूरी, जिस पर रेलवे द्वारा संचलन किफायती होता है, पण्य-दर-पण्य भिन्न होती है। बेहतर प्रयासों और प्रौद्योगिकीय विकास के जरिए परिचालनिक लागत में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पटना और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का देरी से चलना

1060. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और पटना के बीच नई शुरू की गई सप्ताह में दो बार चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा-नई दिल्ली, और गुवाहाटी-नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो पटना होकर जाती है की तुलना में तीन घण्टे अधिक समय लेती है;

(ख) यदि हां, तो क्या लखनऊ होकर अधिक दूरी का मार्ग तय करने के कारण यह अधिक समय लेती है;

(ग) क्या सरकार का समय को कम करने के लिए इसके मार्ग में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 2309/2310 नई दिल्ली-पटना सप्ताह में दो दिन चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस 2305/2306 नई दिल्ली-हवड़ा राजधानी एक्सप्रेस द्वारा लिए समय की तुलना में 2 घंटे 25 मिनट; 2 घंटे 55 मिनट से अधिक तथा नई दिल्ली तथा पटना के बीच चलने वाली 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में 2 घंटे/2 घंटे 53 मिनट से अधिक समय लेती है।

(ख) मार्ग लम्बा होने के अलावा गैर-विद्युतीकृत है तथा लखनऊ एवं मुगलसराय के बीच अधिकांशतः इकहरी लाइन है, जिसके कारण गति कम हो जाती है।

(ग) ओर (घ). क्योंकि इस रेलगाड़ी का मार्ग लखनऊ तथा वाराणसी को सेवित करता है अतः इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे में भर्ती

1061. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में रेलवे में कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई है अथवा की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे सुरक्षा पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना

1062. श्री आर. देवदास :
श्री सईदा कोटा :
डा. एम. जगन्नाथ :
श्री मोहन रावले :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के "वेट लीज़" पर हस्ताक्षर करने के कारण 63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और उक्त समझौते पर हस्ताक्षर करते समय एयर इंडिया को इस बात की जानकारी थी कि "वेट लीज़" महंगा समझौता साबित होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) किन आधारों पर समझौते का अनुमोदन किया गया था; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी हैं और किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). यह जानते हुए भी कि वेटलीज़शुदा प्रचालनों से घाटा होगा, एयर इंडिया ने संवृद्धि मुहैया करने तथा दीर्घावधि वाणिज्यिक हित में बाजार में अपना विस्तार करने की दृष्टि से तीन ए-310 विमान तथा दो एल-1011 विमानों को वेटलीज़ पर लेने का निर्णय किया, जब तक एयर इंडिया अपने विमान नहीं खरीद लेती है तब तक यह एक अंतरिम उपाय है।

एयर इंडिया ने चूंकि कारीबजेट के साथ एक ए.-310 तथा दो एल-1011 विमानों के लिए अपने वेटलीज़ करार को, उनके प्रचालनों में नागर विमानन संबंधी अपेक्षाओं के उल्लंघन के कारण, निरस्त कर दिया है।

एयर इंडिया में हवाई टिकटों की श्रेणी बढ़ाना और वैधता बढ़ाना

1063. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया में हवाई टिकटों की श्रेणी और वैधता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से नियम हैं;

(ख) 1995 और 1996 के दौरान कितनी हवाई टिकटों की श्रेणी बढ़ाई गई तथा उन्हें पुनः वैध किया गया तथा ऐसा किसके आदेश द्वारा किया गया; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया को कितना घाटा हुआ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एयर इंडिया द्वारा सीटों की उपलब्धता के आधार पर, यात्रियों की निम्नलिखित श्रेणियों का दर्जा उनसे ऊपर को उच्च श्रेणी तक बढ़ा दिया गया है :—

(1) एक महाराजा क्लब सदस्य परिवार सहित।

(2) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों में संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर।

(3) वाणिज्यिक दृष्टि से सम्पूर्ण किराया चुकाकर टिकटधारी चुनिंदा यात्री।

(4) उतारे गये यात्री।

टिकटों की वैधता की कोई आवश्यकता नहीं है चूंकि सीटों की उपलब्धता के आधार पर हवाई अड्डे पर दर्जा बढ़ाने का कार्य किया जाता है।

(ख) क्षेत्रीय प्रमुख, स्टेशनों के ऑन लाइन प्रबन्धक, दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों के वाणिज्यिक प्रबन्धक, उप वाणिज्यिक, पर्यटन, एयर इंडिया दर्जा बढ़ाने के लिए प्राधिकृत हैं। 1995 और 1996 के दौरान वास्तविक दर्जा वृद्धि के संबंध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) राजस्व की कोई हानि अंतर्ग्रस्त नहीं है चूंकि यात्रियों को किसी टिकटधारी यात्री के स्थान पर नहीं बैठाया जाता।

केरल के सबरीमाला मन्दिर में तीर्थयात्रियों को सुविधाएं

1064. श्री पी.जे. कुरियन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के सबरीमाला मन्दिर में प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री आते हैं तथा उन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार का इन तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). पर्यटक सुविधाओं का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। तथापि, पर्यटन विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर, उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है।

राज्य सरकार को सबरीमाला से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बोईंग 737-200 एस की बिक्री

1065. श्री संतोष मोहन देव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में आई.ए. सैल्स इटस ओल्ड बोइंग 737-200 एस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष जब इसने अपने पुराने वायुयान बेचने शुरू किए तो कितनी धनराशि अर्जित की;

(ग) क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) इस समय कुल कितने वायुयान पुराने हो गए हैं;

(ङ) इन वायुयानों को बेचने से कितनी धनराशि अर्जित होने की संभावना है;

(च) उनके स्थान पर कितने वायुयान खरीदे जाएंगे; और

(छ) स.ी पुराने वायुयान कब तक बदले जाएंगे?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड के द्वारा 8वी-737-200 विमानों के निपटान का अनुमोदन कर दिया गया है। 4 विमान 24.15 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय पार्टियों को तथा 2 विमान 7.6 मिलियन अमरीकी डालरों की लागत से विदेशी पार्टियों को बेच दिये गये हैं। शेष दो विमानों में से एक विमान के हिस्सों का अत्यधिक उपयोग कर लिया गया था और इसे बिक्री से हटा लिया गया तथा दूसरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसे बिक्री से हटा लिया गया था, जिसके लिए बीमा कम्पनी से मुआवजा मिल चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आधुनिक परिवहन विमानों के लिए कोई विशिष्ट कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है तथा ये विभाग तब तक प्रचालन में बने रह सकते हैं जब तक वे विनिर्माताओं तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित कार्य-विधियों के अनुसार उड़नयोग्यता बनाए रख सकते हैं।

(ङ) से (छ). ये प्रश्न नहीं उठते।

सीमापार गुप्त रेडियो गतिविधियां

1066. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22, 28 सितम्बर, 1996 के नई दिल्ली संस्करण 'द संडे आबजर्वर" में "हाई-टेक कांउटर आफेंसिव टू जैम आई एस आई रेडियो वेव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राजस्थान और गुजरात की सीमा पार से आई एस आई की गुप्त रेडियो गतिविधियों में हुई अचानक वृद्धि को किस प्रकार से रोके जाने तथा रेडियो तरंगों में उच्च प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात का निर्यात

1067. प्रो. रीता वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के इस्पात का निर्यात किया गया है;

(ख) विभिन्न देशों के पास कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो देशवार इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा निर्यात की गई इस्पात सामग्री की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (रुपये/करोड़)
1993-94	70.86	58.76
1994-95	79.02	84.96
1995-96	40.18	49.79

(ख) और (ग). निर्यात के संबंध में कोई धनराशि बकाया नहीं है।

[अनुवाद]

बिना चौकीदार वाले रेल फाटक पर चौकीदार की तैनाती

1068. श्री एन. डेनिस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेल सैक्शन पर पलियाडी रेल फाटक पर चौकीदार तैनात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संवेदनशील बिना चौकीदार वाले समपारों को योजनाबद्ध आधार पर अपेक्षित प्राथमिकता के अनुसार चौकीदार वाले समपारों में राज्य सरकार की सहायता से परिवर्तित किया जायेगा, जिन्हें प्रारंभिक पूंजीगत लागत के लिए निवेश करना होगा।

इस्पात उत्पादन हेतु नए एककों की स्थापना

1069. डा. एम. जगन्नाथ :

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लघु एवं मध्यम इस्पात उत्पादन एककों एवं लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार एवं स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में राज्यवार तथा स्थानवार इस्पात उद्योग के विस्तार/स्थापना हेतु क्या दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है; और

(घ) वर्ष 1996-97 में स्टेनलैस इस्पात एवं मिश्रित इस्पात के उत्पादन पर आयात शुल्क में अत्यधिक कमी का क्या प्रभाव पड़ा है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के क्षेत्राधिकार से भी छूट दे दी गई है। अतः इस्पात के उत्पादन/प्रक्रमण सुविधाओं की स्थापना हेतु, स्थान संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अतः उद्यमी अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर देश में कहीं भी ऐसी सुविधाएं स्थापित कर सकते हैं। इस समय केन्द्र सरकार का देश में इस्पात का उत्पादन करने वाली किसी नई ग्रीनफील्ड एकीकृत इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उड़ीसा राज्य सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लि. के नाम तथा पद्धति के तहत एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिसको साम्या में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की भागीदारी/साम्या में भागीदारी रखने का प्रस्ताव किया है।

(घ) 1996-97 के बजट में बेदाग इस्पात और मिश्र इस्पात पर उच्च आयात शुल्क में कमी करने से बेदाग इस्पात स्क्रैप जो कि बेदाग इस्पात उत्पादों के उत्पादन के लिए एक आधारभूत कच्ची सामग्री है, पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत यथा मूल्य कर दिया गया है। इससे मिश्र/बेदाग इस्पात उद्योग को लाभ मिलने की संभावना है।

खाड़ी देशों के लिए यात्रियों की संख्या

1070. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से खाड़ी देशों के लिए प्रतिमाह जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है;

(ख) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से खाड़ी देशों के लिए विमान सेवा आरम्भ करने हेतु किसी विदेशी कम्पनी ने पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) त्रिवेन्द्रम तथा गल्फ (सऊदी अरब तथा कुवैत सहित) के मध्य औसत मासिक यातायात 32,635 यात्रियों के क्रम में है।

(ख) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से विमान सेवाओं के प्रचालन हेतु सऊदी अरब तथा कतार की नामित विमान कंपनियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यू.ए.ई. ने भी अमीरात एयरलाइन के लिए सदृश यातायात अधिकार चाहा है।

(ग) तथा (घ). हमारे राष्ट्रीय वाहकों के पर्याप्त तत् प्रति के अभाव में तथा हवाई अड्डे पर आधारभूत संरचनात्मक कठिनाइयों के कारण अभी तक अनुरोधों पर सहमति नहीं हो पाई है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय कार्यक्रमों के चयन के लिए निर्धारित मानक

1071. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारण के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों के चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमांऊ क्षेत्र के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ग) ऐसे कितने कार्यक्रमों का चयन किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का इन क्षेत्रों में और अधिक क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रूग्ण उद्योगों का पुनरूद्धार

1072. श्री चित्त बसु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प. बंगाल के मजदूर संघ रूग्ण उद्योगों के पुनरूद्धार और बंद फैक्टरियों को पुनः चलाने के लिए आम हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य के मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत शुरू की है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए मालडिब्बों का आबंटन

1073. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को द्रुत पारगमन सेवा पुनः शुरू करने के संबंध में अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ, दिल्ली के महासंघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के तथा चालू वर्ष के दौरान अभी तक खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए आबंटित रेल मालडिब्बों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आबंटित मालडिब्बों की संख्या पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए और ज्यादा माल-डिब्बे स्थायी आधार पर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। अखिल भारतीय अनाज विक्रेता संगठन, दिल्ली से अनाज के दिल्ली से मद्रास तक के त्वरित पारगमन सेवा के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। रेल मंत्रालय द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार त्वरित पारगमन सेवा को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) से (घ). राष्ट्र की समग्र मांग को पूरा करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजे जाने वाले अनाज के संचलन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। व्यापारिक प्रयोजन के लिए किए जाने वाले अनाज के संचलन पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है। बहरहाल, परिचालनिक तात्कालिकताओं तथा दूसरे सामानों को प्राथमिकता देने के कारण मांग पत्र प्रस्तुत करने तथा माल डिब्बों

की आपूर्ति के बीच कुछ समय लग ही जाता है। 22.11.96 को 5 दिन पहले पंजीकृत मांग ही बकाया थी, जो पूरी तरह संतोषजनक है। केवल अनाजों के लिए माल डिब्बे निर्धारित नहीं हैं, बल्कि माल डिब्बों में पंजीकरण की तिथि की प्राथमिकता के आधार पर आबंटित किया जाता है। 1994-95 से 1996-97 (22.11.96 तक) के दौरान दिल्ली क्षेत्र में जनता हेतु अनाज का लदान इस प्रकार किया गया :-

अवधि (वर्ष)	लदान	उतराई
1994-95	1434	77
1995-96	3520	15971
1996-97 (22.11.96 तक)	3839	31817

दिल्ली डाकघरों में निजी दुकानों का आवंटन

1074. श्री हरिवंश सहाय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि दिल्ली सर्किल के डाकघरों में कई निजी दुकानों का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आवंटन में क्या मानदंड/नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकतर दुकानों का आवंटन नियम का उल्लंघन करते हुए अफसरों के प्रिय पात्रों को किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच करवाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). दिल्ली सर्किल में पंद्रह (15) पोस्टशॉप खोली जा चुकी हैं। पोस्टशॉप योजना का उद्देश्य उन वस्तुओं को डाकघर परिसर में सुलभ कराना है जिन वस्तुओं का डाकघरों के काम-काज के साथ संबंध है। इस योजना का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) जी नहीं। इन पोस्ट शॉप्स का आबंटन नियम औपचारिकताओं के पालन के उपरांत ही किया गया है।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

पोस्टशॉप योजना का ब्यौरा

1. पोस्ट शॉप्स उन डाकघरों में खोली जा सकती हैं जो विभागीय भवनों मे कार्य कर रहे हैं और जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
2. ऐसी पोस्ट शॉप खोलने के लिए लोगों से प्रस्ताव/निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इनकी जांच एक समिति करती है, जिसमें मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, सर्किल आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा अधीक्षक अभियंता (सिविल) शामिल होते हैं।
3. सभी बातों को समान मानते हुए, पोस्ट शॉप खोलने के बदले सबसे अधिक पारिश्रमिक की पेशकश करने वाली बोली को स्वीकार किया जाता है।
4. पोस्ट शॉप चलाने के लिए किसी काउंटर आदि के निर्माण में निहित व्यय का वहन चयनित उम्मीदवार द्वारा किया जाता है।
5. पोस्ट शॉप डाकघर के कार्यालय समय के दौरान कार्य करती है।

लाइसेंस से प्राप्त राशि

1075. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिये गये दूरसंचार लाइसेंसों से आगामी दस वर्षों में लाइसेंस से संबंधित कुल कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है;

(ख) इस संबंध में ऐसी कुल राशि कितनी है जिसका सरकार के चालू बजट में प्रावधान किया गया है; और

(ग) अब तक लाइसेंस के लिए धन दिये जाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I, II, और III में दी गयी है।

विवरण-I

(लाइसेंस फाइनेंस सेल)

आगामी 10 वर्षों में वसूल किये जाने वाला प्रत्याशित लाइसेंस शुल्क

क्र.सं.	सेवा	लाइसेंस शुल्क (करोड़ रुपये)
1.	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं	21050.96
2.	रेडियो पेजिंग सेवाएं	1503.09
3.	इलेक्ट्रानिक मेल सेवाएं	79.98
4.	वायस मेल/आडियोटेक्स सेवाएं	13.25
5.	पब्लिक मोबाइल ट्रंक रेडियो सेवाएं	10.85
6.	क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीएसएटी)	190.89
		222849.02

विवरण-II

(लाइसेंस फाइनेंस सेल)

विद्यमान बजट-96-97 में दर्शाया गया लाइसेंस शुल्क

क्र.सं.	सेवा का नाम	बजट अनुमान 96-97	संशोधित अनुमान 96-97
		(करोड़ रुपये)	
1.	बुनियादी सेवाएं	2074.72	614.40
2.	सेल्यूलर सेवाएं	1452.80	1478.33
3.	रेडियो पेजिंग सेवाएं	83.46	83.57
4.	अन्यू मूल्यवर्धित सेवाएं	19.50	19.52
	कुल	3630.48	2195.82

विवरण-III

(मूल्यवर्धित सेवाओं के लाइसेंस धारकों की सूची)

	लाइसेंस धारकों के नाम	सेवा क्षेत्र
	1	2
1.	**(क) महानगरों में सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं**	
1.	भारती सेल्यूलर लि.	दिल्ली
2.	स्टर्लिंग सेल्यूलर लि.	दिल्ली
3.	हुचिसन कैक्स टेलीकॉम लि.	बम्बई
4.	बीपीएल सिस्टम्स एण्ड प्रोजेक्ट लि.	बम्बई
5.	उषा मार्टिन टेलीकॉम लि.	कलकत्ता
6.	मोदी टेलस्ट्रा लि.	कलकत्ता
7.	स्काईसेल कॉम (प्रा.) लि.	मद्रास
8.	आरपीजी सेल्यूलर सर्विसेज लि.	मद्रास
	(ख) दूरसंचार सर्किलों में सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं	
1.	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.	हरियाणा, सर्किल, राजस्थान सर्किल उत्तर प्रदेश (पू.)
2.	फैस्सेल लि.	गुजरात
3.	हेक्साकॉम इंडिया लि.	राजस्थान, नार्थ ईस्ट
4.	जे.टी. मोबाइल लि.	आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक
5.	कोशिया टेलीकॉम प्रा. लि.	बिहार, उड़ीसा,उ.प्र.(प.), उ.प्र.(पू.)
6.	टाटा कम्युनिकेशन (प्रा.) लि.	आंध्र प्रदेश
7.	एस्कोटेल मोबाइल कॉम प्रा. लि.	हरियाणा, उ.प्र. (प.) कर्नाटक
8.	यूएस वेस्ट बीपीएल सेल्यूलर	तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र

1		2
9.	भारत टेलीनेट लि.	हिमाचल प्रदेश
10.	सेल्यूलर कॉम इंडिया लि.	मध्य प्रदेश
11.	मोदी कॉम नेटवर्क प्रा. लि.	कर्नाटक, पंजाब
12.	बिडला कम्यूनिकेशन्स लि.	गुजरात, महाराष्ट्र
13.	रिलायंस टेलीकॉम प्रा. लि.	मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, नार्थ ईस्ट, उड़ीसा
2.	**(क) शहरों में रेडियो पेजिंग-सेवाएं**	
1.	एबीसी कम्यूनिकेशन्स लि.	कानपुर, चण्डीगढ, लुधियाना, अमृतसर, जयपुर, वाराणसी, दिल्ली
2.	वेल्ट्रान लि.	नागपुर, सूरत,अमृतसर, लुधियाना, पटना, वाराणसी
3.	बीपीएल लि.	त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम
4.	डीजीएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, बम्बई, कानुपर, बंगलौर, कलकत्ता, मद्रास
5.	ईजीकाल लि.	कलकत्ता, हैदराबाद, पटना, विशाखापट्टनम, इंदौर नागपुर, भोपाल
6.	हुचिसन मैक्स लि.	बंगलौर, अहमदाबाद, चण्डीगढ़,हैदराबाद, लुधियाना, पुणे, बडौदा
7.	मेसर्स मैट्रिक पेजिंग सर्विसेज़	पुणे, बडोदरा, सूरत, राजकोट
8.	मैसर्स माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	दिल्ली, राजकोट, सूरत, बंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, बड़ोदरा
9.	मैसर्स मोदी टेलीकॉम लि.	मद्रास, लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, इंदौर, जयपुर, वाराणसी
10.	मेसर्स निका लि.	भोपाल, नागपुर
11.	मेसर्स आरपीजी लि.	अहमदाबाद, मद्रास, दिल्ली
12.	टेलीकॉम इनफारमेसन लि.	भोपाल, कोयम्बटूर, पटना
13.	मेसर्स उषा टेलीकॉम लि.	एर्नाकुलम, मदुरई, इन्दौर, कोयम्बटूर
14.	मेसर्स पेज प्वाइंट	बंगलौर, हैदराबाद, पुणे
15.	मेसर्स टेली सिस्टम लि.	बंगलौर, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, मद्रास, मदुराई, त्रिवेन्द्रम
16.	मेसर्स पनवायर पेजिंग सर्विसेज	अमृतसर
17.	मेसर्स वेस्टन पेजर्स लि.	चण्डीगढ़, जयपुर, कानुपर, लखनऊ, नागपुर, राजकोट, सूरत, त्रिवेन्द्रम, बड़ोदरा, विशाखापट्टनम
18.	मेसर्स आइडर पीडब्लूआई पेजिंग लि.	दिल्ली, कलकत्ता, बंबई
19.	मेसर्स आइडर पीडब्ल्यूआई कम्यूनिकेशन्स लि.	अहमदाबाद, बंगलौर, चण्डीगढ़, एर्नाकुलम, जयपुर, मद्रास, पुणे, और बड़ोदरा
2.	**(ख) दूरसंचार सर्किलों में रेडियो पेजिंग सेवाएं**	
1.	एबीसी कम्यूनिकेसन्स प्रा.लि.	जम्मू और कश्मीर
2.	बीपीएल वायरलेस टेलीकॉम सर्विसेस	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
3.	ईजीकाल कम्यूनिकेसन्स प्रा.लि.	असम, नार्थ ईस्ट सर्किल,पश्चिम बंगाल सर्किल

1		2
4.	हुचिसन मैक्स टेलीकॉम	पंजाब सर्किल
5.	मेसर्स माइक्रोवेव कम्युनिकेशन्स लि.	नार्थ ईस्ट सर्किल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सर्किल
6.	मेसर्स मोदी कोरिया टेलीकॉम लि.	मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल
7.	नीदरलैंड्स कम्यूनिकेसन्स प्रा.लि.	अण्डमान निकोबार, असम, जम्मू और कश्मीर
8.	पनवायर मोबाईल कम्यूनिकेसन्स लि.	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश
9.	पनवायर पेजिंग सर्विसेज लि.	हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब
10.	टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा. लि.	उड़ीसा
3.	**इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवाएं**	
1.	मैसर्स आई.सी नेट प्रा. लि.	देशव्यापी सेवा
2.	मैसर्स डॉटा लाइन एण्ड रिसर्च लि.	-वही-
3.	मैसर्स डॉट प्रो इनफर्मेशन टेक प्रा. लि.	-वही-
4.	मैसर्स वाइप्रो वी टी टेलीकॉम लि.	-वही-
5.	मैसर्स स्प्रिन्ट आरपीजी (आई) लि.	-वही-
6.	मैसर्स ग्लोबल टेलीकॉम सर्विसेज	-वही-
7.	मैसर्स वीएसएनएल, बम्बई	-वही-
8.	मैसर्स सीजी ग्राफनेट प्रा.लि.	-वही-
9.	मैसर्स अर्चना टेलीकॉम सर्विसेज	-वही-
10.	मैसर्स सीएमसी लि.	-वही-
11.	मैसर्स स्विफ्ट मेल	-वही-
12.	मैसर्स एलनेट टेक लि.	-वही-
13.	मैसर्स महिन्द्र नेटवर्क लि.	-वही-
14.	मैसर्स बिजनेस इण्डिया इनफरमेशन	-वही-
15.	मैसर्स सत्यम इन्फोवे प्रा.लि.	-वही-
4.	**वॉयस मेल/आडियोटैक्स सेवाएं**	
1.	मैसर्स मोदी टेलस्ट्रा प्रा.लि.	बम्बई
2.	मैसर्स हाई टेक टेली ऐक्सेल	बंगलौर
3.	मैसर्स मोदी कोर्स लि.	चंडीगढ़, इंदौर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, वाराणसी
4.	मैसर्स उषा आडियोटेल लि.	बम्बई
5.	मैसर्स दास मोबाइल कम्यूनिकेशन्स	लखनऊ, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई
6.	मैसर्स ग्लोबल टेलीकॉम सर्विसेज	पुणे
7.	मैसर्स हुचिसन मैक्स टेलीकॉम प्रा. लि.	मुम्बई
8.	मैसर्स माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत

1		2
5.	**64 केबीपीएस डॉटा के नेटवर्क(वीएलएटी) के क्लोज्ड यूजर ग्रुप**	
1.	मैसर्स ह्यूज एढकार्ट्स कम्यूनिकेशन्स	सम्पूर्ण भारत
2.	मैसर्स काम्प सैट मैक्स प्रा. लि.	"
3.	मैसर्स आरपीजी, सेटलाइट कम्यूनिकेशन्स लि.	"
4.	मैसर्स वाइप्रो बी टी लि.	सम्पूर्ण भारत
5.	मैसर्स अमेडियस इनवेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस	"
6.	मैसर्स एचसीएल कामनेट सिस्टम्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	"
7.	मैसर्स डॉटा लाइन एण्ड रिसर्च टेक	"
8.	मैसर्स एच एफ सी एल सेटलाइट कम्यूनिकेशन्स लि.	"
9.	मैसर्स रामा एसोसिएट्स लि.	"
10.	मैसर्स आईटीआई लि.	"
11.	मैसर्स मार्कसैट कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	"
12.	मैसर्स सैटनेट कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	"
13.	मैसर्स पंजाब वायॅरलेस सिस्टम्स लि.	"

6. सार्वजनिक सचल रेडियो ट्रंक सेवा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	मैसर्स लेन असेडा इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	जालंधर, बंगलौर, चंडीगढ़, पुणे, थाणे, वाशी, सूरत, बड़ोदा, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, कोइम्बटूर, मैसूर, हैदराबाद, मद्रास,
2.	मैसर्ज आर्यदूत	विशाखापट्टनम·
3.	मैसर्ज जैसमीन	कट्टक, भुवनेश्वर, धनबाद, भोपाल, अमृतसर
4.	मैसर्ज आई टी आई लि.	मदुरै, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरूपति,औरंगाबाद,भोपाल,इन्दौर
5.	मैसर्ज जेट एआईयू स्काई लाइन ट्रांसपोर्ट कम्पनी लि.	इन्दौर
6.	मैसर्ज रासेल टेलीकॉम प्रा. लि.	इन्दौर
7.	मैसर्ज लिंकवेल टेलीसिस्टम्ज (प्रा.) लि.	काकीनाडा
8.	मैसर्ज पनवायर ट्रंकिंग सर्विसेज लि.	भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, विजयवाड़ा, जालंधर, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, भोपाल, इन्दौर, सूरत, त्रिवेन्द्रम, कलकत्ता, बड़ोदरा, पुणे, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, पटना, बेंगलूर, नागपुर, अहमदाबाद, कोचिन, कोयम्बटूर
9.	मैसर्ज डार्कन सिस्टम्ज (प्रा.) लि.	भड़ूच
10.	मैसर्ज आइकोनेट कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	कोडईकनाल, कोटगिरी, येरकौड, एलगिरि
11.	मैसर्ज लिंकवेल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	विशाखापट्टनम
12.	मैसर्ज प्रोकॉल प्रा.लि.	इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, जम्मू, गाजियाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत

1	2	3
13.	मैसर्ज प्यारेलाल गुटा प्लानटेशन्ज लि.	गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुडगांव
14.	मैसर्ज केएलजी सिस्टेल लि.	बड़ोदरा, सूरत, अंकलेश्वर, दुर्गापुर, बोकारो, दिल्ली, अहमदाबाद, बंबई, भिलाई, जमशेदपुर।
15.	मैसर्ज भीलवाड़ा टेलीनेट सर्विसेज लि.	बड़ोदरा, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली।
16.	मैसर्ज इन्टरलिंक कम्यूनिकेशन्स लि.	सूरत
17.	मैसर्स एडीएस कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	बड़ोदरा, अहमदाबाद, बेंगलूर
18.	मैसर्स यूनाइटेड लाइनर एजेंसिंज ऑफ इंडिया	दिल्ली, काण्डला, क़ोयम्बटूर, बेलापुर, कलकत्ता, हैदराबाद, जामनगर, मद्रास
19.	मैसर्स एंको कम्यूनिकेशन्स लि. बेंगलूर	बेंगूलर, मैंगलौर
20.	मैसर्ज ग्लोबल टेली-सिस्टम्स लि. बम्बई	कलकत्ता
21.	मैसर्ज ग्लोबल टेलीकॉम सर्विसेज लि. बम्बई	पुणे, नागपुर, बम्बई, वाशी, थाणे, अस्वाली, बेलापुर, सनसवाडी, ईगतपुरी, कोल्हापुर, खोपोली, खडवाली, खद्राढी, खण्डाला, तालेगांव, औरंगाबाद, नासिक
22.	मैसर्स ग्लोबल वॉयरलेस टेक्नोलॉजी लि.	मद्रास, बेंगलूर, गोवा, नई दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद
23.	मैसर्स सोनमोक्स मोबिलकॉम प्राइवेट लि. बेंगलूर	हैदराबाद, बेंगलूर, कोयम्बटूर, मैंगलौर, मद्रास
24.	मैसर्स हारिफनटेल लि., मद्रास	बंबई, कोयम्बटूर, मद्रास, बेंगलूर, हैदराबाद
25.	मैसर्स क्विक काल्ज प्रा. लि., नई दिल्ली	मद्रास, एर्नाकुलम, बेंगलूर, हैदराबाद
26.	मैसर्स सुप्रीम टेलीकॉम प्रा. लि. बम्बई	बम्बई, पुणे, मेंगलौर, बेंगलूर, नाजीरा, इन्दौर, रायपुर
27.	मैसर्स स्मार्टाक प्रा.लि. नई दिल्ली	सूरत, बंबई, अहमदाबाद, पुणे, वाशी
28.	मैसर्ज द अरविन्द मिल्स लि. पुणे	सूरत, बड़ोदरा, बेंगलूर, गाजियाबाद, गुडगांव, फरीदाबाद, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, पुणे, वाशी, दिल्ली, बम्बई, मद्रास
29.	मैसर्स आप्ट्रान इंडिया लि. लखनऊ	नोएडा, लखनऊ
30.	मैसर्स के स्टीमशिप एर्जेंसिज प्रा. लि. बम्बई	कलकत्ता
31.	मैसर्ज कन्टेना मूवमेंट ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.	दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे
32.	मैसर्ज आर्य ऑफशोर सर्विसंज प्रा. लि.नई दिल्ली	गोवा, बम्बई, मद्रास
33.	मैसर्ज जमेन एक्पो,शिपिंग एजेंसी नई दिल्ली	बेलापुर, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता
34.	मैसर्ज आर्य ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. बंबई	बेंगलूर
35.	मैसर्ज उशांक टेलीकॉम लि., नई दिल्ली	होडल, धारूहेडा, मेरठ, नई दिल्ली
36.	मैसर्ज डार्कन सिस्टम प्रा. लि. बडोदरा	अहमदाबाद, बडोदरा, नाडियाड, सूरत
37.	मैसर्ज रैडियंट इलेक्ट्रॉनिक्स लि, भुवनेश्वर	फूलंखारा, दैतरी, अगुल, ब्रजनगर, राउरकेला
38.	मैसर्स पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लि.	इन्दौर, भोपाल
39.	मैसर्ज आयडर इलेक्ट्रॉनिक्स चंडीगढ़	नई दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, मद्रास, कलकत्ता, बेंगलूर, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चण्डीगढ़, सूरत, बड़ोदरा

राउरकेला इस्पात संयंत्र का बन्द किया जाना

1076. श्री भक्त चरण दास : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की इलेक्ट्रिकल शीट मिल बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मिल को पुनः खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). मांग में कमी,और बाजार मूल्य की तुलना में उच्च उत्पादन लागत के कारण राउरकेला इस्पात संयंत्र की इलैक्ट्रिकल शीट मिल से तप्त बेल्लित डायनामों चादरों का उत्पादन फिलहाल बन्द कर दिया गया है। उत्पादन का पुनः शुरू होना आर्थिक व्यवहार्यता और भविष्य में उत्पाद की मांग पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

रेल लाइनें

1077. श्री एन.जे. राठवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा तथा विशेषरूप से गुजरात सरकार द्वारा रेल लाइनों के संबंध में भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्यवार आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). राजकोट-वेरावल,नवलाखी-वांकानेर-मलिया, सुरेन्द्रनगर-भावनगर, वीरमगाम-मेहसाणा-पाटन, सुरेन्द्रनगर-राजुला, कलोल-वीजापुर, अहमदाबाद-हिम्मत नगर, ध्रांगध्रा-कुडरा नमक साइडिंग गांधीधाम-भुज-नलिया, जोरावरनगर-सायला भरूच-दहेज रेल संपर्क को बेदी पोर्ट से तथा गांधीनगर को दिल्ली-नई दिल्ली से जोड़ने के लिए गुजरात सरकार से आमान परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

इनमें से वांकानेर-दहिनसर-नवलाखी तथा दहिनसर-मलिया मियाना, वीरमगाम-मेहसाणा, गांधीधाम-भुज, राजकोट-वेरावल के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है। सुरेन्द्रनगर-भावनगर लाइन के आमान परिवर्तन तथा इसके पिपाव तक विस्तार के लिए तथा विरार अहमदाबाद के बीच तीसरे रेलपथ के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और मंत्रालय इस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है। गांधीनगर को दिल्ली/नई दिल्ली तथा भुज-नलिया से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है।

ध्रांगध्रा-कुडा नमक साइडिंग के आमान परिवर्तन का कार्य तभी शुरू हो सकेगा, जब गुजरात सरकार, नमक कमिश्नर और इस मंत्रालय के बीच लागत की भागीदारी के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

(ग) रेलों द्वारा राज्यवार निधि को आवंटन का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

कलकत्ता की भूमिगत मैट्रो गाड़ी में आग

1078. श्री मोहन रावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1995 में कलकत्ता की भूमिगत मैट्रो गाड़ी में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या आग के संबंध में न्यायिक जांच से यह पता लगा है कि इसका कारण तोड़-फोड़ था;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। 17.11.95 को 6.55 बजे सेंट्रल स्टेशन पर अप पायलट खाली कोचिंग रेक, जो किसी भी यात्री को नहीं ले जा रहा था, के एक सवारी डिब्बे के नीचे थोड़ी आग लगी थी।

(ख) प्रभावित सवारी डिब्बे के पिछले सिरे के जंक्शन बाक्स के पावर क़ेबल के कटे होने के कारण आग लगी थी, जिसे तोड़-फोड़ की कार्यवाही समझा गया है।

(ग) केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला/कलकत्ता से प्राप्त फोरेंसिक रिपोर्ट में पावर केबल को काटने के लिए औजार का प्रयोग किये जाने का उल्लेख है।

(घ) रीजेंट पार्क पुलिस थाना, कलकत्ता में 17.11.95 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिन्होंने 120 बी, भारतीय दंड संहिता के साथ पठित रेल अधिनियम के खण्ड 126(ए)(1)/128 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है।

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :-

1. इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु रेलवे स्टाफ को अनजान व्यक्तियों के संबंध में अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
2. अनुरक्षण शैडों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना

1079. श्री के.पी. सिंह देव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है; और

(ग) शेष किन-किन राज्यों द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). पर्यटन विभाग की पहल पर निम्नलिखित राज्यों ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है :-

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू-कश्मीर
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. तमिलनाडु
10. त्रिपुरा
11. कर्नाटक
12. उत्तर प्रदेश
13. पांडिचेरी
14. महाराष्ट्र
15. मिजोरम
16. अरूणाचल प्रदेश
17. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह
18. राजस्थान
19. लक्षद्वीप
20. उड़ीसा
21. चण्डीगढ़
22. पश्चिमी बंगाल

पर्यटन से सम्बन्धि कार्यकलापों के लिए शेष राज्य विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

पूर्णिया रेलवे स्टेशन से आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए मांग

1080. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार (पूर्णिया) रेलवे स्टेशन से सभी गाड़ियों के आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). पूर्णिया से सभी श्रेणियों में आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने की मांग प्राप्त हुई है। गाड़ियों में सीमित स्थान उपलब्ध होने तथा सभी कोटाधारी स्टेशनों पर कोटे का पूर्ण उपयोग होने के कारण वर्तमान में कोटा बढ़ाया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

सतना और रीवा हवाई अड्डों की कार्यप्रणाली

1081. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में सतना और रीवा हवाई अड्डों की कार्यप्रणाली को आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). सतना हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित है। किसी भी एयरलाइन ने इस हवाई अड्डे के लिए/से प्रचालन करने में रूचि नहीं दिखाई है। रीवा हवाई अड्डा मध्य प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रेल लाइनें

1082. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान प्रत्येक जोन में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुलों व रेल लाइनों के नष्ट होने के कारण कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इन रेल लाइनों की मरम्मत का कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो कितना कार्य पूरा किया गया है;

(ङ) इस पर कितना खर्च हुआ है; और

(च) प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के कारण अलग-अलग कितनी गाड़ियां रद्द की गई और कितने दिनों के लिए रद्द की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेडियो स्टेशन की स्थापना

1083. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमगंज में एक रेडियो स्टेशन बनाये जाने के संबंध में असम राज्य सरकार का कोई अभ्यावेदन काफी लम्बे समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). असम में करीमगंज में रेडिया स्टेशन स्थापित करने संबंधी स्कीम अनुमोदित 8वीं योजना का एक हिस्सा नहीं थी। तथापि, लगातार मांग को देखते हुए करीमगंज में 20 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर सहित एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु एक स्कीम तैयार की गई है बशर्ते निधियों एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1084. डा. कृपासिन्धु भोई :

श्री सौम्य रंजन :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वी.आई.एस.एल.के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई है/किए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). वी.आई.एस.एल. में आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय व्यवहार्यता और अपेक्षित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता दीर्घकाल में पूर्वापेक्षा है। वी.आई.एस.एल. की पूर्णतया परिवर्तन नीति के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए मैसर्स एम.एन.दस्तूर एण्ड कम्पनी को लगाया गया था। इस रिपोर्ट में अल्पकालीन योजना के अन्तर्गत 43.42 करोड़ रुपए और दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत 572.61 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय की परिकंल्पना की गई है। वी.आई.एस.एल. बोर्ड ने अल्पकालीन योजनाओं को सिद्धान्ततः मंजूरी दे दी है। विस्तृत इंजीनियरी और कार्यान्वयन के लिए सेल का एक आन्तरिक सुविधा तंत्र सी.ई.टी., रांची के साथ वी.आई.एस.एल. पहले ही विचार-विमर्श कर रहा है। इसमें इस्पात गलनशाला, रोलिंग मिल और फिनिशिंग क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) और (घ). "सेल" ने दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित अपने तीन एकीकृत इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण कार्य शुरू कर रखा है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी.)

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण 16 टर्नकी पैकेजों जिनमें से 6 अन्तर्राष्ट्रीय और 10 स्वदेशी हैं, के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी प्रमुख सुविधाएं पूरी/चालू हो गई हैं और शेष कार्यों के मार्च, 1997 तक प्रगामी रूप से पूरा किए जाने की सम्भावना है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण के अद्यतन लागत अनुमान (आधार 1996 की तीसरी तिमाही के मूल्य) लगभग 4848 करोड़ रुपये (सेल द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है) है। सितम्बर, 1996 तक संचयी व्यय 4347.72 करोड़ रुपए है।

ख. राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.)

सम्पूर्ण आधुनिकीकरण कार्य को दो चरणों अर्थात चरण-I (9 स्वदेशी टर्नकी पैकेज) और चरण-II (15 स्वदेशी और 5 अन्तर्राष्ट्रीय टर्नकी पैकेज) में निष्पादित किया जा रहा है। चरण-I की प्रमुख उत्पादन सुविधाएं मार्च, 1994 तक पूरी कर ली गई हैं। चरण-II के लिए 15 स्वदेशी पैकेजों में से 9 पैकेज संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 2 पैकेज संबंधी कार्य आंशिक रूप से पूरे कर लिए गए हैं और 5 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों में से 2 पैकेज संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 3 पैकेज संबंधी कार्य आंशिक रूप से पूरे कर लिए गए हैं। शेष

कार्य कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं। आधुनिकीकरण कार्य अप्रैल, 1997 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

इस परियोजना को अनुमोदित संशोधित लागत अनुमान (आर.सी.ई.) 3954 करोड़ रुपए है। सितम्बर, 1996 तक संचयी व्यय 3127 करोड़ रुपए है।

ग. बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.)

बोकारो इस्पात संयंत्र (स्टेज-I) का आधुनिकीकरण 4 मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों और 34 स्वदेशी पैकेजों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न पैकेजों के रूपांकन इंजीनियरी, सिविल और संरचनात्मक कार्य पूरे होने वाले हैं। उपस्करों की सप्लाई और इनकी स्थापना संबंधी कार्य चल रहे हैं। आधुनिकीकरण संबंधी कार्य के अनुसूची के अनुसार जुलाई, 1997 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

इस परियोजना का अनुमोदित संशोधित लागत अनुमान (आर सी ई) 1792.90 करोड़ रुपए है। सितम्बर, 1996 तक संचयी व्यय 1004.38 करोड़ रुपए है।

दूरदराज और पिछड़े क्षेत्र हेतु विमान सेवा

1085. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कुछ सूचीबद्ध विमान कम्पनियों द्वारा दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों के लिए विमान सेवाएं चलाने की प्रतिबद्धता का अनुपालन नहीं करने को गम्भीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिबद्धता नहीं निभाने वाली विमान कम्पनियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एयरलाइनों के प्रचालकों को अपने मार्गों का चयन करने की छूट है। तथापि, सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग प्रकीर्णन मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार, सभी अनुसूचित प्रचालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रंक मार्गों पर लगी अपनी क्षमता में से कम से कम 10 प्रतिशत क्षमता को पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप में लगाएं। उन दोषी एयरलाइनों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है जो कथित मार्गदर्शी-सिद्धांतों के पालन करने में असफल रहती है।

हाल ही में, मै. मोदीलुफ्त तथा मै. सहारा इंडिया एयरलाइन्स के प्रचालनों में इन मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ट्रंक मार्गों पर कटौती की थी।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त रेल पास देना

1086. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान आज तक रेल यात्रा श्रेणी की पात्रता सहित जिन स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त रेल पास दिये गये हैं, उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त सुविधा के विस्तार हेतु रेलवे ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि व्यय की?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क)

स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या	श्रेणी के हकदार
47,849	I/II वाता.

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों को जारी कार्ड पासों की लागत गृह मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है जो कि गत तीन सालों में निम्नानुसार है :—

1993-94 = 53.04 करोड़ रुपये

1994-95 = 44.88 करोड़ रुपये

1995-96 = 65.40 करोड़ रुपये

(जुलाई "96 तक)

मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी द्वारा प्राप्त दावे

1087. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (दावा) के कार्यालय में जनवरी, 1996 से आजतक विभिन्न प्रकार के कितने दावे प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उनमें से कितने दावों का निपटान कर लिया गया है और कितने दावे लंबित पड़े हुए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 31.10.96 तक 37346 दावा मामलों को दर्ज किया गया।

(ख) निपटाए गए दावा मामलों की संख्या 32406 तथा लम्बित पड़े हुए दावा मामलों की संख्या 4990 है।

[अनुवाद]

टेलीफोन टेपिंग

1088. श्री प्रमोद महाजन : क्या **संचार मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अति विशिष्ट व्यक्तियों के टेलीफोन टेपिंग के आरोपों के बारे में प्रधान मंत्री के निर्देश के तहत कोई सीबीआई जांच करायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि दिनांक 4.8.96 के "एशियन एज" तथा "सन्डे टाइम्स" में इस आरोप की खबरें छपीं थीं कि कई राजनेताओं के टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को 1.6.1996 से कथित रूप से टेलीफोन टैप करने के मामले को निष्पक्ष जांच करने का निदेश दिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अपराध शाखा-I ने 7.8.1996 को मामला दर्ज किया।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त आरोपों के बारे में अपना जांच कार्य पूरा करने के पश्चात् 4.9.1996 को माननीय प्रधान मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट में न तो किसी साक्ष्य का उल्लेख है और न ही ऐसा संकेत है जिससे यह पता चल सके कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों में उल्लिखित किसी भी राजनैतिक व्यक्ति के टेलीफोन को 1.6.96 से किसी सरकारी एजेंसी द्वारा बीच में सुना (इन्टरसेप्ट) गया हो। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रधान मंत्री ने टेलीफोन सुनने के कोई आदेश नहीं दिए थे।

(ङ) उक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कानपुर दूरभाष केन्द्र में धांधली

1089. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में दूरभाष केन्द्रों में धांधली की जानकारी है जहां कि पल्स दर मीशनों में छेड़छाड करके दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित 16 के.सी. पल्स दर के स्थान पर पल्स आई.सी. को बदल दिया जाता है और स्थानीय काल सेवा को पांच मिनट की बजाए तीन मिनट की कर दिया जाता है और 1.39 रुपये के स्थान पर 2.00 रुपये वूसल किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कितने राजस्व की हानि होती है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) शून्य।

(ग) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच की गई हैं। ऐसे एक एस टी डी/पी सी ओ तथा 10 स्थानीय पी सी ओ के कनेक्शन काट दिए हैं, जहां इस किस्म का अनाचार पाया गया था।

[अनुवाद]

घटिया केबल

1090. श्री जी.एम. कुंदूरकर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में, नांदेड़ टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा दूरभाष लाइनों में घटिया केबल का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नांदेड़ में हुई राजस्व की हानि तथा खराब दूरभाष सेवाओं के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

कारखाना परिसर में दूरसंचार विभाग के गुणवत्ता आश्वासन स्कंध द्वारा विधिवत परीक्षित दूरसंचार विभाग के विनिर्देशनों के अनुसार केबल स्टैण्डर्ड केबलों की ही खरीद की जाती है और उनका प्रयोग नांदेड़ टेलीफोन एक्सचेंज के प्राधिकारियों द्वारा नांदेड़, महाराष्ट्र में टेलीफोन लाइनों की संस्थापना के लिए किया जाता है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

1091. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर और क्यूल रेलवे सैक्शन के बीच कजरा से क्यूल रेल लाइन के दोहरीकरण का विचार त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस लाइन पर दोहरीकरण के कार्य को पुनः कब तक आरम्भ किया जाना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). इस खंड पर यातायात के स्तर और यातायात प्रक्षेपण को देखते हुए फिलहाल इसका दोहरीकरण करने का औचित्य नहीं है।

[अनुवाद]

प्रतीक्षा अवधि

1092. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन हेतु औसत प्रतीक्षा अवधि कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार आज की तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में दूरसंचार प्रणाली के विकास में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में सर्किलों से श्रेणी-वार ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं तथा सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) दिनांक 31.10.96 की स्थिति के अनुसार, लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान, दूरसंचार विभाग द्वारा 24.5 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, इस तरह आठवीं योजना के दौरान 86 लाख नए कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। भविष्य में एक उच्च अभिवृद्धि दर बनाए रखने का भी प्रस्ताव है।

विवरण

दिनांक 31.10.96 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	215625
2.	असम	27335
3.	बिहार	57435
4.	गुजरात (दादर, दिव, दमन तथा नागर हवेली सहित)	284644
5.	हरियाणा	97297
6.	हिमाचल प्रदेश	46588
7.	जम्मू तथा कश्मीर	28844
8.	कर्नाटक	230318
9.	केरल (लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र सहित)	590330
10.	मध्य प्रदेश	62223
11.	महाराष्ट्र (गोआ सहित)	388276
12.	उत्तर पूर्व (अरूणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड त्रिपुरा सहित)	14920
13.	उड़ीसा	23057
14.	पंजाब (चण्डीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र सहित)	228129
15.	राजस्थान	188753
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी पूर्वी सहित)	442902
17.	उत्तर प्रदेश	178104
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम तथा अन्डमान व निकोबार सहित)	156759
19.	दिल्ली	73861

मुम्बई दूरदर्शन में विदर्भ क्षेत्र के समाचारों को शामिल करना

1093. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई से प्रतिदिन प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में विदर्भ क्षेत्र के समाचारों को शामिल नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस क्षेत्र के समाचारों के प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा गये हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रोडक्शन स्टूडियो स्थापित करने तथा नागपुर दूरदर्शन केन्द्र पर अन्य सुविधाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). विद्यमान आधारभूत सुविधाओं की सीमा के भीतर समाचार महत्व एवं समाचार उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में विदर्भ क्षेत्र से संबंधित समाचार मद शामिल किए जाते हैं।

(घ) और (ङ). जी, हां। नागपुर के मौजूदा कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र का तकनीकी तथा कार्यालय क्षेत्र सहित 150 वर्ग मी. स्टूडियो के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इस परियोजना के 1997 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

दूरसंचार परियोजनाएं

1094. श्री संदीपान थोरात : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी कंपनियों को दी गई परियोजनाओं में प्रमुख शहरों में प्रमुख दूरसंचार परियोजनाओं के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है और निर्धारित लक्ष्य और वास्तव में की गई प्रगति में वित्तीय और समय निर्धारण की स्थिति क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार परियोजनाओं में घोटालों का पता लगने से दूरसंचार परियोजनाओं/नीतियों को धक्का लगा है;

(ग) यदि हां, तो दूरसंचार क्षेत्र में निजीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शी नीतियां तैयार करने और प्रक्रिया को चुस्त बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) वित्तीय संस्थाओं के लिये मूल टेलीफोन कार्य को आकर्षक बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है और नीतिगत परिवर्तन को अन्तिम रूप दिये जाने/विचाराधीन होने का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अत्रेय समिति ने संचार क्षेत्र के पुनर्गठन के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(च) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) प्रमुख दूरसंचार परियोजना का काम निजी कम्पनियों को नहीं सौंपा गया है। तथापि, मूल्य वर्धित सेवाओं के प्रचालन के लाइसेंस दिए गए हैं। अभी तक बुनियादी टेलीफोन सेवा के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ख) जी नहीं। दूरसंचार परियोजनाओं/नीतियों में कोई अड़चन नहीं आई है।

(ग) उक्त भाग "ग" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार, भावी लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की प्रतिभूति के सीमित उद्देश्य के लिए लाइसेंस के प्रयोग हेतु बुनियादी टेलीफोन सेवा के लाइसेंस करार में उपयुक्त उपबंध करने पर विचार कर रही है। ताकि लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं को उन्हें आबंटित दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था हेतु उनकी परियोजनाओं के लिए आसानी से वित्त प्राप्त हो सके।

(ङ) अत्रेय समिति ने सर्वसम्मत सिफारिशें नहीं की। समिति ने भविष्य में अपनाए जाने वाले किसी भी ढांचे में "नीति" व्यवस्था को "नियमन" व्यवस्था से अलग करने की सिफारिश तो की परन्तु दूरसंचार विभाग के संगठन के भविष्यगामी स्वरूप के बारे में समिति के सदस्यों के विचार अलग-अलग थे।

(च) निगमितीकरण किए जाने से वित्तीय भार बढ़ने, दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए जाने तथा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में इस परिकल्पना को देखते हुए कि प्रत्येक सर्किल में बुनियादी सेवाएं सरकार तथा निजी प्रचालकों की दोहरी व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, निगमितीकरण के बारे में की गई सिफारिशों पर आगे कार्रवाई नहीं की गई।

[हिन्दी]

फोन मैकेनिक संवर्ग पद

1095. डा. बलिराम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग विशेषकर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में फोन मैकेनिक के नये संवर्ग पदों का सृजन किया है;

(ख) क्या कर्मचारियों को पद संबंधी प्रशिक्षण दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्किलवार उनकी संख्या कितनी है और उन पर कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या सभी प्रशिक्षित कर्मचारियों को उनके पदानुसार नियुक्त कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कब तक उनकी सेवाओं का उपयोग किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली सहित दूरसंचार विभाग में फोन मैकेनिकों का एक संवर्ग बनाया गया है।

(ख) प्रशिक्षण कार्य चल रहा है।

(ग) अन्य संवर्गों सहित फोन मैकेनिक के संवर्ग के लिए प्रशिक्षण, विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाता है। अलग-अलग संवर्गों के लिए कोई अलग बजट आबंटन नहीं किया जाता है।

सर्किलवार प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अपेक्षित संख्या में पद उपलब्ध न होने के कारण।

(छ) यह कार्यभार पर निर्भर करता है। कोई निश्चित समयावधि नहीं दी जा सकती है।

विवरण

फोन मैकेनिकों के प्रशिक्षण की स्थिति

क्र.सं.	सर्किल	प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	35	31
2.	आंध्र प्रदेश	9365	3900
3.	असम	1899	995
4.	बिहार	1429	1397
5.	हरियाणा	1255	930
6.	हिमाचल प्रदेश	772	640
7.	गुजरात	5210	3057
8.	जम्मू तथा कश्मीर	900	864
9.	कर्नाटक	4580	2525
10.	केरल	8547	743
11.	मध्य प्रदेश	1650	1252
12.	महाराष्ट्र	6657	2953
13.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	501	401
14.	उड़ीसा	2185	965
15.	पंजाब	1928	1729
16.	राजस्थान	2085	1476
17.	तमिलनाडु	8954	3058
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	4673	3781
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3158	2302
20.	पश्चिम बंगाल	4451	1930
21.	म.टे.नि.लि., मुंबई	4731	1986
22.	म.टे.नि.लि., नई दिल्ली	2970	1617
23.	कलकत्ता टेलीफोन्स	3235	2182
24.	चेन्नई टेलीफोन्स	3669	1097

[अनुवाद]

नए टेलीफोन एक्सचेंज

1096. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1997-98 के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) संगत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में खानपान सेवाएं

1097. श्री मुरलीधर जेना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में खानपान सेवा के स्तर में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लगभग आधी रेलगाड़ियों में रेलगाड़ियों के अन्दर ही खान-पान सेवा शुरू नहीं की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक कितने प्रतिशत रेलगाड़ियों में ये सेवाएं शुरू की गई है;

(ङ) क्या खान-पान सेवाएं प्रदान करने वाले निजी ठेकेदारों की सेवाएं सन्तोषप्रद नहीं हैं और यात्रियों को घटिया स्तर पर भोजन परोसा जा रहा है;

(च) क्या यात्रियों ने इस संबंध में शिकायत की है;

(छ) यदि हां, तो क्या भोजन की गुणवत्ता और सेवा की जांच करने के लिए रेलगाड़ियों में ही कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) और (घ). यात्रियों की खान-पान आवश्यकताएं सामान्यतः मार्ग में पड़ने वाली स्थैतिक खान-पान इकाइयों से पूरी की जाती है। कतिपय लम्बी दूरी की गाड़ियों में रसोईयान की व्यवस्था गाड़ी की महत्ता, चालन समय, ठहराव, मार्गवर्ती स्थैतिक इकाइयों से खान-पान सेवाओं की पर्याप्तता, समय क्रम आदि को देखते हुए की जाती है जो रसोई यानों की उपलब्धता और गाड़ी के अधिकतम अनुमेय भार पर निर्भर करती है। रसोई यान सेवा 133 जोड़ी गाड़ियों में उपलब्ध है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्राप्त शिकायतों की विधिवत जांच की जाती है और दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(छ) और (ज). जी हां। रेलों पर भोजन की गुणवत्ता और मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के स्तर की जांच करने के लिए वाणिज्यिक, चिकित्सा और अन्य रेल अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्रित किए जाते हैं। दोषी कर्मचारियों/ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

त्वरित कार्रवाई दल का गठन

1098. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किसी त्वरित कार्रवाई दल का गठन किया गया है;

(ख) उन मेल और एक्सप्रेस रेलगाडियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए त्वरित कार्रवाई दल का गठन किया गया था;

(ग) क्या यह सुविधा अब कुछ और मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए भी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). त्वरित कार्रवाई दल योजना अक्तूबर, 94 में शुरू की गई थी और आरंभ में 10(दस) गाड़ियां नामित की गई थीं। इस सुविधा का ओर आगे विस्तार किया गया है और वर्तमान में यह सुविधा संलग्न विवरण के अनुसार 30(तीस) जोड़ी गाड़ियों में चलाई जा रही है।

विवरण

रेलवे	गाड़ी संख्या और नाम
1	2
मध्य	1019/1020 कोणार्क एक्सप्रेस
	1081/1082 कन्याकुमारी एक्सप्रेस
पूर्व	2311/2312 कालका मेल
	3231/3232 दानापुर एक्सप्रेस
	2381/2382 पूर्वा एक्सप्रेस
	2303/2304 पूर्वा एक्सप्रेस (बरास्ता पटना)
उत्तर	2419/2420 गोमती एक्सप्रेस
	2473/2474 सर्वोदय एक्सप्रेस
	2471/2472 मुंबई सेंट्रल-जम्मू तवी एक्सप्रेस
	2497/2498 शाने पंजाब
	4681/4682 नई दिल्ली-लुधियाना एक्सप्रेस
	2475/2476 राजकोट-जम्मू तवी एक्सप्रेस
	2477/2478 हापा-जम्मू तवी एक्सप्रेस
पूर्वोत्तर	2553/2554 वैशाली एक्सप्रेस
पूर्वोत्तर सीमा	5659/5660 कामरूप एक्सप्रेस
दक्षिण	2621/2622 तमिलनाडु एक्सप्रेस
	2625/2626 केरल एक्सप्रेस
	2627/2628 कर्नाटक एक्सप्रेस
	6529/6530 उद्यान एक्सप्रेस
	2617/2618 मंगला एक्सप्रेस
	2615/2616 जी.टी. एक्सप्रेस
दक्षिण मध्य	2723/2724 ए.पी. एक्सप्रेस
	7059/7060 चारमीनार एक्सप्रेस
दक्षिण पूर्व	8001/8002 हवड़ा-बम्बई सेंट्रल मेल
	8475/8476 नीलांचल एक्सप्रेस
	2815/2816 पुरी एक्सप्रेस
	8015/8016 हटिया एक्सप्रेस
पश्चिम	2903/2904 फ्रंटियर मेल
	2925/2926 पश्चिम एक्सप्रेस
	2905/2906 आश्रम एक्सप्रेस.

नये डाक सर्किल

1099. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1996-97 के दौरान कुछ नये डाक सर्किल तथा नये डाक मंडल सर्जित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) योजनाइतर पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण वर्ष 1996-97 के दौरान नए डाक सर्किलों अथवा नई डाक डिवीजनों के सृजन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अशांत क्षेत्र भत्ता

1100. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशांत क्षेत्रों में नियुक्त दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों को अशांत क्षेत्र भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार और केन्द्रवार अलग-अलग कितना भत्ता दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके बदले कोई अन्य व्यवस्था करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ठाणे में विदर्भ एक्सप्रेस को रोकना

1101. श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को मुंबई से नागपुर के बीच चलने वाली विदर्भ एक्सप्रेस को ठाणे में रोकने के लिए जनता अथवा जन-संस्थाओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). ठाणे स्टेशन पर 1005/1006 नागपुर-मुंबई सीएसटी विदर्भ एक्सप्रेस के ठहराव के लिए श्री जयंत एस. देशमुख, गोवर्धन ट्न्ज़ायरटेंक प्राइवेट लिमिटेड; श्री पी.एस. नागराजन, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, मुंबई; श्री दत्ता मेघे, संसद सदस्य; श्री मुकेश पटेल, संसद सदस्य; श्री मधुकर सरपोतदार, संसद सदस्य; हंसराज अहीर, संसद सदस्य, श्री शरद तसारे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा; श्री किरित सोमैया, विधायक; श्री पी. धोले, संसद सदस्य सहित आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी जांच की गई है किंतु परिचालनिक दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

रेलवे स्टेशनों पर जाली टिकट काउन्टर

1102. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर जाली सरकारी पर्यटन काउन्टर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जाली पर्यटन काउन्टरों के अफसरों द्वारा आवास उपलब्ध कराने हेतु यात्रियों को आकर्षित कर लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे को हुई हानि

1103. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **रेल मंत्र** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमितव्ययी रेल लाइनों पर घाटों को कम करने अथवा समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं तथा कदम उठाये हैं, ऐसी लाइनों का ब्यौरा दीजिये;

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इन लाइनों पर कितना घाटा हुआ है तथा 1996-97 के दौरान अनुमानतः कितना घाटा होगा; और

(ग) इन रेल लाइनों की अर्थव्यवस्था पर तथा पूरे रेल विभाग पर इन कदमों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1994-95 के दौरान की गई समीक्षा के आधार पर 119 शाखा लाइनों को अलाभकारी पाया गया था। चूंकि राज्य सरकार इन लाइनों के बन्द करने की इच्छुक नहीं हैं इसलिए इन अलाभप्रद लाइनों के घाटे को कम/समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जिनमें उन स्टेशनों को जो लाभकारी नहीं हैं, बंद करना, हाल्ट स्टेशनों मे बदलना, मिली-जुली (सवारी तथा माल) गाड़ियों को चलाना, स्टाफ को कम, करना तथा बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना तथा रेल बस सर्विस शुरू करना आदि शामिल है।

(ख) 1994-95 में लगभग 165 करोड़ तथा 1995-96 में 166 करोड़ की हानि होने का अनुमान है। 1996-97 के आकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) विभिन्न मितव्ययिता उपायों के बावजूद इन लाइनों के अर्थक्षम होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि इन लाइनों पर यातायात का घनत्व बहुत ही कम है तथा ये लोकप्रिय भी नहीं है।

वैगन लोड यायायात को कम करना

1104. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने "वैगन लोड" यातायात को कम करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया है तथा छोटे प्रेषकों के लिए आबंटन कम कर दिया है तथा बड़े प्रेषकों को पूरे डिब्बे माल भेजने तथा पूरी गाड़ी का लोड भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वैगन लोड यातायात के लिए रेलवे ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(ग) यदि नहीं, तो वैगन लोड में किस श्रेणी के सामान का यातायात होता है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल टन.कि.मी. कितना है और अगले तीन वर्षों में कितना होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). परिचालनिक नीतिगत मामला होने के कारण, रेलों ने दुर्लभ चल स्टॉक की उत्पादकता में सुधार करने के लिए पूरे रेक लदान के संचलन को प्रोत्साहित किया है जिसके कारण विन्यास यार्डों में मालडिब्बों की रूकोनी समाप्त हुई है। चौपहिया स्टॉक को हटाया जा रहा है और उसका बोगी स्टॉक से बदलाव किया जा रहा है जो गाड़ी भाड़ों से कम में संचलन नहीं करता है। फुटकर माल डिब्बा संचलन को भी समाप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि रेलें मूल रूप से यातायात की अधिक मात्रा के पारवाहन का साधन हैं। तथापि, रेलों के छोटे ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, रेलों ने मल्टी माडल कन्टेनरों में गाड़ी भार से कम यातायात का संचय करने तथा पहुंचाने गए स्थानों की जोड़ियों के बीच कन्टेनर गाड़ियां चलाने के लिए रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-भारतीय कन्टेंनर निगम की स्थापना की है।

मूल्यह्रास का अधिक लगाया जाना

1105. श्री राम नाईक : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने मूल्यह्रास अधिक लगाया है और वर्ष 1995-96 के अपने कार्यनिष्पादन में बहुत कम लाभ दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इस अधिक अधिभार लगाये जाने पर आपत्ति प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अक्तूबर के प्रथम सप्ताह के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के शेयरों के भाव 210-215 रु. के लगभग बताये गये थे, जिनका भाव 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर 300 रु. प्रति शेयर तक जा सकता था; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार अधिक अधिभार लगाये जाने की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। एम टी एन एल की शुरूआत से अवमूल्यन दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1994-95 की तुलना में 1995-96 में निवल लाभ में 26 प्रतिशत से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है।

(ख) उपरोक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। 1993-94 से सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इसे सही माना गया है। कंपनी ने भी अपने वार्षिक रिपोर्टों में पहले ही इस बात का जिक्र किया है कि कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों के कम कार्यकाल को देखते हुए उपकरणों संयंत्रों केवलों तथा लाइनों एवं तारों के अवमूल्यन की 5.28 प्रतिशत की संशोधित दर, जो कंपनी अधिनियम के अनुसूची XIV में दिया गया है, पर्याप्त नहीं है। इस तरह अपने लेखा का हवाला देते समय, कंपनी, उपयुक्त अवमूल्यन की दर से शुल्क लेने के अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मौजूदा 11.31 प्रतिशत की दर से शुल्क ले रही है।

(घ) किसी भी सूचीबद्ध कंपनियों की तरह एम टी एल एल के शेयरों का मूल्य भी स्टाक मार्किट की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है।

(ङ) उपरोक्त (क) तथा (ख) में जो कहा गया है उसे देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खनिजों पर रायल्टी की दर में वृद्धि

1106. श्री सुशील चन्द्र : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों पर रायल्टी की दर में तीन वर्ष में एक बार वृद्धि की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किन-किन खनिजों पर रायल्टी की दर में वृद्धि की गई; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान किन-किन खनिजों पर रायल्टी की दर में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार खनिज पर रायल्टी तीन वर्ष की किसी अवधि में एक से अधिक बार नहीं बढ़ायी जा सकती है।

(ग) और (घ). कोयला, लिग्नाइट तथा निर्माण हेतु रेत को छोड़कर, प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की दरों में संशोधन पिछली बार 1992 में किया गया था जो मुध्य प्रदेश पर भी लागू था। कोयला, लिग्नाइट तथा निमार्ण हेतु रेत को छोड़कर, प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की दरों में अगला संशोधन करने के लिए 30.1.95 को अध्ययन दल का गठन किया गया था तथा रायल्टी की दरों में संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

1107. **श्री विजय गोयल : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 1991 में गठित राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अन्तर्गत वांछित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसको व्यवहार्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). फरवरी, 1992 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन आर एफ) को स्थापित किए जाने का उद्देश्य, प्रोद्योगिकीय उन्नयन, भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मकारों को एक सामाजिक सुरक्षा नैट प्रदान करना था। अभी तक एन आर एफ में से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) के कार्यान्वयन और यौक्तिकीकृत कर्मकारों की सलाह देने, पुनर्प्रशिक्षित और पुनर्नियोजित सहयोग करने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

आसनसोल आकाशवाणी केन्द्र

1108. **श्री हाराधन राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** आसनसोला आकाशवाणी केन्द्र के बारे में 11 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 210 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना का कार्यक्रम अपने निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इसके कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्यतया राज्य सरकार द्वारा स्थल को देरी से सौंपने के कारण और तत्पश्चात पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्थायी विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने में हुई देरी के कारण विलम्ब हुआ है।

(ग) और (घ). केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार है और इसे दिसम्बर, 1996 तक शुरू किया जा सकता है बशर्ते प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए अपेक्षित स्टाफ तथा स्थायी विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

1109. **प्रो. रासा सिंह रावत : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों से बडी संख्या में विदेशी पर्यटक राजस्थान भ्रमण के लिए आते हैं और वे राजस्थान में विशेषकर किन-किन स्थानों का भ्रमण करते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार फ्रांस, जापान, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, यू.के. और यू.एस.ए. वे देश हैं, जिनसे बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान भ्रमण के लिए आते हैं। राजस्थान में इन पर्यटकों द्वारा भ्रमण के लिए अधिक लोकप्रिय स्थान जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र हैं।

[अनुवाद]

विमान यातायात में वृद्धि

1110. **श्री अमर राय प्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ ने कहा है कि भारत में विमान संचालन एवं संचार प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के तथा बढ़ती हुई विमान यातायात के अनुरूप नहीं है;

(ख) तत्कालीन मंत्री को 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के दौरान इस संबंध में उक्त संघ से कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ग) संघ द्वारा दिए गए विस्तृत सुझाव क्या थे;

(घ) उन सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु आज तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) किन सुझावों को लागू/नहीं लागू किया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने दिनांक 1.5.95 को एक पत्र भेजा है जिसमें विभिन्न भारतीय हवाई अड्डों पर दिक्चालन/संचार उपस्कर में विभिन्न सुधार सुझाए गए हैं जिनमें ट्रीस्पोंडर्स का संस्थापन, वीएचएफ संचार प्रणाली, महानिदेशक नागर विमानन द्वारा दिए गए अवार्ड का कार्यान्वयन आदि शामिल है।

(घ) जबकि प्रश्नकर्त्ताओं (एसएसआरएस) ने त्रिवेन्द्रम तथा हैदराबाद हवाई अड्डों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, गुवाहाटी तथा अहमदाबाद हवाई अड्डों पर

भी यह कार्य प्रगति पर है। गौण निगरानी राडार को विशाखापट्टनम तथा नागपुर हवाई अड्डों पर भी नौवीं पंचवर्षीय योजना में संस्थापित कर दिया जाएगा और बंगलौर हवाई अड्डे के लिए आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लि. को भेज दिया गया है। विस्तारित रेंज की वीएचएफ की भी मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद तथा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर मुहैया कर दी गई है। कैट II आईएलएस की भी दिल्ली हवाई अड्डे पर संस्थापना कर दी गई है। पूर्ववर्ती महानिदेशक नागर विमानन (श्री एम.आर. शिवरामन) के अवार्ड को भी पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए हाथ में ले लिया गया है।

(ङ) भोपाल में विस्तारित रेंज वीएचएफ के संस्थापन को भी तकनीकी कारणों से स्वीकृत नहीं किया गया है। सभी अन्य सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

बड़हर्वा एक्सचेंज

1111. श्री थामस हंसदा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के उद्देश्य से बिहार के जनजातीय क्षेत्र में स्थित बड़हर्वा टेलीफोन एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाने और इसकी क्षमता को 200 लाइन से बढ़ाकर 500 लाइन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस एक्सचेंज का दर्जा और क्षमता कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त एक्सचेंज को एसटीडी सुविधा से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो एसटीडी के लिए माइक्रो आप्टिकल फाइबर कब तक लगाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 1997-98 के दौरान।

(ग) एसटीडी सुविधा पहले ही प्रदान की गई है।

(घ) 1997-98 के दौरान, 30 चैनल डिजिटल यू एच एफ प्रणाली प्रदान करने की योजना है।

चैक द्वारा भुगतान से इंकार

1112. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नागपुर में टेलीफोन प्राधिकारियों ने पी सी ओ मालिकों से चैक द्वारा भुगतान लिए जाने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सभी दूरसंचार सर्किलों/महानगरीय जिलों को नकद/डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भुगतान के आदेश जारी किए गए थे। पी सी ओ धारकों को पाक्षिक आधार पर और ज्यादा बिलों के मामले में साप्ताहिक आधार पर बिल जारी किए जाते हैं। पी सी ओ धारकों को औसतन, उनके एक माह के राजस्व के बराबर प्रतिभूति राशि/बैंक गारंटी जमा करानी होती है। चेक से भुगतान किए जाने पर बैंकों द्वारा इनकी निकासी (क्लियरेंस) और टेलीफोन विभाग को इसकी सूचना देने में काफी समय लगता है। बैंकों द्वारा चेकों के क्लियरेंस का मिलान करने में विलंब के कारण, विभाग के राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रतिभूति जमा राशि में वृद्धि करनी होगी। बढ़ाई गई प्रतिभूति जमा राशि से पी सी ओ धारकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पी सी ओ धारकों के हितों की रक्षा के लिए, उनसे नकद/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा बिलों का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मियाद समाप्त उपरि पुल तथा पुलियां

1113. श्री प्रहलाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मियाद समाप्त उपरि पुलों तथा पुलियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनकी कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अल्लपी और मंगलौर के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

1114. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्लपी से मंगलौर के लिए कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अलप्पी के यात्रियों को मंगलोर से/को जाने के लिए एर्णाकुलम/शोरुवण्णूर पर गाड़ियां बदलने की सुविधा प्राप्त है।

आमान परिवर्तन

1115. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

श्री छीतुभाई गामीत :

चरण दास :

.त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रतिवर्ष परियोजना-वार तथा जोन-वार आमान परिवर्तन पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का निजी धनराशि से आमान परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

द्वितीय श्रेणी शायिका के कोटे में वृद्धि

1116. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीवा-भोपाल एक्सप्रेस में कटनी से द्वितीय श्रेणी शायिका के कोटे में वृद्धि की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केवल 1268 रीवा-भोपाल एक्सप्रेस में कटनी स्टेशन से शयनयान दर्जे में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग की गई थी।

(ख) 1268 रीवा-भोपाल एक्सप्रेस में कटनी स्टेशन से शयनयान दर्जे में आरक्षण कोटा 16 शय्या से बढ़ाकर 28 शय्या किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नागार्जुन सागर में यात्री निवास का निर्माण

1117. श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :

श्री अजमीरा चन्दूलाल :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में "नागार्जुन सागर" में यात्री निवास का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध नहीं मानने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). नागार्जनु सागर में यात्री निवास के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, भारत सरकार द्वारा नागार्जुन सागर के पर्यटक गन्तव्य के रूप में विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं के लिए 41.88 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गई है :—

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1.	नागार्जुन सागर में जलपान-गृह का निर्माण	1985-86	23.70
2.	नागार्जुन सागर में जल-क्रीड़ाओं की व्यवस्था	1988-89	4.74
3.	नागार्जुन सागर में पर्यटक बंगले का निर्माण	1990-91	8.50
4.	नागार्जुन सागर में सार्वजनिक जन-सुविधाओं का निर्माण	1993-94	4.94

रेलवे कर्मचारी संघों को मान्यता

1118. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलव कर्मचारी संघों द्वारा मान्यता के लिए प्रस्तुत किए गए अनेक अभ्यावेदन सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) ये अभ्यावेदन कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किन-किन श्रमिक संगठनों को हाल ही में मान्यता दी गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). भारतीय रेलों पर, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलों के दो व्यापार संघों को मान्यता प्रदान की गई है जिसमें से एक आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन और एक नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन से संबद्ध है। ये दो फेडरेशन और उनकी संबद्ध फेडरेशन अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की सभी कोटियों के हितों तथा शिकायतों का पर्याप्त रूप से ध्यान रखती है।

बड़ी संख्या में, गैर-मान्यता प्राप्त संघों/एसोसिएशनों से, मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय-समय पर मांगें प्राप्त हो रही हैं। रेलों पर 700 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त एसोसिएशन/संघ है। ट्रेड यूनियनों की बहुलता से बचने के लिए नीतिगत मामले के रूप में किसी कोटीय एसोसिएशन/संघों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। मान्यता प्रदान करने की मांग करने वाले संघों/एसोसिएशनों के नामों का कोई रिकार्ड केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

हाल ही में किसी कर्मचारी एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी गई है।

कर्नाटक में पर्यटन विकास

1119. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने कर्नाटक में पर्यटन के विकास के लिए कर्नाटक सरकर को एक महीने के अन्दर कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से कोई कार्य योजना मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अलग से परियोजनाएं तैयार की हैं जो निम्नानुसार हैं :—

(1) गोरूर में हेमवती बांध स्थल का भू-दृश्यांकन और सौन्दर्यीकरण।

(2) कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम की परिवहन क्षमता का उन्नयन।

(3) कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम की आवास सुविधाओं का उन्नयन।

(4) बहु-प्रयोजन पर्यटक स्वागत केन्द्र, बंगलौर।

(5) हसन में यात्री निवास।

(6) हम्पी में यात्री निवास।

(7) कोलूर में यात्री निवास।

(8) उड्डपि में यात्री निवास।

(9) सिवनासमुद्रा में मार्गस्थ सुविधाएं।

(10) विदर में पर्यटक स्वागत केन्द्र।

(11) धर्मशाला, उड्डपि, महाराजा पैलेस, मैसूर, मेलकोट में जन-सुविधाएं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

1120. श्री दत्ता मेघे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलेवार कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जिलेवार कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बंद कर दिए गए हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेल समय सारणी का मुद्रण एवं प्रकाशन

1121. श्री हरिन पाठक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी प्रकाशकों द्वारा अंग्रेजी में रेल समय सारणी के मुद्रण/प्रकाशन एवं बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). क्षेत्रीय रेलें अपनी समय सारणी को प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत प्रकाशन हैं जिनकी छपाई रेलवे प्रेस अथवा प्राइवेट एजेंसी द्वारा की जाती है।

डब्ल्यू न्यूमैन एण्ड कं.लि. भी आल इंडिया रेलवे टाइम टेबल को प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत है।

"ट्रेन ऐट ए ग्लांस", रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है तथा इसका मुद्रण रेलवे प्रेस, नई दिल्ली तथा प्राधिकृत प्राइवेट एजेंसी मुंबई तथा मद्रास द्वारा किया जाता है।

ये समय-सारणियां प्राइवेट बुक स्टालों सहित स्टेशनों पर बेची जाती हैं। भारत सरकार का कॉपोराइट अक्तूबर 96 के "ट्रेन एट ए ग्लांस" के संस्करण से लिया गया है तथा तदनुसार क्षेत्रीय रेल प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।

इस्पात के निर्यात में कमी

1122. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात के निर्यात में भारी कमी आने की जानकारी है;

(ख) क्या छोटे उद्यमियों और लघु इस्पात संयंत्रों को निर्यात में कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) अप्रैल-सितंबर, 1996 के दौरान विक्रेय इस्पात का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 5.95 लाख टन की तुलना में 5.35 लाख टन होने का अनुमान है। तथापि, इस अवधि के दौरान अनुमानतः 4.55 लाख टन परिसज्जित इस्पात का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) इस्पात मंत्रालय को विक्रेय इस्पात के निर्यात में कमी के कारण छोटे उद्यमियों और लघु इस्पात संयंत्रों को नुकसान होने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टर्बाइन ईंधन की दोहरी मूल्य पर खरीद

1123. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स को अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स द्वारा खरीदे जा रहे मूल्य से दुगुनी कीमत पर टर्बाइन ईंधन की खरीद करनी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस विभेद के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). अन्तर्देशीय प्रचालकों के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन की औसत लागत एअर इंडिया तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रचालकों से प्रभारित 8,400/- रुपये प्रति कि.ली. की दर के मुकाबले 14,850/- रुपये प्रति कि.ली. है। अन्तर्देशीय प्रचालकों के लिए ए टी एफ की कीमत अधिक है क्योंकि ऐसे ए टी एफ पर एक अतिरिक्त महसूल है जो मिट्टी के तेल तथा डीजल पर सब्सिडी की लागत वहन करने के लिए आयल पूल एकाउंट के प्रति आकलित होता है।

खुला आकाश नीति

1124. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुला आकाश नीति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति से यात्रियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). अन्तर्देशीय विमान परिवहन सेवा से संबंधित नीति के पुनरीक्षण विषयक एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विश्व नेटवर्क की वैधता

1125. श्री संतोष मोहन देव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने जुलाई, 1996 में घोषित विश्व नेटवर्क की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को सचल सेवा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए एकजुट हुई निजी कंपनियों के बीच का गठबंधन प्रभावी हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या इस नेटवर्क ने लाइसेंस समझौते में निहित शर्तों का अतिक्रमण किया है; और

(च) दूरसंचार विभाग द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। तथापि, समाचार पत्र में उल्लिखित प्रस्तावों के बारे में महानगरों के सेल्युलर प्रचालकों से ब्यौरा मांगा गया था। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ल्ड । नेटवर्क, सेल्युलर प्रचालकों के बीच के वाणिज्यिक समझौतों के लिए मात्र एक ब्रांड नाम है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। वर्ल्ड । नेटवर्क के पास सेल्युलर सेवाओं के लिए लाइसेंस नहीं है। तथापि, (सचल सेवा) रोनिंग के बारे में लाइसेंसधारी प्रचालकों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(च) सचल सेवा (रोनिंग) के बारे में अलग-अलग लाइसेंसधारी प्रचालकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में टेलीफोन डायरेक्ट्रीज

1126. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन डायरेक्ट्री किस महीने में जारी की गई थी;

(ख) नई टेलीफोन डायरेक्ट्री कब जारी की जाएगी;

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त डायरेक्ट्री कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या देश के अन्य शहरों में भी टेलीफोन डायरेक्ट्री जारी नहीं की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि टेलीफोन डायरेक्ट्री समय से जारी हो जाये और इसी बीच शुद्धि-पत्र भी जारी हो जाये?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1994 में।

(ख) प्रत्येक वर्ष।

(ग) 1994 के संस्करण के बाद ठेकेदार कोई भी डायरेक्ट्री छापने में असफल रहा।

(घ) अगली डायरेक्ट्री वर्ष 1997 में प्रकाशित होने की संभावना है।

(ङ) और (च). जब कभी भी डायरेक्ट्री के छपने में असाधारण विलम्ब होता है तो इसे पीले पृष्ठ स्कीम के तहत अथवा विभाग की लागत पर छापने के आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र का बिक्री लक्ष्य

1127. प्रो. रीता वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के अनेक उत्पादों की बिक्री के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ख) इन बिलों के प्रति राज्यवार विशेष रूप से बिहार से करों और उपकरों के रूप में कितनी राशि देय थी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र के कच्चे लोहे और विक्रेय इस्पात के संबंध में वर्ष 1995-96 और 1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक) के दौरान प्रेषण हेतु निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :—

(इकाई: टन)

मद	1995-96		1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
कच्चा लोहा	186000	116560	112000	120223
विक्रेय इस्पात	3300000	3074935	1936000	1621043

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र का निजीकरण

1120. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र के निजीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नई दूरसंचार नीति का दूरसंचार विभाग तथा इसके कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) दूरसंचार विभाग तथा इसके कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). बुनियादी टेलीफोन सेवाएं तथा मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान करने और साथ ही दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण में निजी क्षेत्र को भागीदारी करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ). दूरसंचार विभाग और इसके कर्मचारियों पर नई दूरसंचार नीति का कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तथापि विभाग ने अपने नेटवर्क में अद्यतन (स्टेट-ऑफ-आर्ट) प्रौद्योगिकी उपस्कर शामिल करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के कौशल और सुविज्ञता के उन्नयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण योजना भी आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की लंबित परियोजनाएं

1129. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). पर्यटन विभाग, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं के लिए धन राशियां विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही दी जाती हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के छः परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

बुलन्दशहर को रेल द्वारा लखनऊ से जोड़ना

1130. श्री अशोक प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बुलन्दशहर को रेल लाइन द्वारा सीधे लखनऊ से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अबतक इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). बुलंदशहर पहले ही लखनऊ से बरास्ता खुर्जा-कानपुर और हापुड़-मुरादाबाद से जुड़ा हुआ है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई कार्गो सेवा के लिए योजना

1131. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हवाई कार्गो सेवा को अर्थक्षम तथा आत्म-निर्भर बनाने के लिए प्राथमिकता देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सितम्बर, 1996 में हवाई कार्गो के सम्बन्ध में कोई सेमीनार आयोजित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सेमिनार में हवाई कार्गो सेवा के सम्बन्ध में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) उक्त सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). दोनों सरकारी और गैर-सरकारी सेक्टरों में एयरलाइनों ने कार्गो कारोबार को बढ़ाने में रूचि दिखाई है। कोर्गो के विषय में सरकार की "मुक्त गगन नीति" के तहत कार्गो, प्रचालनों को वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए एयरलाइनों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए गए हैं।

(ग) से (ङ). जी हां। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), दिल्ली स्टेट सेंटर द्वारा आयोजित एयर-कार्गो 96 कांफ्रेंस में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। वे ये थे—बाजार मूल्यांकन तथा एयर-कार्गो पर इसका प्रभाव, एयर कार्गो आधारभूत संरचना, भारतीय विमानन के लिए सन् 2000 तथा इसके बाद चुनौतियां, विमानों द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियां/अवसर तथा उत्तरदायित्व, कार्गो टर्मिनलों के लिए संयुक्त उद्यम, एक कार्गो एयरलाइन आयोजना, एयर कार्गो प्रचालनों के लिए आधुनिक एकल इंजन विमानों का प्रयोग तथा कार्गो एयरलाइन प्रबन्धन प्रणाली।

(च) ये सुझाव मुख्यतया एयरलाइनों के लिए हैं। आधारभूत संरचना के विषय में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी हवाई अड्डों पर पर्याप्त कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं मुहैया कर रहा है।

[अनुवाद]

दूरसंचार विभाग के लक्ष्य

1132. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1996 के "इकोनमिक टाइम्स" में "टेलीकॉम डिपार्टमेंट नॉट इवन हॉफ वे नियर टारगेट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) गत छः माह के दौरान कितने टेलीफोन/लाइनें दी गई;

(ङ) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(च) निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

• **संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) यह आम बात है कि वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान उपलब्धियां तुलनात्मक रूप से कम होती हैं तथा तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान उपलब्धियां में वृद्धि हो जाती हैं। 31 अक्तूबर, 96 तक की उपलब्धि, वार्षिक लक्ष्य का 29.83 प्रतिशत है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य 24.5 लाख है।

(घ) दिनांक 1.4.96 से 30.9.96 तक 6.299 लाख टेलीफोन लाइनें प्रदान की गई थीं।

(ङ) और (च). अधिकांश उपस्कर कार्य स्थलों पर वर्ष की दूसरी तथा तीसरी तिमाही के दौरान पहुंचते हैं।

माल की आपूर्ति की देख-रेख की जा रही है तथा उपलब्धि में होने वाली प्रगति की बारीकी से निगरानी की जा रही है। समग्र लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है।

खानपान सुविधाएं

1133. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने स्टेशनों और कितनी रेल गाड़ियों में खानपान की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) निजी ठेकेदारों और रेल विभाग इकाइयों द्वारा अलग-अलग राज्यवार कितने स्टेशनों पर खानपान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ग) उन रेल गाड़ियों की संख्या कितनी है जिनमें 1995-96 और 1996-97 के दौरान खानपान सुविधाएं शुरू की गई हैं;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान खानपान इकाइयों द्वारा कुल कितनी राशि की बिक्री की गई;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में विशेष रूप से उड़ीसा में बेरोजगार युवाओं को खानपान के ठेके प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) खान-पान की सुविधायें 3152 स्टेशनों और 133 जोड़ी गाड़ियों में उपलब्ध है। राज्यवार आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

(ख) विभागीय तौर पर 102 स्टेशनों पर और निजी ठेकेदारों द्वारा 3050 स्टेशनों पर खान-पान सेवाओं की व्यवस्था है।

(ग) 1995-96 के दौरान 15 जोड़ी गाड़ियों में और 1996-97 के दौरान 4 जोड़ी गाड़ियों में खान-पान सेवायें चालू की गई हैं।

(घ) विभागीय खानपान इकाइयों का विक्रय टर्न ओवर 1995-96 के दौरान 144.08 करोड़ रुपये था तथा 1996-97 के दौरान (अगस्त, 1996 तक) 70.24 करोड़ रुपये है।

(ङ) खान-पान नीति के अंतर्गत प्रतिष्ठित और व्यावसायिक खानपान प्रबन्धकों को खान-पान ठेका देने की व्यवस्था है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों के लिए ठहरने की समुचित सुविधाएं

1134. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में विदेशी पर्यटकों को ठहरने की समुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास चालू वर्ष में विदेशी पर्यटकों के आगमन का मूल्यांकन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) महोदय, होटलों का निर्माण करना मुख्यतया प्राइवेट सेक्टर का कार्यकलाप है। इस समय, गुजरात के 15 शहरों में अनुमोदित सेक्टर में चल रहे 38 होटलों में कुल मिलाकर 1960 कमरे हैं तथा गुजरात के 20 शहरों में 38 अनुमोदित होटल परियोजनाएं तैयार हो रही हैं जिनके पूरा होने पर 1636 कमरों की वृद्धि हो जाएगी। इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें दे रही हैं।

(ख) और (ग). जनवरी से अक्तूबर, 1996 तक भारत में विदेशी पर्यटक आगमन 17,73,930 था जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रीवा-सिंगरौली रेल लाइन

1135. **श्री सुख लाल कुशवाहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रीवा-सिंगरौली रेल लाइन जिसके लिए सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है, बिछाने का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) रेल लाइन बिछाने के कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). अशोक नगर-ललितपुर-सतना-खजुराहो-महोबा और सतना-रीवा-सिद्धी-सिंगरौली (627 कि.मी.) की लम्बी नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय रेलों के परामर्श से सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त हो जाने पर योजना आयोग के परामर्श से परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण दूरसंचार प्रणाली

1136. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और आज की तारीख तक क्या उपलब्धि रही है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम प्रत्येक गांव/पंचायत में टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने में तेजी लाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है; और

(ग) इस संबंध में नौवीं योजना हेतु क्या अनुमान लगाया गया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) आठवीं योजना का लक्ष्य, इस योजना के अंत तक, 3.38 लाख ग्रामों को कम से कम एक-एक टेलीफोन प्रदान करना है। 19.11.1996 की स्थिति के अनुसार, 158685 ग्रामों को टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं।

(ख) इस समय, प्रत्येक ग्राम में एक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए एनालॉग मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम ए आर आर) प्रणाली अपनाई गई है। निकट भविष्य में अन्य नई प्रौद्योगिकियों की भी प्राप्ति की संभावना है।

(ग) शेष सभी ग्रामों को नौवीं योजना में कवर करने का प्रस्ताव है।

हजरत निजामुद्दीन और बिलासपुर के बीच गोंडवाना एक्सप्रेस को रोज चलाया जाना

1137. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत निजामुद्दीन तथा बिलासपुर के बीच गोंडवाना एक्सप्रेस रोज चलाये जाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग पर कब तक यह रेलगाड़ी रोज चलाये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान में 2409/2410 निजामुद्दीन-बिलासपुर गोंडवाना एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को यात्रा रियायत

1138. श्री प्रमोद महाजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को द्वितीय श्रेणी शयनयान की अपेक्षा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने की छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं सम्बद्ध राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के अजा./अजजा. के विद्यार्थियों सहित विद्यार्थियों को द्वितीय श्रेणी के अलावा मेल/एक्सप्रेस के शयनयान दर्जे के किरायों में रियायत प्रदान की जाती है। वे किसी भी दूरी के लिए शयनयान दर्जे में यात्रा करने के लिए यह रियायत प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

गाटवाल्ड क्रेन

1139. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 140 टन क्षमता का गाटवाल्ड क्रेन खरीदने के लिए जर्मनी के साथ किसी सौदे को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या-क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। 140 टन वाली दुर्घटना राहत क्रेनों की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तिरूअनन्तपुरम पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की सुविधाएं उपलब्ध कराना

1140. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने के बावजूद तिरूअनन्तपुरम विमानपत्तन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर उपलब्ध होने वाली सभी सुविधाओं से वंचित है:

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है: और

(ग) यदि हां, तो तिरूअनन्तपुरम विमानपत्तन पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं। इस हवाई अड्डे का प्रयोग करने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं। आधुनिक दिक्चालन/संचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्यों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

चल रहे प्रस्तावित प्रमुख कार्यों की स्थिति

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति
तिरूअनंतपुरम हवाई अड्डा			
1.	मुख्य धावनपथ का पुनः सतहलेपन तथा स्कंधों का निर्माण	6.31	पूरा हो गया
2.	मुख्य धावनपथ का 350 मीटर और विस्तार	5.76	25 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है
3.	"ए" टैक्सी ट्रैक का सुदृढ़ीकरण	0.74	पूरा हो गया
4.	अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय टर्मिनलों के सामने एप्रन का विस्तार	6.91	कार्य प्रगति पर है
5.	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का अंतरिम परिवर्धन	2.02	20 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है
6.	जीएसई हार्ड स्टैंड का निर्माण	1.52	75 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है
7.	सीसीआर हाल का स्थानांतरण	1.95	80 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है
8.	नये टर्मिनल काम्पलैक्स (चरण-I) का निर्माण	100.00	केरल राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।

दूरसंचार विभाग का कार्यनिष्पादन

1141. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और हर एक महानगर में दूरसंचार विभाग का कार्यनिष्पादन कैसा रहा और निर्धारित लक्ष्य क्या थे तथा क्या उन्हें प्राप्त कर लिया गया और चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति में कमी और बकाया पड़े कार्य का ब्यौरा क्या है और कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) चालू वर्ष के लिए महाराष्ट्र के महानगरों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लिए निर्धारित संशोधित लक्ष्य क्या है और गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के निवेश का क्या अनुमान है; और

(घ) चालू वर्ष के लिये महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में स्वीकृत/क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लक्ष्यों और उपलब्धियों तथा चालू वर्ष के लक्ष्यों से संबंधित राज्यवार तथा महानगरवार कार्य निष्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I दिये गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियों में कोई गिरावट नहीं आई थी और ना ही कोई लक्ष्य बकाया थे।

(ग) बजट आवंटन पूर्व देश के लिए 26.47 लाख लाइनों का अनंतिम लक्ष्य रखा गया था और बजट आबंटन पर 24.5 लाख लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य में कोई संशोधन नहीं किया गया।

(छ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों और चालू वर्ष के लक्ष्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	1993-94		1994-95		1995-96		1996-96
		लक्ष्य प्राप्ति	उपलब्धि	लक्ष्य प्राप्ति	उपलब्धि	लक्ष्य प्राप्ति	उपलब्धि	लक्ष्य प्राप्ति
क. राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	77000	77857	82000	138278	148500	150021	123000
2.	असम	13000	13450	10000	13103	14600	20295	18000
3.	बिहार	27000	37189	35000	44068	69300	33115	47000
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमन और नगर हवेली सहित)	81000	82187	80500	122507	163100	134832	188000
5.	हरियाणा	41000	41793	22000	47008	64900	52486	64000
6.	हिमाचल प्रदेश	10000	11009	12000	21349	35300	30212	27000
7.	जम्मू एवं कश्मीर	7000	7047	4000	4983	9300	5988	23000
8.	कर्नाटक	62000	73539	79000	136008	168200	139694	133000
9.	केरल (केन्द्रशासित लक्ष्य द्वीप सहित)	53000	58936	79000	90460	326300	154033	228000
10.	मध्य प्रदेश	98000	101964	57000	88619	173800	81265	45000
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	114000	108284	107000	155758	237900	217964	203000
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	7300	8687	8000	8689	16100	16433	10000
13.	उड़ीसा	26000	21021	8000	18638	45500	31014	27000
14.	पंजाब (केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित)	51000	59008	70500	101059	182500	143569	153000
15.	राजस्थान	62000	75135	67000	84623	147500	100672	123000
16.	तमिलनाडु (केन्द्रशासित प्रदेश पांडिचेरी सहित)	63500	63689	820000	106744	201900	147104	188000
17.	उत्तर प्रदेश	115000	59330	82000	116290	195200	151336	155000
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	17000	13499	18000	24853	38700	47356	57000
(ख) महानगर								
1.	मुम्बई एमटीएनएल	42800	137179	140000	205049	200000	200167	250000
2.	दिल्ली एमटीएनएल	76600	125020	260000	153090	272700	200070	250000
3.	कलकत्ता	34200	34386	53000	45387	90000	65107	55000
4.	चेन्नाई	33200	30427	70000	43155	125000	60348	75000
	कुल जोड़ :	1111600	1240636	1426000	1769718	2926300	2183091	2450000

टिप्पणी :- सर्किलों द्वारा उच्चस्तरीय कार्य-निष्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से दूरसंचार सर्किलों को 29.263 लाख लाइनों का उच्च लक्ष्य दिया गया था जबकि बजट आबंटन के अनुसार मुख्यालय में केवल 20 लाख लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

विवरण-II

महाराष्ट्र में चालू वर्ष (1996-97) में विभिन्न जिलों में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	नई प्रौद्योगिकी	परियोजनाओं का विवरण ई-10 बी (सकल लाइनें)	सी-डॉट	छोटे एवं मध्यम आकार के	वी.पी.टी. संख्या
1.	जलगांवा	-	2000	2000	1160	42
2.	रायगढ़	-	-	6000	9650	78
3.	कल्याण	35000	9000	9800	3750	75
4.	रत्नागिरि	-	-	1000	1320	204
5.	सिन्धु दुर्ग	-	-	2000	1496	226
6.	संगाली	-	5000	2500	1656	6
7.	सतारा	-	2000	10000	4616	202
8.	शोलापुर	10000	-	1500	-	23
9.	नागपुर	-	-	-	2024	147
10.	बीड	-	-	1000	1600	256
11.	जालना	-	-	1000	-	114
12.	लटूर	-	-	2000	1368	176
13.	उस्मानाबाद	-	-	1500	1368	138
14.	परभानी	-	-	5000	1000	209
15.	अहमदनगर	10000	-	1000	5854	166
16.	औरंगाबाद	10000	3000	-	920	103
17.	नांदेड	-	-	-	1000	179
18.	नासिक	8500	1000	4500	1350	40
19.	धूले	-	3000	-	1720	220
20.	पुणे	61000	1000	2000	3504	145
21.	अकोला	-	3500	-	2120	276
22.	अमरावती	-	5000	-	450	295
23.	भान्द्रा	-	-	600	550	271
24.	बुलधाना	-	-	2000	150	270
25.	कोल्हापुर	10000	-	2000	4036	83
26.	चन्द्रपुर	-	5000	-	2544	318
27.	वर्धा	-	-	2000	1650	229
28.	योतमल	-	-	1500	2300	176
29.	गधचिरोली	-	-	-	-	276

[हिन्दी]

डाक-तार विभाग के फ्लैटों का जीर्णोद्धार

1142. डा. बलिराम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में स्थित डाक-तार विभाग के फ्लैटों के रसोईघरों, स्नानगृहों और शौचालयों में टायलों/कोटा पत्थर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस कार्य के कब तक हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :

(क) डाक विभाग

जी हां।

दूरसंचार विभाग

अनुमोदित विनिर्देशों के मौजूदा मानदण्डों के अनुसार ये सुविधायें नवनिर्मित क्वार्टरों को प्रदान की जा रही हैं। पुराने बने क्वार्टरों के लिए भी मामलों पर कार्रवाई की जा रही है और फंड की उपलब्धता तथा ऐसे प्रावधान करने की व्यावहारिक संभावनाओं के आधार पर प्रत्येक मामले पर अलग से विचार किया जा रहा है।

(ख) डाक विभाग

डाक कर्मचारियों के लिए भविष्य में बनाए जाने वाले सभी स्टाफ क्वार्टरों में किचन, बाथरूम और टायलेट में टाइलें/कोटा पत्थर लगाने का निर्णय किया गया है। मौजूदा क्वार्टरों में यह कार्य चरणवार ढंग से संपन्न किया जाएगा।

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग के अंतर्गत डाक-तार फ्लैटों में ये सुविधायें सुलभ कराने के लिए आकलनों की जांच की जा रही है। अनुमानित आकलित व्यय 50 लाख रुपए है। एम टी एन एल, नई दिल्ली भी अपने नियंत्रणाधीन क्वार्टरों के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई कर रहा है।

(ग) डाक एवं दूरसंचार विभाग

जी हां।

(घ) डाक विभाग

कार्य संपन्न करने के लिए आकलन तैयार कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। यह कार्य कालोनीवार चरणबद्ध प्रणाली से निष्पादित किया जाएगा।

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग और एम टी एन एल, नई दिल्ली, दोनों के अंतर्गत आने वाले क्वार्टरों के अनुमोदन के लिए मामलों पर कार्रवाई की जा रही है जैसा कि उक्त पैरा (क) में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

(ङ) **डाक विभाग**

कार्य पूरा होने का समय निर्माण कार्य देते समय तय किया जाएगा।

दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली के सभी पुराने दूरसंचार क्वार्टरों में इन सुविधाओं के प्रावधान पर वित्त वर्ष 1997-98 से कार्य आरंभ किए जाने पर विचार किया जाएगा और इनमें कार्य की समाप्ति, फंड की उपलब्धता तथा व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। इसी प्रकार एम टी एन एल, नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाले क्वार्टरों में इन सुविधाओं के इसी प्रकार के प्रावधान का कार्य 1997-98 के वित्तीय वर्ष में पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

बेलूर को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के रूप में मान्यता देना

1143. श्री अनिल बसु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेलूर को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के रूप में मान्यता देने सम्बन्धी लम्बे अर्से से की जा रही मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश तथा विदेश के भिन्न-भिन्न भागों के पर्यटक/यात्री प्रतिदिन बेलूर मठ की यात्रा पर आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो बेलूर रेलवे स्टेशन को उचित महत्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). भारतीय रेलवे में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के रूप में नामकरण की कोई परम्परा नहीं है। फिर भी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था पर्यटन की महत्ता और स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा के आधार पर की जाती है और यातायात में वृद्धि होने से जब कभी आवश्यक होता है धन की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं के अनुसार इनमें और वृद्धि की जाती है। बेलूर से यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री दैनिक यात्री होते हैं क्योंकि यह हवडा मंडल का उपनगरीय स्टेशन है बहरहाल बेलूरमठ जाने वाले पर्यटकों के लिए बेलूर रेलवे स्टेशन के अप प्लेट फार्म पर बुकिंग कार्यालय भी खोला गया है।

रिक्त आरक्षित पदों की बकाया सूची

1144. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के शुरू में रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त आरक्षित पदों की बकाया सूची की क्या स्थिति है;

(ख) क्या इस बकाया सूची को अब तक मंजूर कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इसे मंजूर कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलों पर 30.6.96 को भर्ती कोटियों में मौजूद अनु.जाति./अनु.जन जाति की रिक्तियों में कमी का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	अनु. जाति	अनु.जन जाति
वर्ग "ग"	1010	1057
वर्ग "घ"	1251	1985

(ख) और (ग). कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार 30.6.96 को भर्ती कोटियां में मौजूद कमी समाप्त करने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

उपर्युक्त विशेष भर्ती अभियान में स्वीकृति हेतु निम्नलिखित कमी का पता लगाया गया है :-

	अनु. जाति	अनु.जन जाति
वर्ग "ग"	936	950
वर्ग "घ"	1183	1646

यह अभियान 31.3.97 तक पूरा हो जाएगा।

मद्यनिषेध के कारण विदेशी पर्यटकों की असंतुष्टि

1145. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्यों में मद्यनिषेध के कारण विदेशी पर्यटकों की असंतुष्टि की जानकारी है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में मद्यनिषेध के कारण पर्यटन उद्योग प्रभावित हो सकता है तथा विदेशी पर्यटकों का आगमन कम हो सकता है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) किसी प्रतिकूल प्रभाव से पर्यटन उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) विभाग में इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी से अक्तूबर, 1996 में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

त्रिवेन्द्रम और एर्णाकुलम रेलवे स्टेशनों पर "इन्टरएक्टिव वायस रैस्पांस सिस्टम" स्थापित करना

1146. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम और एर्णाकुलम रेलवे स्टेशनों पर इन्टरएक्टिव वायस रैस्पांस सिस्टम (आई.वी.आर.एस.) स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रणाली को यात्रियों ने स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). यात्रियों को त्रिवेंद्रम तथा एर्णाकुलम स्टेशनों पर आरक्षण स्थिति से संबंधित कंप्यूटर द्वारा उत्तर देने के लिए अंतरसाधित ध्वनि उत्तर प्रणाली (आई.वी.आर.एस.) को चालू वित्त वर्ष की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है।

यह पद्धति धीरे-धीरे यात्रियों में लोकप्रिय हो रही है। कंप्यूटर आरक्षण स्थिति की सूचना प्रदान करने के लिए सिस्टम को मुख्य कंप्यूटर से जोड़ा गया है और मुख्य कंप्यूटर में जो भी सूचना उपलब्ध होती है वह लाइन पर रहती है और आई वी आर एस प्रणाली को सुलभ रहती है। अतः अंतरसाधित ध्वनि द्वारा दी गई सूचना उतनी ही सही और अद्यतन होती है जितनी मुख्य कंप्यूटर में होती है। टेलीफोन से जानकारी प्रदान करने में कोई विलम्ब नहीं होता है बशर्ते लाइन खाली हो। प्रश्नकर्त्ता को हमेशा उत्तर मिलता है क्योंकि उत्तर न देने या असंगत उत्तर दिए जाने की संभावना समाप्त हो गई है। तीन भिन्न भाषाओं (अर्थात हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा) में उत्तर दिए जाने की सुविधा संभव है।

[हिन्दी]

हिंदी सलाहकार समिति

1147. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के क्या नाम हैं तथा क्या इसकी बैठक हुई है और यदि नहीं, तो कब तक बैठक होने की संभावना है;

(ग) उनके मंत्रालय से लेकर निम्नतर स्तर तक कितनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं;

(घ) इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा राजभाषा हिंदी में कितने प्रतिशत कार्य किया जाता है;

(ङ) क्या राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामनिर्देशित किया है/करने का विचार है;

(च) विभागों की उन शाखाओं की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा हिंदी में शत प्रतिशत कार्य किया जाता है; और

(छ) टाइपराइटरों तथा कम्प्यूटरों में देवनागरी लिपि के उपयोग के संबंध में क्या ब्यौरा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). इस मंत्रालय में रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके गठन के पश्चात् ही समिति की बैठक होगी।

(ग) 999

(घ) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, जहां तक संभव होता है, अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करते हैं।

(ङ) रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति में और क्षेत्रीय तथा उत्पादन इकाईयों आदि राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में गैर सरकारी सदस्यों को प्रेक्षक के रूप में नामित किया जाता है। ये सदस्य रेल हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों में से नामित किये जाते हैं।

(च) इस मंत्रालय के विभिन्न विभागों के तेरह(13) अनुभाग हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य करने के लिए नामित किए गए हैं।

(छ) इस मंत्रालय में कुल पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या का लगभग 85 प्रतिशत कंप्यूटर हिंदी में कार्य करने में सक्षम हैं। इस मंत्रालय में देवनागरी कंप्यूटरों और टाइपराइटरों का यथा संभव प्रयोग किया जा रहा है।

इन्टर कनेक्ट समझौता

1148. श्री डी.पी. यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टर कनेक्ट/मूलभूत टेलीफोन सेवा देने सम्बन्धी प्रयोजनार्थ पत्र जारी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी आप्रेटरों ने समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). निविदा संबंधी प्रक्रिया में भाग लेने वाली सात सफल भारतीय पंजीकृत कंपनियों को दस दूरसंचार सर्किलों के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ). आशय-पत्र स्वीकार करने वाली आशय-पत्र धारक कंपनियों ने, पोर्ट प्रभार, अग्रिम जमा राशि, बिल संबंधी विवादों के निपटान जैसे कतिपय विशिष्ट मुद्दों, जो उनकी दृष्टि में अभी संतोषजनक नहीं पाए गए हैं, का समाधान करने की शर्त पर करार-दस्तावेज को भी स्वीकृत कर लिया है।

(च) सरकार,करार को अंतिम रूप देने के लिए प्रयास कर रही है।

डाक प्रभार

1149. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वाणिज्यिक उपयोग के लिए डाक प्रभार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डाक प्रभारों में वृद्धि से व्यापारियों और उद्यमियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक दरों में संशोधन को वार्षिक बजटीय प्रक्रिया का एक भाग माना गया है। ऐसे संशोधनों पर विचार करते समय सभी संबद्ध कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मध्याह्न 12.0 $^1/_2$ बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : महोदय, मैं श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य की ओर से निम्नलिखित प्रश्नों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 657/96]

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 658/96]

(तीन) मेटालार्जीकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या 659/96]

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1996

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं श्री बेनी प्रसाद वर्मा की ओर से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1996 जो 26 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 255(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल.टी. 660/96]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महा सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :-

"राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुरूप, मुझे मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1996, जिसे राज्य सभा ने 27 नवम्बर 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया है, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

अपराह्न 12.01 $^1/_2$ बजे

[अनुवाद]

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, विधेयक, 1996

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महा सचिव : महोदय, मैं मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1996 को राज्य सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1996 को यथापारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01 $^3/_4$ बजे

[अनुवाद]

संसदीय समितियां-कार्य सारांश

महा सचिव : महोदय, मैं 1 जून, 1995 से 10 मई, 1996 की अवधि से सम्बन्धित संसदीय समितियों (वित्तीय और विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के अतिरिक्त) के कार्य सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)—दक्षिण पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

लिए आरक्षण और उनके नियोजन संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग)—जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराये गए रोजगार तथा उनको दी गई वित्तीय सहायता संबंधी दूसरा प्रतिवेदन ।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निदेशों के परिणामस्वरूप दिल्ली में उद्योगों को बंद किए जाने संबंधी मुद्दा

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : 1985 की रिट याचिका (ग) सं. 4677 में अंतर्वर्ती आवेदन सं. 22 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खतरनाक/हानिकर/दीर्घ/बड़े उद्योगों के रूप में सूचीबद्ध 168 उद्योगों को 30 नवम्बर, 1996 की मध्य रात्रि से बंद कर दिया जाना है। तदुपरान्त एक अन्य आदेश के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य 513 अतिरिक्त इकाइयों को 31.1.97 से बंद करने के आदेश दिए हैं। दिनांक 8.7.1996 के अपने आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन उद्योगों के दिल्ली से बाहर पुनःअवस्थापन प्रक्रिया में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रभावित कर्मकारों को अदा किए जाने वाले मुआवजे की राशि के संबंध में भी कतिपय दिशा-निर्देश दिए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे उद्योगों में नियोजित कर्मकारों, जो पुनःअवस्थापित नहीं किए जा सकते हैं, और ऐसे कर्मकारों के संबंध में जो पुनःअवस्थापित उद्योगों के साथ जाने के इच्छुक नहीं हैं, यह मान लिया जाएगा कि उनकी छंटनी 30 नवम्बर, 1996 से प्रभावी हुई है बशर्ते कि उन्होंने उक्त तिथि से पहले संबंधित उद्योग में कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा की हो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-च(ख) के अधीन देय मुआवजे के अतिरिक्त, ऐसे कर्मकारों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में एक वर्ष की मजदूरी भी अदा की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उद्योगों ने इस प्रकार के पुनःअवस्थापन के लिए अभी तक इस तरह का कोई रूझान नहीं दिखाया है। व्यवसाय संघों ने भी यह आशंका जाहिर की है कि उद्योग अपनी भूमि को बेचने और इस प्रकार से प्राप्त धन को पुनःअवस्थापन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिक इच्छुक हैं। अतः संघों ने मांग की है कि कर्मकारों के समग्र हितों को ध्यान में रखकर उद्योगों को पुनः अवस्थापन के लिए विवश किया जाए और कि ऐसे कर्मकारों के मामलों में जो किसी न किसी कारणवश शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, वहां, मुआवजे की राशि माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय में आदेशित की गई राशि से अधिक होनी चाहिए।

यह गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि इससे करीब तीस हजार कर्मकारों के बेरोजगार होने के अलावा सामाजिक तनावों और कानून तथा व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन परिस्थितियों में, हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को यह सलाह देने की सम्भावना का पता लगा रहे हैं कि वह सर्वोच्च न्यायालय में जाएं और उच्चतम न्यायालय से यह अनुरोध करें कि वह अपने आदेश की इस प्रकार से पुनरीक्षा करें कि उद्योगों का स्थानांतरण और पुनःस्थापना संबंधित उद्योगों के लिए एक विकल्प के स्थान पर एक अनिवार्यता बन जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शोरगुल न करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : वे माननीय उच्चतम न्यायालय से यह भी पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं कि ऐसे कर्मकारों के संबंध में, जो किसी न किसी कारणवश अन्य स्थानों पर जाने की स्थिति में नहीं है, और अधिक मुआवजे के बारे में दिशानिर्दिष्ट करें। जबकि सरकार प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता से पूरी तरह सजग है और ऐसे उद्योगों को बंद किए जाने के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह से सम्मान करती है, माननीय उच्चतम न्यायालय से उद्योगों को बंद किए जाने और पुनः स्थापित किए जाने के संबंध में कुछ और समय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध भी किया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम स्पष्टीकरण मांगना चाहेंगे ...**(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति में किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा उच्चतम न्यायालय के बीच का ही नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसका सरोकार सारे देश से है, जिसके बारे में सदन चिन्तित है।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अमरीकी राजदूत द्वारा पाकिस्तान में दिए गए वक्तव्य के बारे में एक नोटिस दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस पर समुचित चर्चा कराई जाय ताकि इस बारे में संसद के भी विचार भी जाने जा सकें। करीब 30,000 कामगारों की छंटनी होने जा रही है। उन्हें अनावश्यक समझा जा रहा है। जब इस देश में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तो केवल हर्जाना ही पर्याप्त उपाय नहीं हो सकता। यह एक ऐसा मामला है जिस पर बहुत ही गंभीर तरीके से विचार किया जाना चाहिए।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर चर्चा कराने के लिए सरकार को निर्देश दें। हमें इसके बारे में एक ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखेंगे तथा प्रयास करेंगे कि इस पर सदन के भीतर चर्चा कराने के लिए समय निकाला जाय।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इस पर सदन में चर्चा करवा दीजिए। ...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : आप मालूम तो करें आप इंक्वायरी करवा दीजिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, जब मैंने कह दिया है कि हम इस पर चर्चा करवाएंगे तो फिर आप क्यों बोले जा रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलत नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अपराह्न 12.11 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा 27 नवम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 27 नवम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक विचार व्यक्त करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपको बिल्कुल धैर्य नहीं है।

सामान्यत : जैसा कि आप जानते हैं जब भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जाता है, शून्यकाल नहीं होता है। चूंकि मैंने कल सभा में वचन दिया था कि आज शून्यकाल होगा, इसलिए एक अपवाद के रूप में हम आज शून्यकाल करेंगे। इसे पूर्वोदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरे, मैं अपनी पूर्व में की गई घोषणा को दोहराना चाहूंगा कि कोई भी सदस्य सप्ताह में केवल एक बार ही शून्यकाल में मामला उठा सकता है। कृपया इस बात को याद रखें। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक को अवसर मिलना चाहिए। मैं एक-एक करके नाम लूंगा।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं से संबंधित एक बहुत ही गंभीर मुद्दों को उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कभी ऐसा अवसर भी आया है जब सदस्यों ने कोई अचिन्त्य मुद्दा उठाया हो?

श्री पी.सी. थामस : महोदय, भारत के सभी भागों से हजारों महिला विद्यार्थी बिहार में अनेक नर्सिंग कालेजों और स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

अपराह्न 12.13 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरे राज्य से भी अनेक विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। वहां एक दुखद स्थिति विद्यमान है। पिछले सात वर्षों से वहां अन्तिम वर्ष की परीक्षा नहीं आयोजित की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल और राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के बीच कुछ अनबन है। वही मुद्दा था जिस पर इस कठिनाई का आरम्भ हुआ। उसके बाद कुछ और मामले उत्पन्न हुए और अन्ततः परीक्षाएं बन्द हो गई। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी भुगत रहे हैं। चूंकि पिछले सात वर्षों से परीक्षाएं नहीं हुई हैं इसलिए कोई उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप हजारों महिलाएं जिन्होंने वहां अध्ययन किया है उन्हें अस्पतालों में काम नहीं मिल रहा है। एक अन्य समस्या यह है कि नर्सिंग काउन्सिल कहती है कि परीक्षाएं सरकार द्वारा संचालित की जाएंगी और सरकार कहती है कि नर्सिंग काउन्सिल को कुछ मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विवाद की जांच की जानी चाहिए। हजारों महिला विद्यार्थी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है। वे अपना पारिवारिक जीवन भी स्थापित नहीं कर पा रही हैं ...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सात वर्षों से वहां परीक्षाएं नहीं की गई हैं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सबको अवसर दिया जाएगा।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यह एक गंभीर मुद्दा है। ...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. चाक्को : परीक्षाओं को आयोजित करने की जिम्मेदारी इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल की है। ...**(व्यवधान)** सैकड़ों विद्यार्थियों की जिन्दगी तबाह हो गई है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हुए है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस क्या आपने अपना मुद्दा उठाया है?

श्री पी.सी. थामस : महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा माननीय कल्याण मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस बात का उत्तर दें। ...**(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : नब्बे प्रतिशत विद्यार्थी केरल के हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जिनका नोटिस है, उन सबको चांस मिलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे तो समय इसी में निकल जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को : मंत्री महोदय बोलने के लिए तैयार हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, तो वे कह सकते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : इस मामले को अभी-अभी मेरे ध्यान में लाया गया है। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जो कुछ कहा गया है मैं उसकी जांच करूंगा और शीघ्र उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सत्यनारायण जटिया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, सांसदों के लिए ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : चांस मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रफुल्ल पटेल (भंडारा) : लास्ट सैशन में भी नहीं मिला और इस सैशन में भी नहीं दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**

अपराह्न 12.14 बजे

इस समय श्री दत्ता मेघे और श्री प्रफुल्ल पटेल आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्रोध क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है उनको अवसर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपका नाम यहां है तो मुझे आपको अवश्य अवसर देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात पर गौर करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं इस बात से इंकार कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपको अवसर दिया जाएगा। आप बीच में क्यों खड़े हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही, मैं आपको अवसर दूंगा। मैं पहले ही यह कह चुका हूं।

अपराह्न 12.15 बजे

इस समय श्री दत्ता मेघे और श्री प्रफुल्ल पटेल अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। इस तरह से आपको अवसर नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : मैं तीन दिन से दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप दस दिन से दे रहे हों, जब आपका नाम आएगा तो मैं आपको चान्स दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले सत्र में भी संसद में स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में और उसके लिए धनराशि जारी करने के बारे में सरकार ने आश्वासन दिया था। नवम्बर का महीना समाप्त होने जा रहा है लेकिन अभी तक संसद सदस्यों को उनके क्षेत्र के विकास में काम करने के लिए पैसा आबंटित नहीं हुआ हैं। उसके कारण वहां पर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वहां जो काम शुरू हुए थे उनको भी कंटीन्यू करने की दृष्टि से कोई निर्देश स्पष्ट रूप से जारी नहीं हुए। ऐसे हालात हो गए हैं कि जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहां जनता और नागरिक हमसे इस बारे में पूछते हैं तो हम उनको कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। सरकार ने अभी तक उन सारी बातों को स्पष्ट नहीं किया है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इसी सत्र में इस बारे में स्पष्ट घोषणा करे कि संसद सदस्यों को जो धनराशि दी जाने वाली है वह दी जाएगी और तुरंत दी जाएगी। इतना ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ पर दबाव नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निश्चय ही आपको अवसर दूंगा। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने आपसे एक निवेदन किया है कि जिस-जिस का नोटिस है उन सबको मैं चान्स देने की कोशिश करूंगा। आप बिना मतलब टाइम बेकार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत शिकायत यह है कि धनराशि अब तक जारी नहीं की गई है। **(व्यवधान)** इस योजना पर स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निगरानी रखी जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से बात करूंगा जिन्होंने कल आना है। मैं इस मामले की जांच करूंगा और सही स्थिति लेकर सभा के समक्ष आऊंगा। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : इतने दिन तक क्या कर रहे थे? ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : इसी सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपको कितना समय लगेगा? ...**(व्यवधान)** आपको यह कार्य करने में कितना समय लगेगा? ...**(व्यवधान)**

श्री प्रफुल्ल पटेल : यह कार्य का हिस्सा नहीं है। यह कार्यसूची का हिस्सा भी नहीं है, आप अन्य बातों की अनुमति दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : धनराशि जारी नहीं की गई है।

श्री प्रफुल्ल पटेल : आप मुझे इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)** आप उनको बोलने की अनुमति दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)** यह बात ठीक नहीं है। हम इससे खुश नहीं हैं। ...**(व्यवधान)** यह कार्यसूची का हिस्सा नहीं है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण इश्यू है, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री प्रफुल्ल पटेल : महोदय आप जरा मेरी बात तो सुनिए ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : किस विषय में।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शोर मचाने से पहले चांस मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रफुल्ल पटेल : महोदय, मुद्दा यह नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जब कह चुका हूं कि जिसका नाम नोटिस में है उसे चांस मिलेगा शोर मचाने से क्या पहले चांस मिलेगा ...**(व्यवधान)** इसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रफुल्ल पटेल : महोदय, आपने हमें आश्वासन दिया है . ..**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ...**(व्यवधान)** आप बैठते क्यों नहीं?

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

[हिन्दी]

मैं खुद कह रहा हूं कि केवल चार महीने बाकी हैं, कब धनराशि रिलीज होगी, कब खत्म होगी। इसलिए इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं भी आपके साथ आपकी भावना में शेयर कर रहा हूं ताकि इसे तुरन्त किया जाए। वह इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय वित्त मंत्री आज यहां उपस्थित नहीं हैं, कल मैं उन्हें इस मामले से अवगत करा दूंगा। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रश्न कहां है? सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि यह स्कीम चालू रहेगी। वित्त मंत्री इस बारे में क्या कर रहे हैं? इस बारे में आप बताते क्यों नहीं हैं? ...**(व्यवधान)** क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है? मैं जानना चाहूंगा कि आप कोई डेट दीजिए, तिथि बताइये कि कब तक यह पैसा रिलीज होगा? ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण विषय है, इसमें सब सम्मिलित है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : यह योजना भारत सरकार की एक प्रतिबद्ध योजना है और इससे पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह राशि जारी नहीं की गई है। मैं इस मामले पर वित्त मंत्री से मंत्रणा करूंगा और कल इस विषय पर सभा में उत्तर दूंगा। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं। कृपया श्री दासमुंशी को बोलने दीजिए।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का और विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर मैंने सरकार का ध्यान पिछले सत्र में भी आकर्षित किया था, परन्तु मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

21 मई, 1991 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या हुई और आज 28 नवम्बर 1996 है। मैं आयोग की कार्यवाही का उल्लेख नहीं कर रहा, यह संसद के नियमानुसार ठीक नहीं है और मैं कोई उदाहरण भी नहीं दे रहा।

इस मामले की तुरन्त छानबीन करने के लिए एक विशेष जांच दल बनाया गया था जिसे चेन्नई में कार्य शुरू करना था।

महोदय, श्री राजीव गांधी न केवल इस सभा के नेता थे अपितु इस देश के प्रधानमंत्री भी थे। समस्त संसद की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र को बताए कि क्या हुआ था। राजीव गांधी हत्याकांड से सम्बन्धित षडयंत्र के विषय में देश के भीतर और बाहर के लोगों के बीच सांठ-गांठ की बहुत सी कहानियां विदेशों से दक्षिण अफ्रीका, न्यूयार्क, लन्दन आदि से सुनने को मिल रही हैं। अब तक सरकार, गृह मंत्रालय की जांच में हुई प्रगति के विषय में कोई सूचना क्यों नहीं दे रहा?

सरकार के वर्तमान मंत्री जो पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं—श्री चिदम्बरम जिन्हें पिछली सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित संपूर्ण जांच की निगरानी करनी थी तथा जो संसद के प्रति जवाबदेह हैं, उन्होंने राष्ट्र को यह आश्वासन दिया था कि 31 दिसम्बर 1995 तक वह जांच में हुई नवीनतम प्रगति की रिपोर्ट राष्ट्र को सौंप देंगे। वह इसमें असफल रहे। अब स्थिति बहुत जटिल हो गई है। संसद सदस्य होने के नाते क्या यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है कि हम इसके पीछे छिपे तथ्यों को जनता के समक्ष उजागर करें। ऐसा क्यों हुआ है? हम इस बारे में चुप क्यों रहें? समस्त राष्ट्र इस बारे में चुप क्यों रहे? हम विभिन्न समाचार पत्रों में छपने वाली कहानियों का आनन्द लेने में मग्न हो जाते हैं? क्या संसद मौन धारण कर लेगी सरकार इस बारे में चुप क्यों है?

मैंने सदन के पिछले सत्र में यह मामला उठाया था और सरकार से अनुरोध किया था कि वह हमें बताये कि जांच की स्थिति क्या है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे बताया गया है कि बहुत से प्रत्यक्षदर्शियों का मुंह बन्द कर दिया गया है, कि बहुत से जांच अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, यहां तक कि जांच से सम्बन्धित महत्वपूर्ण संचिकाएं भी गृह मंत्रालय से गायब हो गई हैं। इस प्रकार की जांच की क्या स्थिति है? मैं समझता हूं कि इस मामले में सभी सदस्य मेरे समान ही चिन्तित होंगे। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि कम से कम वह इस सत्र के दौरान राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के संबंध में नवीनतम प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत झांसी में दिनांक 19.11.96 को प्रातः 9 बजे भारत पैट्रोलियम के ऑयल डिपो में आग लग गई। यह तेल डिपो झांसी शहर के सीपरी बाजार में स्थित है। यहां चार बार आग लग चुकी है। प्रशासन द्वारा अधिक प्रबन्ध करने के बाद मुश्किल से तीन घंटे के बाद इस भयंकर आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में सात लोगों की मृत्यु हो गई, कई व्यक्ति घायल हो गए और कई लोग अज्ञात स्थिति में हैं, जिनका पता नहीं चल सका। दिल्ली और झांसी के अस्पताल में कई व्यक्ति भर्ती हैं।

उत्तर प्रदेश के झांसी ऐतिहासिक नगर में और विशेष कर सीपरी क्षेत्र में, जिसकी आबादी लगभग डेढ़ लाख है, वहां भयावह वातावरण है। मेरी मांग है कि मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए तथा उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए।

मेरी दूसरी मांग यह है कि यह डिपो जो कि झांसी शहर के सीपरी बाजार में हैं, जो गहन आबादी वाला क्षेत्र है और जहां पहले भी चार बार आग लग चुकी है, उसे तुरन्त वहां से हटाया जाए और दूसरी जगह बसाने के आदेश दिए जाएं।

मेरी तीसरी मांग यह है कि सदन की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए जो कि व्यापक स्तर पर आग लगने के तथ्यों की जांच करे क्योंकि यह एक चर्चा का विषय है कि यह आग अन्दर की साजिश से जान-बूझ कर और लापरवाही के चलते लगी है। यह एक दुखद घटना है। आप मंत्री जी को आदेश दें कि वह इस विषय पर सदन में वक्तव्य दें। जो लोग जल कर मरे हैं, उनको पांच लाख रुपए की सहायता राशि और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। उस ऑयल डिपो को वहां से तुरन्त हटाने के भी आदेश दिए जाएं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के कुछ गम्भीर मामलों को आपके सामने रखना चाहता हूं। बरौनी एक बहुत बड़ी सिटी है, वह पटना से 100 किलो मीटर दूर है। बरौनी से 20 किलो मीटर पहले गंगा नदी है। वहां राजेन्द्र पुल बनाया गया था। बरौनी शहर, बरौनी स्टेशन और बरौनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गंगा नदी से काफी दूर है। आज के दिन गंगा सट कर 4-5 किलो मीटर पर रह गई है। मदरापुर, बरियारपुर, बारो के नजदीक जितने गांव हैं, वे इसकी लपेट में आ गए हैं। उनकी आबादी करीब 25 हजार है। ये गांव कट कर समाप्त हो गए हैं। वहां के लोग बरौनी स्टेशन के नजदीक बसने के लिए आ गए हैं। जिनके घर उजड़ गए, जिन की जमीनें कट गई आज तक उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और वह नदी, जिसके बारे में आज नहीं, कई दिनों से चलता आ रहा है, अविलम्ब उसके बारे में कोई कारगर कदम उठाया जाये लेकिन बिहार सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। यदि बिहार सरकार ध्यान नहीं देती है और भारत सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया तो मात्र एक महीने के अंदर ही बरौनी स्टेशन और वहां का फर्टिलाईजर कारखाना कटने से नहीं बचेगा। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है जहां पर 10-10 गांव कट गये हैं और फर्टिलाईजर कारखाना मात्र 3-4 किलोमीटर दूर रह गया है और मधुरापुर गांव, जिसकी आबादी 25 हजार है, वह कट गया है जिसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सहरसा में एक दैवी स्थान है जो कोसी नदी से कट गया है, उसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ दिन पहले श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक सभा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाऊंगा लेकिन उस देवी मंदिर को बचाने के लिये सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। अब तो सड़कें तक कटने लगी हैं और नदी सहरसा की तरफ बढ़ती जा रही है...

उपाध्यक्ष महोदय : बस, अब कनक्लूड करें और बाकी लिखकर दे दें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह एक गंभीर मामला है और सरकार इसको नजरअंदाज किये हुये है और बिहार सरकार को विकास के काम से कोई मतलब नहीं है। इस मामले पर मैं आज तक नहीं बोला..

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा। कल रात 8 बजे लखीसराय के हमारे जिलाध्यक्ष श्री धनराज भारती की गोली मार कर हत्या कर दी गयी..

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितने ईशूज पर बोलेंगे, अब आप बैठ जायें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : वे एक चुनाव लड़े थे और 600 वोटों से हारे थे..

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक ईशू पर बोल सकते हैं, 3-4 पर नहीं बोल सकते हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। अब आप बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सरकार का ध्यान आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं और वह समस्या है आटे दाल के दामों में बेतहाशा वृद्धि।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी में एक मुहावरा है- "आटे दाल का भाव मालूम होना" इसका मतलब है बहुत मुश्किल का सामना करना। अगर किसी को शाप देना हो तो कहा जाता है-रूको बच्चे कुछ दिनों के लिये, तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जायेगा और इस सरकार ने तो अपने शासन के कुछ ही दिनों में पूरे देश के लोगों को आटे दाल का भाव मालूम करवा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज आटा 9-10 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। सारे देश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आप एक गरीब परिवार से आते हैं और इस देश के सबसे गरीब आदमी की खुराक या दिहाड़ी मजदूर की खुराक केवल आटे पर निर्भर रहती है, साग-सब्जी और दाल उसे नसीब नहीं होती, घी-मक्खन की कल्पना करना तो दूर की बात है। वह केवल आटे में नमक मिलाकर उसकी मोटी-मोटी रोटी सेंककर खाता है या उस पर मिर्चों की चटनी रखकर खाता है या प्याज पर मुक्की मारकर पानी पीकर खा जाता है और उसी से संतोष कर लेता है। लेकिन इस नम्र किसान की सरकार ने उस गरीब आदमी के मुंह से सूखी रोटी का निवाला तक छीन लिया। लो त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और त्रस्त हैं।

जहां तक मध्यम वर्ग का सवाल है, अपने लिये प्रोटीन की पूरी आवश्यकता केवल दाल से पूरी करता है और आज अरहर की दाल 32 रुपये किलो, मूंग की दाल 30 रुपये किलो और सबसे सस्ती कही जाने वाली चने की दाल भी 17 रुपये प्रति किलो मिल रही है। आप बताईये कि कैसे मध्यम वर्ग अपने परिवार को प्रोटीन दे? गरीब आदमी कैसे अपना पेट भरे? इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आप इस सरकार को निर्देश दें कि इस महंगाई से किसान को भी फायदा नहीं हुआ है।

जब ये गेहूं खरीदा गया तो बहुत थोड़ा दाम किसान को देकर खरीदा गया मिल-मालिक आज मुनाफा कमा रहे हैं। साढ़े चार रुपये प्रति किलो के भाव से गेहूं उनको मिल रहा है लेकिन 9-10 रुपए प्रति किलो के भाव से वो आटा बेच रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप निर्देश देकर कम से कम यह सुनिश्चित करवाएं कि इस देश के आम आदमी को सूखी रोटी ही सही, कम से कम इतने दाम पर तो मुहैया हो जाए कि वह दो जून रोटी खाकर और पानी पीकर चैन की नींद सो सके। ...**(व्यवधान)**

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र का पानी ही जहर बन गया है। वह रोटी भी कैसे खाएंगे? ...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट (दौसा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान पाकिस्तान में अमरीका के एम्बैसडर द्वारा भारत में कश्मीर पर दिये गए बयान की ओर आकर्षित करता हूं। यह बहुत चिन्ता की बात है और जब कभी कश्मीर में हालात सुधरते हैं तो अमरीका की तरफ से हमेशा एक बयान आता है जो हमारी स्थिति को वहां और बिगाड़ता है। पहले भी ऐसे हालात हुए। जैसे-जैसे स्थिति सुधरती थी, अमरीका की तरफ से कोई न कोई उच्चाधिकारी ऐसे बयान हमेशा देते रहे हैं। अब वहां पर डैमोक्रेटिक ढंग से चुनाव हुए और एक चुनी हुई सरकार वहां काम शुरू कर रही है तो पाकिस्तान में अमरीका के जो एम्बैसडर हैं, उसने हिन्दुस्तान आकर ऐसा बयान दिया है कि आज कश्मीर की हालत चुनाव से नहीं सुधर सकती है। एक डैमोक्रेटिक कंट्री जो सारी दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दम भरता है, हम डैमोक्रेटिक वेल्यूज की इज्जत करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ होता है तो अमरीका आंख बंद कर लेता है, हमारे पड़ोसी देश में डेमोक्रेसी का मर्डर होता है तो वह आंख बंद कर लेता है और हिन्दुस्तान में जहां हम अपनी सत्ता को भी ध्यान में नहीं रखकर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की इज्जत करते हैं तो अमरीका का एक उच्चाधिकारी यहां आकर हमारे देश में बयान देता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर स्थिति साफ करे और मुझे मालूम है कि सदन के सदस्य इससे सहमत होंगे कि सरकार इस पर अपना रूख जाहिर करे कि यह इस देश में नहीं चलेगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हम अमरीका की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान की भी पड़ोसी देश होने के नाते इज्जत करते हैं लेकिन अमरीका ने शिमला ऐग्रीमेंट के बारे में पाकिस्तान से नहीं कहा कि आप हिन्दुस्तान से बात करें। लेकिन जब वह बोले तो यह बोले कि स्थिति खराब है, इससे यह हल नहीं होगा, उनको बात जरूर करनी पड़ेगी। मैं अपनी चिन्ता जाहिर करते हुए सदन के सदस्यों की तरफ से सरकार को कहूंगा कि अमरीका को स्पष्ट कर दे कि हिन्दुस्तान में ऐसी बातें नहीं चलेगी और हम ऐसी बातें बरदाश्त नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हम श्री राजेश पायलट के इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं कि सरकार को अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय ... भी नम्बर आएगा। दो बजे तक बैठना है।

(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सरकार अपने को किसानों का हमदर्द कहती है। मेरे खुर्जा निर्वाचन क्षेत्र में दादरी विधान सभा क्षेत्र है। उसमें किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और उस जमीन को वहां की प्राधिकरण अधिग्रहण करके एक हजार रुपए प्रति स्क्वैयर यार्ड के हिसाब से बेच रही है। ...**(व्यवधान)** किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वह 46 रुपए, 29 रुपए और 110 रुपए के हिसाब से दिया जा रहा है जो किसानों का सरासर शोषण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन किसानों के जिन परिवारों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, उनको नौकरी नहीं दी जाती। परिवार का एक भी सदस्य नौकरी पर नहीं रखा जाता। मल्टीनेशनल कंपनियां वहां आ रही हैं और वहां की अथौरिटी अंडर टेबल उनसे ट्रांजेक्शन करके अपनी जेबें भर रही हैं और किसानों का सरासर शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को यह निर्देश दें कि उन किसानों के साथ न्याय किया जाए और उनकी जमीन का उचित मूल्य उन्हें दिया जाए और उनके परिवारों को, उनके लड़कों को नौकरी दी जाए जिससे कि वह किसान ढंग से रह सकें और उस अथौरिटी को यह भी कहा जाए कि उन किसानों के गांवों का डेवलपमेंट करें। जब यह अथौरिटी कांस्टीट्यूट हुई, उस समय कहा गया था कि इन गांवों का डेवलपमेंट किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को आप निर्देश दें कि इस पर ध्यान दे और कुछ करे।

श्री महेन्द्र कर्मा (बस्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल लाईन के निर्माण को रेल बजट 1996-97 में शामिल करने की रेल मंत्री द्वारा संसद में घोषणा की जा चुकी है। एस.ई.आर. के मुख्य महाप्रबंधक, कलकत्ता द्वारा जगदलपुर-बस्तर प्रवास में सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर यह कहा गया है कि दल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन को 1996-97 के कार्य प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। महाप्रबंधक का ऐसा बयान संसद की अवमानना की श्रेणी में आता है। संसद में दिये गये रेल मंत्री के बयान को झुठलाता है। सरकार की कथनी और करनी में भेद पैदा करता है। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि रेल लाइन के निर्माण के प्रस्ताव को तत्काल कार्य प्रस्ताव योजना में शामिल करें एवं महाप्रबंधक के विरूद्ध गलतबयानी के लिए सख्त कार्रवाई करें।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : विदर्भ के 9 जिले हैं और वह इतना पिछड़ा हुआ है कि 40 वर्षों से वहां विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है और वहां पर गरीब त्राहि-त्राहि करते हैं। गांवों में पीने का पानी नहीं है। गांवों में आने-जाने के लिए सड़कें भी नहीं बनी हुई हैं। लोगों को साइकिलों, मोटर-साइकिलों, बैलगाड़ियों पर ले जाना पड़ता है। बरसात में सारे गांव शहरों से अलग हो जाते हैं। मुख्य रास्तों से उनका महीनों तक संबंध नहीं रहता है। लोग यदि बीमार हो जाते हैं तो बीमारी से मर जाते हैं। विदर्भ का इतिहास यह है कि 1960 में जब महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, उस समय विदर्भ के 9 जिले महाराष्ट्र में मिलाये गये थे। उस समय फजल अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश थी कि विदर्भ अलग राज्य बनना चाहिए। क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में आनी चाहिए, इस कम्पलेशन की वजह से और राजनीतिक कारणों की वजह से विदर्भ को जबरदस्ती इसमें जोड़ा गया। ...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) **:** यह गलत चीज है। ...**(व्यवधान)**

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : वहां के लाखों लोगों ने वहां की जनता ने साबित कर दिया है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार : वह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। हम इसको अनुमति नहीं देंगे। ...**(व्यवधान)**

श्री प्रफुल्ल पटेल : महोदय, यह राजनीति का प्रश्न नहीं है, यह लोगों की भावना का प्रश्न है, हम श्री पुरोहित की बातों का समर्थन करते हैं लेकिन वह इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : जिस समय की यह बात हो रही है और अभी जो वहां की परिस्थिति है मेरे इलाके नागपुर में तथा गांवों में पीने का पानी नहीं है। सरकार द्वारा दिये गये झूठे आश्वासनों पर विदर्भ की जनता नहीं रह सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन से समर्थन मांगते हैं कि विदर्भ की जनता पर होने वाला अन्याय दूर होना चाहिए और जो 9 पिछड़े हुए जिले हैं जब तक उनकी अलग राज्य की स्थापना नहीं होगी। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट बैठिए और मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रफुल्ल पटेल : महोदय या तो वे ही बोलें या हम बोलें ...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) **:** महोदय, हमें बोलने दें। यह हमारा अधिकार है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जान-बूझकर इस ईश्यू को एवाइड कर रहा था।

अपराह्न 12.46 बजे

(इस समय श्री दत्ता मेघे सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर चलिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो-ऑवर में कुछ भी डिसाइड नहीं होता। आपने अपनी बात कह दी, आपकी भावना से सदन अवगत हो गया, बस ठीक है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ के संदर्भ में एक दांडेकर समिति बनाई थी ...**(व्यवधान)** हमारे लोगों को आवाज कौन रोक सकता है ...**(व्यवधान)**

अपराह्न 12.46 बजे

(इस समय श्री दत्ता मेघे अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

श्री प्रफुल्ल पटेल : महोदय, आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे : हम भी लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमें भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। हम चुने हुए लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी अपनी बात कहेंगे। कृपया बैठ जाईए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेघे जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई। अब इन्हें कहने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बाहर जो हो रहा है उससे इस सभा की कार्यवाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सदस्यों को अपनी बात कहनी चाहिए और जब कोई दूसरा दृष्टिकोण हो तो आपको दूसरे दल के नेता को अपनी बात कहने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपनी बात कहने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां। निश्चित रूप से। मैंने पहले ही यह कह दिया है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ के संदर्भ में एक दांडेकर समिति बनाई थी। उस समिति का अनुमान है कि चार हजार करोड़ रुपए...**(व्यवधान)** बैकलौग है, नौकरियों में भी वहां के नवयुवकों के साथ अन्याय हो रहा है...**(व्यवधान)** इसलिए सदन से मेरा निवेदन है कि हमारी स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग आज उत्तरांचल राज्य से भी ज्यादा मजबूत है...**(व्यवधान)** हमारी मांग है कि विदर्भ राज्य बनना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जाईए।

[हिन्दी]

मेघे जी, अब आप बोलिए। आप बैठ जाईए।

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष जी, पुरोहित जी ने जैसा अभी कहा, सिर्फ शिव सेना को छोड़कर सभी पार्टियां विदर्भ की मांग कर रही हैं। हमारी मांग बहुत जायज है। बम्बई पुनर्गठन एक्ट, 1960 के अनुसार बम्बई राज्य का गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से विभाजन हुआ था। विभाजन से पहले विदर्भ के 9 जिले मध्य प्रदेश में शामिल थे और नागपुर शहर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के समय नागपुर करार हुआ और नागपुर को महाराष्ट्र में शामिल करने से पहले अनेक आश्वासन दिए गए थे लेकिन 35 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं की गई है। नागपुर करार के अंतर्गत दिए गए आश्वासनों में जनसंख्या के आधार पर वित्तीय आबंटन देने की बात कही गई थी और यह भी कहा गया था कि विदर्भ का पूर्ण विकास करेंगे लेकिन कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ। शिक्षा के संबंध में दिया गया आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ। यह आश्वासन भी था कि भारत के संविधान के अंतर्गत अलग विदर्भ राज्य की स्थापना की जाएगी, उसकी न तो स्थापना हुई और न ही विकास हुआ। खासतौर से विदर्भ के लिए स्वतंत्र रूप से व्यवस्था करने की बात कही गई थी और नागपुर शहर का विकास, उसका महत्व और गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही गई थी लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उद्योगों के विकास, खनिजों के दोहन और पीने के पानी की समस्या पर खास ध्यान देने की बात कहीं गई थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। राष्ट्रपति जी ने अलग से विदर्भ विकास बोर्ड का गठन किया ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई बस। यह जीरो-आवर है, इसमें पढ़ना ठीक नहीं है। अब आप बैठ जाईए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप अपनी बात कहेंगे। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : आज वहां आन्दोलन होने जा रहा है और हम लोग पूरी ताकत के साथ विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। विदर्भ राज्य बनना चाहिए...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : सभी पार्टियों के लोग विदर्भ राज्य चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मेघे, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लाखों लोगों के पानी की सप्लाई का सवाल है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं आपको न बुलाऊं, कृपया बोलिए नहीं। मैं उनका नाम ले चुका हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सर्पोतदार : उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा के दो माननीय सदस्य, श्री बनवारी लाल पुरोहित और श्री दत्ता मेघे ने एक पृथक विदर्भ राज्य के लिए आवाज उठाई है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे महाराष्ट्र राज्य का विभाजन चाहते हैं। दोनों माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के लोगों ने पांच वर्ष तक संघर्ष किया। उसके बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ, विदर्भ का महाराष्ट्र राज्य में विलय हुआ और महाराष्ट्र के कई भागों को महाराष्ट्र राज्य में लिया गया। श्री मेघे आज यह बात भूल रहे हैं कि पहले विदर्भ क्षेत्र के कांग्रेस दल के मुख्य मंत्री हुए थे। यदि उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब उन्हें बोलने दें।

श्री मधुकर सर्पोतदार : महोदय, सभी मंत्री उनके होते थे और, उन्होंने समूचे महाराष्ट्र राज्य पर 35 वर्ष शासन किया था। यदि वे पर्याप्त धन-राशि नहीं दे सके तो यह महाराष्ट्र के लोगों की गलती नहीं है। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की गठबंधन सरकार है और चूंकि श्री पुरोहित भी हमारी गठबंधन सरकार के सदस्य हैं, अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि ये लोग विदर्भ क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें विश्वास है कि निश्चित अवधि के अन्दर विदर्भ क्षेत्र की प्रगति पर ध्यान दिया जाएगा। अब पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है और सहायक उपाय किए गए हैं। इसलिए, महाराष्ट्र राज्य के विभाजन का प्रश्न नहीं उठता और इस सम्मानित सभा में इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह मेरा विनम्र निवेदन है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री बी.एम. सुधीरन बोलें।

श्री बी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनर्गठन के प्रयास से केरल में सुगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जो कि अन्न की कमी वाला राज्य है, व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। नए प्रस्ताव के गम्भीर और दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि इसमें केरल के 70 प्रतिशत से अधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर हो जाएँगे जिसके फलस्वरूप मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

केरल को 18 लाख टन चावल और 6 लाख टन गे हूं का वर्तमान आबंटन जारी रहना चाहिए। केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि नहीं की जाए। पिछले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा दिए गये इस आश्वासन का सम्मान किया जाना चाहिए कि आने वाले समय में सदैव केरल को चावल की संपूर्ण आवश्यकता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए पूरी की जाती रहेगी। विषय की गम्भीरता पर विचार करते हुए मेरा सरकार, प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्री से अनुरोध है कि वे केरल और अन्य प्रभावित राज्यों के संसद सदस्यों की बैठक बुलाएं और मामले पर चर्चा करें और जब तक आम सहमति नहीं हो जाती है और केरल जैसे राज्यों की सहमति नहीं मिलती है, सरकार को इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

महोदय, मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि यह नई प्रणाली 26 जनवरी, 1957 से लागू की जाएगी। यह एक गम्भीर मुद्दा है और इसके गम्भीर परिणाम होंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे केरल सरकार और केरल के लोगों द्वारा व्यक्त आपत्तियों पर गम्भीरता से ध्यान दें ताकि केरल राज्य के हितों की रक्षा हो सके।

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास कुछ नाम आनरेबल स्पीकर साहब ने भेजे हैं। वे भी मुझे इन्क्लूड करने हैं। कृपाया बैठ जाईए। आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : उपाध्यक्ष महोदय, यह केरल राज्य से सम्बन्धित बहुत गम्भीर विषय है और मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आप बोलने वाले पहले व्यक्ति थे।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर हंसलैंस के नाम से एक इंडस्ट्री चल रही है जिसके कर्मचारी वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रदर्शन करने के बाद इंडस्ट्री के मैनेजमैंट के लोगों ने दो अगस्त को लॉक-आउट कर दिया। लॉट-आउट करने के बाद तीन बार वार्ता हुई। आज तीन हजार मजदूर सड़कों पर बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। वे भुखमरी के कगार पर हैं। वहां बड़ी ध्यावह स्थिति बनी हुई है। मैं खुद तीन बार लेबर मिनिस्टर से मिला, चीफ सैक्रेट्री से मिला लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर राम विलास पासवान जी बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों के बड़े हितैषी और देश के प्रधान मंत्री, धरती पुत्र कहलाने वाले इस पर वक्तव्य दें तथा इसके बारे में तत्काल उचित व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) **:** उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सरकार बैठी हुई है।...**(व्यवधान)** मैं तीन बार मिल चुका हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी बात को दोबारा न कहें।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार कहती है कि हम हितैषी हैं तो मैं हितैषी के रूप में कहना चाहता हूं कि वहां तीन हजार मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं।...**(व्यवधान)** यह मजदूरों का सवाल है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरों को बोलने दें।

[हिन्दी]

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने मिर्जापुर-भ [illegible] संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। वहां पर आदिवासी और गरीब लोग वास्तव में भूमिहीन हैं। उनको जमीन नहीं दी [illegible] है और जो जमीन वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, वे अधिकारियों को पैसे [illegible] कर जमीनों के पट्टे अपने नाम करवा लेते हैं। कुछ गरीब लोगों को जमीनों के पट्टे मिले भी हैं परन्तु उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। वहां हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनको यहां से उठाकर वहां फेंक देते हैं और वहां से उठाकर यहां फेंक देते हैं। उनको रहने के लिए मकान तक नहीं दिये जाते हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत हमारे जो अम्बेडकर नगर घोषित किये गये है, उसमें भी मकान नहीं दिये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को जमीन दी जाये तथा इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान नहीं दिये जा रहे हैं, वे मकान तुरंत दिये जायें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े व्यथित मन से यह मामला उठा रहा हूं। इस बार विदिशा के लोगों ने दिवाली नहीं मनाई। जब दिवाली के दिन बाकी लोग दीये जला रहे थे तब विदिशा की जनता हाथ में मशालें लेकर प्रदर्शन कर रही थी। बेतवा नदी इस देश की सबसे प्रमुख नदी है। यह प्रमुख और पवित्र नदी आज बुरी तरह से प्रदूषित होकर जहर बन गयी है। लाखों मछलियां मर गयी हैं, सैंकड़ों पशु मर गये व हजारों लोग इसका पानी पीकर बीमार हैं। विदिशा जिले में मृत्यु की दर बहुत बढ़ गयी है। वहां आज हालात इतने खतरनाक हैं कि नगरपालिका और जिला प्रशासन ने उस पानी को पीने के लिए खतरनाक घोषित कर दिया है। वहां वॉटर सप्लाई बंद कर दी गयी है जिससे लाखों लोग पीने के पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, वे तो ट्यूबवैल खुदवाकर पानी ले रहे हैं लेकिन गरीब लोग मजबूरी और बेबसी में वही पानी पीकर गंभीर रूप से बीमार होकर मरने के लिए एक तरह से अभिशप्त हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडी दीप के 350 कारखाने जहरीला रासायनिक प्रदूषित पानी बेतवा में छोड़ते हैं। दो डिस्टिलिरीज बेतवा को प्रदूषित कर रही है। भोपाल के सारे सीवरेज का पानी बेतवा में आता है इसलिए गन्दे जहरीले पानी के रूप में परिवर्तित हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदिशा का सांसद संसद के रिकार्ड में लाने के लिए यह चेतावनी दे रहा हूं कि यदि बेतवा को प्रदूषण से मुक्त करने का उपाय नहीं किया गया तो हजारों लोग मरेंगे। बाद में हम कितनी भी चर्चा कर लें। हमारी चर्चा करने से और रोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं अपाके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता

हूं कि बेतवा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें और इस पर स्टेटमैंट देकर विदिशा क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करें। ...**(व्यवधान)**

अपराह्न 1.00 बजे

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर प्रश्न है और सिर्फ बेतवा तक ही सीमित नहीं रहेगा। बेतवा चम्बल में मिलती है, चम्बल जमुना में मिलती है, जमुना गंगा में मिलती है। अगर इस तरह से प्रदूषण आया तो यह केवल बेतवा बेसिन तक ही सीमित नहीं रहेगा। जो हाल मैंने इनसे यहां सुना है और जो भी अखबारों में पढ़ा है, उससे मुझे यह चिन्ता होती है कि यह सारा जल प्रदूषण कलकत्ता तक जाएगा। यह रूकेगा नहीं क्योंकि जिस मात्रा में प्रदूषण हो रहा है वह बहुत भयंकर है और उससे अनेक रोग फैल रहे है। खेती को भी नुकसान होगा। उस पानी से जो सिंचाई होगी और जो अनाज होगा, उसमें इस प्रकार का प्रदूषण जाएगा। यह सामान्य प्रश्न नहीं है और प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत उपाय करना बहुत आवश्यक है। मैं इसलिए चिंतित हूं कि सारा बेतवा का जल जमुना की मार्फत इलाहाबाद में आता है। मैं इलाहाबाद का निवासी हूं, वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह उस कौन्सटीटूएंसी के लिए खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है और पूरे गंगा बेसिन के लिए भी खतरा है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए इस पर सरकार को तत्काल रीएक्ट करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री अहमद को बोलने दें।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान 60,000 से अधिक भारतीयों की दुःखद और दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। मैं मंत्री को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कृपया श्री अहमद को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : इस बारे में सदन के नेता कुछ बताएं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ये कुछ कहना चाहें तो मैं नहीं रोकता।

(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या आप इस पर कुछ बताएंगे? ...**(व्यवधान)**

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : जो बात माननीय सदस्य और आदरणीय जोशी जी ने कही है, यदि वह सही है तो बहुत गंभीर भी है और खतरनाक भी है। ...**(व्यवधान)** इसलिए हम इस बात को सरकार के संबंधित मंत्री की नॉलेज में लाएंगे और देखेंगे कि इस संबंध में जल्दी जांच करवा कर वस्तु स्थिति का पता लगाएं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान 60,000 से अधिक उन भारतीयों की दुःखद और दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनको उस सरकार की क्षमा घोषणा के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा वापस भेजा गया है।

उस सरकार के सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण, हमारे लोग अपने देश वापस आ सकें। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार उन भारतीयों के मुद्दे के प्रति जो दूसरे देशों से वापस आए हैं इतनी अधिक असंवेदनशील क्यों है। कुछ वर्ष पूर्व जब युगान्डा सरकार द्वारा कुछ भारतीयों को वापस भेजा गया था तो उनमें से कई ब्रिटिश नागरिक थे, तो ब्रिटेन सरकार ने उनमें बहुत रूचि ली थी और वह उस मुद्दे के प्रति बहुत संवेदनशील थी। यहां ये लोग जो हमारे देश की विदेशी मुद्रा अर्जन में योगदान कर रहे हैं—इन 60,000 लोगों में से अधिकांश श्रमिक वर्ग से संबंधित है—जब उन्हें वापस भेजा गया तो उनके साथ बहुत भद्दा व्यवहार किया गया है।

वास्तव में, यह संख्या 60,000 से भी अधिक है, लेकिन सरकारी आंकडा 60,000 है। इन 60,000 लोगों में से, 45 प्रतिशत केरल राज्य से संबंधित हैं, 23 प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश के हैं और बाकी लोग शेष देश के हैं। मुझे स्वयं राजदूत द्वारा यह बताया गया है कि 45,000 लोगों को 'आउट पास' जारी किए गये हैं और उन्हें इन आउट पास के साथ भारत आना है। जो वापस भेजे गये हैं उनमें फिलिपींस, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान के भी लोग हैं, लेकिन उनकी संबद्ध सरकारों ने बिना किसी कठिनाई के पासपोर्ट जारी किए ताकि वे वापस जा सकें और विधिक अप्रवासी के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी पा सकें, जबकि हमारी सरकार पासपोर्ट जारी करने में आना-कानी और देरी कर रही है। जब लोगों ने इन आउट पास के आधार पर पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, तो उन्हें कुछ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ये लोग वे नौकरीयां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो वे कर रहे थे। हमारे लोगों को विधिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। भारत सरकार इस मुद्दे के प्रति अत्यधिक असंवेदनशील क्यों है? हमारे कर्मठ राजदूत द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय है। संयुक्त राज्य अमीरात में भारत के राजदूत के कारण ही संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने क्षमा प्रदान की है। इन लोगों के लिए कुछ सक्षम योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए केरल सरकार से सम्पर्क किया था। इन लोगों को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है उन्हें कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया है, और विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वीकृति भी प्रदान नहीं की है। यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है और हम उन लोगों के प्रति अन्याय कर रहे हैं जो इस देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करते रहे हैं।

उन्होनें नौकरी-क्षेत्र में अन्य देशों के लोगों के साथ भी मुकाबला करके ये नौकरियां हासिल की है। हमारा देश अन्य देशों को जनशक्ति का प्रमुख निर्यातक है। यह जनशक्ति देश में आय का एक प्रमुख स्रोत है। इसलिए मैं इस अवसर पर सरकार का इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि अन्य देशों में हमारे भारतीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराहन् 2.05 बजे तक के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.15 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी महिला सेवक हजारों की संख्या में पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने बैठी हैं, जो सिर्फ दो सौ रुपए पर काम कर रही हैं। हजारों की संख्या में गरीब महिलायें हैं, सन् 1975 से 200 रुपए पर काम कर रही हैं। आज के दिन 200 रुपए में कुछ नहीं होता है। अभी हम वहां से होकर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में इन महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। आपकी कृपा हो आए, आप निर्देश दें कि इन आंगनवाड़ी महिला सेविकाओं को स्थायी कर्मचारी मान कर सरकारी सेविका बना दें। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई नोटिस या लिख कर देना चाहिए।

श्री नवल किशोर राय : इस विषय पर सारा सदन एक मत है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : किसी नियम में या कुछ नोटिस लिख कर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर राय : पूरा हाउस एक मत है। आपका संरक्षण चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई। अब आप बैठ जाइए।

श्री नवल किशोर राय : आपका निर्देश हो जाता, तो कुछ कार्रवाई हो जाती। ...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : महोदय, ध्यानाकर्षण पर चर्चा आप नियम 193 में परिवर्तित कर दीजिए, नहीं तो हम दिल्ली वालों को मौका नहीं मिलेगा। मैंने इस बारे में लिख कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : दिल्ली वालों को तो मौका मिलना चाहिए। जगमोहन जी भी बैठे हैं।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : आपका नाम है?

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैंने लिखकर दे रखा है। ...**(व्यवधान)**

अपराह्न 2.17 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अक्तूबर-नवम्बर, 1996 के दौरान दिल्ली, हरियाणा और देश के अन्य भागों में व्यापक रूप से फैला डेंगू बुखार

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :-

> "अक्टूबर-नवम्बर, 1996 के दौरान दिल्ली, हरियाणा और देश के अन्य भागों में व्यापक रूप से फैले डेंगू बुखार के परिणामस्वरूप अनेक लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित कर लिया गया है जिससे मुख्य रूप से दिल्ली प्रभावित हुई। 25.11.1996 तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार संदिग्ध डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी ज्वर के कारण दिल्ली में 392 मौतें, हरियाणा में 48 मौतें तथा देश के अन्य भागों में 49 मौतें होने की सूचना मिली है। डेंगू एक वायरस से होता है और यह रोग अधिकतर उष्ण कटिबंधीय देशों में स्थानिकमारी के रूप में होता है, भारत में डेंगू का प्रकोप की अपेक्षाकृत कम बारम्बारता रही। यह रोग एक संक्रामक एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस मच्छर के पनपने की विशेष प्रकृति होती है और यह प्रायः घरों के अन्दर और इर्द-गिर्द कूलरों, बरतनों, फूलदानों आदि में एक घरेलू प्रजनक के रूप में पाया जाता है।

वर्तमान प्रकोप के दौरान डेंगू रक्तस्रावी ज्वर का पहला संदिग्ध रोगी 13.9.1996 को दिल्ली में पाया गया और तत्काल राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जैसी एजेंसियों द्वारा जांच की गई। अक्तूबर, 1996 के मध्य में फरीदाबाद और लुधियाणा में डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी ज्वर के संदिग्ध रोगी ध्यान में आए।

स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल थे :-

1. सभी प्रमुख सार्वजनिक और प्राइवेट अस्पतालों से रोज रोगियों और मौतों की सूचना देने की पद्धति तत्काल स्थापित करना; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा दिनांक 10.9.1996 को दो नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए;

2. राज्य सरकारों और विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के रोगियों का पता लगाने, लार्वारोधी कार्यों; फॉगिंग, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों और रोगियों के नैदानिक उपचार के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सतर्क करना;

3. मुख्य अस्पतालों और भारतीय रेडक्रास सोसाइटी में रक्त घटक पृथक्करण सुविधाओं में वृद्धि करना;

4. सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और दिल्ली के अन्य अस्पतालों में पलंग क्षमता में वृद्धि करना क्योंकि प्राप्त हुई सूचना के अनुसार फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा जैसे इर्द-गिर्द के क्षेत्रों से रोगी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रक्त घटक पृथक्करण सुविधा सहित चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। सभी अस्पतालों को हिदायतें दी गई थीं कि वे किसी भी रोगी का उपचार करने से इनकार न करें और इसकी प्रभावकारी ढंग से मानीटरिंग की गई।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अतिरिक्त मात्रा में पायरेथ्रम एक्स्ट्रैक्ट, मलाथियान और फॉगिंग मशीनें सप्लाई की गई। हरियाणा सरकार को भी मलाथियान तकनीकी सिंथेटिक पायरेथ्रायड और फॉगिंग मशीनें सप्लाई की गई थीं। पंजाब सरकार को भी मलाथियान तकनीकी और फॉगिंग मशीनें सप्लाई की गई थीं। ये आपूर्तियां राज्यों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अधीन की जा रही सामान्य आपूर्ति के अलावा की गई थीं।

6. मैंने विशेष रूप से दिल्ली और अन्य इर्दगिर्द के क्षेत्रों में डेंगू स्थिति की पुनरीक्षा करने हेतु तीन बार पुनरीक्षा बैठकें की जिनमें से एक बैठक 9.10.96 को की जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने भी भाग लिया था और बाद की बैठकें 15.10.96 और 21.10.96 को आयोजित की गई।

7. दिल्ली में डेंगू की स्थिति की पुनरीक्षा करने और राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाने वाली उपचारी कार्रवाई के बारे में सलाह देने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठित की गई। इस समिति की 16.10.96 से 8.11.96 तक रोज नियमित आधार पर बैठक हुई।

8. वेक्टर नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता, रोगी प्रबंध, प्लेटलेट्स/प्लाज्मा उपलब्धता और औषधों तथा उपभोज्य सामग्री की उपलब्धता का मूल्यांकन करने तथा इस प्रकोप को नियंत्रित करने हेतु उपचारी कार्रवाई करने हेतु संबंधित एजेंसियों को सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की विशेष टीमें, जिनमें राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों (दिल्ली) के चिकित्सा विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल थे, हरियाणा में फरीदाबाद और गुडगांव, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और मेरठ तथा पंजाब में लुधियाना में भेजी गई थीं।

9. केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने विशेष रूप से सारे देश में डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी ज्वर की स्थिति की पुनरीक्षा करने हेतु दिनांक 24 अक्तूबर, 1996 को सभी राज्य स्वास्थ्य सचिवों की एक बैठक ली। डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को नियंत्रित करने की दृष्टि से इन दोनों रोगों के लिए गहन वेक्टर नियंत्रण उपाय करने की राज्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया। राज्यों से कहा गया था कि वे आपाती योजनाओं के साथ तैयार रहें। सभी राज्यों को डाक्टरों के दल दिल्ली भेजने की सलाह दी गई थी ताकि उन्हें डेंगू के रोगी की उपचार व्यवस्था में सुग्राही बनाया जा सके। राज्य स्वास्थ्य सचिवों का ध्यान डेंगू संबंधी कार्य योजनाओं की निगरानी की ओर आकर्षित किया गया। इस आशय का परिपत्र राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा अगस्त, 1995 में उन्हें भेजा गया था। केन्द्र द्वारा सभी प्रभावित राज्यों को सभी प्रकार की संभावित सहायता देने का आश्वासन दिया गया।

10. मेरे निर्देशों पर, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अधीन विभिन्न राज्यों के लिए रक्त बैंक सुविधा के निमित्त, सैन्ट्रीफ्यूज मशीनें बम्बई से दिल्ली, फरीदाबाद, लुधियाना और मेरठ लाई गईं। दिल्ली में रक्त घटक पृथक्करण सुविधा को बढ़ाने के अलावा जो डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी ज्वर के उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य राज्यों में किसी भी आपाती स्थिति से निपटने के लिए ऐसी मशीनों को रिजर्व रखने के लिए कहा गया था।

11. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी दिल्ली ने डेंगू रक्तस्रावी ज्वर से पीड़ित रोगियों को प्लेटलैट प्लाज्मा, होल ब्लड प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई। 26.9.96 से 18.11.96 तक प्लेटलैट की 7,500 यूनिटें, प्लाज्मा की 4,771 यूनिटें और रक्त कोशिकाओं की 7,105 यूनिटें डेंगू रक्तस्रावी ज्वर के मरीजों को सप्लाई की गई। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, दिल्ली के रक्त बैंक ने चिकित्सा और परा-चिकित्सा बलों के साथ-साथ चौबीसों घंटे काम किया। फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद और नौएडा के रोगियों को भी भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, दिल्ली द्वारा रक्त घटक मुहैया कराए गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 22 अगस्त, 1996 से 21 नवम्बर 1996 की अवधि के बीच दाखिल हुए डेंगू के मरीजों को प्लेटलैट की 1303 यूनिटें देने के अलावा अन्य अस्पतालों के मरीजों को प्लेटलैट की 857 यूनिटें सप्लाई कीं।

12. रोग के आगे होने वाले प्रकोपों को रोकने में स्थानीय नेताओं, कालोनियों की रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों, गैर-सरकारी संगठनों और भारतीय आयुर्विज्ञान एसोसिएशन, दिल्ली आयुर्विज्ञान एसोसिएशन और भारतीय स्वास्थ्य एसोसिएशनों जैसे अन्य स्वैच्छिक निकायों को शामिल करके सामुदायिक भागीदार बनाया गया है। मल्टीमीडिया प्रचार अभियान के माध्यम से एक कारगर जन-जागरण कार्यक्रम न केवल आम जनता के लिए अपितु प्राइवेट चिकित्सकों के लिए भी, जो रोगियों को प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं, शुरू किया गया था। अभियान का प्रभाव सामने आया और तत्काल इसके कारण अस्पतालों में बहुत अधिक दाखिले होने की सूचना मिली जहां पर उपयुक्त लाक्षणिक उपचार और नैदानिक प्रबंध के कारण मृत्यु दर को नियंत्रित किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री ने प्रमुख अस्पतालों का दौरा करके और दिल्ली के कुछ अस्पतालों में रोगी परिचर्या के बारे में मौके पर जायजा लेकर व्यक्तिगत तौर पर स्थिति की समीक्षा की।

हरियाणा के मेवात क्षेत्र में ज्वर से संबंधित बहुत अधिक मौतों के बारे में रिपोर्ट भी प्राप्त हुई हैं। ये मामले मलेरिया और कम पोषणिक स्तरों के कारण हैं न कि डेंगू के कारण। वेक्टर नियन्त्रण उपायों के लिए पर्याप्त सामग्री मलेरिया रोधी औषधें हरियाणा सरकार को सप्लाई की गई। 19.11.96 को कुछ विशेषज्ञों के साथ मैंने खुद मेवात क्षेत्र का दौरा किया। उसके बाद 23.11.96 को प्रधानमंत्री ने मेवात क्षेत्र का विशेष दौरा किया और हरियाणा सरकार के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की विशेष टीमें लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और राज्य के सम्बन्धित स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सभी प्रकार की सहायता दे रहे हैं।

मंत्रालय अब मलेरिया, काला आजार, डेंगू जैसे वेक्टर वाहित रोगों के लिए एक आपाती योजना तैयार कर रहा है। घटना और कार्यकलापों का एक कलैंडर तैयार किया जा रहा है जो राज्यवार आधार पर स्थानिकमारी क्षेत्रों और संचरण अवधि के दौरान रोकथाम, छिड़काव और उपचार दोनों की दृष्टि से ध्यान दिए जाने वाले विशिष्ट स्थानों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकारों को प्रदान की जाएगी। मैं यह देखने का प्रयास करूंगा कि इसमें न केवल राज्यों का सहयोग लिया जाए अपितु यदि कोई राज्य संतोषप्रद कार्रवाई नहीं करता तो इस मामले को समय पर मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य मंत्रियों व मुख्य मंत्रियों के साथ उठाया जाए ताकि हर समय राज्य द्वारा की जाने वाली नियन्त्रण और शोधक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके। जन-स्वास्थ्य और स्वच्छता संविधान के अधीन राज्य का विषय है लेकिन यह देखना मेरी गहरी चिंता का विषय है कि हम अपनी निगरानी को बढ़ाएं और समय पर निवारक कार्रवाई करके प्रकोप और रोगों के फैलने को रोकने हेतु हर संभव प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, भारत में जब कोई संक्रामक रोग फैलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह पहले पहल यहां पर आया है और तब तक उसके बारे में खोज-बीन प्रारम्भ की जाती है। दुनिया का इतिहास बताता है कि विकसित देशों से संक्रामक रोग समाप्त हो गया है और वे इससे मुक्त हैं। 50 वर्ष की आजादी के बाद हमारे देश में संक्रामक रोग आता ही नहीं है बल्कि जोर से आता है और तब हमारी सरकार चेतती है तथा हम कुछ करने की बात सोचते हैं।

विकसित देश में लोग एक्सीडैंट से मरते हैं, कैंसर से मरते हैं, दिल के दौरे से मरते हैं लेकिन वहां संक्रामक रोग से कोई नहीं मरता। सरकार हमें बताए कि 50 साल से हमने इस रोग की रोकथाम के लिए कौन से उपाय किए हैं।

मंत्री जी ने यहां कुछ बातें कहीं। हमारे पास आज दूरदर्शन है। स्वास्थ्य मंत्रालय का जन शिक्षा विभाग बहुत बड़ा है और उसके साथ अनेकों स्वयं सेवी संस्थाएं हैं। हमने इनका उपयोग किस प्रकार किया है?

मैं विशेषज्ञों की राय थोड़ी सी कोट करना चाहता हूं। मुझे वह कोट करने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उस ओर सरकार का ध्यान जा रहा है या नहीं?

[अनुवाद]

11 अक्तूबर, 1996 के इंडिया टुडे में 'डेडली कमबैक' नामक शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में यह कहा गया है कि :—

> "जबकि नई बीमारियां भारत में जड़ें जमा रही हैं पुरानी सांघातिक बीमारियां भी फैल रही हैं, औषधियां प्रभावहीन होती जा रही हैं और लोक स्वास्थ्य प्रणाली को इस समस्या से निपटने में कठिनाई हो रही है।"

इसी लेख में डा. कल्याण बनर्जी ने कहा है :—

"हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इससे सचेत रहें। अनेक पुराने संक्रामक रोगों की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त नई बीमारियां भी फैल रही हैं।"

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के निदेशक डा. के.के. दत्ता निदेशक के अनुसार :—

"विशेषज्ञों का मानना है कि जैविक सूक्ष्मजीवी विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति एक गहरी, विश्वव्यापी प्रकिया है। संक्रामक बीमारियों के मामले में हम तबाही के कगार पर खड़े हैं। उनसे कोई देश अछूता नहीं है। ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है।

यह कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रति वर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.5 प्रतिशत खर्च करता है जबकि पश्चिमी देशों में यह व्यय 10 प्रतिशत तक है।"

इस लेख में यह भी कहा गया है कि :—

"नये वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। अब से एक दशक पूर्व अनेक भारतीयों ने एच.आई.वी. और एड्स जैसी बीमारियों का नाम भी नहीं सुना था। आज यह पूरे भारत में फैली हुई है।"

उसी लेख में डा. के.के. दत्ता ने आगे कहा है कि :-

"किसी ठोस निगरानी अथवा निवारक उपायों के अभाव में इसकी संख्या में वृद्धि ही होगी।"

[हिन्दी]

मरने वालों को आपने यहां डाटा दिया। मरने वाले तो मर गए लेकिन एक कहावत है मरने का डर नहीं, जन्म परखने का डर है। हम जन्म परखने दें। मैं इसलिए एक्सपर्टस की राय कोट कर रहा हूं कि वह आपके ध्यान में आए और उस पर फर्दर एक्शन लिया जा सके।

[अनुवाद]

इंडिया टूडे के उसी संस्करण में, एक अन्य लेख में 'राईजिंग फ्रोम दी एशस' नामक शीर्षक में यह उल्लेख किया गया है कि :—

" इसमें हैरानी की बात नहीं है कि देश में विषाणु विज्ञान अनुसंधान में विशेष तरक्की नहीं हुई है। भारत में गहन अनुसंधान शून्य है और विशेष संक्रामक बीमारियों में अनुसंधान के मामले में यह बात सही है। ऐसा डा. कनूरू राव, इंटरनेशनल सेंटर फार जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायो टेक्नोलोजी, दिल्ली के इम्यूनोलोजी विभाग के प्रमुख का मत है। विगत कुछ वर्षों में अनुसंधान हेतु मिलने वाली वित्तीय सहायता में भी कमी आयी है।"

एक अन्य विशेषज्ञ का मत है :--

"पूरे भारत के डाक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों का मत है कि इस समस्या के समाधान के लिए नीति निर्धारण स्तर पर नौकरशाहों के बदले लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त त्वरित कार्यवाही यूनिटों कमांडों की तरह दो चिकित्सा जो स्थानीय स्तर पर बीमारी के फैलते ही तुरन्त हरकत में आ जाए, निपट सके और पूरे देश में बीमारी निगरनी यूनिटों के एक मजबूत तंत्र बनाए जाने की भी आवश्यकता है । यदि मच्छरों को नियंत्रित किया जाता तो दिल्ली में फैली डेंगू बीमारी की विकरालता को रोका जा सकता था।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आज तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के बाद आप अपनी ओपीनियन दीजिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं इसलिये एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट दे रहा था कि जरूरत इस बात की है कि जो डेंगू बीमारी फैली, अखबारों में इस तरह से प्रचारित हो गया कि हर आदमी को लग रहा था कि अब मरे और तब मरे। इसके लिए टी.वी. के द्वारा, अखबारों के द्वारा मैडिकल बुलेटिन है, इस बारे में निकला कि फीवर हो जाये तो क्या क्या सावधानियां करनी चाहिये, लोगों को कैसे जानकारी देनी चाहिये, बड़ी डीटेल में है लेकिन मैं इस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता और यहीं कहूंगा कि इंडियन मैडिकल ट्रिब्यून देखा जाये और उसके अनुसार उस पर कार्यवाही हो। मैं एक और सुझाव देना चाहता था..

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मेरा सुझाव है कि मौसम पूर्वानुमान के भांति ही एक उचित पूर्व चेतावनी व्यवस्था होनी चाहिए।

[हिन्दी]

यह निहायत ही आवश्यक है। इस बीमारी को रोकने के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता थी रक्त बनाने की। एक प्लेटलेट की मशीन रैडक्रास के पास और एक ऑल इंडिया में थी अन्यत्र नहीं थी और अब भले ही सब जगह हो गयी हो लेकिन मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं। सफदरजंग में एक मशीन खरीदी गयी, उससे एक बोतल भी खून नहीं बना और वह मशीन रद्दी करके भेज दी गयी। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस तरह की लापरवाही की सरकार जांच कर ले और इस मशीन का बिना उपयोग किये ही यह बर्बाद हो गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि सत्तर के दशक में मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम चला था और कहा गया कि मलेरिया का उन्मूलन कर दिया गया है लेकिन अब फिर मलेरिया

सारे देश में आकर रूक गया है। यह मलेरिया उन्मूलन का सिस्टम है, या सिर्फ तत्काल प्रभावी करके मुक्त मान लिया गया या इसको परमानेंट भी मुक्त करेंगे? दिल्ली में डेंगू फैला, ऐसी बात नहीं थी यह तो पूरे देश में फैला और एक बार नहीं, दो बार फैला लेकिन नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके पहले यह क्यूबा, थाईलैंड में था। इसलिये हमें लगा कि इस फीवर में क्या करें। इसका पता नहीं लगा। इसका पता न लगने का कारण यह नहीं था। डेंगू वायरस से होता है और मलेरिया पैरासाईट से होता है। अब दोनों बीमारियों में डिस्टिंग्युश करने के लिये हमें सैम्पल पुणे भेजना पड़ा और तब मालूम हुआ कि यह डेंगू है। इस ओर सरकार का ध्यान जाये, हम लोग जांच-पड़ताल कर सकें कि कौन सा काम जल्दी निपटाया जा सकता है और कौन सा नहीं?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने रक्त घटक पृथक्करण सुविधा आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से सप्लाई की, ऐसी कुछ बात बताई है। लेकिन किस समय कितनी आवश्यकता थी इसको नहीं बताया है। जितनी आवश्यकता थी उतनी मैडिकल इंस्टीट्यूट और रेड क्रोस की मशीनें पूरा नहीं कर पा रही थीं। इसलिए उस समय लोगों को लग रहा था कि कहीं डेंगू हमें ही न पकड़ जाए और हम न मारे जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली ने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं किया है। दिल्ली में डी.डी.ए., एन.डी.एम.सी., रेलवे कालोनीज हैं और लाखों कर्मचारी प्रतिदिन बाहर से यहां आते हैं। यह नहीं मालूम कि कौन अपने साथ बीमारी लेकर आता है। दिल्ली की आबादी एक करोड़ से ऊपर है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बीमारी का एक कारण बन रहा है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और फोरेस्ट के समाप्त होने के कारण जो गंदगी और प्रदुषण फैला है, यह बीमारी को पनपने में मदद कर रहा है। इस पर भी सरकार का ध्यान जाए।

मैं कुछ बात हरियाणा सरकार के बारे में कहना चाहता हूं। जिस प्रकार डेंगू यहां फैला था, उसी प्रकार वहां मलेरिया फैला था और मलेरिया फैलने पर उसने जो काम किया था, मेवात वगैरह आप स्वयं गए थे। मैं उसका वर्णन इसलिए नहीं करना चाहता कि आपने स्वयं देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने इसका मुकाबला किया और समयानुसार जितनी आवश्यकता थी, उसको किया। यंत्र भी मंगवाए, कमेटी बैठाई और ऐक्सपर्ट्स बुलवाए और चारों तरफ फ्यूमिगेशन किया। उसके लिए भी बहुत सी मशीनें जर्मनी से मगवाई गईं। लेकिन उन्होंने इस काम से निश्चित रूप से निपटने के लिए फाइनेंशियल असिसटेस मांगी है। 43.36 करोड़ रुपए नेशनल कैलामिटी रिलीफ के लिए मांगे हैं। 11 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ से पेरामीडिक्स और हैल्थ रिलेटेड मीजर्स के लिए मांगा है और 20 करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन से मांगा है जिससे कि वह इसको लोंग टर्म मीजर बना सके। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसके बाद येलो फीवर का प्रकोप भी बढ़ सकता है। यह भी कई जगह पर है और कुछ के सिम्पटम्स यहां मिले हैं। डेंगू और येलो फीवर के सिम्पटम्स एक जैसे हैं। येलो फीवर हमारे देश में गंभीर रूप धारण न करे इसके लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है? संक्रामक रोग में हमने देखा है कि कालाजार, प्लेग, डायरिया आदि ऐसी जो चार-पांच बीमारियां हैं, ये मुख्य रूप से हिन्दुस्तान में विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यह विकराल रूप धारण न करें इसके लिए सरकार क्या कर रही है? डब्लू.एच.ओ. ने कहा है कि इसको हम फाइनेंस करते हैं। जब हम इसको पूरा नहीं करते और फाइनेंशियल एड में वृद्धि नहीं करते हैं, तब तक हम स्वास्थ्य मंत्रालय को सक्षम नहीं बना सकते हैं। जो बीमारी संक्रामक है, उसके उन्मूलन के लिए हमारे पास क्या कोई योजना या कार्यक्रम है? हमने इंटरनेशनल संधि की है कि सन् 2000 तक हम सबको स्वास्थ्य प्राप्त करा देंगे। किस प्रकार हम ऐसा कर पाएंगे जब हम इन संक्रामक रोगों से ही देश को मुक्ति नहीं दिला सकते? मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय किसी राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है और हमारा देश विशाल है और हर जगह किसी न किसी तरह का संक्रामक रोग फैलता रहता है। दिल्ली में जो हमारा स्वास्थ्य विभाग लोगों की नजर में गिर गया, फेल्यार हो गया, तो जब यह बीमारी गांव में फैलेगी, जहां पर इलाज की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति में हम उससे निपटने के लिए क्या करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी कंक्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं दो-चार बातों का जिक्र और करना चाहता हूं। यह जो रक्त-परत बनती है इसकी जितनी सुविधा आपने यहां पर दी है उतनी ही सुविधा राज्यों में और कुछ क्षेत्रों में यदि नहीं दी जायेगी तो यह येलो फीवर का या डेंगू का दूसरी जगहों पर जब प्रकोप बढ़ेगा तो क्या दिल्ली से इस रक्त-परत को ले जाया जायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक बड़े राज्य में अविलम्ब इस मशीन की आपूर्ति केन्द्र सरकार करे और साथ ही ये संक्रामक रोग किसी राज्य में न फैले। उसके लिए समर्थ सहायता का कुछ उपाय करे और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की एक कमेटी होनी चाहिए जो इसको वाच करती रहे ताकि हमारे देश में इन संक्रामक रोगों का फैलाव न हो और इन रोगों का हम किस प्रकार से उन्मूलन कर सकते हैं जैसे हमने चेचक का उन्मूलन कर दिया। इसी प्रकार इन संक्रामक रोगों का उन्मूलन करने की क्या सरकार के पास कोई योजना है।

***श्री हराधन राय** (आसनसोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बगाली में बोलूंगा। दिल्ली, भारत की राजधानी होने के बावजूद भी भयानक डेंगू के कारण यहां अनेक मौतें हुई। राजधानी में ही डेंगू ज्वर के फैलने की स्थिति अत्यधिक खतरनाक थीं। यदि दिल्ली में ऐसी स्थिति हो सकती तो अन्य स्थानों पर लोगों की स्थिति क्या होती? इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मंत्री महोदय द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार डेंगू ज्वर के फलस्वरूप मरने वाले लोगों की संख्या दिल्ली में 392, हरियाणा में 48 और देश के अन्य जगहों पर 49 थी। दिल्ली में ही 392 मौतें हुई। अब यदि हम सबसे अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र का पता लगाने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि अधिक जनसंख्या और

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भीडभाड़ वाले क्षेत्रों में इसका अत्यधिक प्रभाव रहा। जहां समाज के गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। इसकी प्रतिशतता के अनुसार भी यह प्रतीत होता है कि मरने वाले ज्यादातर व्यक्ति गरीब तबके के थे। डेंगू ज्वर में सामान्यतः बहुत तेज ज्वर, तेज सर दर्द, शरीर दर्द, खून की उल्टी, पेट खराब, पेचिश, और पेशाब में खून आता है। इसकी सबसे दुःख-दायी स्थिति तो यह है कि बीमारी का पता लगने के पूर्व ज्यादातर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। अब भी ऐसा ही हुआ। यदि दिल्ली में स्थिति ऐसी अनियंत्रित हो सकती है तो भारत के अन्य भागों में लोगों की स्थिति क्या होगी। हरियाणा, राजस्थान, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हजारों लोग प्रति वर्ष मलेरिया से मर जाते हैं। डेंगू मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू ही नहीं अपितु मलेरिया, फलेरिया, पीला ज्वर, कालाजार, मस्तिष्क ज्वर आदि बीमारियां भी मच्छरों के काटने से फैलती है। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग इस रोग के शिकार होते हैं। इन महामारियों से निपटने का संयुक्त उत्तरदायित्व होना चाहिए क्योंकि राज्य का तंत्र चाहे जितना बड़ा क्यों न हो वह अकेला इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता। केन्द्र और राज्य को जिम्मेवारी बांटनी चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि डेंगू का पता लगाने में इतना वक्त लगा। यदि दिल्ली जैसी जगहों में बीमारी का पता लगाने और इसके उपचार में इतना वक्त लगता है तो देश के अन्य भागों में क्या स्थिति होगी। मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नजदीक रहता हूं। वहां मात्र एक बार धुवां छोडने वाली मशीन का प्रयोग किया गया। क्या यह कदम अन्य स्थानों में भी उठाया गया? चूंकि यह बीमारी मच्छरों से फैलती है अतः पूरे देश में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए कोई अभियान प्रारंभ किया जाना चाहिए। कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। पूर्व में प्रत्येक क्षेत्र में महीने में एक या दो बार डी.डी.टी. का छिड़काव किया जाता था। हमारे बचपन के दौरान भी ऐसा किया जाता था। लेकिन मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्री हाराधन राय : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा होता यदि आप पहले यह सूचना दे देते कि आप बंगाली में बोलेंगे।

श्री हाराधन राय : हां, मैंने पहले सूचना दी है। बिना सूचना दिए मैं बंगाली में कैसे बोल सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, अब इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री हाराधन राय : भाषांतर हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसकी व्यवस्था की गई है।

श्री हाराधन राय : यह मेरी गलती नहीं है। मैंने इसकी सूचना पहले दे दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको स्पष्टीकरण मांगना है न कि भाषण देना है।

श्री हाराधन राय : महोदय, मैं जो स्पष्टीकरण चाहता हूं वह प्रति वर्ष मलेरिया, पीला ज्वर, फलेरिया, और अन्य बीमारियों के फैलने से हजारों लोगों की मृत्यु से संबंधित है। बीमारी के फैलने और इसे महामारी का रूप लेने के बाद ही सरकार सचेत होती है तथा कार्य करना प्रारंभ करती है। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह ऐसी बीमारियों को सदा के लिए उन्मूलन हेतु क्या निवारक उपाय करने जा रही है। इससे होने वाली मृत्यु की दर कम करने के लिए कुछ प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिए। डेंगू के बारे में आश्चर्य की बात यह है कि यह मच्छरों द्वारा दिन में काटने से होता है। सामान्यतः मच्छर अंधेरा पसंद करता है और रात में अपने शिकार पर हमला करता है। लेकिन डेंगू संक्रामित एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। दूसरे मच्छरों की तुलना में यह कूलरों, मिट्टी के बर्तनों, पानी की टंकी आदि के ठहरे हुए साफ पानी में उत्पन्न होता है। वह घरों में उत्पन्न होते हैं और बीमारी फैलाते हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं? इसके बावजूद जब रोगी डेंगू ज्वर से पीड़ित होता है तो उसकी जांच यहां नहीं की जा सकती। इसकी जांच के लिए खून का नमूना पुणे भेजना पड़ता है तब इस बीमारी का पता चलता है। दिल्ली में ऐसा ही हुआ। मेरा प्रश्न है कि क्या इसके बारे में एक देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा जिससे कि दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को भी इस बात से सचेत किया जा सके कि यह बीमारी एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से फैलती है। बहु-संचार प्रणाली के माध्यम से एक प्रभावशाली जन-जागरण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को सजग किया जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि डेंगू से मरले वाले लोगों में गरीब लोगों की प्रतिशतता कितनी है। तथापि, यह मच्छर विशेष रूप से दिन में ही काटता है। जो लोग मच्छरदानी खरीद सकते हैं वे रात के दौरान इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं जो उचित रूप से अपनी जीवका भी अर्जित नहीं कर सकते। वे अपने परिवार के हरेक सदस्य के लिए मच्छरदानी कैसे खरीद सकते हैं? मच्छरदानी के उपयोग का सुझाव देना आसान है। लेकिन हमारे जैसे देश में जहां अधिकतर लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं वे ऐसी विलासिता की वस्तु का खर्च वहन नहीं कर सकते।

उनके पास रहने के लिए समुचित आवास नहीं है, अतः स्थिर जल के होने का प्रश्न ही नहीं है। किन्तु वे सभी प्रकार की बीमारियां के शिकार हैं, अतः यह सरकार का दायित्व है कि उन्हें सहायता और उचित मार्ग दर्शन उपलब्ध कराये।

यद्यपि मैं बंगाली में बोल रहा हूं किन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ऐसी महामारियों को रोकने के लिए ठोस निवारक उपाय किए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पुनरावृत्ति मत कीजिये।

श्री हाराधन राय : महोदय मैं किसी भी बात की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम जनता को पेयजल तक उपलब्ध

नहीं करा सकते हैं और हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। दिल्ली सरकार लोगों को सलाह दे रही है कि अपने आस-पास स्वच्छता बनाये रखें, किन्तु ये मच्छर कूलर के स्वच्छ पानी, पानी की टंकियों, बर्तनों आदि में पैदा होते हैं जो समृद्ध लोगों के घरों में होते हैं, वहां से यह बीमारी गंदी बस्तियों में फैली है जहां पर लोगों की झुग्गियां में छप्पर तक भी नहीं है, वे लोग सबसे अधिक तकलीफ उठा रहे हैं, दिल्ली सरकार ने स्वच्छता अभियान में 5500 लोगों और फिर 500 लोगों को लगाने का दावा किया है, किन्तु धुआं छोड़ने वाली मशीन जैसे अन्य मशीनरी के बारे में क्या कहना है जब तक हमारे पास स्थिति का सामना करने के लिए पूरी मशीनरी और सामग्री नहीं होगी तब तक लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। अतः मलेरिया, पीत ज्वर, डेंगू, मस्तिष्क ज्वर, जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए केन्द्र और राज्यों को युद्ध स्तर पर संयुक्त रूप से कार्य करना होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इस तरह की महामारियों को रोकने के लिए कुछ निवारक उपाय करने का है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डेंगू और मलेरिया तथा इससे संबंधित जितनी भी बीमारियां होने का सवाल है उन सबका भयंकर रूप हरियाणा में हुआ है। उसकी वजह क्या है, अगर आप इस बारे में सोचें, तो आपको पिछले सत्र की ओर ध्यान देना पड़ेगा। पिछले सत्र में राजस्थान एवं हरियाणा के माननीय सदस्यों की ओर से कहा गया था कि दिनांक 23, 24, और 25 जून को जो वर्षा हुई, उसके कारण यह महामारी फैली है। यह भारी वर्षा 23, 24 और 25 जून को हरियाणा के मेवात के इलाके में और उससे लगते हुए राजस्थान के इलाके हैं उनमें हुई। वहां पर पहले इतनी वर्षा कभी नहीं हुई जितनी उन तीन दिनों में हुई।

[illegible] महोदय, अगर आप सालाना वर्षा का रिकार्ड देखें, तो उन [illegible] दिनों की वर्षा ने वहां के अब तक के सभी रिकार्ड तोड़ दिए। मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि मेवात के उस इलाके में 568 मिलीमीटर वर्षा एक ब्लाक में एक रात में फिरोजपुर झिरका में हुई। 300 मि.मी., नूंह में हुई, 265 मि.मी. नगीना में हुई और 205 मि.मी. पुनहाना में हुई। इसी प्रकार से ताबो में 204 मि.मी. वर्षा हुई। यदि सारे साल का औसत आप वहां का देखें, तो 400 से 500 मि.मी. का आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन दिनों यह बीमारी वहां फैली थी, तो उन दिनों भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्चाधिकारी मेवात के इलाके में गए थे। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी मौके का जायजा लिया था। सारे मेवात के इलाके के दौरे के बाद अधिकारियों ने कुछ सुझाव दिए और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी तसल्ली हुई कि वहां इस बीमारी का जो आना शुरू हुआ वह राजस्थान में जो बाढ़ आई और जिसके कारण वहां रावली और कामेड़ा के जो दो बांध थे वे टूट गए जिनका कुछ पानी हरियाणा प्रान्त में आया और हरियाणा का जो अपना पानी था, उसको निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिला क्योंकि चारों तरफ अरावली हिल्स थीं। उसके कारण हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, 37 हजार एकड़ जमीन के ऊपर पानी खड़ा हुआ और करीब 30-40 करोड़ रुपये का नुकसान उस वक्त हुआ। हरियाणा सरकार ने उस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए [illegible] फोगिंग मशीन इम्पोर्ट की और 10 माउंटेड व्हीकल लगातार 6 ब्लाकों में स्प्रे करते रहे। हमारी 37 पैरा मेडिकल टीम की दिन-रात कोशिशों के बावजूद इस बीमारी पर काबू पाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के पास साधन बहुत सीमित हैं। हमारी सरकार ने जिस रोज कार्यभार संभाला, उस वक्त करीब पौने चार सौ करोड़ रुपये का घाटा हमारे पास था। मंत्री जी यहां मौजूद हैं। इस इलाके के पिछड़ेपन को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने एक मेवात डेवलपमैंट बोर्ड की स्थापना की थी जिसमें किसी भी साल 4-5 करोड़ रुपये से ज्यादा बजट नहीं रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मलेरिया के बारे में बताइये।

श्री सुरेन्द्र सिंह : मैं मलेरिया के बारे में ही बता रहा हूं। इस साल सरकार ने सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए 17 करोड़ रुपये मेवात डैवलपमैंट बोर्ड के लिए रखे। इस बीमारी के आने के बाद करीब 7 करोड़ रुपये एक महीने में हमारे हैल्थ डिपार्टमैंट ने खर्च किए।

मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई योजना है जिस तरह से यदि कोई नैचुरल कैलेमिटी आ जाये, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो जिससे भयंकर बीमारी उत्पन्न हो, उनसे बचने के लिए, गांव और शहरों की सफाई के लिए कोई व्यापक योजना बनायेगी? इसके अलावा ऐसे इलाकों में जहां ऐसी बीमारी है वहां पर लोगों के लिए बीमा योजना या कोई दूसरी व्यवस्था करेगी जिससे कि केन्द्रीय सरकार इस सारे बजट को अपने हाथ में लेकर खर्च करे। जो ऐसे इलाके हैं जैसे मेवात, वहां के लोगों की सेहत बिल्कुल कमजोर है। वहां के लोगों का हीमोग्लोबिन 2 से 6 के बीच में है। क्या केन्द्रीय सरकार मेवात के सभी 6 ब्लाक्स के नौजवानों के लिए इम्पलायमैंट इंश्योरेंस स्कीम लागू करेगी? जो ब्लोन्यूट्रीशन है, उसके लैवल को ऊंचा करने के लिए क्या सरकार के मद्देनजर कोई और ऐसी स्कीम है? प्रधान मंत्री जी के दौरे के दौरान मेवात नहर का निर्माण कार्य की बात उनके सामने आई थी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार मेवात नहर को नौवी पंचवर्षीय योजना में ले रही है? यदि ले रही है तो क्या सारा धन केन्द्र की सरकार खर्च करेगी या केन्द्र की सरकार उस स्कीम को नहीं ले रही तो क्या केन्द्र सरकार हमारी राज्य सरकार को उस नहर के निर्माण में आर्थिक मदद देगी?

उपाध्यक्ष महोदय : नहर का ताल्लुक मलेरिया से कैसे हो गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बीमारियां पानी से पैदा हुई हैं और उस इलाके का लैवल पानी की स्टेगनेशन की वजह से है। मेवात में लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बनाकर पानी वहां से निकालेंगे। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई कमेंट्री नहीं है। कॉल अटेंशन में जिनके नाम हैं, वहीं बोल सकते हैं।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लगता है कि इस देश में सरकार चाहे कोई भी हो, मृत्यु के प्रति हम इतने संवेदनहीन हो गये हैं कि जब कोई बड़ी घटना होती है तो सदन में चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद सब कुछ वैसे के वैसे ही रह जाता है। मुझे याद है कि छठी और सातवीं लोकसभा में बिहार में कालाजार का प्रकोप हुआ था।

अपराह्न 3.00 बजे

कई बार चर्चा हुई लेकिन उसके बाद अभी भी बिहार में कालाजार है और दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

[अनुवाद]

पार्किंसन्स लॉ आन कमेटी ओलोगी के अनुसार कुछ बैठकें हुई होंगी एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी और मामले को छोड़ दिया जायेगा।

[हिन्दी]

उसके बाद जहां की तहां सब बातें रह जाती हैं। वही स्थिति शायद यहां भी लगती है। मैं कालाजार का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप यह नहीं कहेंगे कि डेंगू की बात है। इन्होंने अपने वक्तव्य में उसकी चर्चा की है। अखबारों से पता चला है कि वर्ल्ड हैल्थ और्गनाईजेशन ने 4 सितम्बर को ही भारत सरकार को आगाह कर दिया था कि यहां डेंगू का प्रकोप हो सकता है। 13 सितम्बर को डेंगू से मृत्यु की रिपोर्ट अखबारों में आई। कहा जाता है कि सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी।

अपराह्न 3.01 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

सभी सांसदों को डायरैक्टर जनरल ऑफ हैल्थ सर्विसेस की ओर से एक परिपत्र भेजा गया था। उसमें कहा गया था :

[अनुवाद]

> "डीएचएफ और डीएसएस में उच्च मृत्युदर है क्योंकि दोनों ही स्थितियों में प्लेटलैट की संख्या काफी कम हो जाती है और उन्हें पुनर्जीवित करने का उपाय आई.वी. फ्ल्यूड देना और प्लेटलैट कनसैनट्रेट है।"

[हिन्दी]

यदि हम पूरी तैयारी कर चुके होते तो हमें यह भी मालूम हो गया होता कि इस तरह के प्रकोप में प्लेटलैट कनसैनट्रेट की जरूरत होगी। रैड क्रास में जहां 5-6 यूनिट प्रतिदिन प्लेटलैट कनसैनट्रेट की जरूरत होती थी, वहां डेंगू के समय में यह एकाएक 200-250 यूनिट के लगभग चली गई और उन जगहों पर प्लेटलैट कनसैनट्रेट उपलब्ध नहीं होता था। सरकार ने पांच ब्लड बैंक जोन बनाए थे जिनमें से केवल एम्स में ही प्लेटलैट कनसैनट्रेट अलग करने की व्यवस्था थी। इसका परिणाम यह हुआ कि प्लेटलैट कनसैनट्रेट 2100 से 2800 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से डेंगू के मरीजों को ब्लैक मार्किट में उपलब्ध हुआ। यदि सरकार की पूरी व्यवस्था होती तो यह अव्यवस्था नहीं होती।

मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की 22.10.96 की एक रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि इसके बारे में तैयारी करने के लिए सारी सूचना दे दी गई थी। उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

> "लोगों को समय पर सतर्क कर निवारण का कुछ पत्रकारों ने प्रत्युत्तर दिया व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई चेतावनी का उल्लेख कर रहे थे।
>
> हमने 9 दिसम्बर को एक बैठक बुलाई और 14 सितम्बर को सभी राज्यों को दिशा निर्देश भेजे। शैलजा चन्द्र, केन्द्रीय संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) ने हस्ताक्षेप किया।"

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री जी ने प्रैस कौन्फ्रैंस में इस बात की चर्चा की। उसका अगला पैरा देखकर तो और भी आश्चर्य होता है।

> "इस बात पर बल देते हुए कि समय पर उपाय करके इस बीमारी को रोका जा सकता था 15 अक्तूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री पी.पी. चौहान ने तब कहा था "मुझे इसकी जानकारी नहीं है।"

यानि कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन की वार्निंग के बारे में उन्होंने ऐसा कहा तो हमको ऐसा लगता है कि सरकार कहती तो है कि हमने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन तैयारी की नहीं जाती है, यों ही सतही तौर पर बात को लोग समाप्त कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने वक्तव्य में मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि इस तरह के प्रकोपों का सामना करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जा रही है।

मेरे सामने बिहार में मेरे क्षेत्र में कालाजार की समस्या है, जिसकी चर्चा मंत्री जी ने की है। मैं जानना चाहता हूं कि कालाजार के लिए जो उपलब्ध दवा है, एण्टीमोनियल ड्रग में पेण्टाडीन या उससे आगम नहीं हो तो मेरे ख्याल से फंगीजन, जो बाहर से शायद इम्पोर्ट की जाती है और इन दवाओं का भयंकर अभाव है, जिसके कारण कालाजार के मरीज घुट-घुटकर मर जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे राज्यवार ब्यौरा देंगे कि इस तरह के संक्रामक रोगों का सामना

करने के लिए हर राज्य में कितना खर्च करने की व्यवस्था है? विशेषकर बिहार राज्य में कालाजार का सामना करने के लिए क्या व्यवस्था है? जो दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, उनको जरूरत के अनुसार बाहर से मंगवा लेने की व्यवस्था है या नहीं और अगर नहीं है तो सरकार कितने दिनों में इस तरह की व्यवस्था करेगी?

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : सभापति महोदय, डेंगू एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसका प्रकोप दिल्ली में छाया हुआ है। इसका मुख्य वाहक मच्छर है।

मलेरिया, कालाजार और डेंगू मुख्यतः मच्छर से फैलने वाली बीमारियां है। प्राचीन समय में कालाजार एक खतरनाक बीमारी थी और इससे मुख्यतः ग्रामीण लोग प्रभावित होते थे, इस सदी के मध्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कालाजार जैसी मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का प्रकोप कम हुआ किन्तु पिछले पांच वर्षों में पांच क्यों पिछले दस वर्षों में मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां तेजी से फैली। सरकार इन तीन बीमारियों विशेष रूप से डेंगू को रोकने के लिए समुचित निवारक उपाय नहीं कर पा रही है। जैसे रेलगाड़ी पहुंचने के बाद हर कोई शीघ्र ही डिब्बे में चढ़ जाता है उसी तरह बीमारी फैलने के बाद सरकार एहतियाती उपाय शुरू करती है और इन एहतियाती उपायों के प्रभावी होने से अनेक लोगों की जानें चली जाती हैं।

आप दिल्ली की रिंग रोड पर सफदरजंग अस्पताल के निकट पानी का जमाव देखेंगे और यहां पर अस्पताल में भी पानी का जमाव देखने को मिलेगा। इस ठहरे पानी में मच्छर पैदा होते हैं। यदि अस्पतालों में यह स्थिति व्याप्त है तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि गावों के दूरस्थ क्षेत्रों में उस बीमारी से बचने के लिए लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा मिल सकती है? मेरे विचार से सरकार ने जो भी आंकड़े दिए हैं वे औसत आंकड़े है।

कुछ निजी अस्पतालों ने कोई सूचना तक नहीं दी है। सरकार उनकी संख्या पर ध्यान नहीं दे रही है, प्रभावित लोगों की संख्या अधिक होगी। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें इस बीमारी को रोकने के लिए अच्छी आधारभूत सुविधायें होनी आवश्यक है। पिछले 3-4 महीनों में विशेष रूप से दिल्ली में मच्छर बहुत बढ़े हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मच्छरों को समाप्त करने के उपाय किए जाने चाहिए।

पिछली बार आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने इस बारे में टिप्पणी की थी। वह एक अनूठा उदाहरण है। उन्होंने टिप्पणी की कि वे फिर दिल्ली में मैच नहीं खेलेंगे। ऐसी स्थिति है। यदि आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इस तरह की टिप्पणी करती है तो इसका मतलब है कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से भी इसे सब जगह देखा गया है।

इसके अलावा दिल्ली भारत की राजधानी है, यदि दिल्ली में ही डेंगू, कालाजार, प्लेग, आदि बीमारियों का प्रकोप छाया रहे तो हमारे देश की छवि क्या होगी? भारत की जनसंख्या 95 करोड़ है। हमारा देश बहुत विशाल है। हमें अपने देश पर गर्व हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से हमारे देश में स्वास्थ्य समस्यायें ऐसी हैं कि इसकी तुलना अविकसित देशों से की जाती है। अतः मेरा मंत्रालय को यह सुझाव है कि संपूर्ण देश में विशेष रूप से गंदी बस्तियों में जहां पर अधिकतर लोग रह रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं है। एक जनशिक्षा, जन जागृति कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया उनसे कुछ प्रश्न पूछिये।

डा. असीम बाला : हां महोदय, मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। अतः यह सरकार का अथवा गैर-सरकारी संगठन या अन्य किसी एजेंसी का कर्त्तव्य है कि वे गंदी बस्तियों के इलाकों में जाएं।

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : यदि प्रत्येक वाक्य में आप 'क्या और क्यों' लगाते तो यह स्वतः ही प्रश्न बन जाता।

डा. असीम बाला : इसे घर-घर जाकर जागृति कार्यक्रम बनाना चाहिए। सरकार द्वारा सक्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम और सक्रिय जागृति कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। हमारी जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सीय और अर्द्धचिकित्सीय विशेषज्ञों की भी कमी है। इसीलिए हमें अर्द्धचिकित्सीय कर्मचारियों या चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से देखना चाहिए कि क्या जनशक्ति का सही इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं ताकि वे अच्छे ढंग से कार्य कर सकें।

यह केवल दिल्ली का मामला है। किन्तु दिल्ली के आसपास और राज्यों की राजधानियों में भी मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। अतः यह हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। किंतु इसे केवल दिल्ली में ही नहीं अपितु देश के अन्य भागों में भी चलाया जाना चाहिए। अतः इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उचित कदम उठाए ताकि भविष्य में डेंगू बुखार दोबारा न मिले।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति जी, मेरी एक दरखास्त है, आप एक मिनट सुन लें। आप एक सैकिंड मेरी बात सुन लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जो कालिंग अटेंशन था, उसमें स्पीकर साहब ने तीन चार एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया। अगर आप आधा-आधा मिनट भी दे देंगे तो मैं और जगमोहन जी...**(व्यवधान)** मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : कल चेयर ने कालिंग अटेंशन पर लोगों को एलाऊ किया।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

एलाऊ किया, यह अलग बात है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं बैठ गया। मैं यहीं अपनी सीट पर हूं, लेकिन मेरी दरखास्त तो मान लें। मैं केवल एक सवाल करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे बताने दीजिए। यह सच है कि कल मुझे सहमत होना पड़ा तथा मैंने थोड़ी उदारता भी बरती। मैं चाहता था कि माननीय सदस्यों को कम से कम समय में अपने विचार व्यक्त करने का थोड़ा अवसर मिलना चाहिए।

प्रत्येक सदस्य जानता है कि नियम किसी सदस्य को दखल की इजाजत नहीं देता है सिवाय उन सदस्यों को जिनके नाम सूचीबद्ध हैं। इसलिए इस नियम का अनुसरण करना ही होगा। कल मैंने इसका जिक्र किया था। कुछ भी हो, इसके लिए कोई पूर्वोदाहरण नहीं होना चाहिए तथा यदि आप आज उसे उद्धृत करते हैं तो यह गलत बात है तथा इससे मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। अतः मैं कहना चाहता हूं जिन सदस्यों के नाम सूची में हैं उनके अलावा कोई अन्य सदस्य नहीं बोल सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह मेरा विनिर्णय है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : मैं मंत्री जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या एलोपैथी में डेंगू उपचार के लिए कोई मेडिसिन है, यदि है तो उसका नाम बताएं?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए जबकि सभापति बोल रहे हों तो आप अपना भाषण जारी नहीं रख सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : जब आपने पहले औरों को एलाऊ किया था, तो आज करने में क्या दिक्कत है?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे यह कहना पड़ेगा कि कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार से आप वरिष्ठ सदस्य है और आप नए नहीं हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी हो, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह ठीक नहीं है। यह बिलकुल उचित नहीं है। मंत्री जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सर्वोच्च स्थान है। अभी आपको नियम तोड़ने का फल है। अगर नियम नहीं तोड़ते तो आज इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। इसको ध्यान में रखें। आप एक बार कुछ लोगों की बात मान लेते हैं, दूसरी बार कुछ लोगों की बात नहीं मानते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बिलकुल ठीक है। मैंने आपके सुझाव नोट कर लिए हैं।

[अनुवाद]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : सभापति महोदय, हालांकि पांच सदस्यों ने देश में फैले डेंगू और मलेरिया बुखार के बारे में बात की। मैं प्रत्येक सदस्य द्वारा व्यक्त की जा रही व्यथा और दुःख को पूर्ण तौर पर समझता हूं। मामला यह नहीं है कि दिल्ली में डेंगू के कारण मौतें हुई हैं। आधा हरियाणा में मलेरिया के कारण मौतें हुई हैं अथवा बिहार में कालाज़ार से मौतें हो रही हैं जो बात वास्तव में हम सबकी चिन्ता की है वह यह है कि यदि एक भी मौत होती है और जिसे टाला जा सकता है, तो हम क्या उपाय कर रहे हैं तथा ऐसी घटना के लिए हम समय पर क्यों कुछ नहीं करते?

आज कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जब भी कोई आपात स्थिति आती है तब हम उस पर कार्रवाई करना

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आरंभ कर देते हैं लेकिन हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि हम क्या करें कि हमारे सामने ऐसी आपात स्थिति आए हो नहीं। जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यालय संभाला मेरे समय में यह पहली गंभीर आपात स्थिति आई तथा मेरी प्रथम प्रतिक्रिया भी यही थी कि हम इसे क्यों नहीं रोक सके। मैंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की तथा मैंने कहा "हमारे देश में बीमारी फैलने का भी मौसम होता है। अतः हम चार-पांच महीने पहले कार्यवाही करते हुए, राज्य सरकार की सहायता क्यों नहीं लेते और राज्य के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर यह क्यों नहीं कहते कि चार या पांच महीने बाद फलां बीमारी फैलने की आशंका है, उस बारे में आपका क्या कदम उठाने का विचार है, आप हमसे क्या मदद चाहते हैं तथा कृपया हमें बताइए कि आप कौन से कदम उठा रहे हैं।" यदि हमें पन्द्रह दिनों के अन्दर उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो मैं उस राज्य विशेष के स्वास्थ्य सचिव के साथ मामले को उठाऊंगा यदि मुझे तब भी जवाब नहीं मिलता तो मैं उस राज्य के मुख्य मंत्री के साथ मामले पर बात करूंगा तथा यदि तब भी मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं मामले को माननीय प्रधान मंत्री के पास ले जाऊंगा और उन्हें सूचित करूंगा कि मैं यह उपाय कर रहा हूं ताकि भविष्य में हम कार्यवाही कर सकें और ऐसे आपातस्थिति का सामना कर सकें।

इस विशेष पहलू के बारे में कई सदस्यों ने प्रबंध के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। यह किसी राजनीतिक खेल का प्रश्न नहीं है जहां मैं कोई मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं या कोई और ऐसी कोशिश करे बहुत से लोग मरे हैं तथा दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

मैंने निरन्तर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से सम्पर्क बनाए रखा। हमने समितियां बनाई और केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव के संचालन में रोज बैठक आयोजित की जाती थी ने, जिसमें प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) दिल्ली, नई दिल्ली नगरपालिका के चैयरमैन और स्थिति की निगरानी करने वाले दिल्ली के सभी निकाय उपस्थित रहते थे। इन बैठकों में पिछले दिन उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा की जाती। तथा भविष्य में जो कदम उठाए जाने हैं उन पर चर्चा की गई थी तथा इस बीमारी पर नियंत्रण पाने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर भी चर्चा की गई थी। अतः इस दृष्टि से मेरी इस मामले में कोई शिकायत नहीं है। हमने स्थिति का सामना किया तथा मीडिया कवरेज के कारण हम ऐसा कर सके। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे आंकड़ों के अनुसार 85 प्रतिशत मौतें, पहले 24 से 48 घंटों के दौरान हुई।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : कमरे में मीटिंग हुई, आपके सामने उन्होंने कहा। लेकिन ग्राउन्ड रिएलिटी कुछ और है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : हो सकता है ऐसा हो लेकिन मुझे जिस बात की जानकारी है मैं वही कह रहा हूं। हमने पाया पहले 24 से 48 घंटों में 85 प्रतिशत मौतें हुई और हमने कहा कि हमें मीडिया जागरूकता पैदा करनी चाहिए तथा हमें लोगों को यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि डेंगू ऐसी बीमारी नहीं थी जो केवल गंदी बस्तियों या समाज के गरीब वर्गों में थी। डेंगू मच्छर कूलरों, गमलों और स्वच्छ रूके हुए पानी में पनप रहा था। यह सरकार का उत्तरदायित्व था। इससे कोई इन्कार नहीं कर रहा है। सरकार को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। लेकिन लोगों का भी अपने प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह सबके घरों में जाकर सफाई करे।

इसीलिए, मैं स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने हेतु यह कदम उठाने के लिए कहता हूं क्योंकि वहां हम कुछ उपाय कर सकते हैं। हम अपने पहले पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में बहुत सफल रहे थे जब हमने एक सप्ताह की अवधि के बीच 11 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया था। अतः जो आधारभूत ढांचा हमें उपलब्ध है, उसी के भीतर हम ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं जिनके द्वारा हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं, जिसमें लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और अपने वातावरण में अपने स्वास्थ्य स्थिति को सुधारें।

मैंने मेवात का दौरा किया था। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी मेरे साथ थे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और बहुत से स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ थे। वहां के लोग उठाए गए कदमों से असन्तुष्ट नहीं थे। परन्तु वे यह अवश्य पूछ रहे थे कि ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी जाती है। हम तो एक के बाद एक दल वहां की स्थिति पर नजर रखने के लिए भेजते रहे। मैंने तो वहां के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा जिसमें मैंने इस बारे में कुछ सुझाव भी दिये कि कैसे दलों को कार्य सौंपा जाए और उस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन किया जाए।

मेवात के लोगों की प्रमुख समस्या कुपोषण है। वहां के लोगों के खून में हीमोग्लोबीन का स्तर बहुत कम है और उसमें सुधार लाने हेतु हम कदम उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मेवात का दौरा किया था और कुछ घोषणाएं की थीं। मेवात क्षेत्र में पानी में डूबे हुए इलाकों में से पानी को तरन्तु निकालना है और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। हमने 40,000 एकड़ भूमि के लिए लगभग 400 रुपए प्रति एकड़ भूमि की दर से आदानों की सप्लाई के लिए प्रदान किया है जो लगभग 1.60 करोड़ रुपये बनता है। जिन लोगों की फसलें नष्ट हो गई हैं उनके अल्पकालिक ऋणों का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। फिर, हुडको 12,000 से 15,000 नष्ट हुए घरों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये की सहायता भी दे रही है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय सभी कीटनाशक दवाइया, फौगिंग मशीनें, औषधियां आदि सप्लाई करेगा और हम मलेरिया निरोधी अपने अभियान को और तेज करेंगे। हरियाणा सरकार ने इस सम्बन्ध में 11 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव भी पेश किया है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

"हुडको" का तो [illegible] होगा।

श्री जय प्रकाश (हि[illegible]) : यह तो प्रधानमंत्री जी जाकर कहें, तभी वह एनाउंस करेंगे...**(व्यवधान)**

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। हम उन सभी बच्चों को जिनका पोषण स्तर और रक्त में हीमोग्लोबीन का स्तर निम्न है, उसमें सुधार हेतु आयरन की गोलियां भी देंगे। मेवात के छः प्रखंडों को रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है, जो पहले नहीं किया गया। जैसा कि श्री सुरेन्द्र सिंह ने कहा है, मेवात विकास बोर्ड मुख्यालय को या तो नगीना में या नुह में स्थानान्तरित किया जाना है ताकि लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके। हमें यह भी बताया गया है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को हरियाणा सरकार की ओर से सभी विकास गतिविधियों के संयोजन, निरीक्षण और पुनर्निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जायेगा। सरकारी सेवाओं में सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए विशेषतया जिनका सम्बन्ध स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण इत्यादि से है। उन्होंने मेवात नहर परियोजना का उल्लेख भी किया। इसका पुनर्मूल्यांकण किया जाना चाहिए और प्रस्ताव तो यह है कि इसे अगले वर्ष मार्च में शुरू होने वाली नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाए ताकि इसका अध्ययन कर इसको कार्यान्वित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती शैलजा चन्द्र को इन निर्णयों और वहां की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए वहां का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया है।...**(व्यवधान)**

मैंने अभी-अभी इसका उल्लेख किया है और यहां मुद्दा चर्चा का विषय बनने जा रहा है। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं सदन के साथ इस विचार से सहमत हूं और इसी कारण मैंने एक कार्य-योजना तैयार की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि किसी भी व्यक्ति को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है, तो यह किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या दिल्ली में कोई फौगिंग मशीन है? मैं जानना चाहता हूं कि कितनी मशीन्स इम्पोर्ट की गई और कब को गई?

दिल्ली में अभी फौगिंग मशीन्श की बहुत कमी है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कहीं इधर-उधर भेज दिया गया हो या दिल्ली सरकार ने कहीं बंद करके रख दी हों।...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आप फौगिंग मशीन्स के पीछे क्यों पड़े हैं?...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : दिल्ली के नरसिंग होम्स ने लोगों को बीस-बीस हजार, पच्चीस-पच्चीस हजार का बिल बनाकर दे दिया। क्या उनके ऊपर कोई पाबन्दी रखी गई? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया पहले उठाए गए प्रश्नों के संबंध में अपना उत्तर जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, दिल्ली सरकार के पास 17 फौगिंग मशीनें हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : फोग मशीन को बन्द कर दीजिए। फोग मशीन से लोगों का श्वास रूक जाता है। जयपुर में घटनायें घट चुकी हैं। इस कारण राज्य सरकार को बहुत बदनामी सहन करनी पड़ी है। आप फालतू में ही फोर्ग मशीन के पीछे पड़े हैं।...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदय, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फन्ड से इस दौरान पैसा लिया गया। यह भी बतायें कि लिया गया या नहीं लिया गया?....**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सूरत में प्लेग के दौरान एक विशेष प्रकार की धूप जलाई गई थी। इसको बड़ी तादाद में पैदा कीजिए और जयपुर में उसको पहुंचाइए। फोग मशीन से मच्छर नहीं मरता है। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है। एलोपैथी एक दम फेल्योर है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप ऐसा मानते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम यह है कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना किसी को बोलने की आज्ञा नहीं मिलती।

[अनुवाद]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं पीतज्वर के संबंध में एक मुद्दे को इसमें शामिल करना चाहूंगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम इस सम्बन्ध में पूर्णयता जागरूक हैं। इस बुखार का फैलाव अफ्रीका से भारत की ओर है। हमने इसी कारण हवाई अड्डों और समुद्री बन्दरगाहों पर अपनी निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी है। परन्तु अभी तक देश में पीतज्वर का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। परन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएं। हम अपनी निगरानी व्यवस्था को चुस्त बनाकर जो कुछ संभव है, सब कर रहे हैं।

अन्त में, सभा के सभी सदस्य, मैं और सारा देश इस बारे में चिन्तित है। मैं स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने जा रहा हूं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वह अपना वक्तव्य समाप्त नहीं कर रहे।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैं जनवरी में स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुला रहा हूं। संभवतया वह 8, 9 और 10 जनवरी 1997 को होगा और इसमें हम निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुनिश्चित करने की योजना पर कार्य करेंगे ताकि हर संभव उपाय से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सके।

सभापति महोदय : अब हम मद सं. 10 नियम 377 के अधीन मामले पर विचार करेंगे।

श्री काशीराम राणा।

अपराह्न 3.34 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) सूरत, गुजरात में विद्यमान कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर में बदलने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत) : वर्तमान में, 25 लाख से अधिक की जनसंख्या और लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सूरत शहर में 100 मेगा वाट का कम शक्ति वाला टी.वी. रिले स्टेशन है। काफी समय पूर्व सूरत के कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर को 10 किलो के मेगावाट के उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर में बदलने की योजना बनाई गई थी। परन्तु, यह कार्य अब तक नहीं किया गया है। सूरत शहर और सूरत जिले का अधिकांश क्षेत्र टी.वी. ट्रांसमीशन के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि कम शक्ति वाले टी.वी. रिले स्टेशन का दायरा सिर्फ 20 किलोमीटर तक है। टी.वी. में स्पष्ट पिक्चर दिखाई न देने के कारण अधिकांश टी.वी. रखने वाले और सामुदायिक टी.वी. सेटों को देखने वाले विदेशी टी.वी. कार्यक्रम विशेषकर पाकिस्तान और खाड़ी देशों के कार्यक्रम देख रहे हैं।

सूरत में उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर को तत्काल चालू करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सूरत में कम शक्ति वाले टी.वी. रिले स्टेशन को उच्च शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीटर में बदलने के लिये यथासंभव शीघ्र प्रभावी कदम उठाए।

[हिन्दी]

(दो) तमकुही रोड और रक्सौल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और 28क की तत्काल मरम्मत किये जाने की आवश्यकता

डा. एम.पी. जायसवाल (बेतिया) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय उच्च पथ सं. 28 एवं 28ए का बिहार प्रदेश में जो भाग है, वह तमकुही रोड से रक्सौल नेपाल के सीमा एवं बरौनी तक समाप्त हो जाती है। यह सड़क इतनी जर्जर स्थिति में है कि सड़क नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है और सैकड़ों गाड़ियां रोड की दुर्दशा के कारण रास्ते में या तो उलट गई हैं अथवा टूटी पड़ी हैं। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के द्वारा इसकी कोई भी मरम्मत नहीं की जाती है, जबकि उच्च पथ 28 का उत्तर प्रदेश क्षेत्र का सड़क एकदम ठीक है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क की जिम्मेदारी बिहार पथ निर्माण से लेकर सी.पी.डब्ल्यू.डी. अथवा बोर्डर रोड के अधीन पर इसकी दुर्दशा को शीघ्र ठीक किया जाए।

मैं भूतल परिवहन मंत्रालय से यह मांग भी करता हूं कि इस सड़क को ठीक करने के लिए 10 करोड़ की राशि की स्वीकृति शीघ्र देने का कष्ट करें।

(तीन) चन्दवक, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर पुलों के निर्माण की आवश्यकता

श्री विद्यासागर सोनकर (सैदपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र चन्दवक में गोमती नदी पर बना पुल सन् 1986 से बन्द है। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी जिससे आवागमन में काफी अवरोध हो रहा है तथा केराकत थाना गढी मार्ग पर गोमती पुल हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया था किन्तु वह पैसा बिना शासन के पूर्व अनुमति के दूसरी जगह खर्च कर दिया गया। इन दोनों पुलों का अतिशीघ्र बनना जनहित में अति आवश्यक है। जौनपुर-वाराणसी मार्ग पर जलालपुर में सई नदी पर शाही पुल है जो कि बिल्कुल ठीक हालत में है उस नदी पर दूसरा पुल बन गया है। नये पुल के आरम्भ होने पर उस पुराने शाही पुल को बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। उस पुल को पैदल तथा साईकिल वाले यात्रियों के लिए चालू किया जाना जनहित में है। जलालपुर के सभी व्यावसायियों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः उपरोक्त सभी पुलों को जनहित में निर्माण किया जाना तथा उसको आवागमन हेतु चालू करना आवश्यक है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अतिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चार) इंग्लैंड में बिक्री हेतु नीलामीकर्ताओं को सौंपे गए, गांधी जी से संबंधित दस्तावेजों को वापस लाने के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट) : महात्मा गांधी जी के कार्यालय के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा उनके 450 हस्तलिखित दस्तावेजों को इंग्लैंड में नीलामीकर्ताओं को सौंपे जाने का समाचार एक राष्ट्रीय अपमान है। ब्रिटेन की संसद के सदस्यों, जो कि भारत-ब्रिटेन की संसदीय फोरम के सदस्य है, द्वारा सतर्कता और समझदारी का प्रदर्शन

अत्यंत उत्साहवर्धक है। इन्होंने 'हाऊस आफ कामन्स', में इन बहुमूल्य दस्तावेजों की नीलामी पर रोक लगाने हेतु और इन दस्तावेजों को महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1929 में स्थापित की गई 'नवजीवन ट्रस्ट' को सौंपने के प्रस्ताव की सूचना दी थी। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने एक वसीयत नामा लिखा था जिसके अनुसार उनकी सभी सम्पत्ति, और उनके द्वारा लिखित तथा उनके प्रकाशित अथवा अप्रकाशित दस्तावेजों के कॉपीराइट इसी ट्रस्ट के नाम छोड़े थे। उक्त प्रस्ताव में यह भी मांग की गई थी कि सभा को 'फिलिप्स' नीलामीकर्ता से, जिसने गांधी जी के दस्तावेजों की बिक्री हेतु विज्ञापन दिये थे, अनुरोध करना चाहिये। माननीय ब्रिटेन की संसद के इन सदस्यों द्वारा तत्काल दखलअंदाजी हमारे देश की सरकार और लोगों की प्रतिक्रिया के प्रतिकूल है। एक नीलामीकर्ता, जिसका नाम 'सूथबे' है, इस वाणिज्यीकरण से अत्यंत आश्चर्यचकित था और बिक्री के लिये उसने साफ-साफ मना कर दिया।

यह विडंबना ही है कि महात्मा गांधी जी के एक सहयोगी, जिनके पास उनके दस्तावेज हैं ने गांधीजी के दस्तावेजों की बिक्री कर धनवान बनना चाहा वह भी उस समय जबकि हमारा देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है।

सरकार के लिये यह अत्यावश्यक है कि गांधी जी के स्मृति चिन्हों को वापस भारत लाया जाए। भारतीय संसद को ब्रिटेन की संसद के उक्त सदस्यों को उनके द्वारा समय पर की गई दखलअंदाजी हेतु अपना आभार प्रकट करना चाहिये।

[हिन्दी]

(पांच) सीतामढ़ी, बिहार में विद्यमान कम शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर में बदलने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : महोदय, बिहार के सीतामढ़ी जिला में यू.एच.एफ. बैंड पर चैनल-28 में अल्प-शक्ति दूरदर्शन ट्रान्समीटर कार्यरत है जिससे जिले के सम्पूर्ण भाग में टेलीविजन पर स्पष्ट पिक्चर दिखाई नहीं पड़ती है। साथ ही नेपाल सीमावर्ती होने के कारण नेपाल दूरदर्शन से नेशनल चेनल हमेशा वंचित रहता है। जब तक नेपाल दूरदर्शन से प्रसारण होता रहता है तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन पर पिक्चर अस्पष्ट दिखाई पड़ती है। जिले में एक ही नेशनल चेनल कार्यरत है जिसके कारण लोग दूरदर्शन के दूसरे चेनल के कार्यक्रम को देखने से वंचित रह जाते हैं।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सीतामढ़ी में कार्यरत अल्प-शक्ति के ट्रान्समीटर को बदल कर उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रान्समीटर एवं इनके मास्ट की मौजूदा ऊंचाई को बढ़ाया जाए जिससे कि जिले के ग्रामवासी भी दूरदर्शन के कार्यक्रम को सही रूप से देख सकें।

[अनुवाद]

(छह) नवाबबाड़ी, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सरकिट बैंच खोले जाने की आवश्यकता

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : जलपाईगुड़ी और उसके समीपस्थ क्षेत्रों के लोग काफी समय से मांग करते आ रहे हैं कि जलपाईगुड़ी-नवाबबाड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सरकिट बैंच स्थापित की जाए। जलपाईगुड़ी उत्तरी बंगाल का डिवीजनल मुख्यालय है और वहां स्थित 153 चाय बागानों से प्रति वर्ष सरकार को काफी राजस्व प्राप्त होता है। इसलिये, सरकिट बैंच स्थापित करने के लिये यह उपयुक्त स्थान है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नवाबबाड़ी, जलपाईगुड़ी में सरकिट बैंच स्थापित करने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(सात) आंध्र प्रदेश में मचारला से रायचूर के बीच बरास्ता नगरकरनूल और विकाराबाद से कृष्णा के बीच बरास्ता पारगिन नई रेल लाइनें बिछाये जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नगरकरनूल) : मचारला से रायचूर के बीच बरास्ता नगरकरनूल और रायचूर जिले में विकाराबाद से कृष्णा के बीच बरास्ता पारगिन नई रेल लाइनें बिछाने हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया था। ये दोनों रेल लाइनें आन्ध्र प्रदेश के अत्यंत पिछड़े जिलों महबूब नगर, रंगा रेड्डी और गुन्टूर के कुछ हिस्सों से गुजरेंगी। यद्यपि सर्वेक्षण कार्य काफी पहले पूरा हो गया था परन्तु फिर भी रेल मंत्रालय ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इन दोनों रेल मार्गों के निर्माण से गुन्टूर जिले और महबूबनगर जिले के बीच दूरी कम हो जायेगी तथा गुन्टूर-रायचूर तथा रंगारेड्डी जिले-रायचूर के बीच यात्रा समय कम हो जायेगा। लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इनके निर्माण से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नगरकरनूल में विशेषरूप से महबूब नगर जिले में औद्योगिकीकरण हो सकेगा।

मैं सरकार (रेल मंत्रालय) से इनका तत्काल निर्माण करने के लिये अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

उड़ीसा में सूखे की स्थिति—जारी

सभापति महोदय : अब नियम 193 के अधीन चर्चा जारी की जा सकती है। इसके कुल दो घन्टे का समय आबंटित किया गया था। श्री भक्त चरण दास ने परिचर्चा आरम्भ करते हुए 28 मिनट का समय ले लिया था।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : कल माननीय अध्यक्षपीठ ने घोषणा की थी कि इस चर्चा के लिये कोई समय सीमा नहीं रखी जाएगी। उड़ीसा के अधिकांश सांसद उपस्थित थे। प्रत्येक राज्य अभूतपूर्व सूखे की स्थिति से प्रभावित है।

सभापति महोदय : हम चर्चा जारी रख सकते हैं। इस पर हम बाद में विचार कर सकते हैं। श्री भक्त चरण दास अपना भाषण जारी कर सकते हैं। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि आपने 28 मिनट का भाषण दे दिया है और आपको अगले तीन-चार मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए ताकि अन्य माननीय सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकें।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : उड़ीसा में सूखे की स्थिति आन्ध्र प्रदेश में आए तूफान की स्थिति से कोई कम गंभीर नहीं है।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : क्या आज डी.डी.ए. विधेयक को लिया जायेगा? इस समय माननीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं। सायं 6.00 बजने में 2 घन्टे बाकी हैं। अगर यह लिया जा सकता है तो हमको सूचित किया जाए। आपका निर्णय क्या है?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि सभा उड़ीसा में सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रही है।

श्री जगमोहन : क्या आज डी.डी.ए. विधेयक पर चर्चा की जायेगी या नहीं?

सभापति महोदय : मैं इस पर कोई पूर्वसूचना नहीं दे सकता हूं। आप मेरे विचारों से सहमत होंगे कि हम दोनों में से कोई भी पूर्वसूचना नहीं दे सकता है।

श्री भक्त चरण दास : कल मैं कालाहांडी और नुवापाड़ा जिलों की गम्भीर परिस्थिति से निपटने के लिए स्थायी समाधान सुझा रहा था। मैंने कुछ प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख किया था। कालाहांडी और नुवापाड़ा जिलों से होकर कई छोटी व बड़ी नदियां बहती हैं परन्तु वहां पर अभी तक कोई सिंचाई परियोजना नहीं है। वहां पर एक उदन्ती नदी है जो कि सिरापल्ली ब्लॉक और खढ़ीयल ब्लॉक से होकर बहती है।

1965 में पड़े सिनापल्ली ब्लाक अकाल को सभी लोग जानते हैं। परन्तु इस ब्लाक के लिए विशेषरूप से अभी तक कोई स्थायी सिंचाई परियोजना नहीं है। इसलिए मैं सरकार को इस सूखाग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई के लिए उदन्ती नदी परियोजना को शामिल करने का सुझाव देना चाहूंगा।

एक अन्य मामला मदनपुर-रामपुर ब्लाक के बारे में है। राहुल-उटई काम्प्लेक्स जो कि एक प्रमुख परियोजना है को गठित किए जाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार दोनों में से किसी ने भी इस परियोजना को शामिल करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि राहुल-उटई प्रमुख काम्प्लेक्स. सिंचाई परियोजना में कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए।

इस जिले में दो अन्य मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सम्भावनाएं हैं। एक संडूल मध्यम सिंचाई परियोजना और दूसरी रेट मध्यम सिंचाई परियोजना है। मैं कुछ स्थायी उपाय सुझाना चाहता हूं। जब तक स्थायी उपाय नहीं किए जाते तब तक यह जिला सूखे की स्थिति से उबर नहीं सकता है।

अन्य सिंचाई परियोजनाओं के अलावा, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली मुख्य सड़कें अत्यधिक बुरी हालत में है, गांव और पंचायत सड़कों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वहां पर ब्लाक मुख्यालय है। लेकिन उनके पास जिला मुख्यालय के साथ स्थायी संचार सुविधाएं नहीं है। सिनापल्ली ब्लॉक के लोग नोवापाड़ा के जिला मुख्यालयों को नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर तीन पुलों का निर्माण किया जाना है और इन पुलों का निर्माण कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। गांव और पंचायतों के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। कई पंचायतों में तीस गांव तक है परन्तु अपने पंचायत मुख्यालयों के साथ सम्पर्क के लिए उनके पास कोई संचार सुविधाएं नहीं है। उनके पास जिला मुख्यालयों के साथ सम्पर्क करने के लिए संचार सुविधाएं नहीं है। इसलिए, मैं भारत सरकार से गांव से लेकर जिला मुख्यालयों को जाने वाली कालाहांडी जिले की सड़क व्यवस्था को निर्मित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करना चाहूंगा जिससे कि हजारों मजदूर श्रम-प्रधान कार्य में काम कर सकें और वह इस सूखे की स्थिति से निपट सकें।

मैं इसके एक और दुखःद पहलू के बारे में कहना चाहता हूं। तत्कालीन योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉ. मोहन धारियां थे, ने जूनागढ़ रेलवे लाइन तक 54 किलोमीटर लम्बी लान्जीगढ़ सड़क को पारित किया था। उस समय मैं रेल राज्य मंत्री था। इसे रेलवे के अन्तरिम बजट में शामिल किया गया था। इसके लिए धन रखा गया था। परन्तु कार्य की प्रगति इतनी धीमी है कि पिछले पांच वर्षों में मात्र चार करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई जबकि बाकी की धनराशि नहीं दी गई। इस बजट में भी इस वर्ष के लिए इस रेलवे लाइन के लिए केवल एक करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? जब तक उद्योग नहीं लगते, रेलवे लाइन नहीं बनाई जाती, तब तक क्षेत्र कैसे विकास कर सकता है। इन जगहों से लोग प्रवास क्यों नहीं करेंगे। बड़ी संख्या में लोग प्रवास कर चुके हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार इस बात पर कब ध्यान देगी। रेल बजट पर चर्चा के दौरान कई बार मैं रेल मंत्री से अनुरोध कर चुका हूं। मैं प्रधान मंत्री से व्यक्तिगतरूप से मिला और उनसे अधिक धनराशि देने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद भी इस रेलवे लाइन के लिए समुचित धनराशि नहीं दी जा रही है। अब, निर्माण स्थल से कर्मचारियों को वापस बुलाया जा रहा है और काम रूका पड़ा है।

इसलिए, मैं रेल मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा और भारत सरकार से भी इसके लिए कम से कम 25 करोड़ रुपये देने का अनुरोध करना चाहूंगा जिससे कि मिट्टी का काम कराया जा सके और इस रेलवे परियोजना में अनेक लोगों को मजदूरों के रूप में लगाया जा सके। भारत सरकार और उड़ीसा सरकार को एक बड़े अल्युमिनियम संयंत्र

को लगाने में विशेष रूचि लेनी चाहिए क्योंकि कालाहांडी जिले के नियामगिरी और सिजीमल्ली में बाक्साइड का बहुत बड़ा भण्डार है। राज्य और केन्द्र स्तर पर कई परिचर्चाएं हो चुकी हैं। परन्तु वहां पर कोई अल्यूमिना संयंत्र स्थापित नहीं हुआ है। यदि यहां पर एक अल्यूमिना संयंत्र होता, तो कम से कम 40,000 लोग इससे अलग-अलग तरीके से कमाई कर सकते हैं। महोदय, मैं कुछ स्थायी उपायों का सुझाव दे रहा हूं। यह एक गम्भीर समस्या है।

सभापति महोदय : वह सब ठीक है। कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री भक्त चरण दास : आप यह नहीं कह सकते "वह सब ठीक है।" मुझे क्षमा करें। यह एक चर्चा है जिसमें हमें बोलने का मौका मिला है। हमें इस मुद्दे पर खुला विचार-विमर्श करना होगा। हम कुछ स्थायी उपायों का सुझाव देना चाहते हैं। अब सरकार द्वारा कार्यवाही करने का समय आ गया है।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर भारत सरकार द्वारा जो भी धन दिया जाता है उसे खर्च करने में राज्य सरकार असमर्थ है। नुवापाड़ा, कालाहांडी और बोलनगिर जिलों में, 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। जिलों में उपलब्ध प्रशासनिक ढांचा इतना छोटा और इतना अपर्याप्त है कि अब तक जो भी धन दिया गया उसे खर्च करने में वह असमर्थ है। इस समय भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे धन को वह किस प्रकार खर्च करेंगे, मैं नहीं जानता। इसलिए वे जाली सौदे करते रहे हैं। चालीस से पचास प्रतिशत धनराशि जिसे इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च करना होता है नौकरशाहों और ठेकेदारों द्वारा हड़प लिया जाता है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से इन निधियों को सीधे जिलों के के.बी.के. को देने का अनुरोध करूंगा और भारत सरकार का एक अधिकारी उनके व्यय पर निगरानी रखे। अन्यथा, कुछ कुछ चोरी हो सकती है, हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते और बार-बार धनराशि दिये जाने के बावजूद भी हम इन जिलों का विकास नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय : आप पहले ही 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, मैं एक और बात का उल्लेख करूंगा।

सभापति महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बात यह है कि अन्य सदस्य भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, मैं अपनी बात पांच दस मिनट में पूरी कर दूंगा।

सभापति महोदय : पांच दस मिनट में नहीं कृपया इसे पहले ही पूरा कर लें।

श्री भक्तचरण दास : हमारे क्षेत्र में, आई.आर.डी.पी. लाभार्थियों, जो सबसे गरीब वर्ग के लोग समझे जाते हैं, के वित्त पोषण के लिए 'ऑचलिक ग्रामीण बैंक' नाम से एक बैंक है। 'आंचलिक ग्रामीण बैंक' को आई.आर.डी.पी. लाभार्थियों का वित्तपोषण करना चाहिए परन्तु वे आई.आर.डी.पी. लाभार्थियों की बिल्कुल सहायता नहीं कर रहे हैं। वे अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्हें वित्तपोषण हेतु 10 से 20 आवेदन दिए जाते हैं परन्तु वह केवल एक या दो आवेदकों के लिए ही वित्त व्यवस्था कर रहे हैं।

इसलिए, मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि आई.आर.डी.पी. लाभार्थियों के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए आंचलिक ग्रामीण बैंक को निदेश दें जिससे कि वह भुखमरी से नहीं मरें।

वहां पर सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी है। वह कालाहांडी और नुवापाड़ा क्षेत्र के किसानों को खरीफ फसल के लिए वित्त दिया करते थे। सर्विस कोऑपरेटिव सोसायटी को कम से कम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष को वित्त व्यवस्था करनी चाहिए परन्तु वह अपना सामर्थ्य खो चुके हैं। इस वर्ष उन्होंने 50,000 रुपए की वित्त व्यवस्था की हैं परन्तु इससे किसान बहुत प्रभावित हुए हैं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा और माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बार इस छोटी धनराशि, को जो कि कालाहांडी के किसानों ने ली है, को माफ कर दें। ऋण राशि बहुत थोड़ी है इसलिए मैं सोचता हूं कि सरकार किसानों के ऋण को माफ करने का निर्णय ले सकती है।

फसल बीमा के बारे में, वहां पर कोई फसल बीमा नहीं है। किस प्रकार सरकार मध्य वर्ग के किसानों और किसानों जो कि सूखे से लगातार प्रभावित हो रहे हैं, को किस प्रकार सहायता करने जा रही है। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह किसानों द्वारा खेतों में लगाई गई धनराशि का कम से कम, आकलन करे। कम से कम लगाई गई धनराशि किसानों को दी जानी चाहिए। यदि आपदा में एक मौत होती है तो भारत सरकार बहुत मुआवजा प्रदान करती है। मृत्यु आपदा पर, सरकार 50,000 रुपए देती है परन्तु फसल हानि इससे कई गुणा ज्यादा है। परन्तु किसानों की क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

इसलिए, मैं कृषि मंत्री से किसानों की मदद करने का अनुरोध करना चाहता हूं।

वह किसानों के द्वारा निवेश किए गए धन का मूल्यांकन कर सकते हैं। भारत सरकार को उस रकम को वहन करना चाहिए ताकि किसान अगली खरीफ की फसल के लिए इन्तज़ाम कर सकें।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भक्तचरण दास : बहुत अच्छा, महोदय। स्थिति इतनी खराब है कि सभा को तुरन्त इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि फिर ऐसा सूखा न पड़े और इतनी करूणामय स्थिति पैदा न हो। हजारों लोग भुखमरी से मर रहे हैं। आंकड़े समाचार-पत्रों में यह सब प्रकाशित हो रहा है अतः सभा में उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

मैं भारत सरकार से और माननीय सदस्यों से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि वह कम-से-कम उड़ीसा के कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट और नुवापारा जिलों में पैदा हुई गरीबी और सूखे की स्थिति पर काबू पाने और उसका स्थाई हल निकालने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति महोदय, आज हम सब लोग उड़ीसा के भीषण अकाल के संदर्भ में विचार करने के लिए सदन में उपस्थित हुए हैं और कल से हमारे माननीय सदस्य श्री भक्त चरण दास ने इस विषय को उठाया है और इस विषय पर और भी सदस्य अपना वक्तव्य देंगे। यह अकाल का जो विषय है और अकाल के संदर्भ में इस समय सदन में चर्चा चल रही है। इसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जब अकाल के बारे में चर्चा होगी तो जो विभिन्न जिले इससे प्रभावित हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और मैं नहीं समझता हूं कि मात्र उड़ीसा का ही सवाल है। आज मध्य प्रदेश के कई भागों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बिहार के पलामू, गढ़वा इलाकों में कई स्थानों पर मैं देख रहा हूं फसल की तबाही हुई है और विशेषकर धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सभापति महोदय, मैं इस विषय के बारे में तकनीकी दृष्टिकोण से कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा, क्योंकि जिन विषयों के बारे में हमारे माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं वे उसकी राहत के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी समस्या के निदान के बारे में जो चर्चा आनी चाहिए उसके बारे में यह मामला कहीं नहीं उठाया जा रहा है। जो आंकड़े इस विषय के बारे में हमारे मित्र श्री भक्त चरण दास ने रखे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में अकाल से जुड़े हुए संदर्भों के बारे में जो विषय उठाये हैं, विकास के बारे में जो मामला उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि वहां देहातों में अनाज उपलब्ध कराया जाए, उन्होंने कहा है कि जो पानी का स्तर नीचे चला गया है उसके लिए डीप बोरिंग लाई जाए, उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर जो कार्य किया जा रहा है, उसे भी मजबूत बनाया जाए, उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से और साधन मुहैया कराये जाएं, उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से और पैसा दिलाया जाए। आज हम लोग इतने अत्याधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं और आज भी हम लोग भारत में अकाल के विषय में चर्चा कर रहे हैं और कई प्रांतों में यह निरंतर हो रहा है। 1993 में उड़ीसा में इस प्रकार की घटना हुई थी और अकाल की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। 1996 में तत्कालीन प्रधान मंत्री गये थे और वहां उन्होंने चार साढ़े चार हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा इन तीन जिलों के लिए की थी। लेकिन मैं इस पर आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहूंगा कि हम इस विषय पर क्यों नहीं पहुंचते कि अकाल की स्थिति इन राज्यों में क्यों होती है और आज हम उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और बिहार के बारे में चिंतित हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह गति बढ़ती जा रही है, पूरा भारतवर्ष अकाल की चपेट में आ सकता है और इसके पीछे जो मूल कारण है जिस पर हम लोगों को शोध करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अकाल की स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है, वह नहीं कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और इस चर्चा का जवाब देंगे, सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में बोलेंगे। लेकिन पानी का धरती में अभाव क्यों हो रहा है, इस पर सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और आज जब यहां इस सदन में चर्चा हो रही है तो यहां पर्यावरण मंत्री जी को उपस्थित रहना अनिवार्य था, क्योंकि यह मामला पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि पानी का जो साईकिल है, धरती के ऊपर 97 प्रतिशत पानी नमकीन है, खारा है, हम लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीन प्रतिशत जो पानी है उसमें से दो प्रतिशत पानी ग्लेशियर के रूप में स्नो कैप के रूप में नीचे हैं। मात्र एक प्रतिशत पानी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में एक प्रतिशत पानी का उपयोग किया जाता है जो नदी, नालों, तालाबों और नहरों आदि में पाया जाता है, अब एक प्रतिशत पानी के मैनेजमेंट का सवाल है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा मैं इसलिए रख रहा हूं कि यह एक प्रतिशत पानी की व्यवस्था पूरे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी है इस प्रकार की जाए ताकि यह अकाल की परिस्थिति उत्पन्न न हो। एक तरफ हम वाटर मैनेजमैंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ किस प्रकार से धरती के ऊपर वर्षा के माध्यम से और अन्य स्रोतों के माध्यम से किस तरह से ग्राउंड वाटर का रीचार्ज होता है।

अपराह्न 3.59 बजे

(प्रो. रीता वर्मा **पीठासीन हुईं**)

जिस इलाके के बारे में श्री भक्त चरण दास कह रहे हैं इस पूरे भाग में वाटर लैवल प्रति वर्ष नीचे चला जाता है। पानी का एक साइकिल है, जो हम पानी का साइकिल मेनटेन करते हैं उसमें समुद्र के ऊपर से सूर्य के ताप से भाप निकलती है, वह आसमान में जाता है और जब वह कंडेन्स होकर उसका दस प्रतिशत धरती के ऊपर आता है, वह पानी को रीचार्ज करता है और उसके पीछे वनों का भी हाथ है। जिन जिलों के बारे में यह चर्चा की जा रही है वहां गहन अध्ययन किया जाए। उन जिलों में मात्र 6 से 7 प्रतिशत वन रह गये हैं और जब एक बार अकाल होता है, अकाल में लोगों के बीच में तबाही आती है, खेत में धान नहीं होता तो लोग पेड़ काटते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

और एक विशियस सर्कल की तरह से काम करने लग जाते हैं। जितने भी इलाकों की बात की जा रही है, आज वहां वन नाम की कोई चीज नहीं है। उसके पड़ोस के राज्यों बिहार और मध्य प्रदेश में भी, वही परिस्थिति है।

सभापति महोदया, यदि आज ज्योग्राफीकल और साइंटीफिक स्टडी की जाए, तो आपको पता लगेगा वहां पर वाटर लैबल कम होता जा रहा है। इसलिए एक लम्बी अवधि तक पूरे भारत में इसका अध्ययन करना पड़ेगा और जिस प्रकार से देश में वृक्षों का पतन हो रहा है, जिस प्रकार से सोश्यल फारेस्ट्री की स्कीमों को लागू नहीं किया जा रहा है और जिस प्रकार से धरती का बैलेंस बिगड़ रहा है और इसके जो नैसर्गिक और प्राकृतिक गुण हैं, उनका दोहन किया जा रहा है, उसी का आज यह परिणाम है जो हम देख रहे हैं। यदि हमने इस दोहन को नहीं रोका, तो हम सब लोगों को भविष्य में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

सभापति महोदया, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 50 करोड़ रुपया मंत्री महोदय ने इस साल दे दिया और अगले वर्ष भी मंत्री महोदय 50 करोड़ रुपया दे देंगे, लेकिन हमारे जो आने वाली संतानें हैं, उनके लिए कब तक इस प्रकार से साधन मुहैया कराएंगे? इसलिए इसके बारे में जियोग्राफीकल फैक्टर और साइंटीफिक फैक्टर से पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में स्टडी करवानी होगी, तब कहीं हमें इस समस्या से निजात मिलेगी। मैं जानता हूं कि बिहार में कई स्थानों पर वाटर लैवल नीचे जा रहा है और अभी कोई गर्मी का मौसम नहीं है। सामान्यतः अभी हम लोग वर्षा से निकले हैं, लेकिन हम अकाल के बारे में इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। यह नवंबर का महीना चल रहा है और हम अकाल के बारे में चर्टचा कर रहे हैं। मई और जून में जाकर क्या परिस्थिति होगी, इसकी जरा आप कल्पना कीजिए? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि यह तकनीकी विषय है और बहुत सारे डिटेल्स और फैक्ट्स भक्त चरण दास जी ने अपने क्षेत्र के बारे में दिए हैं और बहुत सारे मुद्दे रखे हैं। इन सब तथ्यों के बारे में विभागों को एक समन्वय स्थागित करना पड़ेगा। कृषि मंत्रालय को, पर्यावरण मंत्रालय को और सिंचाई मंत्रालय को आपस में इन सबके बारे में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा क्योंकि साधन बहुत सीमित हैं। हमने इन विभागों के नाम भी कई बार बदले। पहले सिंचाई विभाग हुआ करता था। बाद में उसे जल संसाधन विभाग कर दिया गया। संसाधन की सीमा के कारण ऐसा करना पड़ा। उनकी एक लिमिट है। इसलिए हमें इन विभागों के नाम बदलने पड़े और इस विभाग को जल संसाधन के रूप में कहा गया।

सभापति महोदया, मैं इस चर्चा को इस दिशा में ले जाना चाहता हूं कि यदि हमें भविष्य में इन प्रकोपों से बचना है तो पर्यावरण के दोहन पर रोक लगानी होगी और समाज को इन सब चीजों के बारे में आगाह करना पड़ेगा कि वृक्षों के पतन और पर्यावरण के अप्राकृतिक दोहन पर रोक लगाई जाए। मैं अपनी बात को दोहराते हुए इन इलाकों में जो प्रशासनिक स्तर पर आज कार्य किए जा रहे हैं, वे पूरे तौर पर नहीं किए जा रहे हैं। वे अधूरे हैं।

महोदया, मैं जानता हूं कि भक्त चरण दास जी के बारे में यदि कभी चर्चा होती है, तो उसका मतलब कालाहांडी से होता है और जब कालाहांडी के बारे में चर्चा होती है, तो उसका मतलब भक्त चरण दास से होता है। यह इन इलाकों की विडंबना है कि उड़ीसा के 30 जिलों में से 27 जिलों में यह स्थिति है। इसी प्रकार हमारे दूसरे साथी पटनायक जी के इलाके की यही स्थिति है। मैं विशेष रूप से सरकार से पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो भयावह स्थिति बनी हुई है उसका क्या कारण है और पिछली सरकार के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने वहां का दौरा करने के बाद लगभग 45 करोड़ रुपए की जो के.बी.के. योजना की घोषणा की थी और जिसके आधार पर जाकर वहां पर विशेषज्ञों ने अध्ययन किया था और सिफारिश की थी कि इन तीन जिलों को इतना पैसा दिया जाए, उसका क्या हुआ और किन परिस्थितियों में उस योजना पर काम नहीं हो सका? इस पर विचार करना जरूरी है।

महोदया, जब-जब इमर्जेन्सी आती है तब-तब इस तरफ ध्यान जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि मौत तो दो तरह से आती है। एक तो दुर्घटना यदि हो जाए, तो अचानक या क्षणिक मौत हो जाती है और दूसरी मौत कैंसर से होती है। इस दूसरे प्रकार की मौत में आदमी तिल-तिल करके मरता है। यह मौत लंबे समय तक आदमी को परेशान करती है और पीड़ा पहुंचाती रहती है। ड्राउट की परिस्थिति कैंसर से मौत होने के समान है। इसके कारण पूरे क्षेत्र में अनेक बीमारियां फैलती हैं और लोग भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होकर धीरे-धीरे मरते हैं जो काफी कष्टदायी होता है। दुर्घटना में तो अचानक मौत हो जाती है। आदमी मर जाता है। शुरू में कुछ दिन तो शोक मनाया जाता है फिर कुछ समय बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है और शांत हो जाता है, लेकिन अकाल में ऐसा नहीं होता है। इसकी मार पूरे क्षेत्र पर पड़ती है और सारे इलाके में भयावह परिस्थिति हो जाती है। पीलिया रोग की तरह पूरे इलाके में अकाल की स्थिति हो जाती है और सारे लोगों को अकाल की भयावह परिस्थिति से जूझना पड़ता है।

महोदया, यहां दिल्ली शहर में रहकर तो अकाल की भयावह परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अकाल के कारण जो स्थिति गांवों की होती है, किसानों को कितनी कठिनाई होती है, उसको तो वहां जाकर ही देखा और समझा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस अकाल के कारण उड़ीसा से लगभग 40 लाख लोग पूरे भारत में आ गए हैं। वहां पर कांट्रेक्ट लेबर का सबसे बड़ा गिरोह काम कर रहा है। पूरे देश में जो कांट्रेक्ट लैबर है वह इस राज्य के इन तीन जिलों से ही गई है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह सरकार के लिए अत्यंत ही गंभीर मामला है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

महोदया, पर्यावरण के बारे में मैंने पहले भी कई बार चर्चा उठाई है कि यह जो विपदा है यह सभी राज्यों में बरसात के दिनों में फिर आएगी और तब हमें फिर इस पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। जब हम अभी से अकाल के बारे में यहां विचार कर रहे हैं तो गर्मी के दिनों में सुखाड़ के बारे में क्या स्थिति होगी, इसका आप स्वयं अनुमान लगाइए। उसके बारे में आप कब सोचेंगे, कब विचार करेंगे और कब इन महत्वपूर्ण मुद्दों में समन्वय बैठेगा?

हम लोगों ने बड़ी गारलैण्ड की बात की थी कि बड़ी-बड़ी नदियों को एक दूसरे से मिलाया जाये। विदेशों में हम तस्वीर देखते हैं। बाकी सब राज्यों में हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी नदियों को एक चैनल के रूप में बनाकर उसे नियंत्रित कर दिया गया है। हम कितने अन्य कामों में अरबों-खरबों रुपये व्यर्थ व्यय करते हैं लेकिन काम्प्रीहेंनसिव तरीके से कोई कार्य नहीं होता। मैं नहीं जानता कि प्लानिंग कमीशन क्या करता है? मैं नहीं जानता कि विभिन्न विभागों में क्या होता है? लेकिन यह समझ आ गया है कि सभी विकास के बिन्दुओं को जोड़ने के लिए सब विभागों को एक दूसरे से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ऐसे मुद्दे देश को भीषण परिस्थिति में डाल देते हैं, पूरे देश को परेशान करते हैं, यहां तक कि गरीबों के लिए विशेष साधन तक मुहैया नहीं कराये जाते हैं।

महोदया, मैं अधिक समय न लेकर इतना कहना चाहूंगा कि उड़ीसा की इस बदहाली में बिहार की जो स्थिति है, मैं जानता हूं कि दक्षिण बिहार, जहां से महोदया भी आती हैं, के पूरे भाग में यह परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। वहां धरती का पानी सूखता जा रहा है। तालाबों में पानी नहीं है। मध्य प्रदेश की भी यही हालत है। मैं समझता हूं कि रायपुर से जो हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं, उनके जिले में भी यही परिस्थिति है। मैं चाहता हूं कि विस्तृत पैमाने पर उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए जहां-जहां इसकी संभावनायें हैं, वन का जो ह्रास हो रहा है, उस पूरी परिस्थिति पर ध्यान रखते हुए एक समन्वय समिति की स्थापना की जाये जिसमें पर्यावरण मंत्री की भी भागीदारी हो, जिसमें सिंचाई मंत्री की भी भागीदारी हो, जिसमें कृषि मंत्री की भी भागीदारी हो।

जो सोशल साईंटिस्ट, टेक्नीकल साईंटिस्ट या और अन्य विशेषज्ञ हैं, वे सब मिलकर इस पर विचार करें। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो प्लानिंग कमीशन के लोग कागजों पर पूरे भारत के भविष्य का निर्णय करते हैं, उनकी भी इसमें पहल हो ताकि वह सच्चाई समझ सकें। हमारा प्रतिनिधित्व हो और जो विशेषज्ञ इस पूरे संदर्भ से जुड़े हुए हैं, उन सबका समन्वय होना चाहिए। इस पर विचार होना चाहिए और सरकार को इन राज्यों के प्रति अधिक से अधिक सहायता मुहैया करानी चाहिए। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी आ गये हैं। इनकी 45 करोड़ रुपये की जो योजना है, उसका कार्यान्वयन भी इन इलाकों में किया जाये। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : धन्यवाद। उड़ीसा राज्य में सूखे की स्थिति और विशेषकर अविभाजित जिले 'के बी के'—कालाहाडी-बोलंगीर-कोरापुट जिलों के बारे में बताते हुए मुझे अत्यन्त दुःख और खेद हो रहा है।

हमारे हृदय में भी गरीब, दुर्भाग्यपूर्ण, असहाय लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना है जो अनियमित मानसून से साहस से सामना कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है और उन आंखों के सामने अकाल का भयावह दृश्य है। वे सहायता और भोजन का इन्तजार कर रहे हैं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का उनकी तात्कालिक सहायता और सहानुभूतिपूर्ण रवैया के लिए धन्यवाद देता हूं, विशेषकर राहत निधि के लिए प्रदान किए गए 50 करोड़ रुपयों के लिए जो उन्होंने अपने कोष से जारी किए। 30 करोड़ रुपये श्रम-कार्यों के लिए और 8 करोड़ रुपए द्रुत-ग्रामीण-जल प्रदाय योजनाओं के लिए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस सबसे कठिनाईयों का सामना करने में बहुत सहायता मिलेगी। परन्तु इसमें मैं एक सिलसिल देखता हूं जो मेरी आंखों के सामने आ रहा है, जो 1965 से 1996 के तीन दशकों तक फैला हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी से शुरू होकर, श्री मोरार जी देसाई, श्री राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चन्द्रशेखर, श्री नरसिम्हाराव और श्री देवगौड़ा सभी लोग अविभाजित 'के.बी.के' जिलों का दौरा करने गए, लोगों से मिले, लोगों के प्रतिनिधियों से मिले, सामान्य जनता और अधिकारियों दोनों से मिले, उनसे पूर्ण सहायता देने के बारे में बातचीत की, उदार ऋण प्रदान किए और कठिनाई के दौर से निपटने के लिए प्रकोप-राहत-निधि से राज्य का हिस्सा जारी किया और फिर आयुक्तों की रिपोर्टों का इन्तजार किया जो राजस्व प्रखण्ड आयुक्त और विशेष राहत आयुक्त की लाल-फीताशाही के माध्यम से सामान्य माध्यम से होकर भारत सरकार के पास पहुंचती है।

सैनिक परिवेश में यह एक स्थाई संचालन-प्रक्रिया का रूप धारण कर चुकी है। महोदया उड़ीसा राज्य एक पहेली बन गया है। आठवीं पंच-वर्षीय योजना के बाद भी उड़ीसा में खुशहाली के बीच भुखमरी है। प्रायोजित परियोजनाओं और केन्द्र की सहायता से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वास्तव में अगर आंकडे देखें जाए तो मैं ग्लैस्टोन द्वारा दी गई परिभाषा को दोहराना नहीं चाहता-चाहे ये आंकडे राज्य सरकार के हों या केन्द्र सरकार के या योजना आयोग के/आंकडों के अनुसार उड़ीसा में उन लोगों की संख्या सर्वाधिक है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 41 प्रतिशत आदिवासी हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, 14 प्रतिशत गैर-आदिवासी और गैर-अनुसूचित जनजाति के है ये वो लोग है जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं और पिछले तीन दशकों में आई बाढ़ों और समुद्री तूफानों ने इन्हें और गरीब बना दिया है। उनकी उत्पादकता उनके वेतन और उनकी जीविका को कम कर दिया है। इस समय यह बहुत कठिनाई में हैं। विशेषज्ञों ने भी इस बारे में अध्ययन किया है। योजना आयोग के विशेषज्ञ दलों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों ने कम कृषि उत्पादन की सूचना दी है, जिस पर उड़ीसा के 75 प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं। वे या तो किसान हैं या कृषि मजदूर हैं। उनकी मजदूरी और आय बहुत कम है।

कालाहांडी से निर्वाचित संसद सदस्य मेरे मित्र श्री भक्त चरण दास अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। एक समय था जब कालाहांडी के धर्मगढ़ा उपखण्ड जूनागढ़ पश्चिमी उड़ीसा का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था जहां के उत्पादन की तुलना भद्रक और बालासोर जिलों से होती थी। परन्तु अब हम वहीं पर लोगों के पलायन का दृश्य देख रहे हैं। भुखमरी झेल रहे हैं और इसी सदन में ही हमने बच्चों को बेचने के मामले पर भी चर्चा की है।

माननीय प्रधान-मंत्री और कृषि मंत्री ने सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का अर्थात कोरापुट जिले में अविभक्त कालाहांडी और बोलंगीर का दौरा किया था मुझे पता है कि किसान होने से और कृषि को पूरी तरह समझने के कारण वे सूखे और उसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाली स्थिति तथा सूखे और अकाल के बाद होने वाली स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं। सभा में यह सब कहा गया है। मुझे विश्वास है कि वह सूखे की स्थिति व समाधान के बारे में जानते हैं विशेषतया इस बार पड़े सूखे के बारे में जब न केवल यह कि वर्षा 24 प्रतिशत कम हुई है, बल्कि वर्षा न होने वाले दिवस भी बढ़ गए हैं और सूखे दिनों की संख्या भी अधिक हो गयी है। जून से लेकर सितम्बर तक वर्षा केवल 72 दिन ही हुई। इस बार केवल 52 दिन ही वर्षा हुई और गर्मी वाले दिन लम्बे हो गए जिसके कारण भाप बनने की प्रक्रिया भी अधिक रही।

माननीय कृषि मंत्री का वक्तव्य कल संसदीय कार्य मंत्री ने पढ़ा था जोकि सूखे के कारणों और सीमित संसाधनों वाले उड़ीसा जैसे राज्य के अन्दर जहां कर-आय बहुत कम है राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की बहुत खुशनुमा तस्वीर खींचता है। यहां केवल 45 प्रतिशत लोगों पर कर लगाया जा सकता है।

मैं आपका ध्यान 16 नवम्बर, 1996 को दिये नियम 377 के अपने एक मामले की ओर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहूंगा जिसका नोटिस मैंने 18 नवम्बर को दिया था जिसके द्वारा मैंने सरकार का ध्यान उड़ीसा राज्य की स्थिति की ओर, विशेषतः अविभक्त धेनकनाल जिले की चिन्तापूर्ण स्थिति की ओर दिलाया था जो अब अंगुल जिले में धेनकनाल कहलाता है और वहां पर वर्ष 1973 में आरम्भ किए गए रंगाली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर आधारित नहर प्रणाली आरम्भ करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। श्रीमती गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। यह 273 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना थी जिसकी लागत अब बढ़कर 1400 करोड़ हो गई है। यह तो वही हाल हुआ जो इन्द्रावती परियोजना का हुआ था। श्री मोरार जी देसाई ने 1978 में इसकी आधारशिला रखी थी, तब इसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए के लगभग थी अब यह लागत मूल्य बढ़ कर 1400 करोड़ रुपये हो गई है।

तब मैंने शहरी परस्पर जल पूर्ति योजना अर्थात घेनकनाल, गुलटालचर, भुवन और कामाख्यानगर को क्षेत्रीय जल पूर्ति के संबंध की ओर ध्यान दिलाया था। 18 नवम्बर 1996 को जब मैंने यह नोटिस दिया था तब उड़ीसा राज्य सरकार ने कहा कि 30 जिलों में से 12 जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं। परन्तु राज्य सरकार लालफीताशाही और अकाल संहिता के कारण इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने में असमर्थ है।

यह समस्त सरकारी अधिकारियों के माध्यम से आता है यानि कलैक्टर के माध्यम से आता है। इसके बाद इसे डिविजनल कमीश्नर राजस्व के पास जाना होता है। फिर यह सब विशेष राहत आयुक्त के पास जाता है। उसके बाद मुख्य सचिव उसे केन्द्र के पास भेजता है। फिर हेमन्त में फसलें काटी जाती हैं। फिर दिसम्बर में फसलें काटी जाती हैं। फिर जनवरी के महीने में हम संसद सदस्य जागते हैं तब तक सूखा पड़ चुका होता है।

तत्पश्चात् उसी दिन-26 नवम्बर को-माननीय कृषि मंत्री ने डा. कृपासिन्धु भोई द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर में फसल काटे जाने के अनुमानानुसार 30 में से 20 जिले और 113,664 गांवों का उल्लेख किया था। मैं यहां उनसे विरोध करता हूं कि यह अनुमान बहुत अधिक लगाया गया है। केन्द्रीय दल 17 से 20 नवम्बर तक वहां गए थे। उस समय पहली बार फसल की कटाई की गई थी।

तत्पश्चात्, 27 की दोपहर को माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय कृषि मंत्री के वक्तव्य को पढ़कर 26 जिले और कुल 50,972 गांवो में से 27,081 गांवों का उल्लेख किया था। इतनी तेजी से स्थिति खराब हो रही है। 18 और 27 तारीख के बीच 14,000 गांव और 14 जिले प्रभावित हुए हैं।

उड़ीसा इतना भाग्यशाली नहीं है। अन्य राज्यों में बर्फीली नदियां हैं अथवा वहां दो बार मानसून होता है। इसमें 1,55,840 वर्ग मील भौगोलिक क्षेत्र है जो कि पांच भौगोलिक जलवायु, अनिश्चित स्थितियों तथा विलक्षणताओं में बंटा हुआ है—सर्वप्रथम तटीय मैदान दूसरा नदी घाटियां और बाढ़ग्रस्त मैदान, घुमावदार पठार/पठार, पहाड़ और नमी वाली कहीं-कहीं आर्द्र और सूखाग्रस्त कही कहीं आर्द्र होती हुई जलवायु तथा 64.52 लाख हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र जिससे 29.42 लाख हेक्टेयर अर्थात 45.6 प्रतिशत पठार हैं। इसका अर्थ है यह क्षेत्र पूर्णतः वर्षा पर तथा 72 दिनों के एकमात्र मानसून पर निर्भर है। 18.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात् 29.1 प्रतिशत भूमि आंशिक रूप से वर्षा पर तथा आंशिक रूप से सिंचाई पर निर्भर है और 16.30 लाख हेक्टेयर अर्थात 25.3 प्रतिशत निम्न भूमि (लो लैंड) भी आंशिक रूप से वर्षा पर तथा आंशिक रूप से ही सिंचाई पर निर्भर है। कुल क्षेत्र का लगभग 22 लाख हेक्टेयर अर्थात 34 प्रतिशत भूमि की सिंचाई विभिन्न स्रोतों से हो जाती है।

सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग के मानचित्रों तथा रिकार्ड के अनुसार कभी-कभी उन क्षेत्रों के आखिरी सिरे में पानी नहीं पहुंचता है लेकिन फिर भी उन्हें जल-कर अदा करना पड़ता है।

मैं वास्तव में नहीं जानता कि किसको वास्तविकता मालूम होगी। लेकिन अन्ततः ये आंकड़े सत्य हैं। हमें उनके अनुसार चलना है। इसका अर्थ है, शेष 42.52 लाख हेक्टेयर अर्थात 66 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर है।

मुझे एक पुराने नाविक की पक्तियां याद हैं जिसने कहा था : "चारों तरफ पानी ही पानी है, सब नावें डूब जायेंगी हर जगह पानी ही पानी है लेकिन एक बूंद पानी भी पीने के लिए नहीं है।" यह पानी न तो प्यास बुझाने के लिए है न ही इस शरीर के लिए है और न ही कृषि क्षेत्रों के लिए है। उड़ीसा के 60 प्रतिशत जल संसाधन भूमि पशुओं तथा फसलों के लिए उपयोग में लाए बिना बंगाल खाड़ी में चले जाते हैं। जैसाकि माननीय कृषि मंत्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुमानतः 26 मिलियन टन खाद्यान्नों के नष्ट हो जाने की संभावना है जिनका अनुमानित मूल्य 1,000 करोड़ रु. है।

यदि यह राष्ट्रीय आपदा नहीं है तो मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय आपदा और क्या हो सकती है। पहले ही करीब डेढ़ लाख लोग अपने बूढ़े माता-पिता तथा बच्चों को छोड़कर रोजी-रोटी की तलाश में विभिन्न राज्यों में चले गए हैं। इस समय वे लोग बहुत दुखी हैं। वह निराश्रय हो जायेंगे और उनकी देखरेख के लिए हमारे पास कोई योजनाएं हैं। अगले खरीफ के मौसम तक अर्थात् जून, 1997 तक हमें लगभग एक करोड़ लोगों को रोजी-रोटी की आवश्यकताओं को पूरा करना है। माननीय कृषि मंत्री के वक्तव्य से भी यही स्पष्ट होता है। 12.33 लाख लोगों के लिए लगभग 364 श्रम-दिवस हैं जो कि लगभग एक करोड़ श्रम दिवस बनते हैं। कुछ अन्य दिन भी है जिनको हमने हिसाब में नहीं लिया है। जहां तक जीने की संभावनाओं तथा कुपोषण,

भूख, दस्त तथा पेचिश से होने वाली पानी की कमी, आन्त्रशोथ का संबंध है बिना स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं, चिकित्सीय तथा अर्ध चिकित्सीय कर्मचारियों के तथा उनकी गतिक्षमता के यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। माननीय कृषि मंत्री को बिना डाक्टरों, अर्ध चिकित्सीय कर्मचारियों तथा दवाओं के जिला अस्पतालों का दौरा करने के दौरान यह तथ्य पता लगे होंगे। डाक्टर ग्रामीण औषधालयों अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं जाते हैं। यह वास्तविकता है जिसे हम नजरअंदज नहीं कर सकते हैं।

महोदया मैं 'केबीके' जिलों से कम विकसित क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं। आंगुल जिले में सात प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें 56 प्रतिशत पठार, 28 प्रतिशत मध्यम भूमि और 16 प्रतिशत निम्न भूमि शामिल है। धेनकनाल जिले की स्थिति कुछ बेहतर है। वहां 15 प्रतिशत सिंचाई होती है जिसमें 52 प्रतिशत उच्च भूमि 26.7 प्रतिशत मध्यम भूमि और 28 प्रतिशत निम्न भूमि शामिल है। उच्च भूमि पूर्णतः बेकार हो गई है। यहां तक कि लोग सितम्बर माह में भी अपनी बैलगाडियां, बकरियां और भेडें वहां चरने के लिए भेज देते हैं। उन्होंने अपने बैलगाडियां, बकरियां और भेडें बेचना आरम्भ कर दिया है। अनियमित तथा अपर्याप्त मानसून के परिणामस्वरूप पानी का स्तर नीचे चला गया है। माननीय कृषि मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो दस दिन से नहाया नहीं था। अदावली, चेन्नीपाडा, किशोरनगर, आंगुल, द्वारपाड, गोंडिया, कामाख्यानगर, सुबन, कनकराहाट, हैदोल सदर, ओडापाडा, बीरमाहराजपुर, और उलुन्डु जो कि 'केबीके' जिलों के भाग हैं में यही स्थिति है। सम्बलपुर की स्थिति भी यही है।

डा. कृपासिंधु भोई के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत उनके अपने गांव सहित बर्गर जिल में 12 खंडों में 90 प्रतिशत नुकसान हुआ है। यह आदमपुर उपमंडल में है।

अब महोदया, हम संसद तथा केन्द्र में क्या करते हैं? क्या हम राज्य सरकार का इंतजार करते हैं जिन्होंने कुछ करने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी रबी कार्यक्रम तथा कृषि नीति आरम्भ की है? लेकिन वे इतने अल्प संसाधनों के साथ क्या करते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उनकी मदद कर सकें? क्या हम केन्द्र द्वारा धनराशि प्रदान करके उनकी सहायता कर सकते हैं अथवा कुछ बाह्य संसाधनों से धन दिलवाने में उनकी मदद कर सकते हैं अथवा कुछ संसाधनों से उन्हें धन उपलब्ध करा सकते हैं।

महोदया, हम बड़ी खुशी से यह कह देते हैं कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है और इससे निपटने के लिए हमें युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए।

युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने का क्या अर्थ है? यदि किसी को इस दौर से गुजरना पड़ता है तो युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। प्रथम है लक्ष्य का चयन और उद्देश्य का बनाए रखना। हमारा लक्ष्य क्या है? दूसरा ध्वंसक शक्ति की ओर ध्यान देना। तीसरा प्रयास करना। चौथ है लोच । पांचवा है संगठन। छठा है समन्वय और सातवां है संचार ।

संसद भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा योजना आयोग का उद्देश्य आपातकालीन तौर पर कुछ समस्याओं का समाधान करना और फिर उन्हें भुला देना है। उड़ीसा राज्य के लिए एक दीर्घकालीन विशेष योजना की आवश्यकता है। जैसा कि रूडी ने कहा बिहार मध्य प्रदेश, और राजस्थान के कुछ भागों के लिए भी दीर्घकालिक आपदा प्रवण राज्यों हेतु विशेष कार्यक्रम पर भी विचार करना होगा, इस समस्या पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमने पहले भी सूखा, बाढ़ और तूफान पर चर्चा की है। कृषि मंत्री द्वारा सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी गंभीर स्थिति से निपटने में कई मंत्रालय अपनी भूमिका निभाते हैं। अतः यह भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। इन अन्य समस्याओं के लिए कृषि मंत्रालय ही जिम्मेदार नहीं है।

कृषि का पहला उद्देश्य अनुदान और राहत देने के बजाए स्थायी समाधान खोजना होना चाहिए और इससे स्थायी तथा अचल आस्तियों का सृजन नहीं होता इससे विकास कार्य रूक जाते हैं क्योंकि संसाधनों की सदा कमी रहती है। इस संबंध में उड़ीसा सरकार ने प्रधान मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है जिसका उल्लेख मेरे साथी श्री बी.सी. दास ने किया है इसमें कृषि, पशुपालन, भूमि संरक्षण, पुनर्वित्त पोषक, सहकारिता, बैंकिंग, मत्स्य पालन, खाद्य पूर्ति और उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आवास और शहरी विकास, पंचायती राज का उल्लेख है जिसका संबंध कृषि श्रमिकों, छोटे व सीमांत किसानों, गैर-कृषि श्रमिकों और ग्रामीण शिल्पियों से है।

उड़ीसा की लगभग 82 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। 1969 में डी आर डी ए अथवा एसएफडीए लघु कृषक विकास एजेंसी के अंतर्गत लिये जाने वाले तीन जिले उड़ीसा के थे उन्होंने उस समय सूखे से निपटने के लिए 577 करोड़ रुपये की एक कार्य योजना दी थी जैसाकि मैंने कहा है कि जनवरी से पहले सूखे की तीव्रता और गंभीरता का सही-सही अनुमान नहीं लग सकेगा क्योंकि यह दृश्य आंकलन और सरकारी फसल कटाई पर आधारित अंतरिम रिपोर्ट है और सर्दियों की फसल दिसम्बर के अंत में काटी जाएगी, इसलिए सूखे की असली गम्भीरता का पता हमें जनवरी में लग पाएगा।

उन्होंने कृषि और भूमि संरक्षण के लिए 18.79 करोड़, सहकारिता के लिए 15.95 करोड़, मत्स्य पालन और पशु विकास संसाधन विभाग के लिए 2.97 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 4.97 करोड़, आवास और शहरी विकास के लिए 8.77 करोड़, पंचायती राज के लिए 371 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 51.32 करोड़, जल संसाधन विभाग के लिए 86.73 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 10 करोड़ और आपात कालीन पोषण कार्यक्रम के लिए 7.20 करोड़ रुपये मांगे हैं।

मेरा दूसरा सुझाव त्वरित सिंचाई विकास संबंधी ज्ञापन के बारे में है जो उड़ीसा के उप मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री और जल संसाधन मंत्री के साथ डेढ़ माह पहले संसद के पिछले सत्र के दौरान प्रधान मंत्री जी को दिया था। इसमें उड़ीसा सरकार 59 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना चाहती है जिससे 34 प्रतिशत की क्षमता दुगुनी

अर्थात 68 प्रतिशत हो जाएगी। आठवीं योजना में संसाधनों की कमी के कारण सरकार के पास 1,017 करोड़ रुपये कम है 4,000 करोड़ रु. की योजना बाह्य राशि की आवश्यकता है पता नहीं भारत सरकार इसमें कैसे सहायता करेगी?

ऊपरी इंद्रावती, ऊपरी कोलाब, रेंगाली, स्वर्णरेखा महानदी चित्रोत्पला, द्वीप सिंचाई परियोजना, कानुपर, हरीहरजोर, बदनाल्ला, बिरूपा गेंगुली हरभंगी, ऊपरी जोंक बधुवा देव, सपुआ, बदजाओर, टिरलागढ़ टोरजंग चरण-II, बाध,स्कूरा परियोजना जैसी परियोजनाओं का काम अभी पूरा होना है।

सभापति महोदय : सिंह देव जी, आपने 25 मिनट से अधिक समय लिया है।

श्री के.पी.सिहं देव : महोदया, हमारा राज्य सूखे की चपेट में हैं यदि आप मुझे बोलने देना नहीं चाहती तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं पीठासीन अधिकारी की अवहेलना नहीं करना चाहता।

सभापति महोदय : मेरा कहना है कि मात्र दो घंटे का समय नियत किया गया है और आप पहले ही 25 मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : कल पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि कोई समय सीमा नहीं है ।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि आपके साथी भी चर्चा में भाग लेना चाहेंगे।

श्री के.पी. सिंह देव : मैं क्षमा चाहता हूं। कई व्यवधानों के कारण श्री भक्तचरण दास अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाए।

1996 से 2001 के दौरान कार्यान्वयन हेतु जिन परियोजनाओं की पहचान की गई है वे हैं इन्द्रावती, ऊपरी कोलाब, रेंगाली, स्वर्णरेखा, महानदी, चित्रोत्पला, कानुपर, पोट्टेरू। पहचान की गई मझौली परियोजनाएं है हरिहरजोर, बदनाल्ला, हरभंगी, ऊपरी जोंक देव बाधल्टी मंजोर बिरूपा गेंगुली बधुवा चरण-II सपुआ बरजाओर, टिटलागढ़, बाघ स्कूरा, तेलगिरी, नई परियोजनाएं हैं—निचली सुकतेल, निचली, इंदरा, धाऊशषोठ, चेलिगाडा, रेत और कटरा, इसमें 400 करोड़ रुपये की योजना बाह्य राशि की आवयकता है। इस पर हमें विचार करना होगा।

गत सत्र के दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधान मंत्री जी को जो पूर्व स्वास्थ्य योजना ज्ञापन दिया था उसमें लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए सभी ग्रामीण अस्पतालों का संवर्धन करने की बात की है।

भारत सरकार के पास 150 करोड़ रु. की त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना लम्बित है। सरकारी क्षेत्र के चार उपक्रम ब्रह्मणी नदी को प्रदूषित करते हैं। पांच वर्ष पूर्व लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत व्यय वहन करके संयुक्त प्रयास किया जाएगा। राज्य ने अपना 50 प्रतिशत दे दिया है पर समन्वय के अभाव में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 50 प्रतिशत का मुद्दा लम्बित है। दो वर्ष पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी उनको लताड़ा था।

इसके बाद, मैं पेजयल आपूर्ति के मुद्दे पर आता हूं। हमने 1980 में 'सुरक्षित पेयजल-2000' पर हस्ताक्षर किये फिर भी आज उड़ीसा में जल की कमी है। कुछ गांवों को इसमें आंशिक क्रम वों शामिल किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि वहां पानी नहीं है पर जल-स्तर गिरने के कारण फ्लोराइड, लोहे और संखिया विष मिश्रित जल है जिससे विशेषकर बच्चों की आंखें प्रभावित हो रही हैं।

अब मैं क्षेत्रीय शहरी जलापूर्ति और जापानी विदेश आर्थिक निधि से सहायता की बात पर आता हूं। मैं बिहार और केरल को इस वर्ष जापान सरकार और केन्द्रीय सरकार की सहमति मिलने पर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि 1997-98 में उड़ीसा को यह सहमति मिलेगी।

रोजगार आश्वासन योजना लोगों की कठिनाइयों को दूर करने का एक और तरीका है। 64 खंड अभी भी इससे अछूते रह गये हैं इस बारे में हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे और आशा है कि उड़ीसा के इन 64 खंडों को स्वीकृति मिलेगी जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 100 दिन की आश्वस्त आय अर्जन योजना में शामिल किया जायेगा।

रेल स्थायी समिति में हमने कहा था कि गरीबी निवारण योजनाओं और रेलवे में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों का संबंध विकास से है। यदि रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना और विशेषकर बेतारी, बासपानी , लांगीगुडा अबांगुडा जैसे जनजातीय क्षेत्रों में नई रेल लाइनों, जिनका आवागमन रेल मंत्रालय ने दिया है, बिछाने जो भारत के टीन भण्डार, मध्य प्रदेश से जुडेगी, में समन्वय स्थापित करना ठीक रहेगा इस समय मात्र मलेशिया में टीन के भण्डार है।

भारत में टिन के अपार भण्डार हैं परन्तु आधार ढांचे की कमी है। इसीलिए थालचर अंगुल, कामाख्या नगर सुकिन्दा रोड पर 6 बड़े इस्पांत संयंत्र सीमेंट कारखाने और बिजली घर बनाए जा रहे हैं। यह आंतरिक राजस्व दर अर्थात 23.3 प्रतिशत (इंटरनल रेट आफ रेवन्यू) सबसे ऊंची है और इसीलिये 281 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से 319 करोड़ रुपये प्राप्त होने वाले हैं। मेरे विचार से भारत में इससे अधिक लाभप्रद कोई अन्य रेल मार्ग नहीं है। माननीय रेल मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राम विलास पासवान उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं परन्तु उनके द्वारा 30 जुलाई को रेल बजट पर उत्तर देने के समय उल्लेख के अनुसार अब तक योजना आयोग को नहीं भेजा गया है।

सभापति महोदय : श्री सिंह, आप तो सूखे की स्थिति पर बोल रहे हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : मैं यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का उन जिलों में भी विस्तार करना चाहिये जहां यह पूर्णतः चल नहीं रहा है। सहायता संहिता के अनुसार मास्टर योजना और विशेष योजना बनाई जानी चाहिये क्योंकि यह अति आवश्यक है और पिछले 30 वर्षों के दौरान सूखा संहिता के अनुसार जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं के लिये मास्टर योजना नहीं बनाई गई

है। यदि ये कदम उठाए जाएं तो कुछ परेशानियों को तुरन्त कम किया जा सकता है। माननीय कृषि मंत्री जी ने उचित ही कहा है कि तूफान से तबाही होती है परन्तु पुनर्वास किया जा सकता है हालांकि सूखे का निदान लम्बे समय में हो सकता है जिसके लिये अगली फसल तक इन्तजार करना होता है, परन्तु लोग किस प्रकार जीवन यापन कर पायेंगे? मामला सिर्फ इतना है कि लोग किस प्रकार आजीविका अर्जन करेंगे! बच्चों का भरण पोषण करेंगे और कैसे जिन्दा रह पायेंगे।

भुखमरी के मामलों का उल्लेख किया गया है। मैं इस माननीय सभा से अनुरोध करना चाहता हूं कि हालांकि प्रेस को इन मामलों के प्रति सचेत रहना चाहिये। अतिसार तथा शोध के कारण हुई मृत्यु को भुखमरी से हुई मौत के रूप में नहीं दिखाकर इसे आतंक का माहौल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कोई भी मुख्य मंत्री अथवा राज्य सरकार भुखमरी को स्वीकारने वाली नहीं है। इससे सिर्फ आतंक फैलता है और हम जानते हैं कि पूर्व में भी संसद में इन मामलों को उठाया गया था किन्तु राज्य सरकार कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी ।

मैं आपको बोलने का अवसर देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री अंचल दास (जाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, उड़ीसा में सूखे की स्थिति पर सदन में चर्चा हो रही है और आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उड़ीसा राज्य में भयंकर सूखे की वजह से आदिवासी और हरिजन लोग दुखी हैं। उड़ीसा कृषि प्रधान राज्य है, जहां 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है और 80 प्रतिशत जमीन सिंचित नहीं है। ज्यादातर राज्य के जिले पहाड़ी इलाके हैं और जंगल के इलाके हैं, जहां 60 प्रतिशत आदिवासी, हरिजन और गरीब लोग रहते हैं। चार जिलों को छोड़कर सारे बाकी 26 जिलों में ज्यादा से ज्यादा सूखा पड़ा है। आजादी के पचास सालों के बाद भी सिंचाई की बहुत कमी है और हर साल लोग सूखे का सामना करते हैं।

राज्य में कैनाल के जरिए जो सिंचाई करते हैं, वहां जो लिफ्ट बैंक है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है लेकिन उसको आज तक ठीक नहीं किया हैं। वहां जितने कुंए हैं, रिकार्ड में ज्यादा दिखाये हैं लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि नेचुरल केलेमिटी में चार-बार 27 करोड़ रुपए दिए हैं लेकिन आज तक यह रुपया वहां पहुंचा नहीं है। कल उन्होंने सदन में स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतने करोड़ रुपए दिए हैं लेकिन आज तक हमारे जिले हैड क्वार्टर में केन्द्र से कोई सहायता नहीं पहुंची है। हमारे जिले में आदिवासी-हरिजन रहते हैं, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। उड़ीसा में जितने जमीन के मालिक हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा खेती में हरिजन-आदिवासी तथा दलित लोग काम करते हैं।

महोदय, हमारे स्टेट में ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, साइक्लोन तथा आंधी आती है तो उस समय केन्द्र से ग्रांट भी समय पर नहीं पहुंचती है। जब ऐसा होता है तो उस समय पहले राज्य सरकार केन्द्र सरकार को रिपोर्ट देगी, उसके बाद केन्द्र सरकार कमेटी भिजवायेगी वह आकर इनको रिपोर्ट देगी तब हमारा बजट पास होगा। यह डेमोक्रेसी का तरीका है, इस कारण से गरीब लोगों को केन्द्र से कोई सहायता नहीं मिल पाती है। वहां पूरे जिले में भुखमरी है। वहां एक सौ से ज्यादा आदमी मर चुके हैं लेकिन राज्य सरकार बोलती है कि डायरिया से लोग मरे हैं। यह दुख और अफसोस की बात है। हमारे राज्य में चुनाव हो रहे हैं उससे हमारा डेवलपमेंट का सारा काम बंद हो जाएगा, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम नहीं हो पाएगा। इसलिए उनको मदद करने की जरूरत है लेकिन उनको मदद नहीं करते। पहले कैसे इलैक्शन होगा, यह देखते हैं। इलैक्शन होने से हमारे डेवलपमेंट का काम रूक जाएगा। हमारे जो हरिजन-दलित आदिवासी हैं वे हमारे उड़ीसा में 60 प्रतिशत हैं वे कैसे खाना खाएंगे। वे बाहर चले जाते हैं। हमारे राज्य में दूसरा कोई जीवनयापन का साधन नहीं है। हमारे स्टेट को गरीब स्टेट बोलते हैं लेकिन हमारा राज्य गरीब नहीं है। हमारे स्टेट में खनिज-खदान, कोयला, अभ्रक, लोहा ज्यादा से ज्यादा है लेकिन उसको केन्द्र सरकार ले जाती है। हमारे यहां जो गरीब आदमी है वे गरीब होकर ही रह जाते हैं। उनको नौकरी नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता है। वे ज्यादा से ज्यादा गरीबी में अपनी जिन्दगी गुजारते हैं। बीजू पटनायक जी ने 4-5 इंडस्ट्रीस बनाई थी मेसको, कलिंगमेसको, भूशंड स्टील आदि।

केन्द्र की सहायता न मिलने की वजह से चल नहीं पाई जिससे वे बंद हो गई। सारे राज्य में हरिजन, आदिवासी और दलित लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं है। केन्द्र सरकार की जितनी स्कीम्स के लिए पैसा जाता है, उनको बिचौलिए खा जाते हैं जिससे गरीब आदमी गरीब रह जाता है और भूख से मर जाता है।

हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव जी, देवेगौडा जी, बीजू पटनायक जी, हमारी स्टेट के अपोजिशन लीडर अशोक दास जी, श्रीकान्त भाई और कृषि मंत्री जी उड़ीसा का दौरा करके आए हैं। उसके लिए हम उन सभी को बधाई देते हैं। सूखे का किसे प्रकार से मुकाबला किया जाए, उसके लिए केन्द्र सरकार की तरफ से विभिन्न स्कीम्स बननी चाहिए।

वहां पिछले साल जब बाढ़ और आंधी आई ...**(व्यवधान)**

सभपति महोदय : आप ड्राउट पर बोलिए।

श्री अंचल दास : जब आंधी बाढ़ और आती है तो केन्द्र और राज्य सरकार को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। चार महीने पहले मेरे जाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में आंधी और बाढ़ आई जिससे नदी पर बना बांध टूट गया । हमने प्रधान मंत्री जी से कहा।

सभापति महोदय : आप ड्राउट पर बोलिए। बाढ़ पर जब चर्चा होगी तब उस पर बोलना।

श्री अंचल दास : आप मेरी बात सुनिए। मैं उस पर भी बोल रहा हूं। यह उड़ीसा की प्राबलम है। बांध के टूट जाने से 240 घर वाश-आउट हो गए। मैंने इसके बारे में प्रधान मंत्री जी को लिख कर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री जी को लिखिए। मैंने कृषि मंत्री जी

को लिखा। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि राज्य सरकार को लिखिए। वहां की सरकार कांग्रेस दल की है। चीफ मिनिस्टर हेलिकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति देखने गए लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी। वहां गरीब हरिजन और दलित वाश-आउट हो गए हैं। उनकी किसी ने कोई मदद नहीं की। मैं चुनाव जीत कर आया हूं। हम इस बारे में बोलते रह गए लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। वहां ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि गरीब आदमी का बहुत नुकसान हुआ। बाढ़ और आंधी आने से गरीब आदमी का ज्यादा नुकसान होता है और धनी तथा बड़े आदमी का कोई नुकसान नहीं होता। आपने किस हिसाब से फंड सैंक्शन किया है और वह कैसे ठीक ढंग से तथा समय पर गरीब लोगों के पास पहुंचेगा, इस पर केन्द्र सरकार ध्यान दे, ऐसी मैं मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : महोदया, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सभा को आश्वासन दिया था कि आज चर्चा के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी सदन में उपस्थित रहेंगे, हालांकि, अपराह्न 3.30 बजे पर चर्चा आरम्भ हो गई थी परन्तु अब तक माननीय प्रधान मंत्री जी नहीं पहुंचे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदया, चीन के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी उनकी अगवानी के लिये गये हुए हैं। वह पहुंचने वाले ही होंगे। ...**(व्यवधान)**

श्री शरत पटनायक : महोदया, अन्य बातों के मुकाबले यह मामला अधिक गंभीर है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब एश्योरेंस दे रहे हैं कि वह आ जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक : कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सभा में आश्वासन दिया था कि आज चर्चा के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी उपस्थित रहेंगे परन्तु वह अब तक नहीं आए हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : वह आ रहे हैं।

सभापति महोदय : अब मैं प्रो. रासा सिंह रावत को बोलने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, संस्कृत में एक नीतिकारक ने कहा है :—

"अपूज्यं यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानांतु व्यतिक्रमः
तानि तत्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरणं भयं"

भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी संस्कृत समझ गए हैं कि जो पूजा या सम्मान के योग्य नहीं होते, उनका तो पूजा या सम्मान किया जाता है और जो वास्तव में आदरणीय, पूज्य होते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है।

'त्रीणि तत्र वर्तन्ते' राष्ट्र के अंदर तीन प्रकार की चीजें व्याप्त रहती हैं। दुर्भिक्ष, मरणं, भयं अर्थात या तो घोर अकाल पड़ता है या मौतों की खबर आती है या डर का वातावरण रहता है। श्री सतपाल जी महाराज इस बात को समझ गये हैं, यह मनुस्मृति की बात है। मैं समझता हूं कि आज देश के अंदर, चाहे उड़ीसा हो या देश का कोई अन्य भाग हो, आजादी से लेकर आजतक भारतवर्ष के लिये कहा जाता है कि हिन्दुस्तान का बजट मौनसून का जुआ है। अगर हिन्दुस्तान का मौनसून अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अच्छी फसल होगी, पैदावार अच्छी होगी, खुशहाली आयेगी और यदि मौनसून समय पर नहीं आया या आया ही नहीं या देर से आया तो परिणामस्वरूप सारी की सारी फसलें चौपट हो जायेंगी। किसान की आशाओं पर पानी फिर जायेगा। तालाब सूख जायेंगे, हैंड पम्प सूख जायेंगे, पेय जल की समस्या खड़ी हो जायेगी, खेतों में पैदावार कुछ नहीं होगी। खेती पर निर्भर रहने वाले मजूदर या भूमिहीन लोगों के सामने भारी समस्या आती है कि कैसे जिन्दा रहा जाये। जैसा हमारे उड़ीसा के एक मित्र बतला रहे थे कि उड़ीसा के अंदर पिछले 25 वर्षों में सबसे भयावह अकाल पड़ा है और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया कि उड़ीसा के 30 जिलों में से 26 जिलों में 27 हजार 871 गांवों में 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है और कहीं-कहीं तो 50 से 70 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो चुकी है। कहीं पर छोटी सिंचाई योजनायें तो कहीं पर मध्यम सिंचाई परियोजनायें सूख गयी हैं। इससे 26 लाख टन धान को नुकसान पहुंचा है। आपके सरकारी आंकड़ों के अनुसार 951 करोड़ रुपये की हानि हुई है। आज लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, खेतों में पैदावार नहीं है तो कैसे गुजारा चलायें। वे लोग जंगलों से पेड़ काटकर और उनको बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस प्रकार जंगलों का भी नाश हो रहा है।

सभापति महोदया, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हर साल कालाहांडी के अकाल पर चर्चा होती है और पिछले 6-7 वर्षों से मैं सांसद हूं और यह देखता रहा हूं। फिर क्यों नहीं ऐसे अकालग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की जाती है जहां पर सूखे की भयावह स्थिति पैदा होती है, भुखमरी है। अगर इस क्षेत्र की पहचान कर ली गयी है तो क्यों नहीं एक मास्टर प्लान बनाकर समुचित विकास किया गया? केन्द्र सरकार सायल कंजरवेशन और वाटर शेड मैनेजमेंट के नाम पर करोड़ों रुपया राज्य सरकार को देती है। अगर उस राशि का सदुपयोग होता, सही स्थान पर लगता और सही प्रकार से अन्य योजनाओं पर खर्च होता तो मैं समझता हूं कि यह समस्या पैदा ही नहीं होती। कुंए क्यों सूख गये, हैंड पम्प क्यों सूख गये, तालाब क्यों सूख गये और जमीन में पानी का स्तर नीचे क्यों चला गया? इसका कारण यह है कि वाटर मैनेजमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप स्थिति भयानक होती चली गयी। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार भी इस लापरवाही की दोषी है क्योंकि उन्होंने पहले उपेक्षा बरती। माननीय

कृषि मंत्री जी वहां गये। कह तो दिया कि यहां के समाचार पत्रों ने क्यों नहीं ध्यान दिया मीडिया और समाचार पत्रों ने इस सारी समस्या को देश के सामने उजागर क्यों नहीं किया? समाचार पत्रों के अंदर उनका स्टेटमेंट छपा लेकिन केवल मीडिया और समाचार पत्रों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। आखिर केन्द्र को वहां से सूचनायें आती हैं कि स्थिति कैसी है। वहां की वर्तमान सरकार भी एक प्रकार से दोषी है कि उसे समय पर केन्द्र को राजस्व और फसलों की हानि की सूचना भेजनी चाहिये थी। जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर में वर्षा नहीं हुई और अब वहां कहा जा रहा है कि राज्य के प्रति उपेक्षा हो रही है। सब तरफ हड़बड़ाहट मची हुई है। अब जाकर केन्द्र सरकार की घोषणायें हुई हैं लेकिन जो घोषणायें हुई हैं, वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और एक-दूसरे को दोष दे रहे हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि वहां के कांग्रेस के 16 एम.एलएज. ने एक स्टेटमेंट दिया। वहां की कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि केन्द्र की सरकार से कांग्रेस को समर्थन वापस ले लेना चाहिए क्योंकि इस भयावह अकाल से उड़ीसा पीड़ित है और उन्होंने कोई सहायता नहीं की है। उसके बाद केन्द्र सरकार में हलचल पैदा हुई और उन्होंने यहां से सहायता की घोषणा की। माननीय बीजू पटनायक जी जैसे उड़ीसा के वरिष्ठ नेता शासक दल के माननीय सदस्य हों और उसके बाद भी शासक दल में इतनी संवेदनशून्यता हो कि उड़ीसा में अकाल पड़ गया और वहां लोगों के पास चार-पांच महीने बाद भी सहायता नहीं पहुंची और हजारों-लाखों लोग अपने गांवों को छोड़कर चले गए, यह विडंबना की बात है।

पिछले वर्ष सूरत में प्लेग फैला तो वहां पर उड़ीसा के लाखों श्रमिक थे जिनको सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। वे गरीब थे। सब कुछ छोड़कर वे भागे। अब वहां अकाल पड़ गया और तब काम नहीं मिला। जवाहर रोजगार योजना का काम शुरू हुआ तो उस समय पैसा नहीं पहुंचा। फैमीन कोड है कि जब तक किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जाएगा तब तक एक पाई भी कैलामिटी रिलीफ फंड से घोषित नहीं की जा सकती। इसके कारण वहां पर कोई काम शुरू नहीं किया गया। जब काम शुरू नहीं हुआ तो लोगों को मजदूरी नहीं मिली और लोगों को मजदूरी नहीं मिली तो पेट कैसे भरें? कई माताओं ने अपने बच्चों को बेच दिया। मेरे पास समाचार-पत्रों की रिपोर्ट है कि जिसको प्रस्तुत करने के लिए अभी समय नहीं है लेकिन यहां पर कई उदाहरण दिये हैं कि कई लोगों ने अपने बच्चों को बेच दिया। वहां पर 180 मौतें हुई। उनको लेकर भी विवाद चल रहा है। महोदया, 180 लोग भुखमरी के शिकार हो गए। वहां के मुख्य मंत्री कहते हैं कि भुखमरी के शिकार नहीं हुए, डायरिया के शिकार हुए हैं। डायरिया हो गया तो उसका क्या कारण था? उन्होंने पेड़ों के पत्ते खाए होंगे या ऐसी वनस्पति का सेवन किया होगा अपने पेट की आग बुझाने के लिए जिसके परिणामस्वरूप वह मौत के घाट उतर गए। भुखमरी से नहीं मरे हैं और डायरिया से मरे हैं, यह कहना मैं समझता हूं कि 'दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय।' एक तरफ केन्द्र की सरकार है और दूसरी तरफ राज्य सरकार है और दोनों को ही जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान समय पर नहीं दिया गया जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है।

महोदया, वहां पशुधन भी नष्ट हो रहा है और स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी की स्थिति भयावह हो रही है। साधन-संपन्न लोग फिर भी गुजारा कर लेंगे, उनके पास पिछला अनाज या धान बचा होगा लेकिन जो गरीब लोग मजदूरी करके जीते थे, खेतिहर मजदूर थे, वे बेचारे अपना पेट कैसे भरेंगे? उनके लिए अकाल राहत के अंतर्गत अविलंब काम प्रारंभ किये जाने चाहिए और जो भी संभव हाथ हैं काम करने वाले, बच्चों को बच्चों के हिसाब से, महिलाओं को महिलाओं के हिसाब से और पुरूषों को पुरूषों के हिसाब से पक्के और स्थायी महत्व के काम शीघ्र देना शुरू कर देना चाहिए, चाहे वह लिफ्ट इरीगेशन का काम हो, चाहे कैनाल का हो चाहे जवाहर रोजगार योजना का हो चाहे विद्यालय भवनों के निर्माण का काम हो अथवा और छोटे-छोटे सामुदायिक भवन के निर्माण का काम हो या सड़क के निर्माण का काम हो, चाहे वनों को लगाने का काम हो चाहे जंगलों के लिए गड्ढे खोदने का काम हो, वह अविलंब शुरू किये जाने चाहिए। महोदया, अभी जनवरी से अगली जून तक का समय बाकी है। छः महीने हमारे पास हैं। अभी स्थिति इतनी भयावह नहीं हुई है। अभी थोड़े-थोड़े दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं लेकिन अभी स्थिति इतनी भयावह है तो छः महीने बाद क्या स्थिति होगी यह सोचने की बात है। अभी से ऐसे हालात हैं तो आगे विषम से विषमतर होते चले जाएंगे। इसलिए जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि यह भी राष्ट्रीय आपदा है जैसे आंध्र का साइक्लोन वाला मसला था, वह नेशनल कैलामिटी है तो यह अकाल भी राष्ट्रीय आपदा है। ठीक है कि वहां पानी आया और चला गया। एक बार भयंकर प्रलयंकारी नुकसान हुआ लेकिन उसके बाद वहां पानी की समस्या नहीं रहेगी। वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा और आगे पैदावार अच्छी होगी, लेकिन जहां अकाल पड़ गया, पहले भी कुछ नहीं हो रहा है और आगे भी छः महीने तक और समय है। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक उन लोगों का क्या होगा? इसलिए मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से इसे राष्ट्रीय आपदा मानकर उदारता के साथ इसके लिए सहायता दी जानी चाहिए।

यह जो तीन जिले नौपड़ा, कालाहांडी और बोलंगीर है वहां भुखमरी के कारण, अकाल पीड़ित क्षेत्र होने के कारण, निष्क्रमण के कारण और शोषण के कारण धर्मान्तरण की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। वहां पर कुछ एन.जी. ओज. के नाम पर, कुछ राम कृष्ण मिशन के लोग काम कर रहे हैं, कैथोलिक चर्च के लोग भी काम कर रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लेकिन जो मां-बाप अपने बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर पाते, वहां पर कुछ उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट समाचार पत्रों में आई हैं कि उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और ऐसा स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस सारी भयावह स्थिति की दृष्टि से उड़ीसा के अंदर जितनी वहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा केवल कृषि से प्राप्त होता है और लगभग 64 प्रतिशत लोगों को खेती का काम भी दिलाती है। कृषि मजदूर के रूप में वहां की आबादी का 64 प्रतिशत और खरीफ में अभी 80 प्रतिशत का नुकसान हो गया है और केवल 33 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि ही उड़ीसा में केवल सिंचित भूमि है और शेष इंद्र देवता के ऊपर निर्भर है और करीब 50 प्रतिशत और कहीं-कहीं 70 प्रतिशत पैडी नष्ट हो गई है और ड्रॉउट अफेक्टिड एरियाज में जो फेमिन कोड के अंतर्गत होती है वह भली प्रकार से पहचान कर ली गई है या नहीं। इसके लिए दूरगामी नीतियां बननी चाहिए कि आगे जाकर अकाल न हो। इस्राइल ने भी रेगिस्तानों को हरे-भरे खेतों में बदल दिया है। दुनिया के दूसरे देशों के अंदर जहां भी रेगिस्तानी इलाके हैं, जो मानसून से दूर हैं, आड़ वाले इलाके हैं, वहां पर मानसून नहीं पहुंचता है वहां के लोगों ने सिंचाई के कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं चाहे फव्वारा पद्धति हो, चाहे छिड़काव वाली पद्धति हो और चाहे बूंद-बूंद सिंचाई वाली पद्धति हो। तो हमें भी वहां वाटर शेड मैनेजमेंट को डेवलप करके सॉयल कंजर्वेशन की योजना तैयार करके कुछ ऐसी योजनाओं को प्रमुखता देनी चाहिए और हमारी मॉनीटरिंग एजेन्सीज जो सारे काम को मॉनीटर करने वाली एजेन्सीज है वह सही होनी चाहिए कि जितना पैसा आप दे रहे हैं वह पैसा उन गांवों के अंदर, उन मजदूरों के लिए, उन अकाल पीड़ितों के लिए खर्च हो रहा है या नहीं। वहां पर सस्ते अनाज की दुकानों के द्वारा उनको गेहूं, चावल, तेल दाल, केरोसीन ऑयल या जनता कपड़ा ये सभी चीजें सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रही हैं या नहीं, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ इस कार्य में भूमिहीन मजदूर एवं कृषि मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और कहना चाहता हूं कि कृषि ऋणों को माफ किया जाए। मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे राज्य सरकारों से अनुरोध करें चाहे वह राज्य का मसला हो या केन्द्र का मसला हो, अभी उन इलाकों में जहां पर ऋणों की वूसली हो रही हो, जो किसान सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लेते हैं, उनके कर्जे माफ किये जाएं। अगर उनका फसल बीमा कर लिया गया हो और पिछली सारी फसल नष्ट हो गई हो तो उसका अंदाजा लगाया जाए। किसानों की फसल का जो बीमा किया गया है, तो उस बीमे की जो भी राशि हो वह उनको प्रदान की जाए। इसके साथ-साथ जो लगान वगैरह लिया जा रहा हो तो वह स्थगित कर दिया जाए और शॉर्ट टर्म लोन स्वीकृत किये जाएं। उनको उस समय में अपना गुजारा चलाने के लिए ब्याज रहित दरों के ऊपर शॉर्ट टर्म लोन स्वीकृत किये जाएं, यह बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ कम्युनिटी किचन्स खोलने की आवश्यकता है ताकि वहां पर सब लोग अकाल पीड़ित हैं और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं तो इस माइग्रेशन को रोकने की अत्यंत आवश्यकता है। वहां से जो लाखों लोग भाग चुके हैं लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था एक स्थान पर की जाए। वहां पर बीमारी फैल सकती है, संतुलित आहार न मिलने के कारण लोग कमजोर हो गये हैं और बहुत समय से भूखे रहने के कारण जंगल के पत्ते, जंगल की घास, जंगल के पेड़ों की जड़ों को खाकर कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उनमें इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि वे सुबह से शाम तक मेहनत कर के कमा सकें। ऐसे गरीबों के लिए कम्युनिटी किचन्स खोले जाएं और साथ में दवा वगैरह की व्यवस्था की जाए ताकि अकाल पीडित क्षेत्रों में लोग बीमारियों से ग्रस्त होकर अकाल मौत के शिकार न हों। स्थाई महत्व के पक्के कार्य खोले जाएं। भूसंरक्षण एवं वाटरशैड मेनेजमेंट के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए और सात माह तक युद्धस्तर पर सारे कार्य चलते रहें, ऐसी व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां से ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन जो मिलती थी, वे भी उनको समय पर नहीं दी गई। जो उनका एक सहारा था वह भी टूट गया। जो वहां पर अपंग, अपाहिज, वृद्ध और विधवाएं थीं, उनको इन पेंशनों के माध्यम से जो सहायता मिलती थी, वह नहीं मिली। मेरे पास ये समाचार पत्रों का कतरने और औनलुकर पत्रिका है जिनमें इसके बारे में सारा विस्तृत विवरण दिया गया है। इनमें नाम और चित्र आदि सभी बातें देकर बताया गया है कि उनको पेंशन नहीं मिली। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा है, तो इतने वर्षों से केन्द्र सरकार से जो करोड़ों रुपया कालाहांडी के नाम पर गया, उसका क्या हुआ और कुछ धन तो राज्य सरकार ने भी खर्च किया होगा, उसका क्या हुआ? इतना खर्च करने के बाद भी ये अकालजन्य परिस्थितियां वहां बनी रहीं और थोड़ा सा भी अकाल पड़ने पर हमारी सारी व्यवस्था एकदम टूट जाती है, सारी गतिविधियां रूक जाती हैं और हमारा सारा विकास कार्य अवरूद्ध हो जाता है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वह पैसा सही हाथों में क्यों नहीं पहुंचा, सही कामों में क्यों नहीं लगा, सही योजनाएं क्यों नहीं बनी, सही योजनाएं क्यों कार्यान्वित नहीं हुई और उनके सही परिणाम सामने क्यों नहीं आए?

महोदय, यह सब तो हो जाएगा, लेकिन अभी तत्काल उड़ीसा के अकाल पीड़ितों को सहायता भेजने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह सहायता पहुंच सके और हम उनकी इस संकट काल में उदारता से सहायता करें। नैशनल कैलेमिटी के बारे में दसवें वित्त आयोग ने नार्म्स बनाए हैं। उनमें रिलैक्सेशन देकर अधिक से अधिक सहायता उड़ीसा के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में दी जाए। उड़ीसा हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृति में उड़ीसा को उत्कल देश के नाम से जाना जाता रहा है, जहां महान सम्राट अशोक जैसे हुए, कोणार्क जैसा मंदिर वहां है और समुद्र की लहरें जिस प्रान्त को छू रही हैं। वह भी हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। यदि शरीर के किसी भी अंग में कोई तकलीफ हो जाए, तो पूरे शरीर को उसकी पीड़ा का अहसास होता है। उसी प्रकार हमारे देश के उड़ीसा प्रांत में जो आज दुख आ पड़ा है और उसे जो तकलीफ

हो रही है उसको पूरा राष्ट्र अनुभव कर रहा है और हम सबको उस पीड़ा को सबको पीड़ा मानकर चलना चाहिए। यहां पर पूर्व प्रधान मंत्री बैठे हुए हैं। वे भी प्रधान मंत्री के रूप में उड़ीसा में गए थे। उन्होंने एक के.बी. योजना जो मेरे ख्याल से 4000 करोड़ की है वह मंजूर की थी, ताकि अकाल वाले उन क्षेत्रों की समस्या का निराकरण भली प्रकार से हो सके। मैं पूछना चाहता हूं कि उस स्कीम का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं राजस्थान का हूं। राजस्थान भी अकाल पीड़ित रहा है, लेकिन कुछ समय से भूगोल बदल गया है। इसलिए वहां अकाल की स्थिति कम होने लगी है, लेकिन अब भी अकाल पड़ते हैं। जब पिछली बार वहां अकाल पड़ा तो राजस्थान सरकार ने उससे बड़ी मुस्तैदी से निपटा। जानवरों तक को नहीं मरने दिया। आबादी के निष्क्रमण को रोका गया। जो काम करने वाले हाथ थे, उनको गांवों के अंदर काम दिया गया। अकाल-राहत समितियां बनाई और बिना भेदभाव के लोगों को काम पर लगाया। कुछ अनाज के रूप में और कुछ पैसे के रूप में उन लोगों को सहायता दी। परिणामस्वरूप उनको बचा लिया गया। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसे ही कदम उठाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश दें और समुचित धन उनकी सहायता के लिए दें। इस प्रकार से समय तो निकल जाएगा, लेकिन वे लोग याद रखेंगे कि किस प्रकार से केन्द्र ने उनकी कष्ट के समय सहायता की जो समय पर काम आए वही वास्तव में सच्चा मित्र है। इसलिए सारे देश का कर्तव्य है कि उड़ीसा की जनता को अकाल से उबारने के लिए हम अपने राष्ट्र की ओर से जितना भी अधिक से अधिक हम कर सकते वह करें। हमें उदारता पूर्व सहायता करनी चाहिए।

महोदय, प्रधान मंत्री ने पहली किस्त दी है, लेकिन उन्होंने जो मांग की है, उनकी आवश्यकता के अनुसार पैसा दिया जाएगा, तो निश्चितरूप से तात्कालिक उपायों में थोड़ी गतिशीलता आएगी और जितना उन्होंने मांगा है उतना पैसा उनको अवश्य दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपके प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव (बहरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के सुझावों से पूर्णतः सहमत हूं और उड़ीसा में सूखे के कारणों के बारे में उनके मतों से भी सहमत हूं। इसलिये, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो पहले ही कही जा चुकी है।

महोदय, ऐसे जिलों के बारे में विचार करने पर विशेषतः उड़ीसा के और समान्य तौर पर उड़ीसा राज्य के बारे में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राज्य सरकार अकेले ऐसे जिलों का ध्यान नहीं रख सकती है। यह सब करना किसी भी राज्य सरकार के लिये अत्यंत कठिन हैं चाहे वह कितनी भी कुशल क्यो न हो और वहां कितने ही संसाधन उपलब्ध क्यों न हो। वास्तव में इस देश में बड़ी संख्या में राज्य सरकारें धनी नहीं है। इसलिये, उड़ीसा की सरकार के लिये इस कठिन कार्य से झूजना असम्भव है। वहां पर सूखे की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है और इसलिए राज्य के विकास के लिये तथा राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिये कदम उठाना हो वास्तविक आवश्यकता हैं। मैं जहां कही भी विश्व में गया हूं चाहे दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र हों अथवा पश्चिमी राष्ट्र हों या फिर और भी विकसित देश सभी जगह मैंने एक सामान्य बात देखी है। मैं यह सोचता रहता हूं कि क्या विश्व में किसी अन्य स्थान पर भी मैंने भारत जैसी 'निपट गरीबी' का माहौल पाया है? दुर्भाग्यवश ऐसा कहीं भी नहीं है। इस देश में काफी तरक्की हुई है इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान में 30 अथवा 40 अथवा 50 अथवा 60 के दशक की गरीबी नहीं पायी जाती है। काफी तरक्की हुई है। जनसंख्या बढ़ रही है और उड़ीसा जैसे राज्यों में आशा के अनुरूप विकास नहीं हुआ है। इसके कारण कुछ भी हों मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। वर्तमान में उड़ीसा राज्य विशेषकर इन के.बी. के. जिलों और अन्य जिलों की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से उठानी चाहिये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने इन क्षेत्रों के दौरे के दौरान लगभग इनकी जिम्मेदारी प्रधान मंत्री के विशेष महत्व के तहत ले ली थी।

हमने उस परम्परा को जारी रखा है। हमने केन्द्र सरकार, प्रधान मंत्री की उस सदभावना को जारी रखा है तथा हमने उसके अनुसरण में उस कार्य को पूरा किया है-जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा था। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा उस परम्परा को जारी रखें। केवल एक ही प्रधान मंत्री इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। आने वाले 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष के समय तक के आने वाले प्रधान मंत्री का इस समस्याओं से जूझना पड़ सकता है क्योंकि इस बीच अन्य राज्य में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा उड़ीसा और अन्य राज्यों की तुलनात्मक भिन्नता को कम करना होगा तथा यदि इसे कम करना है तो उड़ीसा के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी चाहे कुछ भी हो और अन्य राज्यों से किनी भी शिकायतें आएं क्यों न आएं। मुझे विश्वास है कि यदि अन्य राज्यों को उड़ीसा और इन जिलों के बारे में सच्चाई बता दी जाये तो किसी भी राज्य को कोई शिकायत नहीं होगी। अतः मेरा प्रधान मंत्री से पहला अनुरोध है कि इन क्षेत्रों का उत्तरदायित्व प्रधान मंत्री पर डालें तथा इन क्षेत्रों को उसी दृष्टि से देखें। यदि एक लंबी अवधि के लिए, यदि मुझे ठीक से याद है तो 1992 से 2002 तक 10 वर्ष की अवधि के 4000 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई थी तो वह गलत हो या ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह काफी लंबी अवधि थी।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए इस पैसे को जुटाना संभव होना चाहिए। जब यह मामला मेरे पास लाया गया तो मुझे नहीं लगा कि यह असंभव है तथा मैंने कहा था कि ऐसा किया जाना है। अतः इसे निरंतर जिम्मेवारी के रूप में किया जाना है। हमें निश्चित तौर पर क्या करना चाहिए? जैसाकि कई सदस्यों ने उल्लेख किया है प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रुपये दिये जाएं और उसके बारे में भूल जाएं। ये 50 करोड़ रुपए लोगों को जैसे तैसे जिन्दा रखने के लिए उनकी जरूरतों पर खर्च किये जा रहे हैं। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि उड़ीसा की जनसंख्या भी बढ रही है, और उसी अनुपात से

वहां गरीबी भी बढ़ रही है। इसलिए स्थिति से निपटने के लिए हम प्रत्येक वर्ष जो करते हैं उसके अलावा कुछ और भी किए जाने की आवश्यकता है।

मुझे सदस्यों से यह सुनकर काफी हैरानी हुई तथा जब मैं बरहामपुर और गंजाम जिलों तथा अन्य स्थानों पर गया तब मुझे यह बताया गया कि वहां से लोगों ने अन्य स्थानों पर जाना शुरू कर दिया है अथवा जाने की तैयारी में हैं। पिछले तीन-चार वर्षों में विशिष्ट उद्देश्यों हेतु विशिष्ट कार्यक्रम बनाने थे। महाराष्ट्र में 20 से 25 वर्ष पहले से रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। अब उस योजना से काफी हद तक प्रवास की यह समस्या समाप्त हो गई है। लोगों को यह गारंटी दी गई थी कि जो कोई भी स्वस्थ है तथा कार्य करना चाहता है, और जिसे कार्य चाहिए, उसे राज्य में एक निश्चित पद्धति के अनुसार कार्य दिया जाएगा। हमने पिछले तीन चार वर्षों में न्यूनाधिक रूप से उस योजना की नकल की है। हम यह कहने की धृष्टता नहीं करते कि यह गारंटी योजना है लेकिन हमने इसे आश्वासन योजना कहा था। जहां तक भावना का प्रश्न है इन दोनों में कोई अधिक अंतर नहीं है। कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए हमने इसे गारंटी योजना नहीं कहा।

अतः रोजगार आश्वासन योजना विशिष्ट तौर पर ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तैयार की गई थी। अब क्या कारण है कि-इस योजना के हर समय होने के बावजूद—मैं नहीं मानता कि कोई नियम इन सभी के इस्तेमाल या प्रारंभ को रोकते हैं—उड़ीसा में ऐसा हुआ कि लाखों लोग पहले ही वहां से जा चुके हैं और आने वाले महीनों में क्या होगा? मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह शायद इस समस्या के प्रति हमारे ढुलमुल रवैये के कारण है। अन्य योजनाओं का जो हुआ है लेकिन रोजगार आश्वासन योजना एकदम तैयार रहनी चाहिए थी। ताकि इसे तत्काल लागू किया जाय क्योंकि योजना को इसी ढंग से बनाया गया है। ऐसी आपातस्थितियों के लिए ही इस योजना को बनाया गया है। अतः इसे निरंतर जारी योजना होनी चाहिए यह निरंतर जारी रहने वाली योजना है। आपको किसी ने नहीं कहा कि 31 मार्च या 31 दिसम्बर को योजना को एक वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यह निरंतर रहने वाली योजना है। यदि इतनी अधिक संख्या में लोगों के पलायन की खबर सही है, तो इससे यह पता चलता है कि समय पर कार्यवाही नहीं की गई है, एक अलग तरह का पलायन भी है अर्थात् व्यावसायिक लोगों द्वारा पलायन। नियत क्रम में प्रत्येक वर्ष तकनीशियन आदि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहते हैं वे ऐसे शहरों में कहीं भी पलायन कर जाते हैं जहां पर तीव्र विकास हो रहा है। उस तरह का पलायन भिन्न बात है। लेकिन केवल आजीविका हेतु पलायन करना क्योंकि उनके अपने क्षेत्रों में उनकी आजीविका हेतु पर्याप्त कार्य नहीं मिलता है यह ऐसी बात है जिसे सामाजिक तौर पर, तथा आर्थिक स्तर पर माफ नहीं किया जा सकता है। आप उसे उसके घर, मकान, मित्रों, संबंधियों से अलग नहीं कर सकते हैं तथा ऐसा नहीं होना चाहिए उसे अपना सब कुछ छोड़कर उसे सूरत या मुम्बई या किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े। यह ठीक नहीं है। इसी कारण यह योजना बनाई गई थी तथा वास्तव में इसे मूर्त रूप दिया गया था।

यदि ऐसा नहीं किया गया है तो हमें इसे देखने में विशेष रूचि लेनी होगी ताकि कम से कम इस पलायन को अब रोक जा सके। कुछ लाख लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। इस पर यथासंभव रोक लगानी होगी ताकि और लोग पलायन न करें और ऐसे हालत पैदा न किये जाएं कि उन्हें पलायन करने के लिए विवश होना पड़े। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके बाद एक अन्य योजना भी है। वहां गरीबी कई कारणों से हैं। मैं कृषि की बात बाद में करूंगा। लेकिन आमतौर पर वहां लोगों की कोई आय नहीं है तथा इसी कारण वहां पर गरीबी है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आपके साधन जुटाते हैं तो गरीबी कम होगी और इसी विशेष उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। हम एक ढेड़ या दो वर्ष में लगभग पांच या छह लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर सकेंगे लेकिन यदि समस्या पर विचार करें तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन इसे यह हमेशा ऊंट के मुंह में जीरे के समान नहीं मानना चाहिए। यह इस योजना का और अधिक विस्तार किया जा सकता था और यही मेरी शिकायत है।

इस वर्ष उन योजनाओं के लिए बजटीय व्यवस्था को कम कर दिया गया है जिनका उद्देश्य विकास करना अथवा ये योजनाएं 1994 या 1995 की तरह सके नहीं। कारण सीधा सा है। शायद वे इन योजनाओं की प्रकृति को नहीं समझ सके हैं जोकि आवश्यक तौर पर प्रति वर्ष बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं किया गया है। अतः जो योजना प्रधान मंत्री के नाम पर शुरू की गई थी न कि क, ख, अथवा ग के नाम पर—हम जानते हैं कि प्रधान मंत्री अस्थाई रूप से उस पद पर रहता है इसलिए किसी नाम विशेष में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए—इसीलिए योजना का नाम प्रधान मंत्री रोजगार योजना दिया गया। कालाहांडी जिले जोकि अति पिछड़ा जिला माना जाता है में मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि वे बासमती चावल की फसल उगा रहे हैं। मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन मुझे उन्होंने यह सब बताया "हां, यहां बासमती की पैदावार की जा रही है।" चाहे यह कोई और राज्य होता तो प्रचार के नाम पर कालाहांडी इसके बजाय किसी और चीज के लिए सम्पूर्ण देश में प्रसिद्ध हो गया होता। पर कालाहांडी की क्षमता है। हम कुछ नवयुवक और नवयुवतियों से मिले जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाख [illegible] अथवा 80,000 रुपये अथवा 70,000 रुपये की सहयाता दी गई। एक नवयुवक ने बताया कि महोदय "मैं ऐसा काम कर रहा हूं जोकि भारत में कहीं भी कोई और नहीं कर रहा है।" मैंने पूछा, "वह कौन सा काम है?" उसने कहा "अलास्टियन" कुत्ते की नस्ल तैयार कर रहा हूं।" यह सत्य है। शायद भारत में कहीं भी उस जैसा गरीब लड़का ऐसा नहीं कर रहा है। उसका कहना है :

[हिन्दी]

दो साल में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। अपना पूरा कर्जा अदा कर दूंगा।

[अनुवाद]

उसे पूर्ण विश्वास था कि उसे पूर्णतः कर्ज मुक्त होने, ऋण मुक्त होने में दो वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा। यद्यपि प्रधानमंत्री रोजगार योजना केवल दो वर्ष के लिए नहीं है। यह लंबी अवधि के लिए है। अतः लोगों की तरफ से पहल हो रही है। एक किसान के रूप में कह सकता हूं कि यहां सभी क्षेत्र में भूमि वास्तव में अच्छी है। बरहामपुर में मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि भूमि अच्छी है बशर्ते कि आप जानते हों कि कौनसी फसल कैसे बोई जा सकती है।

श्री मिश्र जी अब मैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं। बरहामपुर में हम क्या कर रहे हैं? वे चावल की फसल पर जोर दे रहे हैं। वहां नहरे नहीं है। उन्हें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। उस क्षेत्र में अधिकांश भूमि वर्षा सिंचित है—इसका अभिप्राय है कि हर 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन पर वर्षा होनी जरूरी रही है। अन्यथा वहां फसल कम होती है। जब मैं वहां गया और उस क्षेत्र का निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि कटाई संभव नहीं हैं। यहां तक कि कटाई करना उचित भी नहीं है। उन्हें वहां पर कटाई की कीमत भी वसूल नहीं होगी। पशुओं को वहां पर चरने के लिए छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वहां पर ऐसी हालत है।

मैं श्री मिश्र को सूचित करना चाहता हूं कि वहां पर उनके वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत कुछ किया जाना है। उड़ीसा विशेषतः राज्य के उन क्षेत्रों की जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, मुख्य आवश्यकता यह है कि वहां के कृषकों को बताया जाय कि कौन सी फसल पद्धति अपनाने से अत्यधिक लाभ उठाया जा सकता है। देश के सभी प्रगतिशील क्षेत्रों के कृषकों ने यह कार्य किया है। उन्होंने यह स्वयं किया है। प्रत्येक किसान का खेत अनुसंधान केन्द्र ही है। कृषक अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष भिन्न फसलें उगाते हैं परन्तु यह कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है क्योंकि किसानों को वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती है। किसान सिर्फ अनुभव के आधार पर फसलों का चयन क्षेत्र के अनुरूप करते थे।

वे बरहामपुर में क्या उगा रहे हैं? वे आई.आर.8 उगा रहे हैं। इसमें कितना समय लगता है? इसमें चार से साढ़े चार महीने लगते हैं। मुझे सूचित किया गया है कि उड़ीसा में कटक अनुसंधान केन्द्र द्वारा लगाई गई एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था कि सम्भवतः हीराकुड अथवा किसी अन्य चीज से एक बीज जिसका नाम हीरा है विकसित किया गया है। मैंने कहीं भी हीरे का प्रयोग नहीं देखा है जिसकी फसल 75 दिन में तैयार हो जाती है अथवा आई.आर. 8 नहीं देखा है जिसकी फसल 95 दिन में तैयार हो जाती है। अगर इस प्रकार की अज्ञानता को दूर नहीं किया जा सकता है तो उस गरीब क्षेत्र में क्या हो सकता है?

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में खेतों में इस प्रकार का बीज देखने को नहीं मिलता है। हमारे कृषि अनुसंधान केन्द्र इस प्रकार के दर्जनों बीज विकसित कर रहे हैं और कृषक उनका प्रयोग कर रहे हैं। कुछ प्रगतिशील कृषक इस प्रकार के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं और कभी-कभी उनको आढ़े हाथों भी लेते हैं कि आपने जो दावा किया था वह सही नहीं पाया गया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि बीज उत्तम नहीं है। इस प्रकार से किसानों और वैज्ञानिकों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। इसी कारण से कृषि का विकास हुआ है। इन सब बातों के चलते ही हम आत्मनिर्भर हो पाए हैं। इनके चलते ही हरित क्रान्ति आई है। दुर्भाग्यवश, उक्त क्षेत्र में हरित क्रांति अथवा उसकी प्रेरणा का कोई भी अंश नहीं देखा जाता है। यह उपजाऊ प्रदेश बन सकता है।

उड़ीसा एक और उपजाऊ प्रदेश बन सकता है। यह राज्य किसी भी अन्य राज्य की तुलना में क्षमताओं की दृष्टि से कम नहीं है। आप अगर सिर्फ 65 प्रतिशत ही पानी उपलब्ध कराते हैं जो कि काफी कम है तो क्या हो सकता है? बंगाल की खाड़ी में 65 प्रतिशत जल बह कर चला जाता है। इसकी तुलना में कावेरी नदी का 5 प्रतिशत जल भी बर्बाद नहीं होता है और कृष्णा नदी का भी बहुत कम जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। जहां तक गोदावरी नदी का प्रश्न है, उसमें एक कठिनाई है क्योंकि जहां पानी है वहां भूमि नहीं है और जहां भूमि है वहां पानी नहीं है। इसलिये, गोदावरी के जल का कुछ हिस्सा तो समुद्र में जायेगा ही। परन्तु, अगर गोदावरी नदी पर एक या दो विशाल परियोजनाएं पूरी की जाती हैं जो कि वर्तमान में तकनीकी कारणों से रुकी हुई है तो संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है।

इसलिये, मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा के अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु क्या किया जा रहा है जो इस समय समुद्र में बहकर जा रहा है? इसलिये, यह करना अति आवश्यक है।

अब मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में लिये गए दीर्घकालिक उपायों पर आता हूं ताकि उड़ीसा में व्याप्त भीषण गरीबी समाप्त हो जाए। मैं किसी अन्य राज्य बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अन्य राज्य धनवान हैं। ऐसा कतई नहीं है। परन्तु, उड़ीसा में तुलनात्मक दृष्टि से गरीबी काफी अधिक है जो बर्दाश्त के बाहर है। किसी भी प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और हमें यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिये।

महोदय, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि उड़ीसा के भीतरी भागों में बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति काफी चिन्ताजनक है और बहुत कुछ किया जाना चाहिये। वे पिछले एक डेढ़ साल में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, परन्तु फिर भी स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति चिन्ताजनक है और उचित ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि लोग निर्धन हैं। आप उनको हर वस्तु उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। इसलिये, मैं निवेदन करता हूं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। उनको आजीविका के साधन उपलब्ध कराइये। अगर प्रत्येक वर्ष बच्चे पलायन करते रहेंगे और वापस आते रहेंगे तो किसी

भी बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी। इससे अधिक क्या हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे अनपढ़ ही रह जायेंगे। उनको सूरत अथवा किसी अन्य स्थान पर कौन उड़िया पढ़ायेगा? यह सम्भव नहीं हैं। इसलिये, आप उन परिवारों को उजाड़कर उनके लिये अथवा उनके बच्चों को देश के उत्तम नागरिक बन पाने में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। वे बच्चे अपने माता-पिता की भांति सिर्फ मजदूर ही बन पायेंगे। इसलिये, इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिये।

अब मैं जिलास्तरीय योजना पर आता हूं। यह किया नहीं जा रहा है। वे प्रयास कर रहे हैं परन्तु यह व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिये। हो सकता है कि कभी-कभार भारत सरकार की सलाह और निगरानी की जरूरत हो। लगभग 15 दिन पूर्व मुझे सूचित किया गया था कि ये कार्य आरम्भ किये जाने हैं। यह उन्होंने व्यक्त किया है। कम-से-कम दो कलेक्टर ने यह बताया था कि हम अगले कुछ दिनों में आरम्भ करने वाले हैं। सदस्यों ने मुझे सूचित किया है कि पलायन आरम्भ हो चुका है। बरहामपुर में मुझे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। वे मुझे बताते हैं कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए जाते हैं तो पलायन आरम्भ हो सकता है। मैंने कहा था कि कृपया तत्काल कदम उठाइये ताकि पलायन रोका जा सके। अन्य जिलों में स्थिति अधिक चिन्ताजनक है। इसलिये, पलायन आरम्भ हो चुका है। हमें मालूम नहीं है कि कार्य आरम्भ हुए हैं अथवा नहीं।

क्या माननीय मंत्री सूचित करेंगे कि कार्य आरम्भ हो चुके हैं और क्या वर्तमान में भी पलायन की सम्भावनाएं विद्यमान हैं? ...**(व्यवधान)** फिर इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : यह मंत्रालय में ही पड़ा हुआ है। अब तक धन नहीं पहुंचा है।

[हिन्दी]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आप तो ऐसे ही कहेंगे।

श्री बीजू पटनायक : आप ही का गवर्नमेंट चलता है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह गम्भीर मामला है। आप इस संबंध में तत्काल जिलावार ब्यौरा मंगवाइए ताकि मालूम चले कि कौन से कार्य आरम्भ हो चुके हैं।

[हिन्दी]

आप कुछ कहेंगे?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : यह सच नहीं है कि कोई काम शुरू नहीं हुआ है। यह जरूर है कि देर से काम शुरू हुआ है। अभी मैं गया था, वहां मुख्य मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे तथा कृषि मंत्री भी थे। सभी ऑफिसर्स की बैठक हुई, उसमें उन्होंने काम शुरू किया है। इतना जरूर है कि देर से शुरू हुआ है। हमारी सूचना के मुताबिक सबसे जरूरी जो पीने का पानी है,

[अनुवाद]

हमारी जानकारी के अनुसार, बोलंगीर के कुछ क्षेत्रों में 3,600 कुएं पेयजल हेतु खोदे जा चुके हैं। लगभग 4,000 लिफ्ट सिंचाई के प्वाइंट चालू किये जा चुके हैं।

[हिन्दी]

...**(व्यवधान)** आप कह सकते हैं।...**(व्यवधान)** आप लोग रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, तो घास-वृक्ष से लाते हैं या आफिसर से लाते हैं। हम भी वही काम किए हैं। आफिसर लोग गए हैं। देखा है, कुछ जगहों को। सब को नहीं देखा है। आप तो बहुत दिनों तक प्रधान मंत्री रह चुके हैं और मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। अगर आप लोग हैवन से रिपोर्ट लाते हैं, तो हम भी वहीं से रिपोर्ट लाए हैं। यह बाद में देखा जाएगा कि कितनी सत्य है या असत्य है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनके द्वारा कहे गए शब्दों की विश्वसनीयता के कारण ही आग्रह कर रहा था। उन्होंने जो कुछ भी सभा को सूचित किया है, हमें वह सच ही मानना होगा क्योंकि अगर वह सब कुछ सच नहीं है तो इसमें हर्ष की कोई बात नही है।

हमको पलायन पर दुखी होना चाहिये और इसे रोकना चाहिये। अगर पलायन रूक जाता है और कार्य प्रारम्भ हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी।

पूर्व में कई बार केन्द्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों पर चर्चा हो चुकी है। मैं इसका साक्षी हूं। मेरी उपस्थिति में ही 'क्लक्टरों' के सम्मेलन में जोर दिया गया था कि इन पिछड़े क्षेत्रों में काफी समय से अनेक पद रिक्त पड़े हैं। एक माननीय सदस्य ने अभी चिकित्सकों के बारे में बताया था। न केवल चिकित्सकों, कम्पाउन्डरों, आदि, के बल्कि विकास से संबंधित काफी पद रिक्त पड़े हैं। यदि ऐसा केवल पर्यवेक्षणीय पदों के संबंध में होता, तो मैंने इसकी परवाह नहीं की होती। वे पद विकास कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से संबंधित है। अतः, यदि आप उनको रिक्त रखते हैं, तो कुछ भी काम नहीं होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसके बारे में राज्य सरकार को बताना पड़ेगा। मैंने उस बैठक में भी इस पर बल दिया था लेकिन शायद उन्हें कुछ कठिनाई होगी।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निश्चित रूप से उन्हें कुछ कठिनाई है। ऐसा नहीं है कि लोग वहां इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे

जाना नहीं चाहते; लेकिन उनकी आवास की, भत्ते की आदि की कोई विशेष कठिनाई है। सरकारी कर्मचारियों को अपनी नियुक्तियों को गम्भीरतापूर्वक न लेने के और जहां उनकी नियुक्ति हुई है वहां न जाने के पीछे कई कारण है। अब, यह उड़ीसा के संदर्भ में सफलता और असफलता के बीच लाइन में यह अन्तर हो सकता है। यह एक बार अथवा दो बार उल्लेख करके भुला दिए जाने वाला मामला नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इसकी जिलेवार विस्तृत जांच करनी हो।ी। हो सकता है कि हमें जाकर पता लगाना पड़े। मैंने अपने जिले, बरहामपुर से इसका पता लगाने का प्रयास किया, कि वहां वास्तव में क्या हो रहा था, कितने पद रिक्त थे, उन्हें क्यों नहीं भरा गया और किस तरह के पद रिक्त पड़े थे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक जिले में इसका पता लगाना होगा।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : इस स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है कि अधिकारी वहां नही जाते?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आपके अनुसार, कौन उत्तरदायी है? ...**(व्यवधान)**

श्री जगमोहन : ऐसा वहां अवसंरचना प्रदान करने के लिए राजनैतिक नेताओं द्वारा ध्यान न दिये जाने के कारण है। तीस-चालीस वर्षों तक इस संबंध में निर्णय कौन ले रहा था?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, हम तीस चालीस वर्षों के इतिहास में नहीं जाना चाहते। हमारे पास इसके कई उत्तर हैं। वह प्रश्न नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री जगमोहन : यदि चालीस वर्षों तक सरकार अवसंरचना प्रधान नहीं कर सकी ...**(व्यवधान)**

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं कतिपय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूं। शायद, उनको यह भी नहीं पता कि वे कहां हैं। मैं एक विशेष विषय के बारे में बता रहा हूं। हमें सामान्यीकरण और राजनीतिकरण करके इसे हास्यास्पद नहीं बनाना चाहिए।

श्री जगमोहन : अवसंरचना किसने प्रदान नहीं की?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जो कुछ प्रयास किया गया है, आप उसको नजर अंदाज कर रहे हैं। जहां भी जिस सीमा तक जो प्रदान किया जा सकता था, वहां उतना प्रदान किया गया है। अन्यथा, आप तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत आज कहां होता। अतः, कृपया उसमे न जाइए। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

विकास एक सतत प्रक्रिया है। आवश्यकताओं में वृद्धि एक निरन्तर प्रक्रिया है। वर्ष 1947 में भारत की जनसंख्या क्या थी? आज जनसंख्या कितनी है? हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि हम अभी भी जनसंख्या में वृद्धि के पीछे भाग रहे हैं? हम इसको रोकने में सफल नहीं हुए हैं। इसे आज रोक दीजिए और कल एक देश की एक विशेष जनसंख्या के लिए आपके पास एक विचित्र कार्यक्रम हो सकता है। ऐसा अन्य देशों में किया गया है। हम विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं कर पाये हैं।

इसलिए मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, बचाव के रूप में नहीं बल्कि एक तथ्य के रूप में। इसलिए हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है, हमें एक विशेष स्थिति का युद्धस्तर पर सामना करना है। मैं नहीं जानता कि युद्ध स्तर क्या है। युद्ध स्तर से मेरा अभिप्राय सरकार के सभी विभागों में अच्छे समन्वय कार्यक्रम का होना है। हमारी सरकार ने, चाहे केन्द्र में हो, अथवा राज्यों में लोगों के लिए आवश्यक किसी कार्यक्रम को छोड़ा नहीं है। आवश्यकता है समन्वय की, समय पर कार्यवाही करने की, सघन क्रियान्वयन की, और निगरानी की। ये चार चीजें हैं जिन पर कोई लागत नहीं आती बल्कि इसके लिए सिर्फ थोड़े प्रयास की आवश्यकता है।

महोदय, जो कुछ सरकार ने कहा मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। इन क्षेत्रों में इन उपायों की आवश्यकता है : सूखा रोकना। सूखा रोकना एक बहुत अच्छा और व्यापक शब्द है। लेकिन सूखा रोकने के लिए 10,12 अथवा 20 कार्यक्रम ऐसे बनाए जाएं कि सभी में पूर्ण समन्वय हो। केवल तभी सूखा रोकना संभव है। दूसरी बात है भरपूर विकास। सूखा रोकना तथा भरपूर विकास के दो उद्देश्य हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि भारत के किसी भी क्षेत्र में भरपूर विकास हुआ है। ऐसे भी गांव हैं जहां उन्हें किसी और विकास की आवश्यकता नहीं है। अतः, उन्होंने अपना समय पूर्णतया राजनीति पर लगाया है। ऐसे भी क्षेत्र और ब्लाक हैं, ऐसे गांव हैं। इस तरह भरपूर विकास तो हुआ लेकिन सभी स्थानों पर नहीं। इन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पडता कि आप यहां से अथवा भुवनेश्वर से कितना धन व्यय करते हैं, जब तक व्यक्ति स्वयं को वित्तीय तथा आर्थिक रूप से गुजारा नहीं कर सकता, तब तक यह कहना संभव नहीं है कि वह इस समाज में स्वयं के लिए एक लाभप्रद इकाई बन सकेगा। वर्तमान परिस्थितियों में, वह केवल कतिपय परिस्थितियों में ही समाज की एक लाभदायक ईकाई बनेगा, बशर्ते कि ये आदान उसको समय पर और कारगर ढंग से प्रदान किए जायें। मुझे केवल यही कहना है।

अतः, मैं श्री मिश्रा जी को एक और बात बताना चाहता हूं। उड़ीसा में कई क्षेत्र बागवानी के लिए आदर्श क्षेत्र हैं। यदि आप उड़ीसा में पांच लाख एकड़ भूमि अथवा दो लाख एकड़ भूमि में बागवानी का कार्यक्रम लें तो मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि दस वर्ष पश्चात यह कितना लाभप्रद होगा। मैंने श्री के.पी. सिंह देव का निर्वाचन क्षेत्र देखा है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं। भले ही मैं वहां वोट के लिए क्यों न जाऊं मैं वहां की भूमि देखता रहता हूं।

मैंने वहां की भूमि भी देखी। वहां की जमीन और मृदा बिलकुल दोषरहित है। उदाहरण के लिए मुझे वहां की जमीन पर एल्कलिन भू-भाग पर नहीं दिखाई दिए। आन्ध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर

आपको ऐसी भूमि दिखाई देगी। चूंकि उड़ीसा में ढलाई वाली भूमि है, सभी नदियां वहां से बहती है। शायद उन नदियों के कारण एल्कलिन भूभाग उत्पन्न नहीं होते और वे समुद्र में बह जाते हैं।

मैंने देखा कि उड़ीसा में भूमि किसी भी तरह से घटिया नहीं है और कई मामलों में कुछ अन्य राज्यों की तुलना में वहां खाद मिटटी का तत्व अधिक है तथा वह अधिक उपजाऊ है। मैं ये कुछ बातें कहना चाहता हूं। उड़ीसा में वर्षा पर आधारित क्षेत्र कृषि के लिए समस्या बन गये हैं।

अतः, ये कुछ बातें हैं। उड़ीसा में वर्षा पर आधारित क्षेत्र कृषि के लिए समस्या बन गये हैं। कई अन्य राज्य भी हैं जहां 20-25 वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति थी; लेकिन उनकी परिस्थितियां बदल गई है और वहां अब वर्षा पर आधारित क्षेत्र अधिक नहीं है। लेकिन वहां पिछड़ापन कितना है अथवा वहां पिछडापन का पता इस बात से चलता है कि वर्षा आधारित क्षेत्र उड़ीसा में बहुत है। मैं इन बातों पर प्रकाश डालना चाहता था।

मुझे विश्वास है कि जो भी कार्यक्रम तुरन्त प्रारम्भ किए जाने हैं, उन्हें प्रारम्भ किया जायेगा। यदि उनको प्रारम्भ नहीं किया जाता है, तो हम सभी को उन्हें शुरू करने का अनुरोध करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों के जीवन में प्रत्येक दिन का महत्व है जो भूखे मर रहे हैं अथवा जिनके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं; और यदि इसे एक बिन्दु से परे जाने दिया गया तो उनका अपने लिए अथवा अपने परिवारों के लिए कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। सूखा की स्थिति के ये खतरे हैं। मुझे आशा है कि हम सभी, राजनैतिक संबंद्धता अथवा अन्य किसी बात को देखे बिना, इसे हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेंगे।

जहां तक भूमिगत स्थिति का संबंध है उड़ीसा भूमिगत सम्पदा में सर्वाधिक धनी राज्य हैं। खनिज सम्पदा अद्‌भुत वस्तु है। इसके पास अत्यधिक खनिज सम्पदा है जिसका उस सीमा तक दोहन नहीं किया गया है जहां तक किया जाना चाहिए और हो सकता है कि अगले 25 वर्ष या 30 वर्ष पूरे ध्यान और पूरे संसाधनों के साथ, यदि उड़ीसा का दोहन किया जाये, तो यह भारत का सर्वाधिक पिछड़ा नहीं रहेगा बल्कि इसकी गणना अग्रिम पंक्ति के राज्यों में होगी; और मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

उड़ीसा के पास 10 से 12 मेगावाट विद्युत क्षमता है। लेकिन यह अब कहां है? वे कुछ गर्व के साथ कहते हैं कि उड़ीसा में इसका आधिक्य है। हां यहां आधिक्य है। यहां आधिक्य क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

हांलाकि दो दो 'पटनायकों' द्वारा संघर्ष करने के बावजूद उड़ीसा में औद्योगिकीकरण कार्यक्रम अभी प्रक्रियारत नहीं हुआ है।

श्री बीजू पटनायक : एक ही 'पटनायक' संघर्ष कर रहा है। दूसरा नहीं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : वह आपसे अधिक संघर्ष कर रहे हैं।

जहां तक विद्युत उत्पादन का सम्बन्ध है, वहां की क्षमता का विस्तार करना होगा। यह केवल उड़ीसा के बारे में ही नहीं है। हमें बिजली की आवश्यकता है, पूरे देश को बिजली की आवश्यकता है। उन्हें विद्युत की नितान्त आवश्यकता है। ऐसे बहुत से राज्य थे जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक जहां बिजली आवश्यकता से अधिक थी। उन्हीं राज्यों में आज हमारे पास बिजली की कमी है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां हर कोई यह सुनिश्चित करने के लिए अपना अपना कर्त्तव्य कर सकता है कि बिजली का उत्पादन हो। खनिजों का भण्डार तो यहां पर्याप्त है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि सूखा एक प्रकार का नहीं है और यह एक दिन के लिए नहीं आता। इसका कोई एक कारण नहीं है या कोई एक कार्यक्रम नहीं है कि जिसका निराकरण कर दिया जाए। अतः इसका समाधान और निराकरण भी इन सब चीजों को मिलाकर ही किया जा सकता है। यह एक जटिल समस्या बन गया है। गरीबी की समस्या उड़ीसा में ऐसी समस्या है जिस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है और यह तभी हो सकता है जब हम उड़ीसा के विकास के लिए एक बहुविध कार्यक्रम तैयार करें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद बोलना बहुत कठन है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी कह रहे हैं कि हाउस कितनी-कितनी देर चलेगा, यह तो हाउस पर डिपैंड करता है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : जब भी हम पूर्वी क्षेत्रों की समस्या पर विचार करने लगते हैं, हमारे पास समय और धन की कमी हो जाती है और हमारे पास सब कुछ समाप्त हो जाता है। यही इस समस्या का कारण है। उस दिन जब इस पर चर्चा आरम्भ हुई तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु जैसे ही हम बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों की समस्या पर चर्चा करने लगते हैं तो दुर्भाग्य से निधियों का अभाव हो जाता है, समय नहीं होता और अन्य कार्य होते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : टाइम तो मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आपने ही फैसला करना है।

[अनुवाद]

आपको ही फैसला करना है। ...(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय, कल शुक्रवार है। ऐसा करते हैं आज ही दो तीन घंटे और बैठकर काम पूरा कर लेते हैं ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जेना जी, आप क्या चाहते हैं?

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है और सदस्य इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। उन्हें इसमें भाग लेने दें और यदि आप समय बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक सदस्यों को समय दे सकते हैं तो दें। प्रधानमंत्री कल चर्चा का उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय तो पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

[हिन्दी]

दो घण्टे का समय था, वह तो हो गया।

श्री श्रीकान्त जेना : कल प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस चर्चा को आज ही सम्पन्न करना चाहते हैं- मैं आपसे यही जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : प्रधानमंत्री चर्चा का उत्तर देंगे परन्तु इससे पूर्व यदि कृषि मंत्री आज चाहें तो आज, नहीं तो कल बोल सकते हैं। परन्तु प्रधानमंत्री कल इसका उत्तर देंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : यदि प्रधानमंत्री जी कल बोलेंगे तो अच्छा है कि मैं आज ही अपने विचार व्यक्त कर दूं।

श्री शरत पटनायक : यह कैसे सम्भव है। आज तो बोलने वाले सदस्यों की संख्या काफी है।

श्री श्रीकान्त जेना : इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया था कि माननीय सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए समय बढ़ाया जाए। उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए और चर्चा के अन्त में इस विषय पर कृषि मंत्री जो भी कुछ कहना चाहें, कहें।

श्री चतुरानन मिश्र : यदि आप इसे कल के लिए निर्धारित करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुझे दूसरे सदन में भी जाना है। इसीलिए मैं यह कह रहा था कि वे कल बोल लेंगे। मैं आज अपने विचार व्यक्त कर लेता हूं।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : आप आज ही बोल सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं तो बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं परन्तु जवाब तो उन्हें ही देना है। हम उस तरह काम चला सकते हैं और अगर आप चाहें तो मैं उनके भाषण के बाद बोल लूंगा। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हाऊस कब तक चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी छः बजे बता दूंगा। यह तो आपको तय करना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय मैं पूर्व वक्ता द्वारा उल्लिखित दो मुद्दों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास है। पिछली सरकार ने इसे सीधे प्रधानमंत्री के अधीन रखा था और उसके बाद सर्वाधिक भयावह सूखा पड़ा और समस्याएं उठ खड़ी हुई। यदि यही इसका परिणाम है तो मैं प्रधानमंत्री को इसे सीधे अपने नियंत्रण में नहीं लेने को कहूंगा।

हम इसके कारणों पर चर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि यह तो सब जानते हैं कि उड़ीसा खनिज संसाधनों में धनवान है और निर्धनतम लोग यहां रहते हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा की भी यही नियति है। यह पूर्वी क्षेत्र के प्रति कई दशकों के अपेक्षापूर्ण रवैय और निर्मम शोषण का परिणाम है। इसी शोषण के कारण और पूर्वी क्षेत्र की कीमत पर उड़ीसा आज पीड़ा के दौर से निकल रहा है।

दूसरे, उड़ीसा विधानसभा के चुनावों से पूर्व पिछले वर्ष के.बी.के. की घोषणा की गई थी। यह सब तो चुनावों के लिए हुआ क्योंकि इससे पूर्व कोई परियोजना प्रक्षेपित नहीं की गई और योजना के अन्तर्गत कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया।

श्री शरत पटनायक : 1993 में जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोलंगीर और कालाहांडी का दौरा करने गए थे, तब उन्होंने के.बी.के. कार्यक्रम की घोषणा की थी।

श्री हन्नान मोल्लाह : इसका क्या परिणाम हुआ? इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया।

श्री शरत पटनायक : आप चुनावों की बात कर रहे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूं कि उन्होंने वर्ष 1993 में इसकी घोषणा की थी।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं इस सच्चाई की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और केवल सच्चाई पर दृष्टिपात नहीं

करता। हम देश की एकता और अखण्डता की बात करते हैं परन्तु इसके साथ-साथ हम जानबूझ कर अपनी भूमि के कुछ फूलों को सूखने देते हैं। जब तक ऐसा रवैया नहीं बदलता, सूखा बार-बार पड़ता रहेगा। पहली तो यह आपत्ति मैं सभा में व्यक्त करना चाहता हूं। इस क्षेत्र के प्रति दशकों से अपनाए जा रहे उपेक्षापूर्ण रवैया को त्यागने का अवसर आ गया है।

यह पहली समस्या है।

अनेक माननीय सदस्यों ने अन्य समस्याओं की ओर भी पहले ध्यान दिलाया है। आप जानते हैं कि कुल 30 जिलों में से, 27 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इस बार वर्षा की कमी की समस्या से यह संख्या बढ़ सकती है। परन्तु सिंचाई को क्या व्यवस्था है? जब अंग्रेज यहां से गए उड़ीसा की 11 प्रतिशत भूमि सिंचित होती थी। उसके 50 वर्षों के बाद हमारे पास सिंचाई के अधीन कितनी भूमि है। यह केवल 30 प्रतिशत है, 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत है। उड़ीसा में यह 30 प्रतिशत से भी कम है। कितना विकास हुआ है? इसका अर्थ है हमने निरन्तर सिंचाई की उपेक्षा की है चाहे यह राज्य सरकार द्वारा हो अथवा केन्द्र सरकार द्वारा। जैसा कि मैंने कहा है, केन्द्र की कार्य-प्रणाली यही है। यह भी एक कारण है।

सभी सदस्यों ने खाद्यान्न की कमी का उल्लेख किया है। अब आपको यह निर्णय लेना है कि उन लोगों को खाद्यान्न कैसे उपलब्ध करवाया जाये। वहां इकत्तालीस लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आने वाले महीनों में वे कैसे जीवित रह पायेंगे? कृषि मंत्रालय को इस बारे में विचार करना चाहिए। यहां मंत्रियों के साथ बैठे प्रधानमंत्री को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए कि आने वाले महीनों में इन 41 लाख परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए जो कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। उड़ीसा में कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं है। वहां उचित दर दुकानें नहीं है। वहां उपयुक्त राशन कार्ड नहीं बनाए गए हैं। आप उन्हें खाद्यान्न कैसे देंगे? यदि पूरी प्रशासनिक प्रणाली ने तत्काल कार्य आरम्भ नहीं किया तो और अनेक लोग मर जायेंगे। सौ से दो सौ लोग पहले ही मर चुके हैं। कालेज के विद्यार्थी मुंबई चले गए हैं। वे अपनी पढ़ाई के कारण मुंबई चले गए हैं। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, उनका शोषण किया जा रहा है। उस स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही मजबूत बनाना चाहिए। हमें देखना है कि इन्हें खाद्यान्न कैसे उपलब्ध कराया जायें। उनको घास खाने से रोकना चाहिए। वे जड़ें खा रहे हैं। वे दूषित पानी पी रहे हैं। वहां स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के खतरे हैं। जो लोग पीछे रह गए हैं उनमें महिलायें, बच्चे और बूढ़े लोग हैं। वे दुर्बल हैं। दो लाख से अधिक स्वस्थ लोग उड़ीसा छोड़कर देश के अन्य भागों में चले गए हैं। कमजोर बच्चे, महिलायें और बूढ़े ही प्रकृति की अनिश्चितता का सामना करने को रह गए हैं। हम नहीं जानते कि वे लोग कैसे जी पायेंगे, यदि उनके लिए तत्काल भोजन, पीने के पानी और दवाओं का इन्तजाम न किया गया। सम्बन्धित मंत्रियों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तत्काल बातचीत करनी चाहिए। अन्यथा, हजारों लोग मर जायेंगे। हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं।

हमें लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन तत्काल रोकना है। हमें उनके लिए काम का इन्तजाम करना है। वहां 60 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं। उनमें से अधिकतर कृषक हैं। वे कहां काम करेंगे? श्री नरसिंह राव ने पहले कुछ योजनाओं के बारे में उल्लेख किया था। वहां ये सभी योजनाएं हैं। लेकिन उन्हें सही तरीके से कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है? इन योजनाओं को सही तरीके से कार्यान्वित किया जाना है। तभी कृषकों को काम मिल सकता है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष यह कहा है कि यदि उन्हें कृषकों को काम देना है तो उन्हें 500 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। यदि यह बजट का हिस्सा नहीं है और यदि आने वाले पूरक बजट में कोई अतिरिक्त बजटीय समर्थन नहीं दिया जाएगा तो यह धन कहां से जुटाया जायेगा।

यह एक शुभ लक्षण है कि आपने राहत निधि से धन प्रदान किया हैं। यह राहत प्रदान करने का प्रश्न नहीं है। हमें किसी की दया या राहत नहीं चाहिए। यदि यह धन प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की तो 500 करोड़ रु. कभी प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। केवल चर्चा के बाद ही ऐसा किया जाएगा। इसलिए, मैं चाहता हूं कि सरकार को एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि इन लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए जून तक कृषकों को काम देने और लोगों का एक राज्य से पलायन रोकने के लिए यह 500 करोड़ रु. कहां से आयेंगे।

इन कृषकों की समस्या गंभीर है।

अपराह्न 6.00 बजे

पचास प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है। छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान और यहां तक कि धनी किसान भी बहुत दुःखी हैं। उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति की राशि उन्हें दी जा सकती है चाहे वह फसल बीमा योजना के द्वारा हो अथवा किसी अन्य योजना के द्वारा हो, वह कृषि मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति की राशि की घोषणा सदन में की जानी चाहिए। यदि यह तत्काल सम्भव नहीं है तो सरकार को आने वाले महीनों में कृषकों और प्रभावित लोगों के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

महोदय, सभी योजनाओं की घोषणा पहले ही कर दी गई है। हमें स्वतंत्रता मिले पचास वर्ष हो गए हैं और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे ऐसा कड़ा और उपेक्षित रवैया न दिखायें। यह केन्द्र का अपराधपूर्ण रवैया है। पूर्वी क्षेत्रों को जानबूझ कर नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब समय है कि हम आगे आयें और शपथ

लें कि हम उड़ीसा में एक भी व्यक्ति को मरने नहीं देंगे जैसा कि यहां हर वर्ष हो रहा है। यही हमें करना है। हम यह कैसे कर सकते हैं? हमें एक मास्टर योजना तैयार करनी चाहिए। योजना आयोग को इन सभी के बी के जिलों के लिए और पलामु, रायपुर और कुछ अन्य जिलों के लिए एक पृथक योजना तैयार करनी चाहिए। हमारे देश में 15-20 जिले हैं जो वास्तव में सूखे की स्थिति के शिकार हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास कृषि मंत्री जी के अलावा 10 माननीय सदस्यों के नाम हैं। आप आधा घंटा और बैठना चाहेंगे या कि एक घंटा और बैठना चाहेंगे। अगर पांच-पांच मिनट भी दस आदमी लेंगे तो लगभग एक घंटा तो हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, कल इस समय यह निर्णय लिया गया था कि सभा की बैठक एक घंटे के लिए बढ़ा दी जाएगी और सदस्यों को बोलने के लिए पांच या सात मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा। आज भी ऐसा किया जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कहना चाहता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, ऐसा इसलिए है क्योंकि सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और वे विशेष रूप से अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। वे अपने मुद्दों को न दोहराएं। यही बेहतर होगा। अतः सभा की बैठक का समय बढ़ने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तो सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों : महोदय, सभा का समय दो घंटे बढ़ा दीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी एक घंटा तो हो गया और आगे देख लेंगे।

श्री बीजू पटनायक : यहां तो सभी आराम से बैठे हैं आपको एक-दो घंटे में क्या फर्क पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हाउस से डिसाइड करवाना है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, जो मैं कहना चाहता हूं कि एक मास्टर योजना तैयार की जानी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री को यहां और अभी वचन देना चाहिए कि वे देश के सूखाग्रस्त जिलों के लिए एक मास्टर योजना बनाना चाहते हैं। हम भाषण सुनना नहीं चाहते हैं। वह हम बहुत सुन चुके हैं। हम वास्तव में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के बचाव और विकास के लिए एक ठोस मास्टर योजना तैयार करना चाहते हैं। यह आवश्यक है।

महोदय, एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इन जिलों में लघु क्षेत्र के उद्योग नहीं हैं, बागवानी नहीं होती है और कोई अन्य योजना भी नहीं है। यदि कोई व्यापक योजना हो और यदि केन्द्र सरकार में निगरानी समिति हो और यदि राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों मिलकर योजना क्रियान्वित करें तो हम आशा कर सकते हैं कि सदन में पुनः इस प्रकार की चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे सूखाग्रस्त क्षेत्र को अधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। जैसा कि मंत्री महोदय ने पहले ही कहा है कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है, तो उसे उसी नजरिए से देखना चाहिए।

दूसरा, रोजगार गारंटी योजना के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुदानों की पूरक मांगों के लिए 500 करोड़ रु. प्रदान किए जाने चाहिए ताकि जनू, 1997 तक इन कृषकों और बेरोजगार लोगों को काम मिल सके।

तीसरा, कई महीनों से विधवाओं तथा बूढ़ों को दी जाने वाली पेंशन को बन्द कर दिया गया है। इन गरीब तथा कमजोर लोगों को उनको देय क्षतिपूर्ति की राशि बिना किसी विलम्ब के मिलनी चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तत्काल समाप्त करना चाहिए। देश के इस भाग के लोगों को बचाने के लिए इन गरीब लोगों को कम से कम कुछ महीनों के लिए सस्ता या मुफ्त राशन देना चाहिए।

अन्त में, महोदय 'के.बी.के.' जिलों और कुछ अन्य जिलों के लिए मास्टर योजना की घोषणा की जानी चाहिए जहां ऐसी समस्या बार-बार उत्पन्न होती है ताकि हम भविष्य में सही तरीके से इस चुनौती का सामना कर सकें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) **:** मेरी दृष्टि में उड़ीसा में सूखे के संकट की समस्या उस विशेष राज्य के कतिपय जिलों में अकेले उड़ीसा की ही समस्या नहीं है। यह देखना हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा है कि उड़ीसा को समुचित सहायता मिले ताकि वह अपने समक्ष मौजूद कठिनाइयों को दूर कर सके।

शुरूआत में मैं सदन को उड़ीसा की अर्थव्यवस्था से परिचित करा देना चाहता हूं। महोदय, मेरे पास वहां की अर्थव्यवस्था के कतिपय कठोर द्योतक हैं। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में 33.24 प्रतिशत हिस्सा कृषि का है तथा इससे राज्य की कुल कृतक शक्ति में से लगभग 64 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। वर्ष

के कुल कृषि उत्पादन में करीब 80 प्रतिशत हिस्सा खरीफ की फसल का होता है। यदि हमें इस बात की समुचित जानकारी दी जाये कि राज्य की केवल 30 से 35 प्रतिशत जमीन के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तथा राज्य की मुख्य जमीनें प्रकृति की आंख मिचौली पर निर्भर करती है तो वहां की गंभीर स्थिति का एहसास और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। चूंकि यह उड़ीसा की अर्थव्यवस्था की वास्तविकता है अतः इस राज्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि न केवल वहां के मौजूदा संकट को दूर किया जा सके। अपितु वहां का चहुंमुखी विकास-सामाजिक आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास और अन्य सम्बद्ध मामलों के क्षेत्र में विकास किया जा सके।

मौजूदा स्थिति का प्रभाव उड़ीसा की समग्र स्थिति पर पड़ा है। मेरे विचार से, इसका प्रभाव न केवल उड़ीसा की समूची आर्थिक स्थिति पर ही पड़ा है अपितु कुल मिलाकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इसलिए हम उड़ीसा तथा वहां के लोगों को लेकर काफी चिंतित हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह एक समेकित विकास कार्यक्रम तैयार करे जिससे कि उड़ीसा इस स्थिति से निपट सके।

महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि कुछ दिनों पूर्व हमारे कृषि मंत्री ने जो घोषणा की उसे उद्धृत करता हूं :

> "किसी को भी भुखमरी के कारण मरने नहीं दिया जाएगा।"

यह साहसिक घोषणा वास्तव में सदन की भावनाओं को परिलक्षित करती है। यह न केवल उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति है अपितु इससे सदन की भावनाएं भी प्रतिध्वनित होती हैं। यह सदन के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भावना है। इस सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जो वचनबद्धताएं की थीं उसे वह प्रधान मंत्री के नेतृत्व में करने में सक्षम रही हैं। कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि गरीबी कम होनी चाहिए।

मैंने कतिपय समाचार पत्रों में जो पढ़ा है, उसे यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत में सन् 2005 तक गरीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा। वह वचनबद्धता निश्चित तौर पर प्रधान मंत्री की है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कोई समय नहीं निर्धारित किया गया है, न ही इसने तिथि अथवा वर्ष निर्धारित किया गया है कि तब तक गरीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं कि भारत में गरीबी को सन् 2005 तक समाप्त कर दिया जाएगा। इस घोषणा के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि वह अपने वायदे को पूरा करने तथा देश को उस दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि गरीबी का न केवल उड़ीसा से बल्कि देश के सभी हिस्सों से उन्मूलन किया जा सके।

महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री ने कोरापुट, बोलनगीर और कालाहाण्डी जिलों की के.बी.के. परियोजनाओं के बारे में बहुत स्पष्ट बात कही थी। मैं उस विचार का समर्थन करता हूं कि गरीबी पक्षपात का विषय नहीं होना चाहिए। यदि गरीबी उन्मूलन पर विचार करने का काम संसद का है और यदि प्रधानमंत्री की वही वचनबद्धता है तो इस प्रश्न को लेकर कोई झगड़ा ही नहीं है कि कौन सा कार्यक्रम स्वीकार किया जाना चाहिए और कौन सा नहीं। यह अच्छी बात है कि पूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने कोरापुट, बोलनगीर और कालाहाण्डी परियोजनाओं के बारे में एक घोषणा की थी। परियोजना प्राक्कलन 4,557 करोड़ रु. का था - मुझे नहीं पता कि संसाधनों को जुटाने का कोई वास्तविक मूल्यांकन किया गया था अथवा नहीं - और यह कहा गया था कि इससे वे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी जिनका सामना इन जिलों को करना पड़ रहा है। क्या मैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या यह सच नहीं है कि जब अगस्त, 1995 में उन्होंने के.बी.के. कार्यक्रम शुरू किया था तो उस समय उस वर्ष के लिए केन्द्र का हिस्सा 73 करोड़ रु. का था? और मार्च, 1996 तक वास्तव में राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी? यह राशि केवल 4.24 करोड़ रु. थी।

महोदय, मैं इस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए बाध्य हूं। उन्होंने कोरापुट, बोलनगीर, कालाहाण्डी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में 73 करोड़ रु. देने का वायदा किया था लेकिन उन्होंने राज्य को केवल 4.5 करोड़ रु. ही उपलब्ध कराए। महोदय क्या मैं इस बारे में थोड़ी और कटु टिप्पणी कर सकता हूं? क्या यह किए गए वायदे के प्रति आपराधिक उदासीनता नहीं है? क्या यह खोखला वायदा नहीं है? हां, मैं समझता हूं, कि सार्वजनिक रूप से इसकी तस्वीर अवश्य ही बहुत उत्कृष्ट है। यह 4557 करोड़ रु. की परियोजना थी जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। 1995 में केन्द्र सरकार ने 73 करोड़ रु. का वायदा किया था और दी गई वास्तविक धनराशि सिर्फ 4.5 करोड़ की थी। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो माननीय कृषि मंत्री जो मेरी त्रुटि को ठीक कर सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : यहां तक कि पैसा भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। योजना को अभी भी शुरू किया जाना है।

श्री चित्त बसु : कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि 4.5 करोड़ रु. की धनराशि भी राज्य को नहीं उपलब्ध कराई गई थी। मैं केवल समाचार पत्र की रिपोर्ट का उद्धरण दे रहा था।

मुझे बड़ी खुशी है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया है और वास्तविकता बताई है। ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : सच क्या है?

श्री चित्त बसु : सच यह है कि आपने कुछ भी नहीं दिया है। सच यह है कि आप प्रचार-प्रसार में निपुण हैं। सच यह है कि आप जनता से रिश्ता कमयाब करने में बढ़िया और उत्कृष्ट हैं। सच्चाई यह है।...**(व्यवधान)** उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैं इस सरकार से चाहता हूं कि वह इस परियोजना को छोड़ दे। मैं वह नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप उस योजना को अधर में छोड़ दें, और उसका परित्याग कर दें। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। यदि वह योजना वाकई फायदेमन्द है, यदि उसे वैज्ञानिक दृष्टि से तैयार किया जाता है तो इसे जारी रखना चाहिए और केन्द्र द्वारा उस योजना को यथा संभव हद तक स्वीकार करना चाहिए तथा उसके लिए धनराशि देनी चाहिए।

मैं अपनी बात तीन-चार मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

इस तरह के कार्यक्रम को जिला स्तर पर तैयार करना चाहिए। वस्तुतः यह मेरा अनुभव है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर विशिष्ट रणनीतियां बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक जिले के पास संसाधनों को जुटाने का अपना-अपना तरीका होता है और प्रत्येक जिले की अपनी समस्याएं होती हैं।

अतः, संक्षेप में, मैं कहूंगा कि हमें यह रणनीति और जिला कार्ययोजना न केवल उड़ीसा के मामले में, अपितु समूचे देश के संबंध मे विकसित करनी चाहिए। इस रणनीति में चार बातों पर बल दिया जाना चाहिए।

सबसे पहले कृषि में उत्पादकता वृद्धि, जिसमें पशुधन, मत्स्य उद्योग और कृषि-वानिकी भी शामिल हों, हासिल करनी चाहिए। दूसरे, मूल्य संवर्धन, कृषि उद्योगों के जरिए तथा विविधीकरण से आय में वृद्धि करनी होगी। तीसरे, महत्त्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं, ग्रामीण संस्थाओं जिसमें जिला पंचायतें भी शामिल हों और पंचायतों के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा। चौथे, इस प्रकार की कार्य योजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण सार्वजनिक वितरण और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होने चाहिए।

उस उद्देश्य से तथा जिला स्तर की इस रणनीति और कार्य योजना को तैयार करने के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए एक उपयुक्त अथवा समुचित तन्त्र विकसित करने हेतु पर्याप्त प्रबन्ध किए जाने चाहिए। उस स्थिति में मेरे विचार से हमें एक प्रकार का तन्त्र विकसित करना चाहिए जिसमें चुने हुए जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए; अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं एवं केन्द्रों, उस विशेष जिले की सरकारी एजेन्सियों; गैर-सरकारी संगठनों; उस विशेष जिले के विकास हेतु निगमित क्षेत्र के बड़े औद्योगिक घरानों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों, तथा समाचार माध्यओं को भी शामिल करना चाहिए ताकि विकास कार्यों के लिए जनता में जागरूकता पैदा की जा सके।

अंततः, यह कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब पर्याप्त और उपयुक्त निगरानी तंत्र हो और हमें इस निगरानी तंत्र को विकसित करना चाहिए तथा इसे साल भर काम करना चाहिए ताकि समयसीमा और समय सारिणी का ख्याल रखा जा सके और लागत वृद्धि को टाला जा सके।

मैं चाहता हूं कि यह सरकार किए गए अपने चुनावी वायदों का क्रियान्वयन जारी रखे-चाहे वह इसका क्रियान्वयन समय-समय पर सरकार की घोषणाओं के जरिए करे या फिर अपने उस साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए करे जो इस सरकार की रीढ की हड्डी है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे कभी नहीं छोड़ेगी।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने साथी द्वारा इस सदन में कही गई सारी बातों को बड़े गौर से सुना है। दिए गए सुझाव और सिफारिशें, निःसन्देह, उदाहरणनीय हैं। अब प्रश्न यह है कि 'हम स्थिति का मुकाबला कैसे करते हैं और भविष्य के लिए हम क्या करते हैं?'

नरसिंह राव जी की बात सम्पन्नता के बीच निर्धनता की थी। इसीलिए एक बार जब मैं मुख्य मंत्री था तो मैंने सुझाव दिया था कि "क्या मैं अपनी पृथक वित्तीय निर्भरता रख सकता हूं ताकि आपकी केन्द्र सरकार मेरे समस्त संसाधनों को न ऐंठ सके और मुझे फटेहाल न छोड़ सके?" नरसिंह राव जी और भारत की इस वर्तमान सरकार द्वारा उड़ीसा के संसाधनों से जो कर उगाही की जाती है वह एक साल में 700 करोड़ रु. होती है और उन्हें प्रधान मंत्री से कितना मिलता है - यह 50 करोड़ रु. की मामूली राशि होती है।

इस तरह की आपात स्थिति में 500 करोड़ रु. की आवश्यकता केवल 100,000 श्रम दिवसों के लिए थी, जिसे इस क्षेत्र में भुगतान के लिए दिया जाना था। इस प्रकार आवश्यकता 500 करोड़ रु. की है। मुझे आश्चर्य है कि भारत सरकार अथवा यह राजकोष उत्पाद शुल्क से होने वाली आय के जरिए, अन्य चीजों जैसे हमारे अयस्कों और कोयले से प्राप्त हाने वाली रायल्टी के जरिए थोड़ा सा पैसा गरीबों के भोजन के लिए नहीं दे सकती। यदि हमारी एक पृथक सरकार होती, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं सबसे पहले यही काम करता।

मेरे संसाधन लोगों के लिए हैं। लेकिन भारत सरकार के संसाधन किसके लिए हैं? यह भारत सरकार के लिए ही हैं न कि उस क्षेत्र के लोगों के लिए जहां से वह लाभान्वित होती है। इसीलिए, तब मैंने इसका सुझाव दिया था और जब मैं मुख्य मंत्री था तब मैंने खिन्न होकर एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी को लिखा था जिसमें श्रम दिवसों की कुल संख्या बताई थी तथा उसके लिए आवश्यक पैसे की कुल धनराशि बताई थी। यदि, श्री नरसिंह राव, आपको अच्छी तरह याद हो तो मैंने केवल 125 करोड़ रुपए के लिए कहा था तथा अन्त में मैंने लिखा था कि 'अपने लोगों के लिए मांगने में भी मुझे शर्म नहीं है' - आज तक मुझे श्री नरसिंह राव जी से उसका उत्तर नहीं मिला है। वे हमारे सभी संसाधनों जैसे कोयला, बॉक्साइट अथवा चाहे जो कुछ हो हर चीज से 500 करोड़ से 700 करोड़ रु. प्राप्त करते हैं। क्या आप नहीं प्राप्त करते? यही वजह है कि मैं आवेश में दिखता हूं।

मध्याह्न 6.23 बजे

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

अध्यक्ष, महोदय, उड़ीसा में विपक्ष काफी लम्बे समय से लोगों के बीच जाता रहा और एक जिले से दूसरे जिले में चिल्लाता रहा कि सूखा पड़ने वाला है तथा सरकार को सावधान होना चाहिए तथा जाग जाना चाहिए। मुख्य मंत्री और राज्य के मंत्री जापान गए हुए थे। मैंने कहा था कि यह समय बाहर जाकर विभिन्न देशों में मौजमस्ती करने का तथा इधर-उधर घूमने का नहीं है क्योंक उन देशों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जापान अब कल का जापान नहीं है। लेकिन वे टोक्यो, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर में लम्बे चौड़े सैरसपाटे के लिए जाते हैं और यहां लोग राज्य छोड़कर बाहर जा रहे हैं। जैसाकि कृषि मंत्री ने कहा है, "लाखों की संख्या में लोग धाम की तलाश में अन्यन्त्र कहीं चले गए हैं।"

राजस्व मंत्री यह आग्रह करते रहे और कहते रहे कि सूखे के विशाल लक्षण दिख रहे हैं। मुख्य मंत्री कहते रहे कि यह केवल विपक्ष की कहानी है। आज, विधान सभा में वह कह रहे हैं कि "यह एक राष्ट्रीय आपदा है।" क्या वह अब तक सारे समय सोते रहे थे?

कृषि मंत्री जी की मुलाकात बोलनगीर और कालाहांडी में उन्हीं अधिकारियों के साथ होती है तो वह उनसे सही आंकड़े देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूं और सच भी है कि यदि श्री नरसिंह राव स्वयं अपने क्षेत्रों में जाएं और देखें, सुनिर्मित गंजम में जाकर देखें तो पाएंगे कि साठ प्रतिशत पम्प बेकार और निष्क्रिय पड़े हैं। और कालाहाण्डी तथा बोलनगीर क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से भी अधिक पम्प काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी जो वहां गया हो, इसे पाएगा। हमारी पार्टी के लोग पंचायतों में गए थे और इसकी जांच की थी। उन्होंने कहा कि 'किसके जरिए हम इसकी जांच करें?' हमारी पार्टी के लोग एक जगह से दूसरी जगह गए और उन्होंने मुझे एक पूरी रिपोर्ट दी है, जो मेरे पास है। जिसके अनुसार 80 प्रतिशत पम्प काम नहीं कर रहे हैं और उनकी मरम्मत की जानी है। क्या उनकी मरम्मत बारिश के बाद की जाएगी? आप देखिए, इस तरह तो सब कुछ हो रहा है। मैं यह सब देखकर बहुत दुःखी हूं।

सरकार तो आती-जाती रहती है। नरसिंह राव प्रधान मंत्री थे अथवा आज कोई दूसरा भी प्रधान मंत्री हो सकता है और कल को कोई तीसरा भी प्रधान मंत्री बन सकता है। सवाल वह नहीं है। सवाल यह है कि सरकारी मशीनरी को काम करना होगा और मशीनरी तभी काम कर सकती है जब ऊपर बैठे लोगों में जिज्ञासा हो - चाहे वह प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री या कोई भी हो। इस समय वह चीज नहीं हो रही है। क्या यह दुःखद नहीं है? मैं किसी व्यक्ति की निन्दा नहीं करना चाहता। मैं किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता, दोष तो हमारी व्यवस्था में है। हमारी व्यवस्था काम नहीं कर रही है।

महोदय, जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले वे मद्रास में उतरे और मद्रास को कलकता से जोड़ा क्योंकि उड़ीसा के लोगों अथवा उड़ीसा के तीर और बाण ने उन्हें पुरी तट, चिलका तट से वापस खदेड़ भेजा। अतः वे वहां से गए और उन्हें हुगली नदी मिली जहां उन्होंने अपना पड़ाव 'कालाइघाट' नामक एक स्थान पर डाला, जो कलकत्ता का एक गांव था। उन्होंने वहां बस जाने का निर्णय लिया और धीरे-धीरे कलकत्ता शहर का निर्माण कि आज, हमारे सभी कलकत्ता के साथी आते हैं और गर्व से कहते है कि 'हम बंगाली हैं।" 200 साल पहले उस समय वे केवल मछुआरे थे। दो सौ वर्ष पहले मुम्बई नाम की कोई चीज नहीं थी। मुम्बई द्वीप को स्पेन की रानी द्वारा ब्रिटेन की रानी एलिजबेथ को 16 गिन्नियों में बेचा गया था। आज यह भारतीय वित्तीय संस्थाओं का गढ़ है। इस प्रकार सब कुछ हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने मद्रास से कलकत्ता तक रेल लाइन बिछाई थी। उसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कलकत्ता से मुम्बई तक का रेल मार्ग बनाया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कलकत्ता से दिल्ली के बीच भी लाइनें बिछाई थी। भारतीय रेल द्वारा अंग्रेजों से सत्ता अपने हाथ में लेने के काफी समय पूर्व ही इन सभी रेल मार्गों का निर्माण कर लिया गया था।

रेल मंत्री जी, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कितने मील रेल मार्ग का निर्माण किया था? उन्होंने 58,000 मील लम्बे रेल मार्ग का निर्माण किया था। हमने कितनी नई लाइनें बनाई हैं? हमनें उसमें कितनी बढ़ोत्तरी की है? केवल लगभग 8,000 मील। यह इस देश का कार्य निष्पादन है। हम 15 मिलियन टन इस्पात पैदा करते हैं और चीन 110 मिलियन टन इस्पात पैदा करता है। मैं आपको सिर्फ देश के प्रयत्नों का पैमाना बता रहा हूं। चीन 'एक बच्चे के मानदण्ड' का अनुसरण करके अपनी जनसंख्या को कम करने का प्रयत्न कर रहा है। अपने बच्चों के बारे में हमारी कोई सीमा नहीं है। चाहे यह प्रधान मंत्री हो अथवा वह प्रधान मंत्री हो या कोई भी हो, उनके दस-दस, आठ-आठ या पांच-पोच बच्चे हैं। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हमारे यहां एक मुख्य मंत्री हैं जिनके 10 बच्चे हैं तथा प्रधान मंत्री के सात बच्चे हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात कौन सोचेगा? जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए कड़े उपाय करने पड़ेगे।

श्री नरसिम्हा राव कहते हैं कि हमें उतनी जनसंख्या रखनी चाहिए जितनी कि हम देखभाल कर सकें। मैं उनसे सहमत हूं। मैं विद्यमान प्रधानमंत्री या कोई और हो, से भी सहमत हूं। हमें उतनी जनसंख्या रखनी चाहिए जितनी कि हम देखभाल कर सकें।

जनसंख्या 30 करोड़ से 96 करोड़ हो गई है। इन जनसंख्या की किसी भी कीमत पर देखभाल नहीं की जा सकती है। हमें इसे कम करना होगा। हमें इसमें ठहराव लाना होगा तथा उसके बाद इसे कम करना होगा। 20 या 30 वर्ष के समय में हम इसे 50 करोड़ तक कम कर सकते हैं यदि हम आज इसी क्षण से प्रारंभ करें। जब मैं संसदीय समिति की बैठक में योजना आयोग के अधिकारियों से मिला था तो

मैंने उनसे पूछा था कि वे जनसंख्या नियंत्रण अथवा इसे कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। वे कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जनसंख्या को कम करने के लिए बजट में रुपये का भी प्रावधान किया है? प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। परिवार नियंत्रण तथा परिवार नियोजन कुछ कटु बातें हैं। महोदय, नहीं, यह रास्ता नहीं है। इस देश को बने रहने के लिए कई पुनः प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। इस संसद को आज कई पुनः प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण संसद सभा के अंतर्गत आती है इसलिए यह सब माननीय अध्यक्ष के सामने है।

यह सृजनात्मक रास्ता नहीं है। राष्ट्र को सीखना है। अन्यथा हमारे लोगों का विश्व में अन्यत्र जाने तथा चीन के उन लोगों से हाथ मिलाने का कोई तुक नहीं हैं जो 110 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं जबकि हम•10-15 मिलियन टन उत्पादन करते हैं। आज 100 करोड़ की जनसंख्या को कम कर सकते हैं। हम इसे कम करके 70 करोड़ करना चाहते हैं। क्या आप ऐसी योजना कर सकते हैं? क्या आपके पास इसे इतने स्तर तक कम करने की कोई योजना है? अन्यथा आप जो भी कर रहे हैं उससे गरीबी रेखा बढ़ रही है। आप किसको सहायता देंगे? आप कितना देंगे? आपको वोट कौन देगा?

50 करोड़ रुपये क्या हैं? यह तुच्छ है। उड़ीसा के संकट के लिए यह तुच्छ धन है। इसका अभिप्राय केवल कुछ कार्य प्रदान करना नहीं है बल्कि कुछ वित्तीय लाभ भी दिए जाने हैं। ऐसा नहीं मानता हूं। महोदय, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने बिना योजना आयोग से सलाह के, योजना और धन के बारे में सोचे बगैर तब के.बी.के. कार्यक्रम की घोषणा की थी। वर्तमान प्रधान मंत्री भी ऐसा सोचते हैं और वह इससे खिलवाड़ कर रहे हैं। यह विचार ही नहीं है। यह आवश्यकता है। पीड़ित लोगों की गंभीर आवश्यकता है। यदि ऐसा किया जा सकता है, तो कीजिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो जैसाकि मैंने पहले कहा है कि इसे राज्य के लिए छोड़ दीजिए और संसाधन उनके लिए छोड़ दीजिए। वे इसकी व्यवस्था कर लेंगे। वे भारत सरकार से अच्छा करेंगे। मुझे इसमें संदेह नहीं है। लोग और अधिकारी इस बात को जानेंगे। वे उत्तरदायी होंगे और इसे करेंगे। मुझे पता चला है कि उन्होंने कार्य कर दिया है। उन्होंने 1961 में ऐसा किया था उस समय मैं मुख्य मंत्री था। उस समय श्री नेहरू की अगुवाई में अधिक संसाधन जुटाए गए थे। ऐसा किया जा सकता है। इसे अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। मुझे आशा है कि ऐसा किया जाएगा और मेरे राज्य तथा पीड़ित लोगों का आने वाले समय में अच्छा जीवन होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगा चरण राजपूत कृपया आप बोलिए। कृपया संक्षेप में कहना क्योंकि समय कम है तथा मंत्री को हस्तक्षेप करना है।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, आपने कालाहांडी के सूखे के ध्यानाकर्षण के संबंध में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

कालाहांडी आज सूखे का पर्याय बन गया है और यह सूखा कालाहांडी में आज पहली बार नहीं पड़ा है। हम सूखे का नाम लेते हैं तो कालाहांडी याद आ जाता है और कालाहांडी का नाम लेते हैं तो सूखा याद आ जाता है। कालाहांडी के सूखे के संबंध में अभी तक सरकार ने कोई भी उपाय नहीं किए हैं जिससे कालाहांडी के सूखे पर रोक लगाई जा सके। वहां का जो वन क्षेत्र है, वह एकदम घट चुका है। अभी तक सरकार ने कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई है जिसके अन्तर्गत पर्यावरण विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर वहां के बारे में एक राय ली जाती कि वहां बार-बार सूखा क्यों पड़ता है। अगर सरकार ने इस बारे में सोचा होता कि सूखा क्यों पड़ता है, उसके कारणों के बारे में विचार किया होता तो शायद आज कालाहांडी में दुबारा सूखा नहीं पड़ता। सरकार प्रतिवर्ष सूखे और बाढ़ पर करीब 1500 करोड़ रुपया खर्च करती है। 8,000 करोड़ रुपया लगभग बाढ़ राहत पर खर्च होता है और इतना ही पैसा सूखा और दैवीय आपदा पर खर्च हो रहा है, जैसे आन्ध्र प्रदेश में करीब 6031 करोड़ करोड़ रुपया सरकार ने दिया है और 50 करोड़ रुपया कालाहांडी के सूखे में दिया।

आज हम लोगों को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज जिस तरह से देश में पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, उसी तरह से देश में दैवीय-आपदायें बढ़ रही हैं। हम रोज-रोज प्रकृति को नष्ट करते हैं, हम रोज-रोज प्रकृति को सताते हैं और प्रकृति हमें एक ही झटके में नष्ट कर देती है। मुझे सूखे के दर्द के बारे में मालूम है, चूंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जहां पर सूखा पड़ा करता है। बुन्देलखन्ड में लोग जब बूंद-बूंद पानी को तरस जाते हैं और औरतें दस-दस किलोमीटर दूरी से गगरी में पानी लेकर आती हैं, तो एक लोकगीत गाया करती है - "खसम मर जाए, मगर गगरी न फूटे।" यह गीत हमारे बुन्देलखन्ड में बहुत ही मुख्य है, चाहे पति मर जाए, लेकिन पानी घड़े में भर कर वह ला रही है, वह नहीं फूटना चाहिए।

महोदय, आजादी के पचास सालों के बाद भी हमारी सरकार इन बुनियादी ढांचों में परिवर्तन नहीं कर पाई है। देश में फिजूलखर्ची हो रही है। दुनिया भर की चीजों में सब्सिडी दी जा रही है। सबसे पहले हमें बुनियादी ढांचों में परिवर्तन करना चाहिए, जैसे सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, पीने का पानी है। पर्यावरण भी नष्ट हो रहा है। यदि आप आजादी के समय का वन क्षेत्र का प्रतिशत ले लें और आज का वन क्षेत्र का प्रतिशत ले लें, तो पचास साल में पचास प्रतिशत घट गया है। उत्तराखन्ड में कटाव हो रहा है, वहां पर भी भू-स्खलन होता है। आज खास तौर से हमें इन बुनियादी सवालों पर विचार करना होगा। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप एक

पर्यावरण विशेषज्ञों को एक समिति बनायें, जो इस विषय पर अपनी राय दे। आज इस विषय पर केवल हिन्दुस्तान ही चिन्तित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया चिन्तित है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, इस समस्या पर सरकार को विचार करना चाहिए। दिल्ली में कितना प्रदूषण बढ़ गया है। जिस क्षेत्र में मंत्री लोग रह रहे हैं और जिस क्षेत्र में सांसद रह रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी अब दम घुट रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जब सुबह हम कुल्ला करते हैं, तो काला-काला पानी निकलता है। सरकार इस समस्या पर विचार ही नहीं करती है। हर चीज पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले इनिशिएटिव ले रही है, फैक्ट्रीज को बाहर भेजने के लिए कदम उठा रही है। देश में आबादी बढ़ रही है, देश में फूड-एडलट्रेशन बढ़ रहा है, देश में अपराध बढ़ रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में मंहगाई बढ़ रही है, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी सरकार खामोश है, मौन है। ऐसा लगता है कि उसको कोई चिन्ता नहीं है और सारी चीजों की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ले रखी है। जब आप कुछ काम नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ही शासन चलाएगी। मैं देख रहा हूं कि पिछले पांच साल से सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है और सारा काम उच्चतम न्यायालय कर रहा है। हम लोग शिकायतें करते हैं, मंत्री मौन रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय आप भी ऐसे क्षेत्र से आते हैं, जो नार्थ-ईस्ट क्षेत्र है, वहां पर वन सम्पदा अधिक है और इसलिए आपका क्षेत्र खुशहाल है। मैं चाहता हूं कि नार्थ ईस्ट क्षेत्र की तरह से पूरे देश में वन सम्पदा को बढ़ाया जाए। आबादी को घटाया जाए, तो प्रदूषण कम हो जाएगा।

अपराह्न 6.39 बजे

(श्री पी.सी. चाक्को **पीठासीन हुए**)

फिर अपने देश में सूखा-बाढ़ और दैवी आपदायें अपने आप समाप्त हो जायेंगी। सरकार 15 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष-खर्च करती है। इसके बजाए यदि सरकार तालाब बनाए और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए खर्च करे, तो कुछ हो सकता है। हम बार-बार मंत्री जी को सलाह देते हैं कि देश में दो करोड़ नौजवान बेकार हैं, आप इनसे काम क्यों नहीं लेते हैं। देश में पच्चीस हजार एमबीबीएस है, लेकिन देश के लोग मर रहे हैं। हमारे यहां इंजीनीयर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट-ग्रेजुएट्स हैं, उनको थोड़ा पैसा देकर, उनको जीवन-यापन के लिए पैसा देकर काम लीजिए। आप नौजवान एमपीज को बुलाइए और उनसे भी राय लीजिए।

एक युवा नीति निर्धारित कराइए। आपको नौजवानों की चिन्ता की नहीं है। आपको नौजवानों की चिन्ता तब होती है जब आप इधर विपक्ष में आ जाते हैं। जब आप सत्ता में बैठ जाते हैं तो नौजवानों को भूल जाते हैं। हमारे जेना जी युवा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत से पार्लियामेंट के मेम्बर युवा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन नौजवानों को कोई याद नहीं करता है। जैसे ही वे सत्ता में बैठ जाते हैं तो इनको भूल जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस युवाशक्ति को देश के निर्माण मे लगाइए, इनमें अच्छे संस्कार डालिए। इनको ट्रेनिंग दीजिए। आज जो नौजवान नशाखोरी कर रहे हैं, जो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, देश के हिंसात्मक आंदोलन में भागीदारी ले रहे हैं यदि इन नौजवानों को रचनात्मक कार्यों में लगा दिया जाएगा तो यह देश, जो आज दुनिया का सबसे गरीब देश है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन कर निकल सकता है। क्योंकि हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सिर्फ दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी है, हमारी सरकार की नियत की कमी है। सरकारें भले ही बदलती जाएं लेकिन मशीनरी में, काम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है।

महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो अलाभकारी योजनाएं हैं, जो आप सब्सिडी दे रहे हैं इसको आप बंद करिए और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में इस पैसे को लगाइए। आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि छोटे-छोटे ट्रेक्टरों को हम सस्ता करेंगे लेकिन उस घोषणा के बावजूद भी आज तक छोटे ट्रेक्टर सस्ते नहीं हुए। प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम किसानों पर स्टाम्प ड्यूटी को माफ करेंगे लेकिन अभी तक वह माफ नहीं हुई है तो इन कोरी घोषणाओं से क्या लाभ है? प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं और किसान के बेटे का पूरा परिवार हवाई जहाज से यात्रा करता है। यह कैसे गरीब किसान के बेटे हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि बार-बार यह कहते हैं कि राजनीति से मुझे मतलब नहीं है मैं एक अटैची लेकर आया हूं। अरे भई, राजनीति को इतना गंदा क्यों बना दिया है, राजनिति को साफ-सुथरा बनाइए हर व्यक्ति कहे कि मैं राजनीति से मतलब रखता हूं। इस सदन में जो आया है उनमें से कोई नहीं कह सकता कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जब तक देश की जनता को राज और उसकी नीति से मतलब नहीं होगा तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता आम आदमी को राजनीति से जोड़ना पड़ेगा। उसको राज और उसकी नीति के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि जो हम सरकार बनाने जा रहे हैं वह हमारे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है।

महोदय, आज सरकार भाषण भले ही करे कि हम गांव के विकास के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन असलियत यह है कि हमारी सरकार कुल बजट का 70 प्रतिशत देश के पांच महानगरों में और दो सौ नगरों में खर्च करती है। पौने छह लाख गांवों के ऊपर सिर्फ 30 प्रतिशत ही खर्च होता है। सरकार खोखले वायदे करती है, सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। देश की जनता को गुमराह कर रही है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह जो आप गुमराह कर रहे है उसको बंद करिए। मैं यह मांग करता हूं कि इस तरह की समस्या हमारे बुंदेलखंड में पान किसानों की है महुआ में हमारे यहां का पान दुनिया में मशहूर है। ललितपुर में एक्सपोर्ट किया जाता है, ज्यादा वर्षा के कारण वहां पान की फसल नष्ट हो गई हैं। वहां के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से मांग करता

हूं कि कालाहंडी के किसानों के लिए प्रति हैक्टेयर मुआवजा तय करें। वहां के नौजवानों की, विद्यार्थियों की फीस माफ करें। वहां के किसानों का लगान माफ करें, ऋण माफ करें। वहां कम से कम प्रति एकड़ दो हजार या जो भी सरकार तय करना चाहे, तय करे वह कालाहांडी के किसानों को मिलना चाहिए और वहां के किसानों को पीने के पानी की व्यवस्था के लिए सरकार चाहे विश्व बैंक से लोन ले लेकिन इस समस्या को हल करे। सरकार दुनिया के तमाम कामों के लिए लोन लेती है तो कालाहांडी के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार लोन ले। वहां बोरिंग कराए, वहां के किसानों को पानी दिलाए। जब किसानों को पानी मिलेगा तो अपने आप सूखा खत्म हो जाएगा। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही। कृपया पांच मिनट में समाप्त कीजिए क्योंकि कई सदस्यों को बोलना है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) **:** महोदय, इससे अच्छा है कि मैं न बोलूं।

सभापति महोदय : हमें चर्चा आज समाप्त करनी है। अतः मैं प्रत्येक उस सदस्य से अनुरोध कर रहा हूं जो बोलना चाहता है कि वह पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय : सभा को बैठक का समय बढ़ाने का निर्णय लेना है। हमारे पास केवल सात बजे तक का समय है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आप कह रहे हैं कि हम सभा की बैठक बढ़ा सकते हैं परन्तु हमें बोलने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) **:** सभापति जी, आप आधे घंटे का समय बढ़ा दीजिए।

श्री भक्त चरण दास : सभापति जी, हम लोगों ने दो घंटे के एक्सटेंशन के लिए बोला था आप एक घंटा और बढ़ा दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि सदस्य आठ बजे तक बैठने को तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : हम तैयार हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम तैयार हैं परन्तु हमें बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, इस प्रकार की चर्चा में भाग लेना कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। विभिन्न अवसरों पर भूकम्प, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर इस संसद में चर्चा हुई है। मैं अक्सर सोचता हूं कि उड़ीसा अभागा राज्य है। वह राज्य है जिसे वास्तव में प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक संसाधनों का घर कहा जा सकता है लेकिन यह प्राकृतिक आपदाओं का भी घर है। चूंकि समय की पाबंदी है, इसलिए मैं इस मुद्दे के विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

महोदय, उड़ीसा में 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं तथा यह सम्पूर्ण देश में सर्वाधिक प्रतिशतता है। अतः यह गरीबी की भूमि है और आज हम गरीबी के प्रश्न पर ही चर्चा कर रहे हैं। निःसंदेह कम वर्षा, अनियमित वर्षा ने स्थिति को और विकराल बना दिया है। लेकिन मूल प्रश्न गरीबी का है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 33.2 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर अन्य सिंचाई माध्यमों से सिंचाई की जाती है। लेकिन इस आंकड़े में भी विरोधाभास है। उड़ीसा राज्य सम्पूर्ण देश में सिंचाई की कम सुविधाओं वाले राज्यों में से एक है तथा इस 33.2 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि को छोड़कर बाकी प्रकृति पर निर्भर है।

महोदय, हम सभी माननीय प्रधान मंत्री और माननीय कृषि मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने उड़ीसा का दौरा किया। वे कुछ अति प्रभावित भागों में भी गए। उन्होंने वास्तविक ढंग से स्थिति की गंभीरता की सराहना की तथा इसीलिए वे हमारे धन्यवाद के अधिकारी हैं। श्री चतुरानन मिश्र संसद के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं तथा अब वे कृषि मंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति उस स्थिति से खराब है जिसका राज्य सरकार द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है तथा यह आने वाले दिनों में और भयंकर हो सकती है। उड़ीसा सरकार की रिपोर्ट अंतरिम रिपोर्ट है। मेरे विद्वान मित्र श्री के.पी. सिंह देव ने इस बात की व्याख्या की है कि स्थिति एक या दो सप्ताह के भीतर किस प्रकार तेजी से बदल रही है। निःसन्देह लगभग सारे राज्य में सूखे की स्थिति अलग-अलग स्तर की है। सुनिश्चित सिंचाई के लाभ वाली कुछ "पांकेट" को छोड़कर, यहां तक कि आयकर में अंतिम छोर भी सूखे से प्रभावित है। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं।

महोदय, मैंने वास्तव में श्री बीजू पटनायक को बधाई दी होती- जिन्हें दो बार उड़ीसा के मुख्य मंत्री बनने तथा एक बार राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है- यदि उन्होंने आज जो कुछ हो रहा है, लोगों के दुर्भाग्य का कुछ सीमा तक स्वयं उत्तरदायित्व लिया होता। कोई वास्तविक भावना नहीं थी। वह कहते हैं कि जब वह मुख्यमंत्री थे, तो सभी कुछ सही था। उन्होंने वहां एक इस्पात कारखाना लगवाने के लिए एक बार, दो बार अथवा उससे भी अधिक बार विदेश यात्राएं की थीं। उन्होंने प्रसिद्ध अनिवासी भारतीय

श्री स्वराज पाल के साथ भूमि पूजन किया था। अब सब कुछ हवा में है। वह अब कहां है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मेरे विचार से यह सब कहना उचित नहीं है।

सभापति महोदय : पाणिग्रही जी एक प्रश्न है। कृपया वर्तमान सूखा स्थिति पर वापस आएं। अथवा, आपको समय नहीं मिलेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि तीन वर्ष पूर्व कोरापुट जिले में भूखमरी से हुई सैकड़ों मौतों के बारे में इस सभा में एक गम्भीर मामला उठा था। और कोई नहीं बल्कि उनसे उपाध्यक्ष, श्री डोरा, जो कोरापुट से थे, ने हो उड़ीसा विधानसभा में इसके बारे में शिकायत की। लेकिन मैं वर्तमान राज्य सरकार का भी बचाव नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जैसा कि श्री नरसिंह राव जी ने बताया है – इस समस्या की स्थिति, व्यापकता तथा गम्भीरता ऐसी है कि यह किसी राज्य सरकार की क्षमता से बाहर है। हम इस मामले पर मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री के साथ चर्चा करते रहे हैं। सितम्बर माह में, एक वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त, को विभिन्न जिलों में भेजा गया था। अक्तूबर के प्रथम भाग में, उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके पश्चात नवम्बर के दौरान एक नियमित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। पुनः सितम्बर माह में, रोजगार प्रदान करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये जारी किए गये थे। यह मुख्यतया संबद्ध गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए था। संबद्ध गतिविधियों का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 75 प्रतिशत राजसहायता प्रदान की गयी थी। जैसाकि आप जानते हैं, वर्षा के दिनों में, वे समझौतों को क्रियान्वित नहीं करते क्योंकि धनराशि प्रदान करनी होती है। प्रतिदिन आसमान में काले बादल आते थे और किसान आसमान की ओर देखते थे। उन्हें आशा थी कि किसी भी क्षण वर्षा हो सकती है। ऐसी रियायतों की घोषणा के बावजूद कई क्षेत्रों में कई लोग इस हिदायत का फायदा नहीं उठाना चाहते थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि वर्षा हो सकती है। अतः कुछ प्रबन्ध गये और कुछ उपाय किए गये। लेकिन अन्ततः हम क्या पाते हैं? मेरे पास वर्षा का चार्ट है। लेकिन चूंकि इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि लगभग सारे राज्य में विभिन्न अनुपात में गम्भीर स्थिति विद्यमान है, मुझे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। सितम्बर और अक्तूबर में, 25 प्रतिशत औपचारिक वर्षा हुई थी। इसलिए, अक्तूबर में वर्षा के बिना भी वे तटीय क्षेत्रों में तथा निचले क्षेत्रों में अच्छी फसल की आशा कर रहे थे। लेकिन वह भी सूख रहा है। अतः इस ढंग से उनके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है। अंतिम रिपोर्ट फसल कटाई के आधार पर अभी आनी है। महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या यह मेरा सौभाग्य है अथवा दुर्भाग्य है, मैं कुछ समय के लिए उड़ीसा का राजस्व मंत्री था और मुझे 1975 में उड़ीसा में एक सर्वाधिक बुरे सूखे से निपटने का उत्तरदायित्व सौपा गया था। अतः फसल काटने का प्रयोग भी दूसरा जुआ है। यदि आप इसे अकाल कोड तथा निर्धारण के अनुसार करते हैं, तो आपको उपयुक्त तथा उचित फसल कटाई व्यवस्था के लिए कई करोड़ रुपये व्यय करने होंगे।

ऐसा कौन कर रहा है? अतः हमें लोगों, अधिकारियों, तथा जन प्रतिनिधियों की बात पर विश्वास करना है। यह मानव-विपत्ति तथा मानव-पीड़ा का प्रश्न है। इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं उस भाग पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, यद्यपि कुछ सदस्य वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। समय की मांग क्या हैं? आवश्यकताएं क्या हैं? एक उद्देश्य यह है, और मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से पूर्णतया सहमत हूं, कि किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया जायेगा। यह बहुत सही तथा स्वागत योग्य भी है। दूसरा प्रश्न यह है कि पानी की कमी से कोई भी प्यासा नहीं रहने दिया जाना चाहिए। मैं इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहता हूं। तीसरा प्रश्न यह होना चाहिए कि आगामी खरीफ फसल में एक इंच भी कृषि भूमि को फसल बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह धीमा जहर की तरह है। यह सही टिप्पणी की गई है कि हमने समुद्री तूफान तथा बाढ़ का प्रभावी रूप से सामना किया है। उस ढंग से भी, हम एक माह में अथवा उतने समय में स्थिति को ठीक करने के लिए उपाय कर सकते हैं। जब मकान ढहते हैं, तो आप कुछ भूमि प्रदान कर सकते हैं ताकि वे दो या तीन या पांच माह में कुछ ढांचा बना सके।

यह धीमा जहर की तरह है। धीमे जहर के मामले में, कोई पीड़ित होता है और अन्ततः मर जाता है। इस तरह की स्थिति जारी रहेगी; यह अगली फसल, अक्तूबर-नवम्बर अथवा वर्षा होने तक जारी रहेगी। स्वतन्त्रता के 50 वर्ष पश्चात आज भी हमारे यहां वही प्रसिद्ध कहावत है कि 'भारतीय बजट मानसून पर आधारित जुआ है।' यह अभी भी है, यह अभी भी विद्यमान है। यदि वर्षा का देवता इन्द्र दयालु है, तो अच्छी वर्षा हो जाती है, सभी कुछ सही है, फिर आवश्यक वित्तीय सहायता, अनुदान तथा सहायता किसानों को प्रदान की जाती है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यदि अच्छी फसल होती है, तो एक वर्ष के लिए इसका अन्त हो जायेगा। उड़ीसा में गरीबी के स्तर तथा इस तथ्य के कारण कि किसान ऋण जाल में फसे हुए हैं, इसका असर फिर भी होगा। इस समस्या का समाधन कैसे किया जाये?

सभापति महोदय, मुझे कुछ और समय बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : आपने पहले ही बारह मिनट ले लिया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। जहां तक कार्य बल का संबंध है। प्रतिवर्ष, इस अवधि के दौरान कुछ लोग राज्य से बाहर जाते हैं। लेकिन इस वर्ष इस अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण, काफी बड़ी संख्या में लोग बाहर चले गये हैं। सामान्यतया,

हमारी राज्य सरकार यह आशा करती है कि इस कृषि कार्यों की प्रक्रिया में इन सभी लोगों को किसी तरह का रोजगार मिलेगा। लेकिन इस वर्ष, ऐसी स्थिति में, बड़ी संख्या मे लोग बाहर चले गये हैं। इसलिए, हमें यह रोजगार कार्यक्रम तथा बहुत बड़े स्तर पर विभिन्न श्रम प्रधान योजनाएं प्रारंभ करनी है। रोजगार आशवासन योजना में चौंसठ प्रखण्डों को अभी शामिल किया जाना है। भारत सरकार द्वारा बिना किसी कठिनाई के कम से कम यह किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं प्रश्न-वार बोल रहा हूं। कृपया मुझे पांच मिनट का समय दीजिए।

सौभाग्य से, इन सभी क्षेत्रों में काफी लघु सिंचाई टैंक हैं। लेकिन उक्त टैंकों का नवीकरण करने की आवश्यकता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

अपराह्न 7.00 बजे

सूखा प्रवण क्षेत्र, विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने चाहिए। निःसंदेह, इस वर्ष एक आशा है। उड़ीसा को छोड़कर, कमोबेश, सभी जगह अच्छी फसल है। अतः खाद्यानों की कोई कमी नहीं है। पानी के पाइप तथा हैंडपम्पों से सहायता नहीं मिलेगी। नलकूप होने चाहिए। भारत सरकार पाइप जल आपूर्ति पर पैसा खर्च कर रही है जिसे उदार बनाया जाना चाहिए।

जहां तक सिंचाई परियोजनाओं जैसे स्थायी उपायों का संबंध है कुछ परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनको पूरा करना है। मुझे उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री के.पी. सिंह देव जी ने वह कर दिया है।

हीराकुंड डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए तीन नई परियोजनाएं हैं, जिनके श्री भक्त चरण दास जी द्वारा नाम भी दिए गये हैं। अन्य परियोजनाओं के भी नाम दिए गये हैं।

रंगाली नदी से, संभल बांध द्वारा काफी पानी एकत्रित किया गया है लेकिन कोई नहर प्रणाली नहीं है।

इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।

उड़ीसा सरकार ने चालू वर्ष में 8,000 नलकूप खोदने का एक कार्यक्रम बनाया है। इसके अलावा 2,000 बेकार पड़े नलकूप के स्थान पर 10,000 नलकूप भी खोदे जायेंगे। सूखे कार्यक्रम के तहत 5,000 नलकूप भी खोदे जायेंगे।

हमारे राज्य में 30 जिले और लगभग 345 ब्लाक हैं तथा 10,000 संश्रित प्वाइंट हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान वर्ष 1866 में अभूतपूर्व अकाल, जिसको नांका अकाल कहा जाता है, पड़ा था। परन्तु इससे भी कुछ प्रगति और समृद्धि आई थी क्योंकि उस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने कुछ सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की थी। इसी के फलस्वरूप तलडाना और केन्द्रपाड़ा प्रणालियां स्थापित की गई थी। परन्तु इस वर्ष कठिनाई पैदा हो गई है। सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि के लिये स्थायी योगदान होना चाहिये।

सभापति महोदय : सायं 7.00 बजे हैं। मुझे समय बढ़ाना होगा। कृपया अपना स्थान लीजिये। मैं आपको समाप्त करने का मौका दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा की राय चर्चा को एक घन्टा बढ़ाने की हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : चर्चा के लिये एक घन्टा बढ़ाया जाता है। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हमारे यहां 345 ब्लाक हैं। प्रत्येक ब्लाक में 30 प्वाइंट के हिसाब से लगभग 10,000 प्वाइंट बनते हैं। सूखे से सबसे अधिक कुप्रभाव किसानों पर पड़ा है।

सभापति महोदय : कृपया कृषकों की व्यथा का वर्णन मत कीजिये। सुझाव देकर भाषण समाप्त कीजिये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जहां तक किसानों की खस्ता हालत का मामला है वे अपने खेतों में कार्य करने नहीं जा सकते हैं। हमको छोटे और सीमान्त किसानों को कुछ सुविधाए देनी चाहिये।

ऋण माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में तूफान पीड़ित किसानों को 1,250/- रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से रियायत दी जा रही है। इसी प्रकार की सुविधा उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भी दी जानी चाहिये। वर्तमान में ऐसी रियायत उड़ीसा में फसल बीमा के लिये नहीं दी जा रही है।

वास्तव में यह विद्यमान नहीं है। सहकारिता आन्दोलन और किसानों की गरीबी के कारण यह नहीं हो रहा है। उड़ीसा में ऐसी परिस्थितियों में किसानों के लिये लाभप्रद फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसको लागू करना चाहिये। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपको मालूम होगा कि लोकतांत्रिक भारत में योजना का क्या उद्देश्य है? विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये सामाजिक न्याय के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। जहां तक सी.आर.एफ. का प्रश्न है मुझे नौवें वित्त आयोग की बुद्धिमता समझ में नहीं आती है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त का हिस्सा नहीं बनेगा। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : उड़ीसा के लिये सी.आर.एफ. 46 करोड़ रुपए है जबकि कुछ अन्य राज्यों के लिये बहुत अधिक है। उड़ीसा में स्थिति प्राकृतिक आपदा से भी खराब है। इसलिये, यह काफी कम है। इसलिये, नौवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पुनर्विचार होना चाहिये।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान लीजिये। आपका भाषण कार्यवाही वृत्तान्त का हिस्सा नहीं बनेगा।

(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सिंचाई और अन्य मदों के तहत अधिक आबंटन किया जाना चाहिये। महोदय, मैं इन विषयों पर बोल चुका हूं। मैं काफी कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग कीजिये। इस प्रकार की टिप्पणियां जारी नहीं रह सकती हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं एक अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। कृपया उड़ीसा की स्थिति को देखिये। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने राहत कोष से 50 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। ...**(व्यवधान)**

उड़ीसा सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी करके आभार व्यक्त किया है। कृपया रवैये को देखिये, हम स्वभावतः सादे, शान्तिप्रिय और उदार व्यक्ति हैं। हम लोग गरीबी और प्राकृतिक आपदाओं में जीने के आदी हो गए हैं। मैं विभिन्न दलों और विभिन्न राज्यों के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने आज उड़ीसा में सूखे की स्थिति का विशेष उल्लेख करते हुए बल दिया है कि वहां पर पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। देश के सभी भागों का संतुलित विकास अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगा।

इसलिये, मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। मैं आपको समय देने के लिये धन्यवाद देता हूं। आपने कई चेतावनियों के बावजूद मुझे बोलने का समय दिया है। मैं आपका आभारी हूं। मैं श्री चतुरानन मिश्र और माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि उड़ीसा के लिये विशेष सहानुभूति दिखाई जाए। इसके लिए पृथक ढांचें की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ अधिकारियों, गैर-अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं और विदेशी एजेंसियों की मदद से स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने सहायता देने की पेशकश की है। कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री, श्री शरद पवार, अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि कुछ किया जा सकता है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस स्थिति पर काबू उचित समन्वय और उचित निगरानी के द्वारा ही पायी जा सकती है चाहे प्रधान मंत्री के स्तर पर हो अथवा मंत्रिमण्डल के स्तर पर हो।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान लीजिये। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं दुःख के साथ एक बात कहना चाहता हूं। कृपया पीठासीन अधिकारी को दुःखद निर्णय लेने पर बाध्य मत कीजिये। अब 13 अन्य सदस्य बोलने के इच्छुक रह गए हैं। यह राज्य का विषय है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है इसलिये पीठासीन अधिकारी सदस्यों को सर्वाधिक समय देना चाहते हैं। एक वरिष्ठ सदस्य, श्री श्रीबलल्भ पाणिग्रही ने 22 मिनट ले लिये हैं। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कम से कम समय में बोल दीजिये। श्री पाणिग्रही, यह अत्यन्त दुःखद है। जब भी कोई सदस्य अधिक समय लेता है तो वह अन्य सदस्यों के समय में कटौती करता है। इसको समझना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री श्रीबलल्भ पाणिग्रही : कृपया हमारी समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिये। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं किसी चर्चा का पक्षधर नहीं हूं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम देर रात्रि तक बैठने को तैयार हैं। सम्पूर्ण सभा बैठने को तैयार है। आप क्यों कठिनाई को बढ़ा रहे हैं? हमारी कठिनाइयां गम्भीर हैं। हमारे दुःख काफी हैं।

सभापति महोदय : इस प्रकार से 13 सदस्य कैसे बोल सकते हैं? कृपया पीठासीन अधिकारी से इस प्रकार बहस मत कीजिये। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं सिर्फ अपना दायित्व निभा रहा हूं।

सभापति महोदय : यह आपका दायित्व नहीं है। श्री पाणिग्रही, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं सभा के हितों और चर्चा के हितों को देखते हुए समय पर नियंत्रण रखने वाला हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प.बं.) **:** सभापति महोदय, मैं उड़ीसा राज्य के पश्चिमी भागों में आई प्राकृतिक विपदा के महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आभारी हूं। मैंने इसी विषय पर अनेक महत्वपूर्ण भाषण सुने हैं। परन्तु सूखे से बुरी तरह प्रभावित लोगों की तकदीर मात्र शब्दों से ही नहीं आंकी

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जा सकती। केवल कार्य करने से ही उनके भाग्य को बदला जा सकता है।

आरम्भ में, मैं कृषि मंत्री एवं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उड़ीसा के पश्चिम भागों के 'केबीके' जिलों में सूखे की स्थिति के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करे।

महोदय, विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह और वह एक उपरि प्रक्रिया है। ह्रास भी एक सतत प्रक्रिया है परन्तु इसका प्रवाद अधोमुखी है। अंग्रेजी शासन के दौरान 'के.बी.के.' जिलों का ह्रासोन्मुख होने की प्रक्रिया की शुरूआत हुई और स्वतन्त्रता के पश्चात् भी वहीं प्रक्रिया अभी भी जारी है।

मैं अपनी पार्टी आर.एस.पी. दल की ओर से यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के 'के.बी.के.' के जिलों में सूखे की वर्तमान अवस्था सरकार द्वारा पिछले 50 सालों के दौरान वहां की स्थिति का सामना करने में असमर्थता का परिणाम है। ऐसी दुःखदायी स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा की राज्य सरकार भी वहां की स्थिति की लगातार उपेक्षा करती रही हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि आज भारत के नक्शे पर कालाहांडी जिला भूख और भुखमरी से हुई मौतों का एक बदनुमा काला धब्बा बन गया है। कालाहांडी और बोलंगीर जिले दोनों ही न केवल उड़ीसा राज्य के अपितु सम्पूर्ण भारत के ऐसे दो जिले हैं जहां पीड़ा और दुःख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। के.बी.के. जिलों के लोग सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति का शिकार बन गए हैं। यह तो निर्विवाद है कि मूलतः सूखा ही ऐसी स्थिति का कारण है। अपर्याप्त वर्षा अथवा कम-ज्यादा वर्षा ही सूखे का कारण है और शायद उड़ीसा की वर्तमान स्थिति का मूल कारण भी यही है। उड़ीसा के इस भाग में स्थिति ह्रासन्मुखी होने का कारण अंग्रेजों के समय पूंजीवाद का अनियमित विकास और स्वतत्रता के पश्चात् पूंजी का अनियमित निवेश है। पेड़ों का काटा जाना अथवा जंगलों की कटाई इस समस्या को और उग्र बनाने वाला प्रमुख घटक है। परन्तु इन सबमें महत्वपूर्ण कारण सरकार द्वारा स्थिति का सामना करने में असमर्थता रहा है। इस सरकार ने पिछले पचास वर्षों के दौरान न तो कोई सचेत प्रयास किए गए हैं और न ही अपना ध्यान इस समस्या को सुलझाने की ओर लगाया है। यह एक तथ्य है। यह बहुत भयावह स्थिति है। हम जानते हैं कि सरकार न तो पानी सप्लाई करने के लिए आवश्यक इन्तजाम ही कर सकी और न ही उस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था के विकासार्थ जलाशय बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही ही की गई है। हम यह सब कुछ जानते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं? पूर्व-स्वतन्त्रता युग में, मैं एक ऐसे शाही परिवार को जानता हूं जिसने तीन पहाड़ियों के ऊपर तीन जलाशय बनाए थे। यह पानी का प्रबन्ध था। परन्तु आज भी जलाशयों की उचित देखभाल की व्यवस्था नहीं की जाती है।

सरकार जलाशयों का निर्माण स्नान, पानी पीने अथवा सिंचाई के उद्देश्य के लिए नहीं कर पाई। मात्र 35 प्रतिशत भूमि ही सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोगी है बाकी की 65 प्रतिशत उपजाऊ भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था नहीं है। यह तो बहुत आश्चर्यजनक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में रहते हुए हम उसका उपयोग सिंचाई व्यवस्था को विकसित करने अथवा पीने के पानी की सप्लाई के लिए नहीं कर पाए।

यही सरकार की असफलता है। इन सब बातों की ओर आज ध्यान दिलाना भी आश्चर्यजनक है। बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। मैं उन सब बातों का उल्लेख पुनः नहीं करना चाहता। उसके भी परिणाम होते हैं हम क्या देखते हैं? आज पलायन एक प्रमुख समस्या है। मैं बहुत ही भयावह तस्वीर देखता हूं।

महोदय, इस सन्दर्भ में मैं आपकी आज्ञा से 'दि टाईम ऑफ इंडिया' में छपी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में से कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं :—

> "खाली पड़े घरों की कतारें" आतों से जुड़े पेट वाले कांटों जैसे बच्चों, कुछ महिलाएं और इक्का-दुक्का वृद्ध व्यक्ति इस गांव में लम्बे अर्से से पड़े सूखे की गवाही देते हैं।"

अभूतपूर्व सूखे ने यहां के 70 प्रतिशत निवासियों को भोजन और रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने को विवश कर दिया है।

महोदय, वे अपने गांवों से पलायन कर रोजगार तलाश रहे हैं। कामगारों में से काफी लोगों ने अपनी झुग्गियों और घरों को छोड़ दिया है। अपने गांव से पलायन कर वे भोजन की तलाश में बनारस, इलाहाबाद अथवा उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब के कई भागों में चले गए हैं।

महोदय, आज यह स्थिति है और हम सब इससे भली-भांति परिचित हैं। बहुत से वक्ताओं ने पहले ही कहा कि उड़ीसा में खनिजों का भण्डार है। केवल खनिजों के लिए हां नहीं, यहां की सभ्यता और संस्कृति समृद्ध है, इसकी विरासत महान है और इतिहास में इसका एक गौरवपूर्ण स्थान है। परन्तु सरकार द्वारा स्थिति का समाना करने में असमर्थता के कारण यह क्षेत्र एक की वीरान क्षेत्र बन गया है। यह क्षेत्र एक रेगिस्तान क्षेत्र जैसा लगता है। स्वतत्रता के 50 वर्षों के पश्चात् भी उड़ीसा के लोगों और के.बी.के. जिलों के लोगों की भाग्य की यह विडम्बना है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अर्थक्षम सभी परियोजनाओं को नवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करे। योजना आयोग को भी चाहिए कि वह एक तर्कसंगत समयावधि के अन्दर पूरी होने वाली योजनाएं तैयार करे। इस उद्देश्य के लिए मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। राज्य सरकार को सलाह देनी चाहिए और राहत कार्यों को तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए। हालांकि यह राज्य का विषय है तथापि राज्य सरकार को तत्काल सहायता कार्य आरम्भ

करने की सलाह देनी चाहिए। राहत उपायों के रन्द में जलाशयों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरे पीने के पानी के लिए नलकूपों का निर्माण किया जा सकता है। तीसरे जंगलों की कटाई को बन्द किया जाएं। चौथा गृह-उद्योगों और उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जाए। यह उड़ीसा के लोगों के लाभ के लिए है जोकि पानी के लिए तरस रहे हैं।

महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। मैं एक वाक्य बोलकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। भारत के लोगों तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन में भारत में अब कोई भी क्षेत्र कालाहांडी जैसा रूप नहीं लेगा।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सभापति जी, उड़ीसा प्रदेश के कालाहांडी क्षेत्र में सूखे से उत्पन्न हुई परिस्थिति के संबंध में आज इस सदन में चर्चा हो रही है। सदन के माननीय सदस्यों ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो विचार यहां रखे हैं, मैं उन सभी विचारों से अपने को जोड़ता हूं। आज कालाहांडी की सूखे से उत्पन्न परिस्थिति का सारा दृश्य यहां उपस्थित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऐसे 21-22 जनपदों को लेकर एक बुन्देलखंड क्षेत्र है।

मैं बुंदेलखंड क्षेत्र के संबंध में इस सदन में केवल एक ही बात मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि वहां वर्ष के पांच महीने ऐसे होते हैं जब पीने के पानी में कीड़े होते हैं, गंदगी होती है उसे हम छानकर पीते हैं। वर्ष के चार महीने ऐसे होते हैं जब वहां के 21 जनपदों के लगभग 10-12 लाख लोग केवल जंगली बेर या महुआ खाकर अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं। ऐसे क्षेत्र में उद्योग शून्य है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं हैं जिन स्थानों पर खेती हो सकती है, वह जमीन बंजर और उबड़-खाबड़ हैं आज 45 सालों में वहां उपजाऊ खेती नहीं दी जा सकी। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह 21 जनपदों का एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भारत सरकार खनिज पदार्थों से पैसा दोहन करती है, वहां पर 60-70 किलोमीटर दूर तक कोई हाई स्कूल नहीं है। लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां खेती में सिंचाई के लिए पानी के स्रोत होते हुए भी पानी को बंध लगाकर खेतों तक नहीं पहुंचा सके। वहां इसकी व्यवस्था की जाये जिससे पैदावार हो सके और लोगों की भुखमरी मिट सके। चिकित्सा का यह हाल है कि 40-45 किलोमीटर तक भी कोई राजकीय अस्पताल नहीं है। यदि है तो वहां पर डाक्टर नहीं हैं।

कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब आप कालाहांडी के संबंध में कुछ बातों की घोषणा करेंगे, वहां की सारी विपदा को समाप्त करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनायेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 21 जिलों में जाकर देखिये कि क्या वहां और यहां की परिस्थितियों में कोई भिन्नता है। यदि भिन्नता एक है तो आप उस क्षेत्र की दुखभरी परिस्थितियों को समझते हुए वहां पर भी कुछ धन लगाइये, कुछ व्यवस्था कीजिये ताकि वहां के लोगों की भुखमरी मिट सके। उनकी प्यास बुझ सके और वहां के नौजवानों के हाथों में कोई काम आ सके। उस क्षेत्र में ऐसे उद्योग-धंधे लगाइये।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वे अपने भाषण में इसे भी जोड़ेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उत्तर देने के लिए कल कृषि मंत्री उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि वे राज्य सभा में उपस्थित होंगे। अतः वह आज ही चर्चा के बीच में बोलना चाहेंगे। 7.30 बजे कृषि मंत्री चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे। उससे पहले श्री शरत पटनायक अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) **:** मैं दस से पंद्रह मिनट का समय चाहता हूं इससे अधिक नहीं। मैं दस से पंद्रह मिनट में समाप्त कर लूंगा।

सभापति महोदय : आप 7.30 बजे तक बोल सकते हैं।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) **:** महोदय, हमने भी अपने नाम दिए हैं।

सभापति महोदय : हां, आपके नाम भी यहां हैं। आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। कृपया इन्तजार कीजिए। उन सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा जो बोलना चाहते हैं।

श्री शरत पटनायक : सभापति महोदय, मुझे माननीय प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री की सराहना तथा धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने उड़ीसा के अति पिछड़े जिलों का दौरा किया। माननीय प्रधान मंत्री ने बोलंगीर जिले के भालुमंडा क्षेत्र में उड़ीसा के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रुपये तथा बोलंगीर जिले में इंदिरा और लोअर सुक्टेल दो और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा की।

इससे पूर्व हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने बोलंगीर जिले के टिटलागढ़ क्षेत्र के दौरे के दौरान बोलंगीर को केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत लाने की घोषणा की थी। इस बार बोलंगीर जिले को केन्द्रीय सहायता मिलेगी।

दुर्भाग्यवश, उनकी चुनाव से पहले मृत्यु हो गई और हम बोलंगीर के लोग उस समय से आज तक कुछ नहीं पा सके।

दसवीं लोक सभा में मैंने समय-समय पर बोलंगीर निर्वाचन क्षेत्र अर्थात बोलंगीर और नौपारा की खराब स्थिति के बारे में मामला उठाया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया। इससे पहले कालाहांडी और कोरापुट जिलों को केन्द्रीय सहायता मिल रही थी लेकिन बोलंगीर को नहीं। इसलिए पूर्व प्रधान मंत्री ने बोलंगीर जिले को भी शामिल किया था तथा के.बी.के.

परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया था। उन्होंने घोषणा की कि दस वर्षों में 4500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

उड़ीसा के लिए सूखे का इतिहास नया नहीं है। 1886 के अकाल से आज तक बोलंगीर, कालाहांडी तथा कोरापुट जिले निरंतर प्रभावित रहे हैं।

हाल ही में जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री विश्व खाद्य सम्मेलन के लिए रोम गए तो उन्होंने वहां पर भाषण दिया था। भूख और भुखमरी के खिलाफ अपील की थी। प्रकृति ने उड़ीसा को विशेषकर बोलंगीर को पर्याप्त संसाधन दिए हैं। लेकिन मानवनिर्मित गरीबी के कारण बोलंगीर और उड़ीसा के पश्चिमी भागों में निरंतर सूखा पड़ता रहा है। वहां पर महानदी हेल, ओंग, राहुल,सुक्लेट, सोनगढ, लांद, अंडर मायावती और स्वर्णरेखा नदियां हैं। बोलंगीर जिलों में दस से पंद्रह नदियां हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर कोई सिंचाई सुविधा नहीं मिल रही है। मेरे विचार से बोलंगीर निर्वाचन क्षेत्र में हम केवल छह प्रतिशत सिंचाई क्षमता का ही सजृन कर पा रहे हैं। मेरी सूचना के अनुसार यह उड़ीसा में सबसे कम सिंचाई उत्पादन है।

बोलंगीर और नौपारा जिलों में 1956 गांव और 274 पंचायतें हैं। आज तक हमने सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं कराया है। पेयजल के लिए हम तालाबों पर निर्भर हैं। यदि आप किसी गांव में जाएं और तालाब का पानी पीना पड़ता है, वह भी उपलब्ध नहीं होता। पिछले पांच वर्षों में मैंने समय-समय पर सभी पंचायतों का दौरा किया है।

मैं उन लोगों की त्रासदी समझता हूं। हमें सूखे की इस स्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि माननीय मंत्री ने यह घोषणा की है कि वे 'के.बी.के.' क्षेत्र में हुई मौतों की जांच के लिए मानव अधिकार आयोग से अनुरोध करेंगे। लेकिन मेरा यह अनुरोध है। वे मर चुके हैं तथा आप उनकी जांच के लिए मानवाधिकार आयोग से अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन आप इस क्षेत्र के जीवित लोगों के लिए क्या करेंगे? आपको पहला कर्तव्य इस सभा में इस मुद्दे पर फैसला करना है।

दूसरा मुद्दा वर्षा के बारे में है। मई के महीने में सामान्य वर्षा 27 मि.मी. होती है लेकिन बोलंगीर जिले में केवल 2 मि.मी. ही हुई है।

मैं संक्षेप में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि हमें सभी 1956 गांवों में पेयजल मिलना चाहिए। माननीय मंत्री ने कहा है कि वे खुदाई के लिए मशीनें भेजेंगे तथा पेयजल उपलब्ध कराएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल लाने के लिए महिलाओं को बिना चप्पलों के चार से पांच किलोमीटर तक जाना पड़ता है। उस क्षेत्र की यह स्थिति है। हमें सभी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है।

जब मैं सदन में बोलता हूं तो केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया और जब मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं तो वे कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। इस मानव समस्या के बारे में मेरा माननीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे मेरे सुझावों पर विचार करें।

जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, मेरे संसदीय क्षेत्र में 274 पंचायतें हैं। इसमें केवल 5 सी एच सी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) और 29 पी एच सी (प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र) तथा अतिरिक्त पी एच सी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों और महिलाओं की दशा क्या होगी। 274 पंचायतों में हमारे पास केवल 5 सी एच सी तथा 29 पी एच सी हैं। मान लीजिए कि यदि किसी औरत को प्रसव के लिए जाना है तो उसे डाक्टर के पास जाने के लिए 30 से 35 किमी. का सफर तय करना पड़ सकता है तथा बच्चे को डाक्टर से परामर्श हेतु 30 से 35 कि.मी. जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की यह दशा है।

पेयजल के बारे में आपको स्थिति के बारे में जानकारी है। मैं अपील करता हूं कि राज्य में सूखे से निपटने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी आंकड़ों का खेल न खेलें। इस बार मैंने स्थानीय प्रशासन के साथ परामर्श से सूखे से बचने हेतु अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय तैयार किए हैं।

सिंचाई परियोजना के बारे में पहले ही प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि वे पंचवर्षीय परियोजना में सिंचाई परियोजना को भी शामिल करेंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री, माननीय जल संसाधन मंत्री तथा कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बोलंगीर का दौरा करें तथा यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो वहां पर शिलान्यास करें।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : स्टोन तो लगा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा?

श्री शरत पटनायक : हम लोग कोई नेता नहीं है, कार्यकर्ता हैं इसीलिए कह रहे हैं, हमारे यहां कहा जाता है कि जो स्टोन देता है वह काम पूरा करता है। वहां की जनता की यह भावना है। इसलिए वहां जो 450-500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, प्रधान मंत्री जी उसका शिलान्यास करके उसमें पैसा देकर उसको पूरा कराएं। हमने 1200 लिफ्ट इरीगेशन पाइंट्स के लिए कहा है। जितनी भी मुख्य नदियां हैं, उनमें लिफ्ट इरीगेशन पाइंट्स लगाए जाएं। इसी तरह हमने 2000 डीप ट्यूबवैल की मांग की है, जो सिंचाई के लिए काम देंगे और 4000 ट्यूबवैल की पीने के पानी के लिए मांग की है। हमारे मुख्य मंत्री ने डी.पी.ए.पी. ब्लाक्स में दो रुपये प्रति किलो चावल दिया है। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरे जिले में सिर्फ 6 प्रतिशत इरीगेशन है, जबकि कहा गया कि 20 से 25 प्रतिशत इरीगेशन है। हमारे 6 ज़िलों में डी.पी.ए.पी. ब्लाक्स तय नहीं हो पाए हैं। उड़ीसा में 64 ब्लाक्स को डी.पी.ए.पी. ब्लाक्स घोषित किया जाना बाकी है।

अभी रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर लिस्ट भी लेकर गए थे। मेरा अनुरोध है कि जो मेरे यहां जो 6 ब्लाक्स डी.पी.ए.पी. घोषित होने हैं, वे किए जाएं और उन 64 ब्लाक्स में जहां 6 प्रतिशत इरीगेशन है, उनको भी डी.पी.ए.पी. ब्लाक्स घोषित किया जाए। वहां लोग भूख से मर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जहां डी.पी.ए.पी. ब्लाक्स घोषित होने थे, वहां तो हुए नहीं, दूसरी जगह हो गए।

हर गांव में एक तालाब रिनोवेशन के लिए दे दें या टैंक दे दें। इसी तरह हर पंचायत में डीप ट्यूबवैल के जरिए पाइप लगाकर पानी दे दें। बोलंगीर, पाटनगढ, टिकलागढ़, खजिया रोड आदि में इस तरह के प्रपोजल पैंडिग पड़े हैं। हमने पूरे बोलंगीर संसदीय इलाके लिए एक दीर्घकालीन योजना एक हजार करोड़ रुपये की बनाकर दी है। हम यह नहीं कहते हैं कि इसको एक साल में ही पूरा करें। जैसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने चार हजार करोड़ रुपये की योजना विभिन्न चरणों में पूरी करने की घोषणा की थी, इसी तरह इसको भी आप पांच साल में पूरा करा दें। पिछले साल भी सतपल प्रोजेक्ट के लिए हमने कहा था, यहां पर श्रीकांत जेना भी बैठे हैं, हम सबने बैठकर बातचीत की थी, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पाया। अभी जो किसानों को गांव में या बाजार में चावल देने का काम है, वह पूरा हो रहा है। लेकिन जो मध्यमवर्गीय किसान हैं, उनकी हालत काफी नाजुक है। वे लेबर करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं और अपने घरों में चुपचाप बैठे रहते हैं।

जो मिडिल क्लास फार्मर्स हैं, जो किसान भाई हैं, उन लोगों को दस-दस हजार रुपए का लोन दिया जाए और उसके ऊपर दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपए के लोन पर यदि सरकार छूट दे दे तो हमारे किसान भाई बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बच सकेंगे। जो पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपए को लोन है, उसको एबॉलिश किया जाए और फ्रैश 10,000 रुपए का लोन दिया जाए तब तो किसान बच जाएंगे क्योंकि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के श्रमिक लोग हैं, वे दो लाख से भी ज्यादा श्रमिक लोग अपनी जीविका अर्जित करने के लिए वहां से माइग्रेट कर गए हैं, जैसे हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि हर साल वहां से दो लाख से भी ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं और यदि उनसे आप पूछें कि भाई क्यों जा रहे हो तो वे कहते हैं कि भाई साहब काम के लिए जा रहे हैं, आप काम दे दीजिए तो नहीं जाएंगे, इसलिए मेरी अपील है कि इस सबको बंद करने के लिए सरकार कुछ ड्रास्टिक एवं पौजिटिव स्टैप्स उठाए, तब ही कुछ अच्छा हो पाएगा।

इसी तरह से जो स्टूडेंट्स की फीस है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो फिर वे कॉलेज और स्कूल्स की फीस कहां से लाएंगे। इसलिए मेरी अपील है कि स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस को माफ किया जाए।

इसके अलावा जो लिफ्ट इरीगेशन प्वाइंट और डीप बोरवैल प्वाइंट है, डीप बोरवैल पर एक-एक लाख रुपया लगाया जाता है। सरकार हमको पचास प्रतिशत सब्सिडी दे रही है लेकिन बाकी पचास प्रतिशत हम कहां से लाएंगे जबकि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। यह ठीक है कि श्रमिक वर्ग के लिए हमको आप अगली जून तक काम दे देंगे। रबी की फसल के लिए सब्सिडी के जो बीज हैं, उसको पचास प्रतिशत डिस्काउंट पर दे रहे हैं लेकिन जो डीप ट्यूब-वैल है, उस पर पचास प्रतिशत सब्सिडी देने से बाकी पचास प्रतिशत किसान भाई कहां से लाएंगे? इसीलिए डीप ट्यूब-वैल, डीप बोरवैल और जो लिफ्ट इरीगेशन प्लान है, उसको किसान भाइयों के लिए फ्री किया जाए और जो भी अपने खेत में लगाना चाहते हैं, उनको दिया जाए। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को किसान भाइयों के लिए पानी की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो के.बी.के. योजना है, इसमें यहां से डायरेक्ट फंड लेते हैं। कलैक्टर लोग आते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहां से आकर पैसा लेते हैं, यहां से जो के.बी.के. के फंड का एलॉटमेंट होता है, मैं कहना चाहता हूं कि उनको यहां से डायरेक्ट पैसा भेजा जाए तभी यह पैसा ठीक से रह पाएगा तथा योजना का इम्प्लीमेंटैशन ठीक से हो जाएगा, यह हमारा सुझाव है। मेरा अंतिम सुझाव है कि के.बी.के. योजना के लिए एक को-आर्डीनेशन ऑफिसर रखा जाए और यहां से डायरेक्ट फंडिंग की जाए और पी.एम.ओ. में नेशनल ड्राउट रिलीफ फंड्स फॉर उड़ीसा स्थापित किया जाए और इसमें जो भी पैसा चारों तरफ से आएगा, वह उड़ीसा के सूखा पीड़ित लोगों के लिए हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि यहां से डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट फंडिंग होनी चाहिए। मेरी माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी तथा इस सम्मानीय हाउस से हाथ जोड़कर अंतिम प्रार्थना है कि यहां जो कुछ चल रहा है, मैं पिछले पांच साल से देख रहा हूं और इस संबंध में बोला हूं, मैं आपके सामने एक सही बात रख रहा हूं कि इतना बोलने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जो भी जहां बैठे हैं, सब अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं। बस सबको यही चिंता है। किसी को धर्म की चिंता है तो किसी को जाति की चिंता है लेकिन हिन्दुस्तान के गरीब लोग भूखों मर रहे हैं। यह बोलंगीर की इज्जत का सवाल नहीं है, यह उड़ीसा की इज्जत का सवाल नहीं है, यह सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के लोगों की इज्जत का सवाल है। बोलंगीर के लोगों के लिए, उड़ीसा के लोगों के लिए तथा के.बी.के. के लोगों के लिए अगर भीख भी मांगनी पड़ेगी तो इंटरनेशनल लैवल पर भी हम भीख मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सरकार यह कह दे कि इनकी मदद करने के लिए हम तैयार नहीं हैं और हम मदद करने में सक्षम नहीं हैं तो हम उड़ीसा के लोगों के लिए भीख मांगने के लिए भी तैयार हैं।

इसीलिए मैं सदन में कह रहा हूं सरकार उड़ीसा में जाए और देखे। पंजाब से आए हुए लोग यहां मंत्री बनकर बैठे हैं। यह उड़ीसा के लोग धर्म-जाति इत्यादि कुछ नहीं देखते हैं, वे केवल विकास चाहते हैं, वे केवल दो वक्त की रोटी, पीने का पानी तथा रोजगार मांगते हैं, यह उड़ीसा के लोगों की मांग है। आज तक उड़ीसा के लोग सर उठाकर रहे हैं और हम उड़ीसा के गौरव को बचाने के लिए कुछ भी करने

को तैयार है। अतः सरकार से मेरी अपील है कि वह उड़ीसा के लोगों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए तथा बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय कृषि मंत्री हस्तक्षेप करेंगे। उससे पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। आठ वक्ता हैं। यदि आश्वासन हुआ तो हमें समय बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कल हमारे पास चर्चा के लिए समय नहीं है। हमें इसे आज ही समाप्त करना होगा।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है..

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : और जो बोलेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : एडवांस में धन्यवाद नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं इन लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को काम में लाना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, यह भी आश्वासन मैं आपको देता हूं। यह संकट कोई उड़ीसा का संकट नहीं है, यह राष्ट्रीय संकट है। इस बात को हमने कहा भी है। इस तरह की समस्या पर पूरे राष्ट्र को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह आप लोग जानते हैं, मैं सैक्टेरियन व्यूह नहीं लेता हूं। कांग्रेस की सरकार है, तब भी आप लोगों ने पूछा था, हमने यही कहा था। यह सब काम हम नहीं करते हैं। जो सही स्थिति है, वह आपके सामने है। इसका मुकाबला एक दल या दो दल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इस समस्या को दो भागों में बांटता हूं। एक तो यह कि परमानेंट इन्तजाम होना बहुत जरूरी है और इतना जरूरी है कि हम काफी चिन्तित हैं कि इसको कैसे किया जाए। विज्ञान और टैक्नोलाजी में इतना विकास हो गया है कि अब अगर कोई सूखे में मरता है, तो वह मानव जाति के लिए और वहां की सरकार के लिए कलंक की बात है। साइक्लोन की दूसरी स्थिति है, क्योंकि विज्ञान इस क्षेत्र में इतना विकसित नहीं हुआ है, लेकिन सिंचाई का इंतजाम कर दिया जाए, तो सूखा कम हो जाएगा। इस दिशा में भारत ने कदम उठाए हैं। अब फैमिन पहले जैसा नहीं होता है, यह सब विकास हम लोगों ने अपने आप ही किया है। जो कुछ हो रहा है, हम गद्दी पर रहें या दूसरे रहें, लेकिन अदूरदर्शिता और गलतियों के कारण हो रहा है। मैं इसका शेयर लेने के लिए तैयार हूं। यदि इस समय में कोई मरता है, तो हमको बोलने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। यह मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं।

मैं अभी कन्सन्ट्रेट करूंगा अभी की समस्या को लेकर कि क्या करें। बहुत से सुझाव आए हैं और एक सुझाव फैमिली प्लानिंग का भी आया है। अभी फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दिया जाएगा, तो जिसने अभी जन्म लिया हुआ है, उसको कैसे बचायेंगे। इसमें तो अपने को ही खतरा है। बूढ़े लोग फैमिली-प्लानिंग के लिए सुझाव देते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपना कोटा पूरा कर लिया है और अब नौजवानों को कहिए, तो तैयार भी कर सकते हैं कि चलिए। हम अभी उन सवालों पर नहीं जायेंगे और न उस पर चर्चा करेंगे। हम आपको सुझाव देंगे, जब यह संकट कुछ घट जाये या जब अगला प्लान बनेगा, तो कालिंग एटेंशन के माध्यम से या किसी और माध्यम से इस समस्या के निदान के लिए परमानेंट इन्तजाम के बारे में सदन में डिसकशन करवाइए और उसमें कन्क्रीट सुझाव दीजिए। उसमें कुछ सरकार को मदद हो सकती है। अभी जो देश में हो रहा है, मैं आपको उसके बारे में बतलाता हूं, इसमें हम भी शामिल हैं। यह न समझिए कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। जब कोई स्थिति घटती है, तो अखबार में छपता है। फिर मिनिस्टर जाता है और हवाई की सैर करता है और वहां से आकर ब्यान देता है। इसके बाद सरकार मैमोरेंडम देती है और फिर सैन्ट्रल टीम जाती है और कुछ पैसा दिया जाता है। यहां आप लोग डिसकशन करते हैं कि देर हो रही है। एक्शन होते-होते दूसरा साल आ जाता है और फिर वहां से स्थिति दोबारा शुरू हो जाती है। यह सिलसिला अपने देश में चल रहा है। इसको रोकना चाहिए इसलिए हमने आपसे कहा कि एक टाइम-बाउन्ड कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। यह कोई ऐसा असम्भव काम नहीं है, जैसे कोई कहता है कि 20 साल लगेंगे, कोई कहता है कि 30 साल लगेंगे। मैं समझता हूं कि पीने का पानी पहुंचाने के लिए पांच साल काफी हैं ऐसी कोई विशाल रिवर नहीं है, जिसको हम टेम न कर सकें। पैसा चाहिए, तो बात करके किया जा सकता है। उड़ीसा ऐसा राज्य है, जहां इस साल सूखा और अकाल पड़ा है।

लेकिन पिछले साल दूसरे राज्यों के मुकाबले सेंट्रल कोटे से उड़ीसा को 1/2 मिलियन टन राइस दिया था। यह वही उड़ीसा है, कोई दूसरा नहीं है।

[अनुवाद]

कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान न हो।

[हिन्दी]

ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है बल्कि किया गया है। लेकिन जैसा हमने आपसे कहा है कि अभी हम गए थे। आप जानते हैं कि मैं गया था, हमारे सहयोगी मंत्री जी भी गए थे। आपकी तो सरकार ही कांग्रेस वाले की थी। सब बैठे थे, सब हिसाब जोड़ कर तय हुआ कि अभी उनके पास 216 करोड़ रुपए हाथ में हैं, जिसको वे खर्च कर सकते हैं लेकिन वह काफी नहीं हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन इतना उनके पास अभी दिया हुआ है। माननीय सदस्य भी वहां पर ही थे।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : राज्य सरकार ने 38 करोड़ रुपये का उल्लेख किया है जो आपने हाल में 9 करोड़ रुपये दिए थे उसे मिलाकर ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : उन्होंने 216 करोड़ रुपये स्वीकार किए हैं। सब मिलाकर हम आपको कह रहे हैं हमने यह तो नहीं कहा कि इतना है, कम से कम जान बचाने का काम तो हो गया, अब इस काम को शुरू कर दिया जाए। अभी उन्होंने शुरू किया है। हम इसको छिपा नहीं रहे हैं। हमने अखबार वालों को भी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन अब गियर्ड-अप हो रहा है, पहले नहीं हुआ था। पहले जो हुआ है हम उन कारणों में नहीं जाएंगे। लेकिन पहले आपकी यह हालत थी कि अखबारों में बहुत ही दुखद समाचार आता था और सरकार की रिपोर्ट नहीं आती थी। ...**(व्यवधान)**

श्री भक्त चरण दास : मान्यवर, जब इन्होंने काम शुरू किया तो इनके पास इतना इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : अरे भई, इनफ्रास्ट्रक्चर तो बाजार से नहीं लाएंगे। आप तो वहां पर थे। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कैसे-क्या कर रहे हैं। जब यह रुपए की गारंटी हो गई तब हमने कहा कि अगर अब कोई मरेगा तो डी.एम. की जिम्मेदारी होगी। वहां से आ करके होम मिनिस्टर को पत्र लिखा कि इसे अपने आईएएस ऑफिसर्स को दे दीजिए, अब यहां से कार्यवाही की जाएगी जब कोई मरेगा। ...**(व्यवधान)** हमको कहा गया कि जंगल एरिया में बहुत हैं। क्या सरकारी नौकरी कोई ससुराल है। आप बताइए हम काम करने के लिए आए हैं तो हमको देखना ही होगा। जैसे हम हैं वैसे ही हमारे जंगल में रहने वाले भी हैं। हमने कड़ाई की है और आपके सामने की है। आप जो कह रहे हैं कि जो लोग मर गए हैं उनके लिए हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया है, क्यों दिया है। इस देश में यह आम बात हो रही है कि भूखा मर गया है। सरकार कहती है नहीं मरा, हम कहते हैं मर गया है। आप कहते हैं मर गया, इधर आएं तो नहीं मरा, उधर रहें तो बहुत मरे। ऐसे क्या किसी आदमी की जिन्दगी के साथ कोई खिलावाड़ करता है। इसलिए हमने एक रास्ता निकाल दिया है कि अगर ऐसा हो गया तो हम सब लोग अपने को कलंकित महसूस करेंगे कि हमारे रहते हुए लोग भूखे मर जाते हैं। अब निष्पक्ष आदमी को दिया है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन पर तो किसी का बस नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के ये लोग पहुंचते हैं तो हम जांच पर जाएंगे और कम से कम राष्ट्र का ध्यान तो इस ओर आकर्षित होगा। इसलिए इसको हमने कर दिया। दूसरा हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हम कितना महत्व देते हैं। देखिए, परसों डेनमार्क के मिनिस्टर ऑफ कोआपरेशन एंड डेवलपमेंट आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम कुछ सहयोग कर सकते हैं। आप हमको दो रोज दीजिए जहां हम 30 से 40 मिलियन डालर ख़र्च करें। हमने कहा कि हम सबसे पहले उड़ीसा को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन उन्होंने दोबारा कहा कि दो स्टेट दे दीजिए। हमने कहा कि हम पहले उड़ीसा को देंगे उसके बाद दूसरा देंगे। अब यह जो केबीके प्रोग्राम बनाया है अब उस पर हमसे मत चर्चा कराइए। हम आपको साफ कह देते हैं क्योंकि अभी वह अच्छा वातावरण पैदा नहीं करेगा, जब तक फंड की गारंटी न हो जाए और प्लानिंग कमीशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव न कर दे। यह क्या तरीका है, हम लोग बोल देते हैं कि ऐसे-ऐसे होगा लेकिन बाद में नहीं होता है। यह तो कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप दुख तो नहीं मान रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री जी, कुछ हमारे बारे में भी बोल दीजिए। ...**(व्यवधान)**.

श्री चतुरानन मिश्र : आपसे तो हमने कहा था कि आप अलग बोलिए, आपने इसी में शामिल कर दिया। इस तरह से तो नहीं होता है। राजा होते तो हम कह देते। आप जो बात बोले हैं हमारे सेक्रेटेरियेट में जाएगा, रिपोर्ट आएगी, हम जांच करवाएं। आप कहते हैं कि हम अभी ये सब बोल दें। राजा होते तब तो हम बोल देते लेकिन अभी तो हम मंत्री ही हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : इतना बता दीजिए कि जांच करने के बाद इस पर कार्यवाही होगी? ...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आप इसको बाजाप्ता ढंग से उठाइए। हम तो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, अभी इसीलिए हमने इसकी चर्चा की।

अभी फंड के बारे में आपसे कहा, प्रशासन के बारे में श्री दास ने कहा कि प्रशासन खराब है। हम उसकी तह में गये। इन्होंने 129 डाक्टरों को नियुक्त कर दिया है। नियुक्ति देने के बावजूद भी केवल 9 डाक्टर जाने के लिए तैयार हुए। सैक्रेट्री ने बताया कि अभी भी 10 ब्लॉक ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं गये हैं। अगर इस सप्ताह में नहीं जाएंगे तो हम सपेंड करेंगे। हमने पता लगाया कि डाक्टर क्यों नहीं जाते हैं, क्या बात है। पता लगा कि उस इलाके में कोई साधन नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं है। हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को एक-एक कमिश्नर या सैक्रेट्री लेवल के आई.ए.एस. ऑफिसर को दीजिए। फिर हमने कहा कि 15 दिन वे उस जिले में रहें। बाद में समझौता हुआ कि पांच दिन कम से कम रहेंगे। इसलिए प्रशासन के लिए तो हमने कर दिया है। लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें दिक्कत है।

दूसरी बात यह है कि वहां बीमारी सिर पकड़ती हैं। एक डी.एम. और एक डी.आई.जी. सेलेबरल मलेरिया में मर चुके हैं। एक डेंगू में मर चुका है। यहां डेंगू बाद में आया वहां तो पहले ही घर बना चुका था। इस सबके चलते वे वहां जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि कुछ फैसिलिटीज उनको दे दो। नॉर्थ-ईस्ट में हमारे जो ऑफिसर्स

जाते हैं उनको हम 30 परसेंट स्पेशल नॉर्थ-ईस्ट एलाउंस देते हैं। ...**(व्यवधान)** इसलिए अभी एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात हमने की है।

फसल बीमा के बारे में हमने आपसे राय लेकर वित्त मंत्रालय को, प्लॉनिंग कमीशन को दे दिया है। अगर यह हो जाता है तो करप्शन का चार्ज कम होगा। फिर मिनिस्टर के पास आने का झंझट भी नहीं रहेगा। ...**(व्यवधान)** वह तो पांच परसेंट है। आंध्र प्रदेश में 50 परसेंट हैं। आप जानते हो हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बैकवर्ड है। अब उसको अगली खेती के लिए एटोमैटिक पैसा मिलेगा। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि वे अगली खेती कैसे करेंगे तो थोड़ा तो हम अमली खेती के लिए इनपुट एलाउंसिज देंगे। अभी हमने अपने विभाग को दो चीजों के बारे में आदेश दिया है। एक तो होर्टिकल्चर के बारे में क्या-क्या हो सकता है। जहां पानी है वहां आलू, प्याज या जो कुछ भी सब्जी हो सकती है उसके लिए हम मदद देने के लिए तैयार हैं ताकि लोग उस काम में लग जाएं। वह भी तो एक एसेट हो जाएगा। इसलिए उसकी व्यवस्था पर हम जोर दे रहे हैं।

एम्प्लॉएमेंट के बारे में आप जानते हैं और पीने के पानी के लिए हमने प्राइवेट से लेने के लिए कहा है। उन दोनों ने दो महीने का टाइम मांगा था हमने एक महीने में पानी के इंतजाम के लिए कहा है। आप पानी के अभाव में कितना भी भाषण दीजिए कि पलायन न हो लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो लोग वहां से पलायन करेंगे इसलिए हमने कहा है कि एक महीने में हर घर में पीने के पानी का इंतजाम होना चाहिए। फोडर का इंतजाम, पीने के पानी का इंतजाम, रबी फसल का इंतजाम तथा एम्प्लॉएमेंट के लिए जो मिट्टी में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो काम शुरू हो जाएगा जैसा कि हमने प्रश्नकाल के दौरान भी कहा था। चिंता यह है कि कुछ महिलाएं हैं जो घर रहती हैं, जो बाहर नहीं जाती हैं।

मिलियन वैल्स वाला प्रोग्राम बिलो पावर्टी लाइन के लिए लागू है। ड्राउट कंडिशन में वह सबके लिए लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में किसानों को अपने-अपने खेतों में काम करने में बाधा नहीं होगी। हम ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं। असल में इस पर प्रधान मंत्री जी बोलेंगे। मैं तो थोड़ी सी बातें कह रहा हूं।

आज सवेरे भारत की सभी ट्रेड यूनियन्स के लीडर्स से मीटिंग हुई। उनसे कहा गया है कि वे एक दिन की मजदूरी रिलीफ फंड के लिए दें। मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों ने बैठकर फैसला लिया है कि वह एक दिन की मजदूरी चाहे काम करके हो या छुट्टी एडजस्ट करके हो, वे एक दिन की कमाई रिलीफ फंड में देंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : संसद में भी इसे कराइए।

श्री चतुरानन मिश्र : पार्लियामेंट वाला भी कर दिया। सब पार्टीज ने इस बारे में बोल दिया है।

हमारे पास एक और खबर आई है। मुझे आज सवेरे फोन आया और मैंने कल सदन में भी कहा था कि कान्चीपुरम् पीठ के शंकराचार्य तीन ट्रक्स में सामान लेकर आन्ध्र प्रदेश पहुंच गए हैं। जूनियर शंकराचार्य से भी आज फोन पर बात हुई हैं। हमने उनसे कहा कि आप जूनियर हैं। आप भी ऐसा कीजिए। वह भी उसका इंतजाम कर रहे हैं। पुरी में भी शंकराचार्य हैं। उनके पास भी कोई पहुंचिए। अयोध्या जाने के लिए बहुत से महन्त, साधु और संत हैं। आप उनसे कहिए कि वे अयोध्या की बजाय वहीं चलें और वहां कुछ करें। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ...**(व्यवधान)** हम किसी को कोई चोट पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। यह राष्ट्रीय कैलेमिटी है। सब मिलकर रिलीफ का काम करें।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : माननीय मंत्री जी ने चाहे किसी को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा न कहा हो लेकिन उनका लहजा बहुत व्यंग्यात्मक था। उन्हें हम सबका समर्थन भी मिला। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे किसी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर रखा जाए ...**(व्यवधान)** मैं खेद के साथ विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को इनसे दूर रखिए। अगर आपको अपने कर्त्तव्य का ध्यान है तो आप उनसे राष्ट्र व्यापी अपील कीजिए। अगर फिर रिस्पौंस नहीं मिलता तो उसके बाद कहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : अपील ही तो कर रहा हूं। एक शंकराचार्य कह रहे हैं तो दूसरे क्यों नहीं कह रहे हैं। यह अपील नहीं है तो क्या है?

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : अयोध्या जाने के लिए बहुत साधु, संत थे, ऐसा डिसकशन यहां नहीं होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : अयोध्या में बहुत लोग हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : आप मंत्री होने के नाते उनसे अपील कीजिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा।

श्री चतुरानन मिश्र : वही तो हम चाह रहे हैं। उसको आगे लोग करें।

हम इस तरह के कुछ प्रोग्राम ले रहे हैं। यहां कुछ सुझाव दिए गए। अभी कहा गया कि यहां से डायरेक्ट फंड अरेंज कीजिए। यह संविधान के मुताबिक सम्भव नहीं है।

श्री शरत पटनायक : आप इस सिस्टम को चेंज करिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स स्पीकर से इस बारे में बात करें। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक आगे कुछ काम नहीं हो पाएगा।

श्री चतुरानन मिश्र : स्पीकर को पावर नहीं है।

श्री शरत पटनायक : हाउस में 2/3 मैजॉरटी से इसे पास कराया जा सकता है।

श्री चतुरानन मिश्र : इसे हाउस नहीं कर सकता।

श्री शरत पटनायक : इसे कौन कर सकता है?

श्री चतुरानन मिश्र : हमारा फैडरल कॉन्स्टीट्यूशन है। स्टेट पावर्स संविधान में अलग से दी हैं। अगर उसे बाई पास कर देंगे तो यह सम्भव नहीं होगा। उनसे कॉन्सेंट लेकर ...**(व्यवधान)**

श्री भक्त चरण दास : राज्य सरकार से कॉन्सेंट लेकर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वह कितना डाइवर्ट हुआ है।

श्री चतुरानन मिश्र : हमको मालूम है कि वह डाइवर्ट होता है लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। इसको लेकर आप लोक सभा और विधान सभा में हल्ला करते हैं। संविधान को तो मानना पड़ेगा। इसलिए बाई पास स्टेट गवर्नमेंट को कोई नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बात काटना छोड़िए।

माननीय मंत्री जी आपको और कितना समय चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

यहां परमानैंट मैजर्स उठाने की बात कही गई। यह हम करने की कोशिश करेंगे लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि हमने जो भी प्रोजैक्ट्स शुरू किए हैं, उनका परमानैंट सौल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है।

अपराह्न 8.00 बजे

ऐसा न हो कि मिट्टी काट-काटकर हिसाब करते रहें कि सब रुपया खर्च हो गया है। उसमें हम लोग आपसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे। सभी आदमी जाकर देखिये, चैक अप करें। जो हम लोगों से होगा, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर दोहराते हैं कि वैसे तो प्रधानमंत्री जी स्वयं कहेंगे लेकिन किसी को मरने नहीं दिया जायेगा, कम से कम इस नाम पर कि पैसा नहीं है, फंड्स नहीं हैं। हम सब लोग यही प्रयास करें, यही हमारा आपसे नम्र निवेदन है।

श्री भक्त चरण दास : कृषि मंत्री जी से मेरा एक सवाल है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री दास, इससे पहले कि आप अपना प्रश्न पूछें, हमें समय बढ़ाने के बारे में निर्णय लेने दीजिए। अब 8 बजे हैं और अभी सात सदस्यों ने बोलना है। संसदीय कार्य मंत्री अब हम क्या करें?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : हम आज और आधे घंटे के लिए चर्चा कर सकते हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : हम कल अपनी चर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : कल गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है।

श्री मृत्युन्जय नायक : यदि हम आधा घंटा और चर्चा करें, तो क्या समस्या है। यदि आप समझते हैं कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया ऐसा नहीं कहिए। वे अपना सहयोग दे रहे हैं। वे वक्ता नहीं हैं लेकिन वे यहां बैठे नहीं हैं। इस तरह की चर्चा से हमें मदद नहीं मिलेगी।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मैं चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं। मैं यहां इस मुद्दे पर बोले बिना ही बैठा हूं। आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं।

सभापति महोदय : द्रोण जी, यदि आप सब सहमत हैं तो हम सभा का समय और आधे घंटे के लिए बढ़ा देते हैं और हम इस महत्वपूर्ण और नाजुक विषय पर चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। सभी वक्ता पाँच मिनट के लिए ही बोलेंगे। हो सकता है कल समय न मिले क्योंकि कल गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लिए जायेंगे।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : ठीक है।

श्री भक्त चरण दास : मैं अब यह प्रश्न माननीय कृषि मंत्री से पूछ रहा हूं क्योंकि वे कल सभा में उपलब्ध नहीं होंगे। कल मैंने अपने वक्तव्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दो रुपए प्रति किलो की दर पर चावल की आपूर्ति करने के बारे में उल्लेख किया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार की ओर से माननीय कृषि मंत्री, उड़ीसा सरकार से अपील करेंगे कि वे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में दो रुपए प्रति किलो की दर पर चावल की आपूर्ति करें। ...**(व्यवधान)** भारत सरकार को अपील करनी चाहिए अथवा उड़ीसा सरकार को सहायता प्रदान करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)** यहां तक कि घोषित ब्लाकों में भी वे दो रुपए प्रति किलो की दर पर चावल की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। कालाहान्डी में 10 सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्लाक हैं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपका प्रश्न स्पष्ट है। मंत्री जी, एक विशिष्ट प्रश्न है।

श्री भक्त चरण दास : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : जैसाकि मैंने पहले मिडिल क्लास के लिये कहा कि अगर वे काम करना चाहते हैं तो मिलियन वैल्ज स्कीम में अपना काम खेत में कर लें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : पर हैक्टेयर का जो प्रोविजन है ..

श्री चतुरानन मिश्र : आपसे मैंने पहले कहा ही है फिर भी इस विषय पर प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोलेंगे। दो रुपये किलो राईस स्टेट गवर्नमेंट का है, उनको हम क्या कहें? वे अपनी स्कीम करेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आपका दो टाईप का स्टेट होता है, नेशनल ऐवरेज के ऊपर होता है जिसमें इनकम नहीं होती और दूसरा पावर्टी लाईन जो 40 प्रतिशत है जिसमें मच बिलो जनरल ऐवरेज नेशनल इनकम होती है, इसमें जो सारे री-एडजस्टमेंट, सी.आर.एफ. जिस तरीके में हुआ है और इसका जब लोन क्लीयरेंस हो जायेगा असिस्टेंस नहीं होगा, उस पर विचार होना चाहिये।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने तो कहा है और बोलते हुये अपने जवाब में बताया है कि ऐसा करने से सब स्टेट्स पांच वर्ष पीछे चला जायेगा, इसलिये कोई रास्ता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के.प्रधानी (नवरंगपुर) : सभापति महोदय, मैं जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों के बारे में कृषि मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि वहां अधिक संभावनाएं न होने के कारण और कुछ अन्य कारणों से वे वहां नहीं जा रहे हैं। छठी तथा सातवीं योजनावधि के दौरान अनुसूचित अथवा जनजातीय क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता था। लेकिन अब यह भत्ता देना बन्द कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री यह मामला सरकार के साथ उठायेंगे? जब डाक्टर और बी.डी.ओ. सूखा राहत के संबंध में वहां कार्य करने नहीं जा रहे हैं तो कोई इस सूखा राहत कार्य को कैसे कर सकता है?

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : जिस-जिस मंत्रालय का है, उसके पास हम इसका निवेदन पहुंचा देंगे। हम हर मंत्रालय के मालिक तो नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास : महोदय, कृपया मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय : आपको कल समय मिलेगा। प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भक्त चरण दास : यह उनका मामला है, महोदय।

सभापति महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है। आपने दो प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उन दोनों का उत्तर दिया है।

(व्यवधान)

श्री भक्त चरण दास : कृपया एक प्रश्न । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप प्रधानमंत्री से कल पूछ सकते हैं।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, प्रधानमंत्री जी, मुझे उत्तर नहीं दे सकते हैं।

सभापति महोदय : आपको कल समय दिया जायेगा। श्री भक्त चरण दास, कृपया बात मानिए। अन्य सदस्यों को भी बोलने दीजिए। आप प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं वे कल दो बजे उत्तर देंगे।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : माननीय सभापति महोदय, अन्त में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भुखमरी से होने वाली मौतों संबंधी मामला एक ऐसा मामला है जिसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया है कि हम सत्ता में इस घटना के लिए किसी को माफ नहीं कर सकते, जो इन मौतों को रोक सकते थे, मात्र यह कह कर कि उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी।

कालाहान्डी, कोरापुट और बोलंगीर में भुखमरी से मरने वालों का मामला हमारे लिए कुछ नया नहीं है। पिछले कुछ समय से हम कुछ ऐसे भंयकर समाचार सुनने के आदी हो चुके हैं। इन अपमानजनक मौतों के लिए कौन जिम्मेवार हैं? जबकि राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न का भरपूर भंडार है और इस खाद्यान्न के भंडार के काफी हिस्से को चूहों इत्यादि द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जाता है और हमारे भाई-बहनों की भूख तथा प्यास से मौतें हुई हैं। यह बहुत दुख की बात है। अतः, अन्त में, मैं मांग करता हूं कि उड़ीसा में सूखा प्रभावित लोगों के लिए खाद्यान्न के भंडार खोले जायें। यह बहुत दुख की बात है कि राज्य सरकार ने इस मामले की ओर राष्ट्र का ध्यान उतनी गंभीरता से आकर्षित नहीं किया जितना कि करना चाहिए था।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। समय कम है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार प्रभावित लोगों के दुखों को कम करने की कोशिश करते समय इन बातों को ध्यान में रखेगी।

मेरा प्रथम सुझाव यह है कि दो तरह के उपाय करने चाहिए पहला दीर्घावधि और दूसरा अल्पावधि। प्रथम, मैं अल्पावधि के उपायों के संबंध में सुझाव दूंगा। जहां तक कि फसलों को हुए नुकसान और आने वाले महीनों में फसलों को नुकसान पहुंचने का संबंध हैं, स्थिति का पूरा ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। यह सूचना मिली है कि कालाहान्डी, बोलंगीर, नौपाड़ा, सम्बलपुर और सोनपुर सहित उड़ीसा का पश्चिमी भाग बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। इन जिलों में आदिवासी लोग रहते हैं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यह अनुमान लगाया गया है कि सूखे के कारण 26 लाख टन खाद्यान्न को नुकसान पहुंचा है। यह सूचना मिली है कि राज्य सरकार ने आने वाले महीनों में रबी के 17 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। 10 से 12 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार इस खाद्यान्न की कमी की पूर्ति करने की स्थिति में होगी।

मेरा अगला सुझाव यह है कि रबी फसल के उत्पादन के लिए कृषकों को सिंचाई सुविधाएं अवश्य उपलब्ध कराई जाएं।

बीजों के लिए राज सहायता प्रदान करनी चाहिए। उर्वरकों के लिए सस्ती दर पर राजसहायता प्रदान करनी चाहिए।

इस कार्य के लिए अनुमानतः 3.79 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता है। इस तथ्य के कारण कि राज्य सरकारें धनराशि की कमी का सामना कर रहे हैं। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए।

मेरा अगला सुझाव यह है कि सूखे के कारण दैनिक मजदूरों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। अतः केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं और रोजगार गारंटी योजनाओं द्वारा इन दैनिक मजदूरी कमाने वालों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए मिलकर काम करना होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि उड़ीसा में 41 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। उन परिवारों में 13 लाख लोगों के पास इस राष्ट्रीय आपदा के कारण रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए दिसम्बर 1996 से जून 1997 तक 7 महीनों के लिए 13 लाख लोगों को कार्य देने का प्रावधान करना होगा और 13 लाख लोगों को कार्य देने के लिए केवल 462 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी।

जहां तक कि पीने के पानी का संबंध है सूखे से न केवल दैनिक मजदूर और निर्धन कृषक प्रभावित हुए हैं बल्कि मध्यम और धनी कृषक भी प्रभावित हुए हैं। इन सबको पानी की कमी महसूस होगी। भूमिगत जल का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन उससे भी पर्यावरणीय हानि ही होगी। अतः नदियों का सावधानीपूर्वक संरक्षण करना होगा ताकि भविष्य में पीने के पानी की कमी न हो।

विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी फैल सकती हैं। राज्य सरकार को स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन हालातों में यदि आवश्यकता हो तो केन्द्र सरकार को राज्य में चिकित्सा दल भी भेजने चाहिए।

खाद्य कमी के बारे में, मैं सुझाव देता हूं कि भारतीय खाद्य निगम को राज्य में खाद्य भण्डारण पर्याप्त मात्रा में करने के लिए निदेश दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को आश्वस्त किया जा सके कि उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है और यह कि आश्वयकता पड़ने पर उन्हें खाद्य प्रदान किया जायेगा। वास्तव में, उन्हें खाद्य प्रदान किया जाना चाहिए।

मैं इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। भमि सुधार उपायों को तुरन्त अपनाया जाना चाहिए। भूमिहीनों को भूमि का वितारण आवश्यक है। इससे वे अपनी भमि के प्लाटों को मानसून के अनुसार जोत सकेंगे।

परती भूमि विकास परियोजनाओं को प्रारम्भ करना है। ऐसे कार्यों में गरीब भूमि-हीन लोगों को शामिल करना है। सूखे के समय उनको खेती के लिए भूमि तथा ऋण प्रदान किए जाने चाहिए।

जिन आदिवासियों ने अपने निवास स्थान छोड़ दिए हैं उनको पुनर्वास किया जाना चाहिए। उनकी इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से सहायता की जानी चाहिए। उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जानी चाहिए।

वानिकी कार्यक्रमों को सावधानीपूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। गरीब आदिवासियों को वानिकी कार्यक्रमों में हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए।

लघु उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। वहां विपणन सुविधाएं प्रदान की जानी है। सामाजिक सेवाओं से प्रतिबद्ध लोगों को ऐसे कार्य सौंपे जाने चाहिए।

इन्दिरा तथा सुकतेल जैसी लम्बित नदी परियोजनाओं के कार्यों को तेज किया जाना चाहिए और उन्हें नौवीं पंचवर्षीय योजना में अवश्य पूरा किया जाना चाहिए।

मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं कि वृद्धावस्था पैंशन इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि वास्तविक गरीब वृद्ध व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए। चूंकि कोई निर्वाचित पंचायत नहीं है पता लगाने की समस्या गंभीर होगी। अतः वृद्धावस्था पैंशन कार्य को उचित रूप से करना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ पंचायतें बनानी चाहिए।

उड़ीसा जैसे राज्य को कतिपय आपदाओं में कुछ सहायता प्रदान करने को केन्द्र की ओर से किसी तरह के उपकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हमें यह दिमाग में रखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य का केन्द्र से अधिकार के रूप में, न कि उपकार के रूप में, आवश्यक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यही कारण है कि हम केन्द्र राज्य संबंधों को पुनः समायोजित करने के लिए हम स्पष्टीकरण आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन के लिए शोर मचा रहे हैं। धन्यवाद महोदय।

***कुमारी फ्रिडा तोपनो** (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में सूखे की स्थिति पर बोलने के लिए अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद करती हूं। मेरे से पहले जो सदस्य बोले हैं उन्होंने पहले ही अभूतपर्वू सूखे की स्थिति के कारण उड़ीसा की स्थिति की गम्भीरता का विस्तृत ब्यौरा दे दिया है। मैं उन बातों की पुनरावर्ती नहीं करना चाहती। मैं अपना भाषण वर्तमान भीषण सूखे से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं तक सीमित रखना चाहती हूं। मैं सुन्दरगढ़ जिले के अपने लोगों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालना चाहती हूं।

महोदय, यह वास्तव में बहुत दुःखद बात है कि समस्त उड़ीसा राज्य गम्भीर सूखे की चपेट में है जैसा कि प्रथम फसल कटाई रिपोर्ट

* मूलतः उड़ीसा में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के आधार पर जिला कलैक्टर द्वारा प्रदान की गई, जानकारी में बताया गया है, तदनुसार, केवल 12 जिले सूखे से प्रभावित हुए थे। स्थिति और गम्भीर हो गई और अब समस्त राज्य प्रभावित है। उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को उस राज्य में सूखा राहत उपायों के लिए 585.00 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। मैं यह मांग करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई निधियां तुरन्त स्वीकृत की जानी चाहिए।

वर्षा की कमी तथा राज्य में विद्यमान गम्भीर सूखा के कारण, कई जिलों में पीने के पानी की कमी महसूस की गई है। आगामी महीनों में पीने के पानी की कमी और क्षेत्रों में भी महसूस की जा सकती है। राज्य सरकार ने 8000 नलकूप लगाये हैं और 2000 पुराने और दोषपूर्ण नलकूपों के स्थान पर भी नये नलकूप लगाये गये हैं।

महोदय, मैं उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले से हूं। इस वर्ष प्रारम्भ से ही उस जिले में कम वर्षा के कारण खरीफ फसल को अत्यधिक नुकसान हुआ। इसलिए, उस जिले में लोगों को जो उचित दर दुकानों से जो खाद्यान्न मिल रहे हैं उससे अधिक खाद्यान्नों को आवश्यकता होगी। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण नेटवर्क को और बढ़ाने का अनुरोध करती हूं। सुन्दरगढ़ के लोगों के लिए गेहूं और चावल के आबंटन को बढ़ाया जाये। उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से गेहूं और चावल के आबंटन को बढ़ाने और 5000 मीट्रिक टन जारी करने का अनुरोध किया है। मैं मांग करती हूं कि राज्य सरकार की मांग के अनुसार उड़ीसा के लिए गेहूं और चावल आबंटन में वृद्धि की जानी चाहिए।

महोदय, सुन्दरगढ़ के किसान सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। जब वर्षा नहीं होती तो वे कोई भी फसल नहीं उगा पाते। ऐसा उस जिले में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण है। अतः पर्याप्त संख्या में गहरे कुएं खोदना तथा प्रत्येक गांव में कुएं खोदना बहुत आवश्यक है ताकि किसान अपनी भूमि में खेती कर सकें और कोई न कोई फसल उगा सकें। इस प्रयोजन के लिए मैं विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग करता हूं।

जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सुन्दरगढ़ सहित कई जिलों में खरीफ फसल का उत्पादन लगभग शून्य है। जो लोग खेती में लगे थे वे खाली घर बैठे हैं। इसी वजह से बड़े स्तर पर लोग दूसरे स्थानों पर चले गये हैं। लोग नौकरी की तलाश में पड़ौसी राज्यों में जा रहे हैं। अतः, उन्हें वापस घर लाना हमारा प्रथम तथा सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। वे उन राज्यों में अपने नियोक्तओं के हाथ सुरक्षित नहीं है क्योंकि उनका उनके द्वारा तथा बिचौलियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। साथ ही हमें और पलायन को रोकने के लिए उपाय करने हैं। यह तभी संभव है जब उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित किए जायें। इस बीच, उड़ीसा सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 12.33 लाख कृषि श्रमिकों को इस वर्ष नवम्बर से जून, 1997 तक के आठ माह के लिए काम प्रदान करने के लिए पहल की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए 1971 करोड़ रुपये का आंकलन किया है। उपरोक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए परिव्यय के लिए केन्द्र सरकार को यह राशि तुरन्त स्वीकृत करके राज्य सरकार को जारी करनी चाहिए।

महोदय, यदि मैं कालाहांडी बोलंगीर तथा कोरापुट कार्यक्रमों जो के.बी.के. के नाम से अधिक जाने जाते हैं, का उल्लेख नहीं करती हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य में असफल रहूंगी। अविभाजित कालाहांडी, बोलंगीर तथा कोरापुट जिले सदैव सूखे से प्रभावित रहते हैं। हमारी पूर्व कांग्रेस सरकार ने सूखा प्रवण कालाहांडी, बोलंगीर तथा कोरापुट जिलों के चहुंमुखी विकास के लिए एक विशेष योजना के.बी.के. तैयार की थी। उक्त कार्यक्रम के लिए निधियों का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है लेकिन यह खेदजनक है कि वर्तमान सरकार ने संसाधनों के अभाव के बहाने उस कार्यक्रम को छोड़ दिया है।

जैसा कि आप जानते हैं, यह उन सूखा प्रभावित जिलों में स्थायी समस्या है। जैसा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने अपने भाषण में बताया था कि जब तक उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया जाता, उन क्षेत्रों में स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। चूंकि यह उन लाखों लोगों के लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। मैं केन्द्र सरकार से के.बी.के. कार्यक्रम को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने तथा उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां निर्धारित करने का अनुरोध करती हूं।

अन्त में, मैं चर्चा में भाग लेने के लिए तथा अपना भाषण पूरा करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूं।

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित नहीं हैं। कुमारी सुशीला तिरिया उपस्थित नहीं हैं। अन्य मैं श्री अनादि चरण साहू को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : सभापति महोदय, इस सभा में मेरा पहला भाषण है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई होती लेकिन मेरे राज्य में सूखे की भयंकर स्थिति के कारण मेरी खुशी समाप्त हो गई है। सूखा उड़ीसा में अक्सर आता रहता है। कभी-कभी निश्चित समयान्तराल पर, लेकिन यह हमेशा बहुत क्रूर होता है। यह कई बार आया है और हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं उस स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहूंगा जो मेरे राज्य में जरूरी है। पूर्व वक्ता विशेषकर श्री पी.वी. नरसिम्हा राव, श्री के.पी. सिंह देव और श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने विस्तृत व्याख्या की है। मैं यह करना चाहता हूं कि सूखे ने राज्य को कई तरीकों से अपंग बना दिया है।

एक पूर्व पुलिस कर्मी होने के नाते मैं केवल दो पहलुओं पर बोलना चाहता हूं। एक वहां पर व्याप्त संकट की स्थिति तथा वांछित संकट प्रबंध के बारे में और दूसरे वांछित आकस्मिक योजना के बारे में। इससे पहले कि मैं संकट प्रबंध के बारे में बोलूं, मुझे माननीय कृषि

मंत्री का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने काफी उदारता दिखाई लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। मैं संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि निकट भविष्य में उनकी उदारता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा के लोगों की ओर से यह मेरा नम्र निवेदन है।

जहां तक संकट प्रबंध का प्रश्न है, राज्य सरकार ने पहले ही सितम्बर में कार्य प्रारंभ कर दिया था। आपने अन्य लोगों के तथा कृषि मंत्री के भाषण से भी यह देखा होगा कि संकट प्रबंध सितम्बर में प्रारंभ हो चुका था। हमें यह नोट करके तथा सभा में बताकर बहुत प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने काफी पहले स्कूलों के छात्रों के लिए दोपहर के भोजन का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। राज्य सरकार ने 145 प्रखंडों में रियायती दरों पर चावल बांटना शुरू कर दिया है। व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण इसने लगभग 44,000 लोगों को के.बी.के. जिलों में खाना देना प्रारंभ कर दिया है। इन्हीं प्रमुख कारणों से राज्य में आ रही कठिनाइयों के बावजूद भूख से किसी की भी मौत नहीं हुई है।

लेकिन संकट प्रबंध हेतु कई पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। सूखे से निपटने के लिए सबसे पहली चीज पानी है आप इस बात की सराहना करेंगे कि बोलंगीर और कालाहांडी जिलों के पांच शहरी क्षेत्रों में लोगों को पानी टैंकरों के जरिए दिया जा रहा है। जब तक अधिक संख्या में टैंकर कार्य पर नहीं लगाए जाते तब तक लोगों को पीने का पानी देना संचय नहीं होगा। यदि पेयजल उपलब्ध नहीं है तो इसके परिव्यय स्वरूप पानी से होने वाली बीमारियां आ जाएगी तथा बहुत सी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होगी। इससे स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। अतः, मैं आपसे पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा जो संकट स्थिति में सबसे प्रमुख बात है। सभी 26 जिलों में भू-जल उपलब्ध नहीं है। हालांकि मेरे जिले कटक में 42 प्रतिशत सिंचाई भूमि है फिर भी हमें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। अब तक भू जल प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले गहरे कुएं खोदना है। भारत सरकार को उन्हें पर्याप्त धनराशि प्रदान करने तथा पर्याप्त कार्य हेतु लोग देने के लिए आगे आना चाहिए।

जहां तक संकट स्थिति का संबंध है, दिसम्बर के मध्य से बड़ी संख्या में लोगों का प्रस्थान प्रारंभ हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है बहुत कम खंडों में संकट पलायन शुरू हो गया है लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का प्रस्थान दिसम्बर के मध्य से प्रारंभ होगा क्योंकि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को पर्याप्त काम नहीं मिलेगा। कोई फसल नहीं हुई है इसलिए कोई कार्य नहीं है। अतः वे जाने की कोशिश करेंगे अतः मेरा अनुरोध है कि सम्पूर्ण राज्य में कुछ श्रम-प्रधान कार्य प्रारंभ किए जाएं।

ऐसा पहले कहा गया है तथा मैंने रेल मंत्री को भी बताने की कोशिश की थी कि कई रेल परियोजनाएं हैं। 50 करोड़ रुपये की एक परियोजना रुपसा-बांगरी-पोशी लाइन के लिए लंबित है। सरकार ने पहले ही धन-राशि स्वीकृत कर दी है लेकिन कार्य आदेश जारी नहीं किए गए हैं। यदि रूपसा-बांगरी-पोशी रेल लाइन को चौड़ा करने के लिए अब 50 करोड़ रुपये जारी किए जाते हैं तो इससे काफी कार्य मिल जाएगा। फिर कटक से तलचेर तक रेल मार्ग को दोहरा करने का कार्य है। यह बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से चल रहा है। पारादीप-कटक रेल लाइन का कार्य भी अजीब तरीके से चल रहा है। यदि इन पर तुरंत कार्य किया जाता है तो इससे लोगों को वर्क मिलने के बहुत से अवसर मिलेंगे ताकि वहां से अन्य क्षेत्रों को पलायन न हो। वे कार्य क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं। मैं अधिक व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है।

मैं आकस्मिक योजना की बात करूंगा। जहां तक आकस्मिक योजना का संबंध है उड़ीसा सरकार ने एक बहुत अच्छी विस्तृत योजना भेजी थी जो के.बी.के. जिलों के लिए दीर्घावधि कार्य योजना है।

किसी आकस्मिक कार्य को करने के लिए यह अच्छा आदर्श हो सकता था। अब जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, मैं पुनः कहता हूं कि सूखे से निपटने का विकल्प पानी है। सिचाई-लघु और मझौली सिंचाई—के उद्देश्य के लिए जल कटाई प्रणाली बहुत आवश्यक है। फिर, हमें सामने आ रही स्वास्थ्य संकट समस्याओं को ध्यान में रखना है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए रोकथाम तथा उपचार हेतु कार्य नितांत आवश्यक है। अतः आकस्मिक योजना में स्वास्थ्य समस्याएं जल आपूर्ति की तरह महत्वपूर्ण हैं।

एक अति महत्वपूर्ण और बहुत छोटा मुद्दा है जो अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में बदलना हो सकता है ताकि इससे किसानों की समस्याएं दूर हो सकें। मध्यम वर्ग के किसान के बारे में सोचा जाना चाहिए। लेकिन मध्यम वर्ग के किसान के बारे में सोचते हुए लिफ्ट सिंचाई तथा ऋण के बारे में सोचा जाना है।

अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैंने देखा है कि महानदी में "चुआ और चल्ला" पानी इकट्ठा करने के लिए खोदे गए हैं। इससे मोड़े गए प्रवाह के लिए समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। नदियों को मोड़ने से विद्यमान लिफ्ट सिंचाई बेकार हो गई है। इन क्षेत्रों में अधिक संख्या में लिफ्ट सिंचाई की आवश्यकता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों द्वारा लिफ्ट सिंचाई का प्रयोग किया जा रहा है। महानदी डेल्टा पर नई लिफ्ट सिंचाई से मध्यम वर्ग के किसानों को मदद मिलेगी।

इस क्षण, मैं अधिक व्याख्या नहीं करना चाहता हूं।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

श्री कार्तिक महापात्र (बालासोर) : सभापति महोदय, जैसाकि कई वरिष्ठ सदस्यों ने इस मामले पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं सरकार को कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। (1) कलेक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार कालाहांडी, बोलंगीर से बालासोर और मयूरभंज के 3517 ग्राम पंचायतों वाले 30 जिलों में से 26 जिलों में दो करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मैं केन्द्र सरकार से इस सूखे की स्थिति को राष्ट्रीय आपदा मानने का अनुरोध करता हूं तथा केन्द्र सरकार को राज्य

सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए 577 करोड़ रुपये के ज्ञापन को पूर्व रूप से स्वीकार किया जाए और चरणबद्ध तरीके से आवश्यक धनराशि जारी की जाए। (2) कृषि विभाग कों उड़ीसा में नए एल आई प्वाइंट तथा 3000 एल.आई. रद्द किए गए प्वाइंट को पुनः बहाल करने के लिए धनराशि देने हेतु पहल करनी चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। (3) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में नई सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की जानी चाहिए तथा भावी सूखे की स्थिति और मंजूरी कमाने वालों के लिए मानव दिवस के सृजन हेतु इन परियोजनाओं को लिया जाना चाहिए। (4) पेयजल, उड़ीसा के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गंभीर समस्या है। पानी का स्तर बहुत कम हो गया है। ग्रामीण और शहरी विकास विभाग को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ट्यूबवैल और नई जल आपूर्ति योजनाओं की स्वीकृति हेतु आगे आना चाहिए। उन छोटे और मझौले किसानों के विद्यमान ऋणों को माफ किया जाना चाहिए जिनका कालाहांडी, बोलांगीर से बालासोर और मयूरभंज में सब कुछ नष्ट हो गया है और सरकार को उनके बचाव हेतु आगे आना चाहिए। (5) चूंकि पलायन को रोकने हेतु श्रम प्रधान कार्य पर्याप्त नहीं है, इसलिए ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग को आने वाले छह महीनों हेतु ग्राम पंचायतों को पर्याप्त धन जारी करना चाहिए।

आगामी रबी फसल के लिए, चूंकि बिजली की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, अतः उड़ीसा में 'ग्रिडको' को और अधिक धन-राशि प्रदान करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि ट्रान्सफार्मरों का उन्नयन किया जा सके तथा सम्बद्ध परियोजनाओं के माध्यम से नई लाइनों का निर्माण किया जा सके।

छठी बात है, अनाथों, असहायों, विकलांगों एवं वृद्ध लोगों तथा जिनके पास अपने जीवन को बचाने के लिए कोई विकल्प मौजूद नहीं है, उनके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में निःशुल्क भोजनालय स्थापित करने के लिए अनुदान दिए जाने चाहिए। मुझे आशा है कि यह सम्मानित सभा उड़ीसा को वर्तमान संकट से उबारने के लिए इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़सेर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उड़ीसा में सूखे के विषय में समाचार पत्रों में पढ़ता आ रहा हूं। हमें इसके बारे में बहुत चिन्तित होना पड़ेगा और हमें इसका सामना करने के लिए कुछ आवश्यक एवं ठोस कदम उठाना चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने बहुत से आवश्वासन दिये हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री सिंह देव ने कहा और जैसा कि भूतपुर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इन उपायों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए और कोई ठोस कार्य किया जाना चाहिए।

मैं भी अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पश्चिमी राजस्थान अर्थात जैसलमेर-बाड्मेर का रहने वाला हूं। वह क्षेत्र दशकों से नहीं अपितु शताब्दियों से सूखा-प्रवण रहा है। काश, माननीय कृषि मंत्री जी यहां होते वास्तव में जब वह जा रहे थे तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि वह कुछ और देर के लिए रूक जाएं।

चलो, संसदीय कार्य-मंत्री तो सदन में उपस्थित हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मेरी भावनाऐं उन तक पहुंचा दें, अन्यथा मुझे और मेरे क्षेत्र के लोगों को दुःख होगा।

सभापति महोदय : आप विचारणीय मुद्दे पर आयें। यह बात आगे पहुंचा दी जाएगी।

कर्नल सोनाराम चौधरी : मंत्रालय के सचिव वहां मौजूद हैं और मुझे आशा है कि वह मेरे विचार मंत्री जी तक पहुंचा देंगे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो पूरे जिले-जैसलमेर और बाडमेर तथा जोधपुर का एक हिस्सा पड़ता है जिसमें कुल मिलाकर चौदह-प्रखंड हैं। इन चौदह प्रखंडों में से दो प्रखंडों में ठीक-ठाक वर्षा हुई, चार में आंशिक वर्षा हुई और आठ प्रखंड पूर्णतया सूखाग्रस्त रहे। इन प्रखंडों में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। ये प्रखंड हैं-चोहटन,साम,शिव, गुधामालनी, थोकरन बाड़मेर, पचपादरा और जैसलमेर। उन्हें बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्याएं तीन प्रकार की हैं। पहली समस्या फसल के कारण है। कुछ स्थानों पर बहुत थोड़ी वर्षा हुई। एक महीने के अन्तराल पर दो बार वर्षा हुई और अब कोई वर्षा नहीं हो रही है। अतः कोई फसल नहीं हो रही है निःसन्देह हम अनाज बाहर से प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु हाल में गेहूं तथा अन्य अनाज प्राप्त करने में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी। परन्तु भारतीय खाद्य निगम ने हमें उबार लिया और हम महसूस करते हैं कि सप्लाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्नों का भण्डार पर्याप्त है। मुझे आशा है कि सरकार हमें अनाज सप्लाई करने के लिए कार्यवाही करेगी।

दूसरी विषम समस्या पानी को लेकर है। उड़ीसा की तरह पश्चिमी राजस्थान में भी पानी का कोई स्थाई स्रोत नहीं है। ये क्षेत्र वर्षा पर आश्रित हैं अथवा यहां पर पानी सप्लाई कुछ ट्यूबवैल पर निर्भर करती है जो वर्षा के पानी पर निर्भर होते हैं। जब वर्षा नहीं होती है, तो कुएं सूख जाते हैं। जब वे सूख जाते हैं, तो फिर पाइपलाइनों, ओवर हैड टैंक अथवा ग्राउंड लेवल टैंक द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाएं भी सूख जाती हैं।

मैंने अभी-अभी इन क्षेत्रों का दौरा किया है और पाया है कि यहां पर अनेक समस्याएं हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ गांवों से तो लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। मैंने इन सब बातों के बारे में जिलाधीश और राजस्थान प्रशासन को सूचित किया है। वह कुछ कार्यवाही कर रहे हैं परन्तु अब तक उन्होंने जो कुछ किया है, वह संतोषजनक नहीं है।

तीसरी बात यह है उन क्षेत्रों में पशुपालन आय का मुख्य साधन है और कृषि दूसरे नम्बर पर है।

चूंकि वर्षा नहीं हुई, अतः चारा नहीं है, अधिकांश पशु मर रहे हैं। अतः पड़ोसी राज्यों-पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, जहां वर्षा अच्छी होती है, चारे का प्रबन्ध भी करना होगा। लोग चिल्ला रहे हैं और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है।

इसी प्रकार, वहां और भी समस्याएं हैं जैसे लोगों का पलायन और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। उनकी आय का कोई स्रोत नहीं हैं। राजस्थान सरकार अकाल राहत कार्य शुरू करने जा रही थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे यह कार्य पहली अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। अब नवम्बर का महीना भी समाप्त होने जा रहा है, परन्तु अभी भी उन्होंने यह काम आरम्भ नहीं किया है। मैंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है और मुझे आशा है कि वे कुछ कार्यवाही करेंगे। अन्यथा मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि वे वह इस सम्बन्ध में कुछ उपाय करें।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि यदि कुछ अतिरिक्त धन-राशि आवश्यक हो तो वह राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाए और उन राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस धनराशि को केवल प्रभावित क्षेत्रों में ही खर्च करें। फिर इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार के क्षेत्र में आने वाले एक और मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग ने रिग तथा अन्य मशीनरी के रूप में अतिरिक्त संसाधन स्वीकृत किए हैं, जिनके द्वारा वे गहरे कुएं खोद पायेंगे। ऐसे कुएं वर्षा की कमी के दौरान भी सूखते नहीं है क्योंकि वह धरती के अन्दर 1000 से 1500 फीट नीचे तक गहरे खुदे होते हैं। उस दिन जब मैंने संसद में यह प्रश्न उठाया तो श्री जनेश्वर मिश्र ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह मशीनरी भेज दी जाएगी। किन्तु मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि वहां कुछ नहीं भेजा गया है। अतः वे मशीनें वहां तुरन्त भेजी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : यह बात आगे पहुंचा दी जाएगी।

कर्नल सोनाराम चौधरी : महोदय, आखिर में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मैं आपकी अनुमति चाहूंगा क्योंकि मुझे बोलने का अवसर कभी कभार ही मिलता है।

पीने के पानी की समस्या के निवारण के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाई गई है। राजस्थान नहर जैसलमेर तक पहुंच चुकी है।

सभापति महोदय : श्री सोनाराम चौधरी यह चर्चा उड़ीसा में सूखे की स्थिति के बारे में है। आप किसी और विषय पर बोले जा रहे हैं। फिर भी मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए और अधिक विस्तार में मत जाइए।

कर्नल सोनाराम चौधरी : महोदय, इस योजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए क्योंकि यह केन्द्रीय जल आयोग के पास आ गई है। इसे तुरन्त स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। इसी प्रकार नर्मदा के बारे में भी एक योजना राजस्थान की ओर से बाड़मेर जिले के लिए आने वाली है। उसे भी स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) **:** सभापति महोदय, उड़ीसा में पड़े सूखे की स्थिति पर ज्यादातर चर्चा उड़ीसा के कालाहाण्डी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों पर केन्द्रित थी। सभापति महोदय, इन क्षेत्रों में पड़े सूखे पर हुई चर्चा से बिना कोई छेड़छाड़ किए अथवा उसकी महत्ता कम किए, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान तटीय उड़ीसा और विशेषरूप से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पुरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो अगर बहुत बुरी तरह नहीं तो कम-से-कम इनमें से कुछेक क्षेत्रों के बराबर ही प्रभावित है।

मैं इसके बारे में कुछ सांख्यिकीय आंकड़े देना चाहूंगा। पुरी संसदीय क्षेत्र में तीन जिले आते हैं। पहला जिला खुर्द है इस जिले में कुल मिलाकर 10 प्रखण्ड हैं तथा इनमें से प्रभावित प्रखण्डों की संख्या 8 है। गांवों की कुल संख्या 1,567 है और प्रभावित गांवों की संख्या 1,108 हैं। दूसरा जिला नयागढ़ है। इस जिले में कुल प्रखण्डों की संख्या आठ है और आठों जिले सूखे से प्रभावित हैं। तीसरा जिला स्वयं पुरी है, यहां कुल 11 प्रखण्ड हैं और सभी 11 प्रखण्ड सूखे की चपेट में हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तटीय उड़ीसा में भी सूखे की स्थिति उतनी है बुरी है।

महोदय, मुझे खुशी है कि उड़ीसा के हमारे एक साथी अर्थात् संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं। राज्य सरकार ने 'फूड फार वर्क प्रोग्राम' नामक योजना पहले ही शुरू कर दी है। मैं रोजगार आश्वासन योजना की खूबियों को बार-बार बताने की आवश्यकता नहीं समझता। इसके बारे में श्री नरसिंह राव तथा अन्य वक्ता काफी विस्तार से बोल चुके हैं। मैं आशा करता हूं तथा श्री श्रीकान्त जेना से वितनी करता हूं कि बदले में वह प्रधान मंत्री से वितनी करें कि जब वह कल इस चर्चा का उत्तर देने के लिए उठें, तो शेष प्रखण्डों, जो रोजगार आश्वासन योजना में शामिल नहीं हैं और जिनकी संख्या इस समय 64 है, को भी इस योजना, में शामिल होने की स्वीकृति और मंजूरी दें। कम-से-कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम किसी भारी-योजना की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम भाषण तो लम्बे चौड़े दे सकते हैं और भारी भरकम योजनाओं की मांग कर सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर को संसाधनों के अभाव में मंजूरी मिलने की संभावना न के बराबर है।

अतः, हम प्रधान मंत्री से केवल यही आश्वासन चाहते हैं। अगर वह ऐसा कर सकते हैं तो इससे वास्तव में तटीय उड़ीसा के काफी बड़े भाग को फायदा होगा। अंतिम बात, जिसे मैं कहना चाहता हूं,

बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है क्योंकि यहां पर चर्चा में सभी ने सहकर्मी की भावना से भाग लिया है जैसे कि यह कोई राष्ट्रीय आपदा हो। सभी लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर बात की है। लेकिन राज्य सरकार की कुछ निन्दा की गई है। मैं राज्य सरकार द्वारा जिस तरह से फौरन कार्यवाही की गई है, उसके पक्ष में बोलूंगा।

सभापति महोदय, श्री बीजू पटनायक ने विशेष-रूप से और बड़ी खूबी के साथ माननीय मुख्य मंत्री पर चुटकी ली है कि वे तो अपने साथियों के साथ हाल में विदेशी दौरे पर थे। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि यह विदेशी दौरा नितान्त आवश्यक था। यह दौरा पार्टी के अन्दर काफी उठापटक, लम्बी चौड़ी बहस और चर्चा के बाद किया गया था। दुर्भाग्य से, जापान में जिस एक्जिम बैंक के साथ उन्हें उड़ीसा में शुरू की जाने वाली एक निश्चित रेल परियोजना के लिए चार सौ मिलियन डालर ऋण के सबंध में जो बातचीत करनी थी, वह हो नहीं पाई। उसी ऋण के कारण उन्हें वह यात्रा करनी पड़ी थी। वे लोग बीच में ही अपना दौरा छोड़कर समय से पहले वापस आ गए। अतः, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनैतिक स्तर पर इस तरह की चुटकी ली गई है जो आज की बहस की भावना के अनुरूप नहीं है।

इसके साथ ही मैं आपको मुझे सदन में बोलने का मौका दिए जाने लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : सभापति महोदय, धन्यवाद। निःसन्देह मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। लेकिन इसके साथ ही मुझे अपने लोगों के साथ न्याय भी करना है जो सूखे की मार से बुरी तरह प्रभावित हैं। मैं ज्यादातर जोर आधारभूत वास्तविकताओं पर देना चाहूंगा। जैसाकि आप जानते हैं कि रोजगार आश्वासन योजना को लागू करने के लिए सरकार के मार्ग निर्देश यह हैं कि सभी काम विभाग द्वारा किए जाने होंगे। महोदय, चूंकि कर्मचारी और क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सी बहुत सीमित हैं, इसलिए उन पर कार्यभार बहुत ज्यादा है। वे काम को शुरू करके उसे समय पर पूरा कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, पैसा खर्च करने में कठिनाई आ रही है। तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में भी कठिनाई हो रही है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास रोजगार की समस्या है। हमारे पास बेरोजगार स्नातक तथा बेरोजगार शिक्षित इंजीनियर भी हैं। अतः, संविदात्मक कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए यदि हम बेरोजगार युवकों को वास्तव में थोड़ी बहुत छूट देकर उनके जरिए ही संविदात्मक काम करवाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके प्रति न्याय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उससे सही मायने में उन लोगों के साथ न्याय होगा तथा काम को भी समय पर पूरा किया जा सकेगा और लोगों को भी फायदा होगा।

महोदय, जहां तक पेय जल का संबंध है, जब हम ड्रिलिंग करने जाते हैं तो पाते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां हमें उसकी अनुमति नहीं देती हैं। कभीकभार जब हम ड्रिलिंग करते हैं, तो नलकूप काम करना बंद कर देते हैं। हमारे सभी जिले प्राकृतिक संसाधनों और जल संसाधनों से सम्पन्न हैं। हमारे यहां महानदी है तथा जल के अन्य अनके स्रोत हैं जहां बारह महीने पानी रहता है। हम लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन बिछा सकते हैं। मैं पुनः सरकार को सुझाव दूंगा कि हमें बी.पी.एल. सूची को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र फूलबनी, बाहुड और सोनपुर, हालांकि, बी. पी.एल. का प्रतिशत राज्य में सर्वाधिक है, फिर भी मैं देखता हूं कि कुछ रोजगार आश्वासन योजनाएं काम नहीं कर रही हैं। अतः, सिंचाई सुविधाओं के होने के बावजूद हम देखते हैं कि सूखा इन क्षेत्रों तक पहुंच गया है।

अतः उन स्थानों के चयन का यही सही समय है जहां हम रोजगार आश्वासन योजनाओं, डी.पी.ए.पी. इत्यादि को लागू कर सकते हैं। उस पर सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए। मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि कुछ काम जैसे महानदी के ऊपर पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। बौद्ध में भी काम रोक दिया गया है। हम देखते हैं कि पुलों के निर्माण के लिए कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं है। इस काम के लिए 15 से 20 करोड़ रु. देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमें यह पैसा कहीं न कहीं से जुटाना चाहिए। अगर हम इन पुलों का निर्माण करते हैं, तो हम न केवल आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रहे होंगे, अपितु इससे अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आएगा। अतः, इन परियोजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए और सरकार को आवश्यक धन देने में अनिच्छुक नहीं होना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने इस सूखे के पड़ने से काफी पहले ही काम करने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। समूचे प्रशासन को सावधान कर दिया गया था और वह काम करता रहा है। लेकिन इसके साथ ही नए जिलों के निर्माण से - पहले केवल 13 जिले थे लेकिन अब हमारे यहां 30 जिले हैं - हमारे पास इन नवनिर्मित जिलों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। इन नवनिर्मित जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। वहां पर कोई भी आधारभूत सुविधाएं, भवन अथवा इस तरह की अन्य सुविधाएं नहीं हैं। अतएव, इस समस्या पर विचार किया जाना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कुछ नए जिलों को डी.आर.डी.ए., कार्य, योजना, इत्यादि जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इसलिए, इन नवनिर्मित जिलों में जहां कहीं भी डी.आर.डी.ए. हैं, उन्हें पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। ये सारी बहुत महत्त्वपूर्ण बातें हैं। सरकार को इन पर विचार करना चाहिए तथा राज्य के ज्यादा से जयादा हित में लोगों के साथ न्याय करना चाहिए।

सभापति महोदय : वक्ताओं की सूची अब समाप्त हो गई है और हम उड़ीसा में पड़े सूखे के संबंध में चर्चा पूरी कर चुके हैं। कल माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

अब सभा कल 29 नवम्बर, 1996 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 8.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1996/8 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।